

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



59वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय-I	निष्पादन संबंधी आंकड़े 2011-12-एक नजर	1-19
	• निष्पादन आंकड़े 2011-12	1-3
	• सेवा क्षेत्र	4-5
	• राजस्व विवरणियां	6-7
	• अनुपालन कार्रवाई	8
	• आधारभूत संरचना	9
	• सचित्र प्रस्तुतिकरण	10-19
अध्याय-2	कर्मचारी भविष्य निधि, भारत	20-26
	• कर्मचारी भविष्य निधि, भारत का प्रारंभ	20-21
	• कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं	21-23
	• केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि	23-24
	• उप समितियां	24
	• क्षेत्रीय समितियां, क.भ.नि.	24
	• संगठनात्मक ढांचा	24-25
	• भौतिक सुविधा प्रभाग	25-26
अध्याय – 3	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएं	27-41
	• अधिनियम को लागू करना	27
	• उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची	27-28
	• योजना की सदस्यता के लिए पात्रता	28-29
	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	29-30
	• लाभ	30
	• पात्रता	30-31
	• पेंशन लाभार्थी	31
	• पेंशन निधि का मूल्यांकन	31-35
	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट पर बीमांककों के पैनल द्वारा समीक्षा रिपोर्ट	35

	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन	36
	• अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए व्यवस्था	36-37
	• कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	37
	• लागू होना तथा कवरेज	37
	• योजना के अंतर्गत लाभ	37
	• छूट	38
	• छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य - कर्मचारी भविष्य निधि	38
	• स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संकेन्द्रण	38
	• छूट प्राप्त क्षेत्र से प्राप्त अंशदान	38
	• निरीक्षण प्रभार	38
	• ब्याज दर	39
	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत छूट	39
	• कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से छूट	40
	• वित्त अधिनियम, 2006 खंड 56 - प्रक्रिया की तर्कसंगत व्याख्या तथा छूट की पद्धति	40-41
अध्याय – 4	अंशदान एवं निवेश	42-51
	• अंशदान की दर	42-43
	• प्राप्त अंशदान	43
	• पेंशन निधि	44
	• बीमा निधि	44
	• प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार	44
	• संगठन का प्रशासकीय राजस्व	46
	• निवेश	47
	• निवेश पद्धति	47
	• पेंशन निधि का निवेश	48
	• बीमा निधि का निवेश	48
	• पोर्टफोलियो प्रबंधन	48-49
	• पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दू	49
	• निवेश का ब्यौरा	49-51
	• भविष्य निधि के निवेश की राशि (छूट प्राप्त क्षेत्र)	51
	• सदस्यों को ब्याज दर	51

अध्याय – 5	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुपालन प्रबंधन	52-60
	• अनिवार्य कवरेज	52
	• स्वैच्छिक कवरेज	52
	• उद्योगों की अनुसूची /स्थापनाओं की श्रेणी	52
	• चूककर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई	52-53
	• बकाया की वसूली	53
	• भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता	53
	• वर्ष के दौरान अनुपालन की स्थिति पर नोट	53
	• बकाया का विभाजन (सभी योजनाएँ)	54
	• अन्य बकाया (सभी योजनाएँ)	54
	• चूक रोकने हेतु कृत कार्रवाई	54-56
	• बकाया की वसूली हेतु चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की करना एवं /अथवा गिरफ्तारी	56
	• पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग में चूक	56-57
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया	57
	• बकाया का विभाजन - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएँ	57
	• बकाया की स्थिति	57-58
	• अनिवेशित निधि	58
	• चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई	58
	• बकाया की वसूली के लिए संपत्ति का अटैचमेंट एवं/अथवा चूककर्ताओं को गिरफ्तार करना	58-59
	• न्यायालयों में मामले -माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील	59
	• अन्य न्यायालयों के मामले	59
	• कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण	59-60
अध्याय – 6	बेहतर सेवा के लिए सूचना तकनीक	61-64
	• क.भ.नि.सं. की पहल	61-63
	• पहल शक्ति के लाभ	63-64
अध्याय – 7	मानव संसाधन प्रबंधन एवं सतर्कता	65-70
	• क.भ.नि. स्टाफ पेंशनर्स	65
	• परीक्षा प्रभाग	66
	• वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यनिष्पादन	66-67
	• उत्पादकता सहबद्ध बोनस	67
	• अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण	67
	• खेलकूद गतिविधियाँ	67-69
	• हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	69-70

	• सतर्कता	70
	• वर्ष के दौरान की गई प्रगति	70
अध्याय – 8	ग्राहक सेवा	71-73
	• परिणाम रूपरेखा दस्तावेज	71
	• नागरिक चार्टर	71-72
	• जन शिकायतें	72
	• फील्ड कार्यालयों में भविष्य निधि अदालतें	73
	• शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण व निवारण	73
	• सूचना का अधिकार	73
अध्याय – 9	सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षा	74
	• आंतरिक लेखा परीक्षा	74
परिशिष्ट		75-169
परिशिष्ट-ए 1	31.03.2012 तक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य	75-77
परिशिष्ट-ए 2	31.03.2012 तक कार्यकारी समिति के सदस्य	78
परिशिष्ट-ए 3 (i)	दावे - भविष्य निधि	79
परिशिष्ट-ए 3 (ii)	दावे - आंशिक निकासी	80
परिशिष्ट-ए 3 (iii)	दावे - अंतरण मामले	81
परिशिष्ट-ए 3 (iv)	दावे - कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 मासिक पेंशन	82
परिशिष्ट-ए 3 (v)	दावे - कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (मासिक पेंशन दावों को छोड़कर)	83
परिशिष्ट-ए 3 (vi)	दावे - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976	84
परिशिष्ट-ए 3 (vi)	सभी दावे	85
परिशिष्ट-ए 4	क्षेत्रीय समितियाँ, कर्मचारी भविष्य निधि	86
परिशिष्ट-ए 5	31.03.2012 को क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा सेवा केन्द्रों की सूची	87-90
परिशिष्ट-ए 6 (i)	वर्ष 2011-2012 के दौरान नाटर्स द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	91
परिशिष्ट-ए 6 (ii)	वर्ष 2011-12 के दौरान आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण	92
परिशिष्ट-ए 7(i)	31.03.2012 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य	93-97
परिशिष्ट-ए 7(ii)	स्थापनाओं की अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण	98-99
परिशिष्ट-ए 8	सदस्यों का राज्यवार संकेन्द्रीकरण	100
परिशिष्ट-ए 9	सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण	101

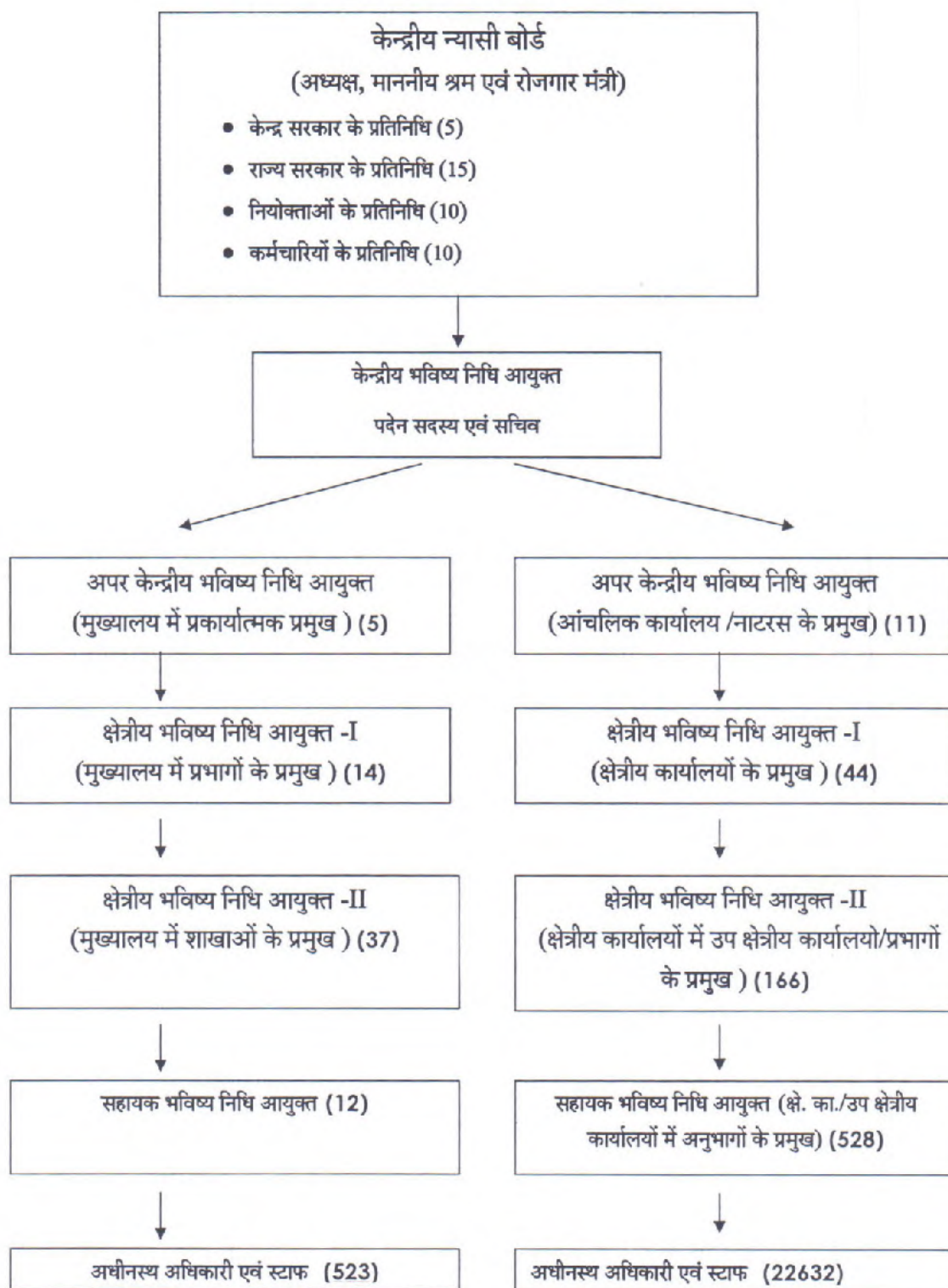
परिशिष्ट-ए 10	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत संवितरण एजेंसियों की सूची	102
परिशिष्ट-ए 11	31.03.2012 तक पेंशनभोगियों का वर्गीकरण	103-104
परिशिष्ट-ए 12	स्थापनाओं तथा सदस्यों की अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण - छूट प्राप्त स्थापनाएं	105
परिशिष्ट- ए 13	31.12.2012 तक छूट प्राप्त क्षेत्र में स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण	106
परिशिष्ट-ए 14 (i)	सभी तीनों योजनाओं (2011-2012) का अंशदान एवं भुगतान	107
परिशिष्ट-ए 14 (ii)	सभी तीनों योजनाओं (2010-2011) का अंशदान एवं भुगतान	108
परिशिष्ट-ए 14 (iii)	सभी तीनों योजनाओं (2009-2010) का अंशदान एवं भुगतान	109
परिशिष्ट- ए 15	1952 के बाद से क.भ.नि. शेष के मासिक चालू शेष पर ब्याज की दर	110
परिशिष्ट- ए 16 (i)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.भ.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया	111
परिशिष्ट- ए 16 (ii)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.पें. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया	112
परिशिष्ट- ए 16 (iii)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.नि.सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया	113
परिशिष्ट- ए 17	सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन (सभी योजनाएं)	114-115
परिशिष्ट- ए 18	50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	116-117
परिशिष्ट- ए 19	एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र) 2011-12	118-129
परिशिष्ट- ए 20	वर्ष 2011-12 के दौरान अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत निर्धारण मामलों के प्रारंभ एवं निपटान की स्थिति	130-131
परिशिष्ट- ए 21	अधिनियम की धारा 7 (क्यू) के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज (रूपये करोड़ों में)	132-133
परिशिष्ट- ए 22	तीनों योजनाओं के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	134-135
परिशिष्ट- ए 23	क.भ.नि.देयों के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	136-137
परिशिष्ट- ए 24	क.पें.यो. देयों के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	138-139
परिशिष्ट- ए 25	क.नि.सह.बी.यो. देयों के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र	140-141
परिशिष्ट- ए 26	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) क.भ.नि. योजना	142-143
परिशिष्ट- ए 27	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) क.पें. योजना	144-145
परिशिष्ट- ए 28	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) क.नि.सह.बीमा योजना	146-147
परिशिष्ट- ए 29 (i)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	148-149
परिशिष्ट- ए 29 (ii)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	150-151
परिशिष्ट- ए 30	संपत्ति का अटैचमेंट /चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति -अछूट प्राप्त क्षेत्र	152

परिशिष्ट- ए 31	छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया	153-154
परिशिष्ट- ए 32	छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया	155
परिशिष्ट- ए 33	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन	156-157
परिशिष्ट- ए 34	50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (छूट प्राप्त क्षेत्र)	148-159
परिशिष्ट- ए 35	एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र)	160-163
परिशिष्ट- ए 36	वर्ष के अंत में अनिवेशित राशि (31.03.2012 तक)	164-165
परिशिष्ट- ए 37	31.03.2012 को ग्रुप ए अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	166
परिशिष्ट- ए 38	31.03.2012 को ग्रुप बी अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	167
परिशिष्ट- ए 39	31.03.2012 को ग्रुप सी एवं ग्रुप डी अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	168
परिशिष्ट- ए 40	31.03.2012 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टॉफ पेंशन भोगियों तथा परिवार पेंशन भोगियों की संख्या	169
परिशिष्ट- ए 41	वर्ष 2010-2011 में उत्पादकता सहबद्ध बोनस	170-171
परिशिष्ट- ए 42	जन सूचना	172
परिशिष्ट- ए 43	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों का विवरण	173-174
परिशिष्ट- ए 44	आंतरिक लेखा परीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण	175-176
परिशिष्ट- ए 45 (i)	31.03.2012 को क.भ.नि.योजना निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन दर	177
परिशिष्ट- ए 45 (ii)	31.03.2012 को क.पें.यो. 1995 निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं अर्जन दर	178
परिशिष्ट- ए 45 (iii)	31.03.2012 को क.नि.स.बी. योजना निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन दर	179

कर्मचारी भविष्य निधि , भारत से संबंधित संक्षिप्त तथ्य

- ❖ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (क.भ.नि.एवं प्र.उ.अधि.) 1952 का सृजन ।
- ❖ कर्मचारी भविष्य निधि, भारत सदस्यता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन है ।
- ❖ यह अधिनियम 20 अथवा उससे अधिक कामगारों वाले उद्योगों पर लागू होता है ।
- ❖ स्थापनाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे 6500/- रूपए प्रतिमाह वेतन लेने वाले अपने सभी कामगारों के संबंध में सांविधिक अनुपालन करें ।
- ❖ भविष्य निधि , पेंशन तथा बीमा इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं ।
- ❖ भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से अंशदान करना आवश्यक है ।
- ❖ पेंशन योजना “ परिभाषित अंशदान ” तथा “ परिभाषित लाभ ” का मिश्रण है । कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान नहीं करना होता ।
- ❖ बीमा योजना एक जमा सहबद्ध योजना है जिसमें कर्मचारियों से कोई अंशदान लिए बिना 1,30,000/- रूपए का लाभ उपलब्ध कराया जाता है ।

संगठन का चार्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वास्तविक स्वीकृत स्टाफ की संख्या है।

अध्याय -1
निष्पादन आंकड़ें
2011-12

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र एवं अनुपालन क्षेत्र के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :-

1. सेवा क्षेत्र

- ❖ 31.03.2012 तक 855 लाख सदस्य खातों वाली 6.91 लाख स्थापनाओं को कवर किया गया।
- ❖ 31 मार्च 2012 तक 41 लाख पेंशनभोक्ताओं को मासिक पेंशन का भुगतान किया गया।
- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान अंशदान के रूप में 70,889 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। प्राप्त अंशदान (रूपये करोड़ों में) का योजनावार विवरण निम्नलिखित है :

कर्मचारी भविष्य निधि	55, 555
कर्मचारी पेंशन निधि	14, 767
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	566

- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान सदस्यों को 26,914 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए। प्रदान किए गए लाभों का योजनावार विवरण (रूपये करोड़ों में) निम्नलिखित है :

कर्मचारी भविष्य निधि योजना	अंतिम निपटान	17,177
	आंशिक निकासी	2,023
	कुल	19200
कर्मचारी पेंशन योजना	मासिक पेंशन भुगतान	4,475
	निकासी लाभ	3,164
	कुल	7639
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	मृत्यु परिलाभ	75

- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान लाभों के 90.50 लाख दावों का निपटान किया गया। निपटाए गए दावों का योजनावार विवरण (लाखों में) निम्नलिखित है :

		कुल दावों का निपटान	30 दिनों के भीतर निपटाए गए दावे	30 दिन के भीतर निपटाए गए दावों का %
कर्मचारी भविष्य निधि योजना	अंतिम निपटान	42.12	22.81	54.16%
	आंशिक निकासी	2.60	2.01	77.26%
	अंतरण मामले	5.60	3.23	57.81%
	कुल	50.32	28.05	55.74%
कर्मचारी पेंशन योजना	मासिक पेंशन दावे	3.62	1.46	40.41%
	निकासी लाभ दावे	36.35	18.77	51.64%
	कुल	39.97	20.23	50.61%
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	मृत्यु परिलाभ	0.21	0.13	61.90%

(दावों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ए -3(i) से ए-3(vii)में दिया गया है।

2. अनुपालन क्षेत्र

वर्ष के दौरान 55,244 निर्धारण जांचें पूरी की गई - अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 22,661 तथा अधिनियम की धारा 14 बी के अंतर्गत 32,583 निर्धारण जांच की गई।

- ❖ 31 मार्च 2012 तक 24,809 जांच निपटान हेतु लंबित थी - - अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत 18,253 तथा अधिनियम की धारा 14 बी के अंतर्गत 6556 जांच निपटान हेतु लंबित थी ।
- ❖ वर्ष के दौरान चूकदार स्थापनाओं से 2215.71 करोड़ रुपये की देय राशि का निर्धारण किया गया।
- ❖ वर्ष 2011-2012 के दौरान चूकदार स्थापनाओं से 1585 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
- ❖ 31.03.2012 तक छूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली योग्य लंबित देय की राशि 2978 करोड़ रुपये थी। इसमें से 1327 करोड़ रुपये शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज से संबंधित थे।

- ❖ 31 मार्च 2012 तक छूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली हेतु 605 करोड़ रुपये की राशि लंबित थी।
 - ❖ इस प्रकार 31 मार्च 2012 तक 3583 करोड़ रुपये की राशि वसूली योग्य लंबित थी।
 - ❖ न्यायालयों द्वारा स्टे के कारण 1597 करोड़ रुपये (54%) का बकाया रोका हुआ था।
 - ❖ समापनाधीन कार्यवाही में 300 करोड़ रुपये (10%) तथा बी.आई.एफ.आर. कार्यवाही के अंतर्गत 97 करोड़ (3%) की राशि रोकी हुई थी। (अछूट प्राप्त क्षेत्र)
-

सांख्यिकी सार (2011-12)

क) सेवा क्षेत्र

सभी दावे (लाखों में)					
			2011-12	2010-11	2009-10
कर्मचारी भविष्य निधि दावे	अन्तिम निपटान	निवल कार्यभार	44.44	36.76	39.31
		निपटाए गए दावे	42.12	34.10	36.60
		लम्बित दावे	2.32	2.66	2.71
	आंशिक प्रत्याहरण	निवल कार्यभार	2.71	2.59	2.99
		निपटाए गए दावे	2.60	2.48	2.87
		लम्बित दावे	0.11	0.11	0.12
	अंतरण दावे	निवल कार्यभार	6.32	3.75	4.07
		निपटाए गए दावे	5.60	3.12	3.17
		लम्बित दावे	0.73	0.63	0.90
	कुल	निवल कार्यभार	53.47	43.10	46.37
		निपटाए गए दावे	50.32	39.70	42.64
		लम्बित दावे	3.16	3.40	3.73
कर्मचारी पेंशन योजना दावे	मासिक पेंशन दावे	निवल कार्यभार	4.01	4.20	4.87
		निपटाए गए दावे	3.62	3.64	4.20
		लम्बित दावे	0.39	0.56	0.67
	मासिक पेंशन दावों के अतिरिक्त	निवल कार्यभार	38.64	31.72	33.95
		निपटाए गए दावे	36.35	28.96	31.13
		लम्बित दावे	2.29	2.76	2.82
	कुल	निवल कार्यभार	42.65	35.92	38.82
		निपटाए गए दावे	39.97	32.60	35.33
		लम्बित दावे	2.68	3.32	3.49
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा दावे	निवल कार्यभार	0.23	0.21	0.24	
	निपटाए गए दावे	0.21	0.19	0.21	
	लम्बित दावे	0.02	0.02	0.03	
कुल दावे	निवल कार्यभार	96.36	79.23	85.43	
	निपटाए गए दावे	90.50	72.49	78.18	
	लम्बित दावे	5.86	6.74	7.25	

कुल दावों पर सेवा निवृत्ति दावों का प्रतिशत			
वर्ष →	2011-12	2010-11	2009-10
कर्मचारी भविष्य निधि दावे (अन्तिम भुगतान)	1.95%	3.56%	5.25%
कर्मचारी पेंशन योजना दावे	8.21%	10.06%	10.05%

लेखों की वार्षिक विवरणी (लाखों में)

	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के अंत में लम्बित
2011-12	1662.01	38.81
2010-11	606.65	727.91
2009-10	653.54	473.54

जन शिकायतों का निपटान

	2011-12	2010-11	2009-10
आदि शेष	18880	1047	1305
वर्ष के दौरान प्राप्त	256096	156578	17551
कुल शिकायतें	274976	157625	18856
वर्ष के दौरान निपटाए गए	246224	138745	17809
वर्ष के अंत में शेष	28752	18880	1047
निपटान का प्रतिशत	89.54	88.02	94.45

नामांकन

नामांकन (संचयी)			वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	
	स्थापनाएं	सदस्य (लाखों में)	स्थापना	सदस्य
2011-12	691237	855.40	4.64	38.88
2010-11	660546	615.89	7.25	4.75
2009-10	615902	587.96		

ख) राजस्व विवरणियां

	2011-12	2010-11	2009-10
प्राप्त अंशदान (वर्ष के दौरान)	(रूपये करोड़ों में)		
भविष्य निधि			
छूट प्राप्त	16123.50	14785.95	22092.60
अछूट प्राप्त	39431.44	32494.40	26558.20
कुल	55554.94	47280.35	48650.80
पेंशन निधि			
कर्मचारी/नियोक्ता का भाग	13417.47	11587.94	9930.52
सरकार का भाग	1350.00	1300.00	994.00
कुल	14767.47	12887.94	10924.52
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि			
नियोक्ता का भाग	566.40	480.00	423.22
कुल	566.40	480.00	423.22
कुल योग	70888.81	60648.29	59998.54

	2011-12	2010-11	2009-10
किया गया भुगतान (वर्ष के दौरान)	(रूपये करोड़ों में)		
कर्मचारी भविष्य निधि	30328.00	22064.93	16932.67
कर्मचारी पेंशन निधि	7858.85	6146.90	5654.92
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	93.66	59.03	61.85
कुल	38280.51	28270.86	22649.44

प्रशासनिक लेखा (कर्मचारी भविष्य निधि योजना)

(रूपये करोड़ों में)

	आय	व्यय	शेष
2011-12	3,081.50	1,298.84	1,782.66
2010-11	2,509.69	1,168.43	1,341.26
2009-10	2,107.60	1,113.78	993.82

निवेश (वर्ष -वार)

(रूपये करोड़ों में)

	कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी पेंशन निधि	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	कुल जोड़	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
2011-12	58,662.28 (22,403)	19,729.26	1,319.93	79,711.47	21.06
2010-11	46,416.95 (13,634)	18,260.39	1,165.90	65,843.24	27.39
2009-10	35,459.59 (10,156)	15,212.15	1,016.43	51,688.17	

(कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के स्थिति दर्शाते हैं)

निवेश (संग्रह)

(रूपये करोड़ों में)

	कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी पेंशन निधि	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	कुल जोड़	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
2011-12	3,73,644.57 (1,36,321)	1,61,780.08	10,657.59	5,46,082.24	17.09
2010-11	3,14,981.95 (1,13,918)	1,42,050.82	9,337.66	4,66,370.43	16.44
2009-10	2,68,565.00 (1,00,284)	1,23,790.43	8,171.76	4,00,527.19	

(कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के स्थिति दर्शाते हैं)

ग) अनुपालन कार्रवाई

बकाया की वसूली		(रूपये करोड़ों में)		
		वर्ष का कार्य भार	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31-03-2012 को अंत शेष
अछूट प्राप्त क्षेत्र				
क.	कर्मचारी भविष्य निधि	2787.31	1064.30	1723.01
ख.	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	213.26	69.66	143.60
ग.	कर्मचारी पेंशन निधि	1444.78	415.46	1029.32
घ.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	111.81	35.01	76.80
ड.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	6.46	1.15	5.31
च.	कुल (क से ड)	4563.62	1585.58	2978.04
छ.	शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज	1626.64	299.63	1327.01
छूट प्राप्त क्षेत्र		737.62	132.57	605.05

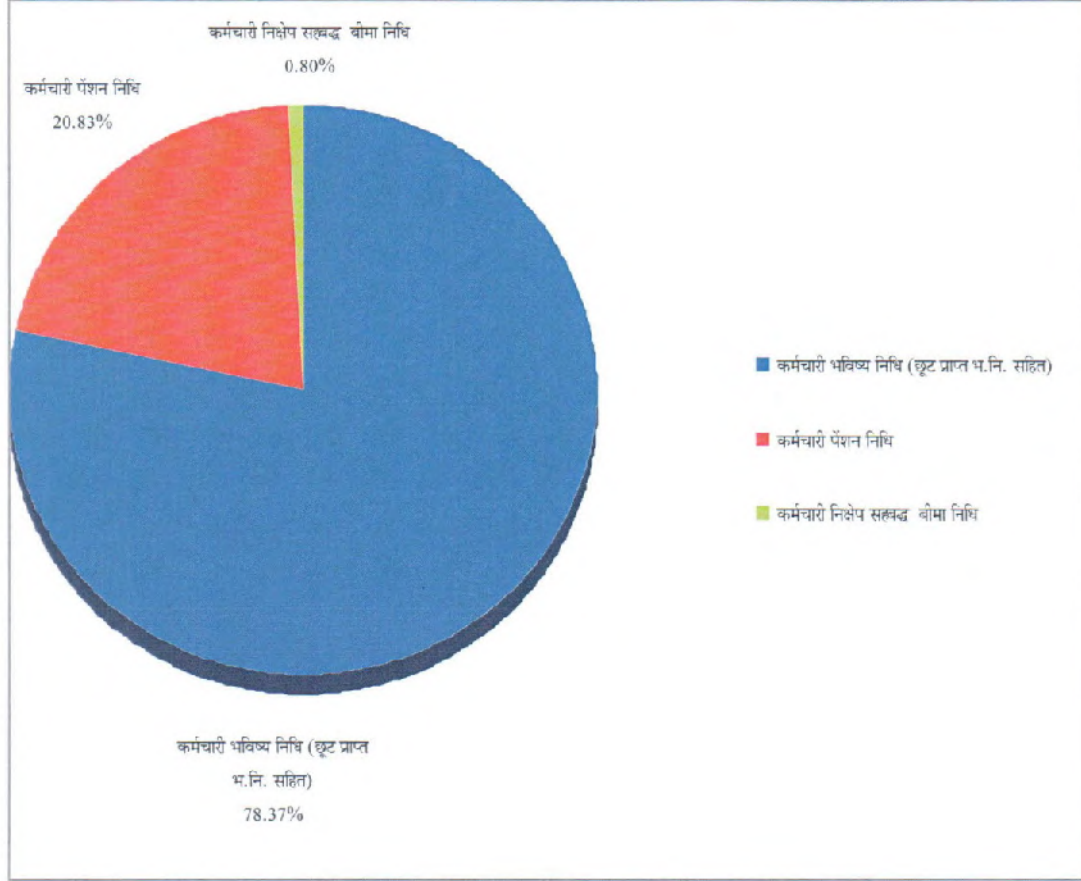
घ) आधारभूत संरचना

मानवशक्ति		2011-12	2010-11	2009-10
ग्रुप 'ए'	स्वीकृत	1042	1033	1022
	वर्तमान स्थिति	762	816	829
	कमी	280	217	193
ग्रुप 'बी'	स्वीकृत	6368	6165	6140
	वर्तमान स्थिति	5086	5244	5154
	कमी	1282	921	986
ग्रुप 'सी' (पूर्व में ग्रुप 'डी' को सम्मिलित करते हुए)	स्वीकृत	17681	16990	16990
	वर्तमान स्थिति	13980	14205	13192
	कमी	3701	2785	3798
कुल	स्वीकृत	25091	24188	24152
	वर्तमान स्थिति	19828	20265	19175
	कमी	5263	3923	4977

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय			
	2011-12	2010-11	2009-10
आंचलिक कार्यालय	10	10	10
क्षेत्रीय कार्यालय	40	40	40
उप क्षेत्रीय कार्यालय	83	80	79
सेवा केन्द्र	14	14	17
जिला कार्यालय	122	120	123
नाटर्स/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/ उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान	6	6	6

सचित्र प्रस्तुतिकरण

प्राप्त अंशदान 2011-2012

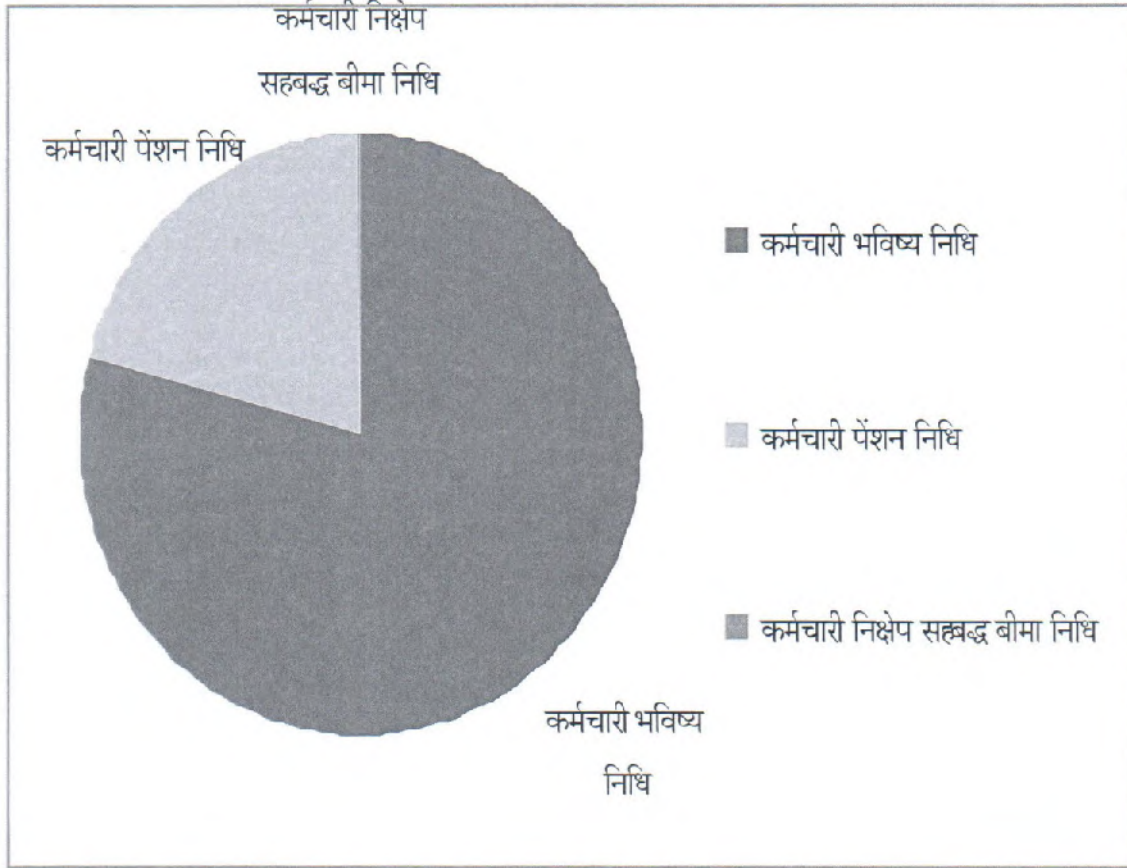


प्राप्त राशि 2011-12

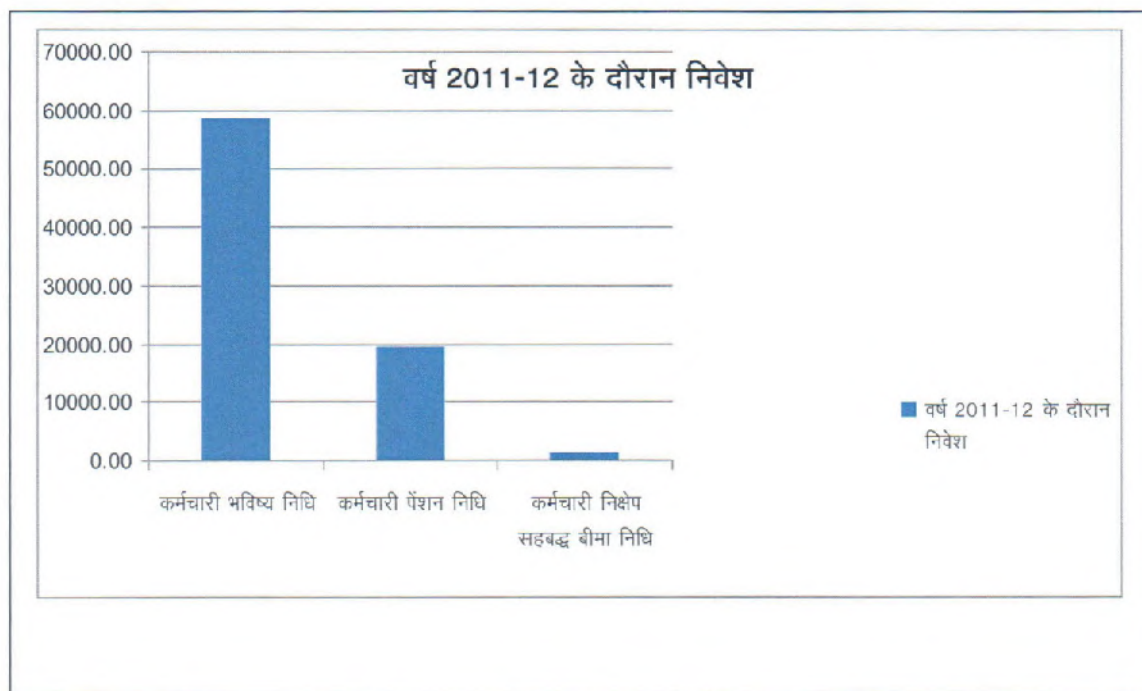
(रुपये करोड़ों में)

कर्मचारी भविष्य निधि (छूट प्राप्त भ.नि. सहित)	55,554.94
कर्मचारी पेंशन निधि	14,767.47
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	566.40

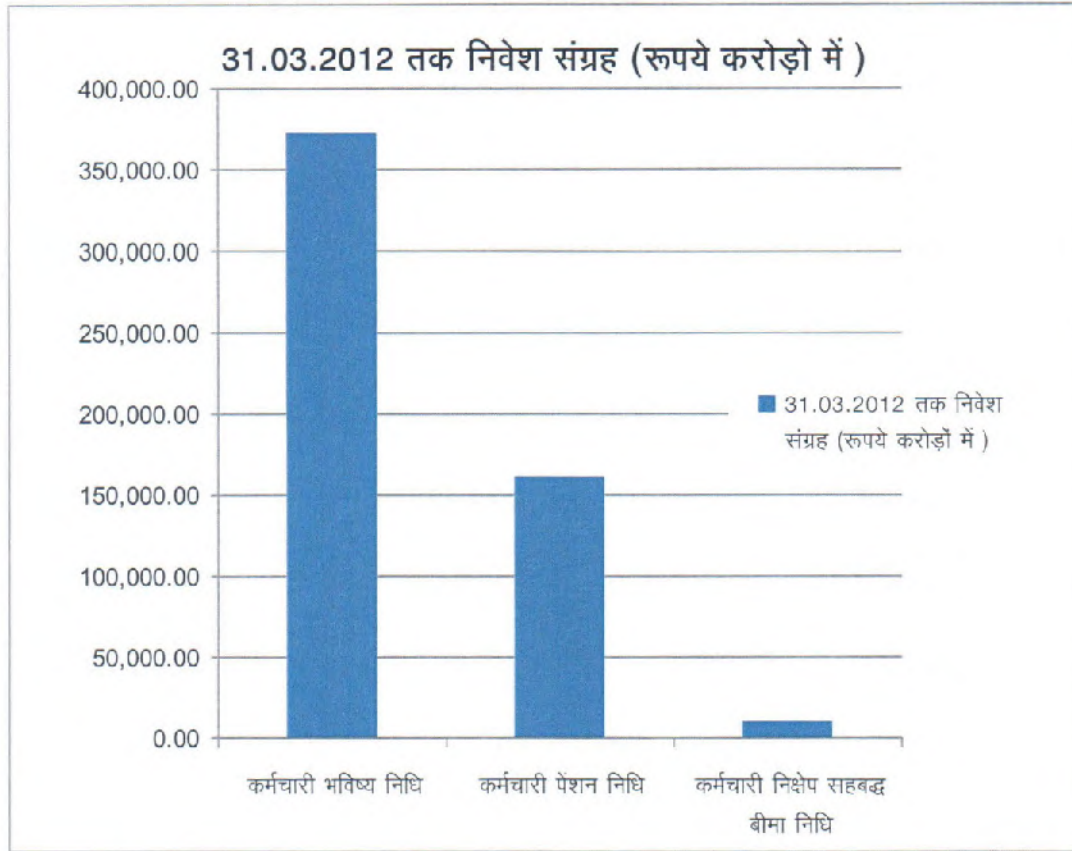
वितरित राशि 2011-12 (रूपये करोड़ों में)



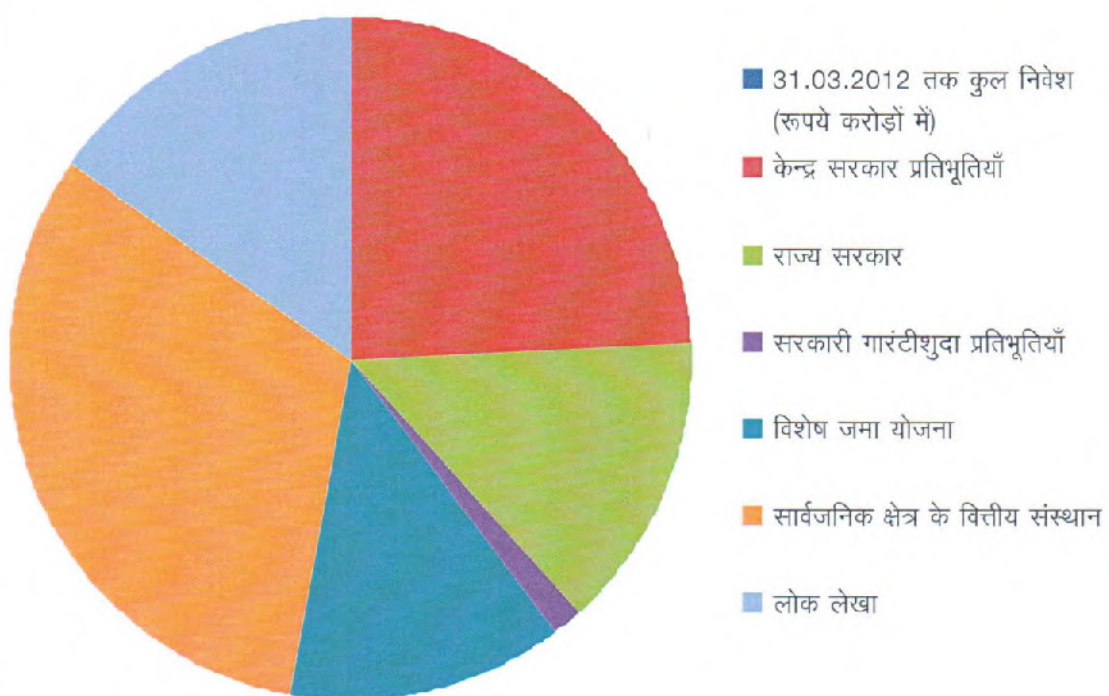
वितरित राशि 2011-12	
(रूपये करोड़ों में)	
कर्मचारी भविष्य निधि	30,328.00
कर्मचारी पेंशन निधि	7,858.85
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	93.66



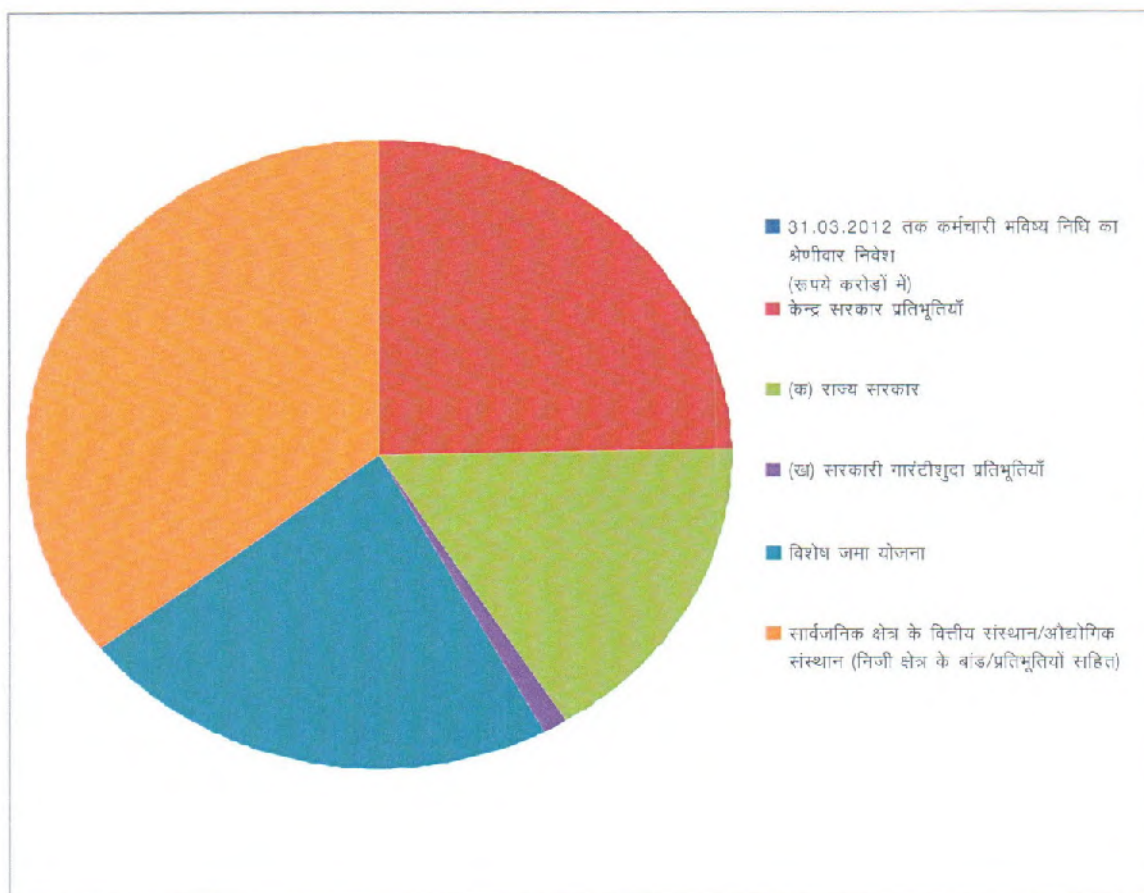
वर्ष 2011-12 के दौरान निवेश	
	(रुपये करोड़ों में)
कर्मचारी भविष्य निधि	58,662.28
कर्मचारी पेंशन निधि	19,729.26
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	1,319.93



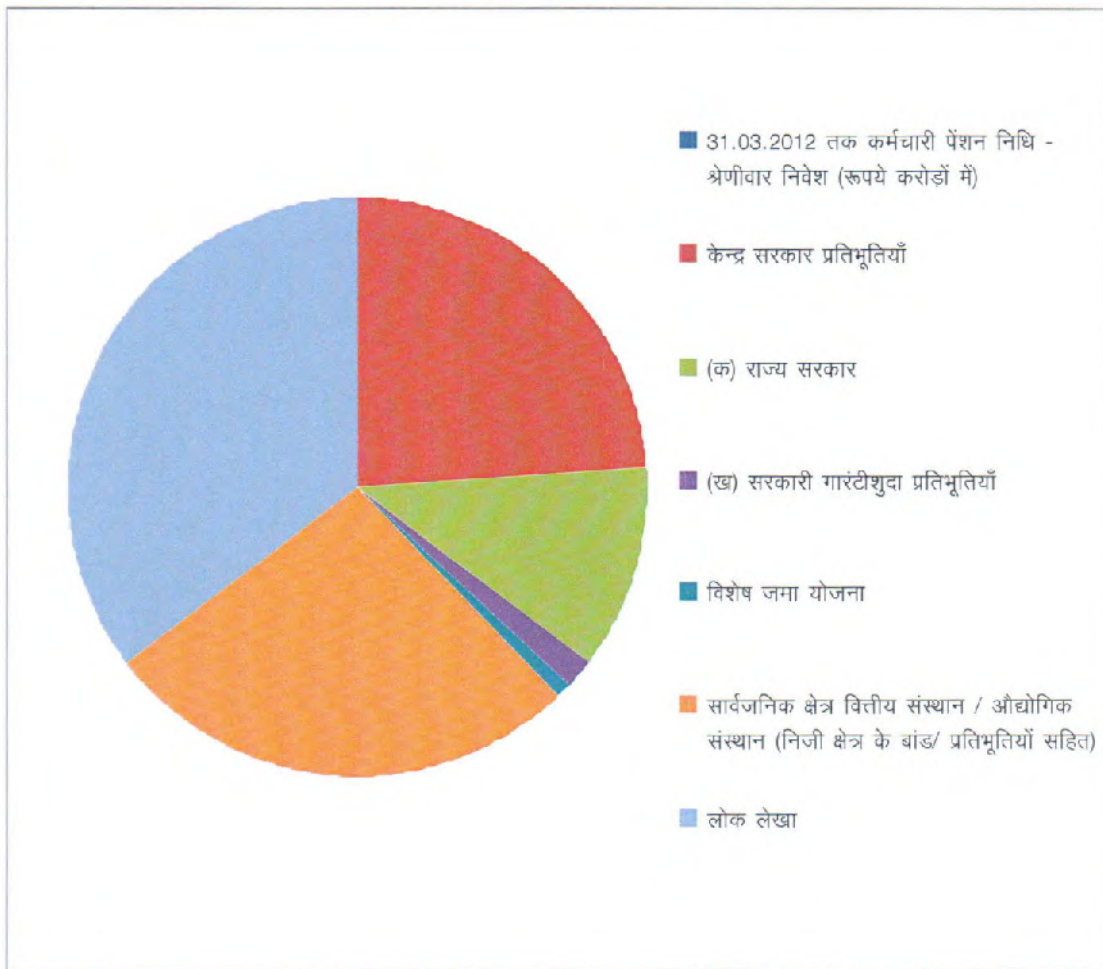
31.03.2012 तक निवेश संग्रह (रुपये करोड़ों में)	
	(रुपये करोड़ों में)
कर्मचारी भविष्य निधि	3,73,644.57
कर्मचारी पेंशन निधि	161,780.08
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	10,657.59



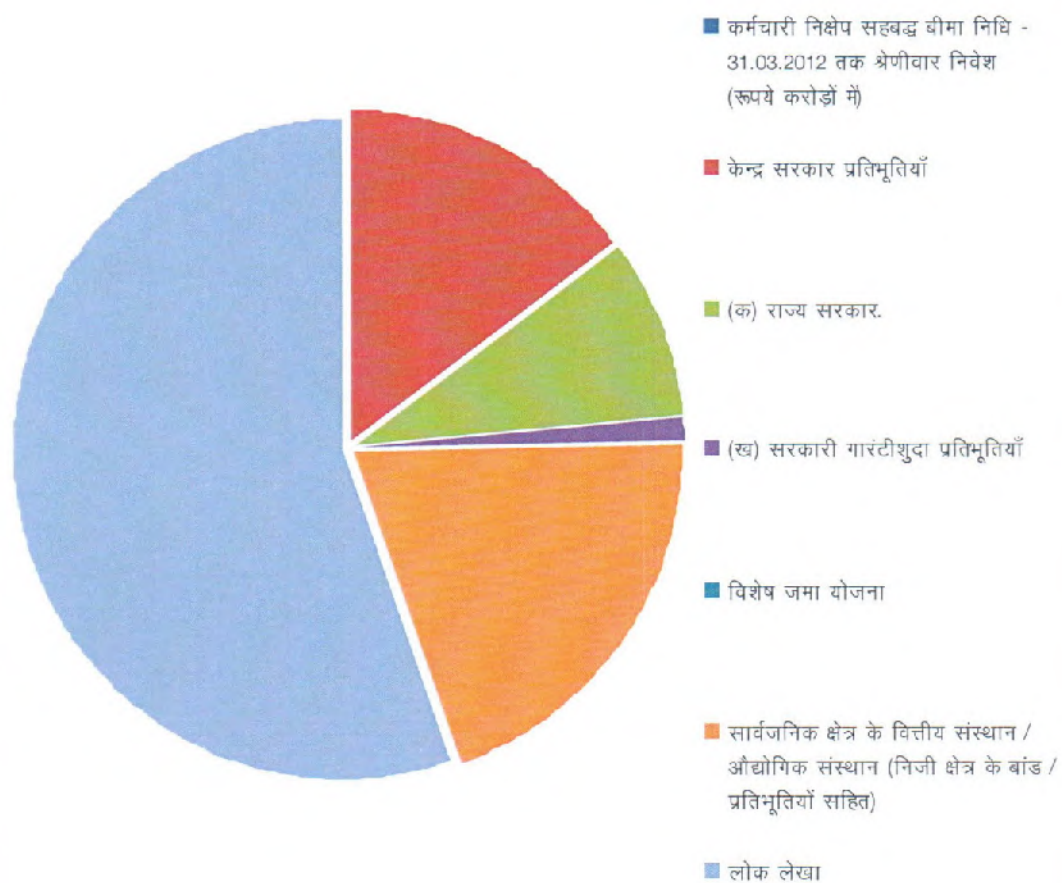
31.03.2012 तक कुल निवेश	(रुपये करोड़ों में)
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	98576.28
राज्य सरकार	58814.66
सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियाँ	5368.10
विशेष जमा योजना	54063.25
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान	129971.27
लोक लेखा	62967.74



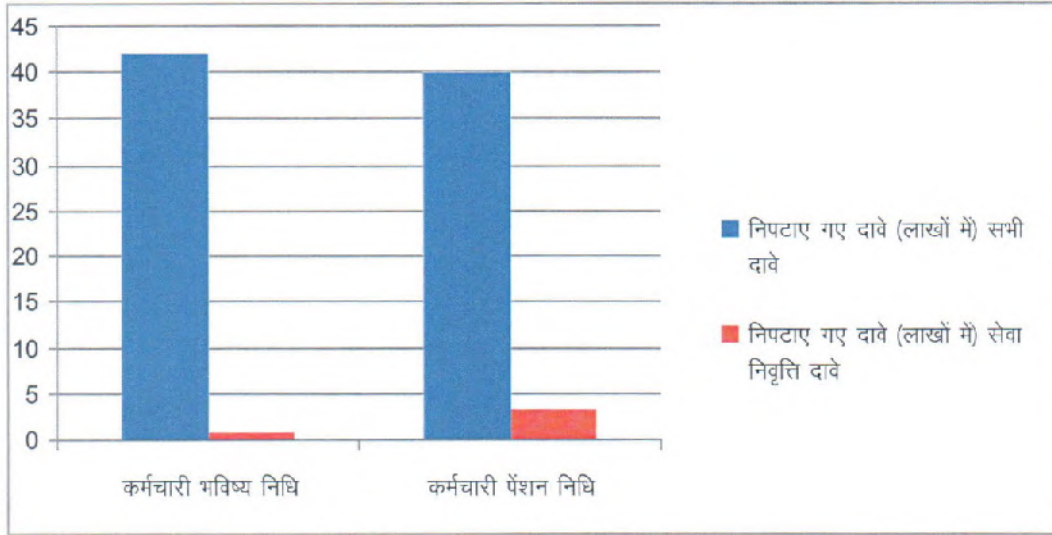
31.03.2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि का श्रेणीवार निवेश (रुपये करोड़ों में)	
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	58413.58
(क) राज्य सरकार	39145.49
(ख) सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियाँ	2683.50
विशेष जमा योजना	52660.23
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/औद्योगिक संस्थान (निजी क्षेत्र के बांड/प्रतिभूतियों सहित)	84420.83



31.03.2012 तक कर्मचारी पेंशन निधि - श्रेणीवार निवेश (रूपये करोड़ों में)	
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	38588.19
(क) राज्य सरकार	18720.15
(ख) सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियाँ	2576.30
विशेष जमा योजना	1400.52
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/औद्योगिक संस्थान (निजी क्षेत्र के बांड/प्रतिभूतियों सहित)	43407.91
लोक लेखा	57087.01

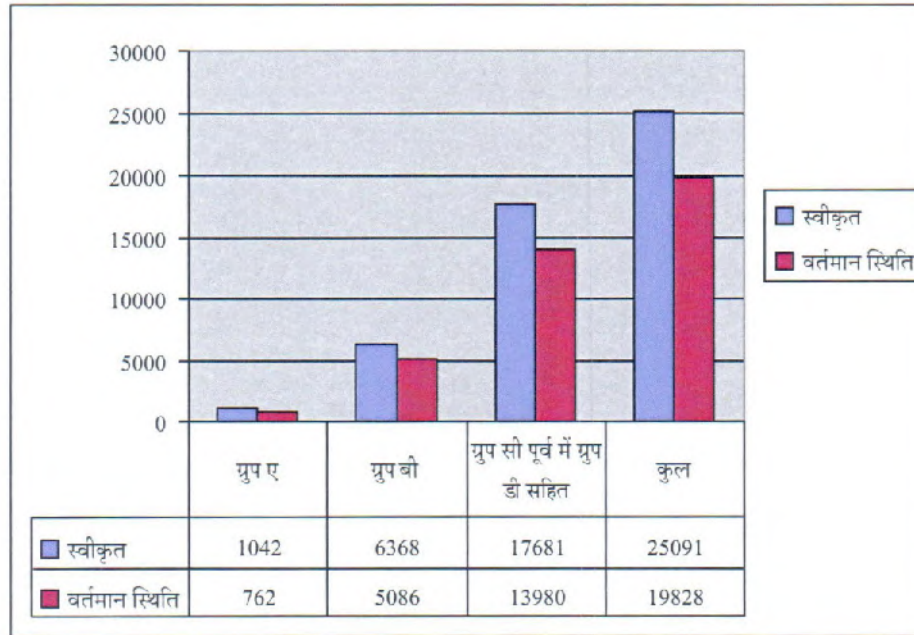


31.03.2012 तक कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि - श्रेणीवार निवेश (रूपये करोड़ों में)	
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	1574.51
(क) राज्य सरकार	949.02
(ख) सरकारी गारंटीशुदा प्रतिभूतियाँ	108.30
विशेष जमा योजना	2.50
सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/औद्योगिक संस्थान (निजी क्षेत्र के बांड/प्रतिभूतियों सहित)	2142.53
लोक लेखा	5880.73



निपटाए गए दावे (लाखों में)		
	सभी दावे (अंतिम निपटान)	सेवा निवृत्ति दावे
कर्मचारी भविष्य निधि	42.12	0.82
कर्मचारी पेंशन निधि	39.97	3.28

31.03.2012 तक स्टाफ / अधिकारियों की संख्या



मानवशक्ति की उपलब्धता - 2011-12

ग्रुप ए	स्वीकृत	1042
	वर्तमान स्थिति	762
ग्रुप बी	स्वीकृत	6368
	वर्तमान स्थिति	5086
ग्रुप सी	स्वीकृत	17681
	वर्तमान स्थिति	13980

अध्याय - 2

कर्मचारी भविष्य निधि, भारत

15 नवम्बर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश लागू होने के उपरांत, कर्मचारी भविष्य निधि अस्तित्व में आया। इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा बदला गया जो कि जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि, भारत का प्रारंभ

2.2 औद्योगिक कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भविष्य के लिए अथवा उनकी असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए आय के साधन उपलब्ध करवाने का प्रश्न लंबे समय से केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन रहा है। कुछ निजी कंपनियों के भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए वर्ष 1925 में पारित किया गया प्रथम भविष्य निधि अधिनियम अपने कार्यक्षेत्र में सीमित था। वर्ष 1929 में, श्रम मामलों पर रॉयल कमीशन द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 13 वर्षों के उपरांत, इस विषय पर श्रम मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में चर्चा की गई जहां भविष्य निधि स्थापित करने का प्रस्ताव सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। फिर भी यह सोचा गया कि इस प्रकार की निधि को अनिवार्य आधार पर स्थापित न करके स्वैच्छिक आधार पर स्थापित किया जाए। केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की गई कि वह इस संबंध में मॉडल नियम बनाए तथा इन्हें अपनाने के लिए नियोक्ताओं में परिचालित करे। कुछ प्रगतिशील नियोक्ताओं ने आगे बढ़कर तीन लाख कामगारों के लाभ हेतु स्वैच्छिक भविष्य निधियां स्थापित कीं, जबकि सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया निराशाजनक रही।

2.3 वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इस मामले की समीक्षा की गई। यह दोहराया गया कि भारत में वित्तीय एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए, पेंशन योजना अथवा ग्रेच्युटी भुगतान जैसा कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में वृद्धावस्था पेंशन योजना अपनाई गई थी जो कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, भारत में प्रारंभ करना संभव नहीं था, के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि योजना अपनाई जा सकती है। ग्रेच्युटी योजना में प्रमुख कठिनाई यह महसूस की गई कि इसमें कामगार अथवा आश्रितों को दी जाने वाली राशि बहुत कम होगी क्योंकि कामगार स्वयं निधि में कोई अंशदान नहीं कर रहा होगा। विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, सबसे उचित हल अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि को स्थापित करना माना गया, जिसमें कामगार तथा नियोक्ता दोनों अंशदान करेंगे। इस प्रकार की योजना के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ होंगे -

i) इससे कामगारों में बचत की भावना उत्पन्न होगी।

ii) इससे श्रम शक्ति के स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

2.4 एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार मामले पर वर्ष 1948 में संपन्न भारतीय श्रम सम्मेलन के 10वें सत्र में विचार - विमर्श किया गया। सामान्य रूप से इस पर सहमति बनी कि औद्योगिक कामगारों के लिए एक वैधानिक भविष्य निधि योजना को आरंभ किया जाए।

2.5 सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की योजना का परीक्षण करने के लिए वर्ष 1948 में कोल माइन्स भविष्य निधि योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की सफलता से इसे अन्य उद्योगों में विस्तारित किए जाने की मांग की गई। वर्ष 1949 में जब अन्य औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए एक गैर अधिकारिक बिल केन्द्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, तो श्री जगजीवन राय, उस समय के श्रम मंत्री ने एक अंडरटैकिंग दी कि इस विषय पर सदन में

एक विस्तृत बिल लाया जाएगा। नवम्बर, 1950 में श्रम मामलों की स्थायी समिति में इस विषय पर गहन चर्चा हुई जहाँ विशेषतः राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य, सामान्य रूप से यह सहमति थी, कि औद्योगिक निकायों में भविष्य निधि की स्थापना हेतु एक विधान लाया जाए। इस विचार का जनवरी, 1951 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी समर्थन किया गया।

- 2.6 वर्ष 1951 की समाप्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश लागू हुआ। 15 नवम्बर, 1951 को लागू हुए अध्यादेश के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू हुआ। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 विभिन्न चरणों में लाई गई तथा इसे संपूर्ण रूप में 1 नवम्बर, 1952 को लागू किया गया। योजना के निर्माण से अधिनियम की कई कमियां सामने आईं जैसे कि :-

- i) छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण के प्रावधान का अभाव।
- ii) इस प्रकार की स्थापनाओं से देयों की वसूली।
- iii) नुकसानी का भुगतान आदि।

- 2.7 इनमें सुधार हेतु, 14 सितम्बर, 1952 को राज्यों की परिषद में संशोधी बिल प्रस्तुत किया गया। चूंकि कुछ संशोधनों को तुरंत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता थी और क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) बिल संसद के उस सत्र के दौरान पारित नहीं किया जा सका, एक संशोधी अध्यादेश लागू किया गया जिसके स्थान पर बाद में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 लाया गया जिसे 12 दिसम्बर, 1953 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

- 2.8 औद्योगिक वातावरण तथा आवश्यकताओं में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए गए। विभिन्न वर्षों के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिनियम बनाए गए हैं :-

1. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 37वां)
2. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 94वां)
3. निरस्तीकरण एवं संशोधी अधिनियम, 1957 (1957 का 36वां)
4. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 22वां)
5. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 46वां)
6. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 28वां)
7. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 22वां)
8. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 16वां)
9. कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 40वां अधिनियम)
10. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 99वां अधिनियम)
11. प्रदत्त विधायन उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1986 का चौथा अधिनियम)
12. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 33वां अधिनियम)
13. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 25वां)
14. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 10वां)
15. निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का 30वां)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं

- 2.9 अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाओं का निर्माण किया गया है :-

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (क.भ.नि.) (1 नवम्बर, 1952 से)
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (क.पें.यो.) (16 नवम्बर, 1995 से)
{परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर }
- (iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (क.नि.स.बी.यो.) (1 अगस्त, 1976 से)

2.10 तीनों योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :-

	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
✓ लाभ	✓ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु पर संचय के साथ ब्याज ✓ विनिर्दिष्ट खर्चों, जैसे गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी पर आंशिक निकासी की अनुमति ।	✓ अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, विकलांगता, पर मासिक पेंशन । ✓ मृतक सदस्य पर आश्रित यथा विधवा / विधुर, बच्चों, माता - पिता /नामिति को मासिक पेंशन । ✓ पेंशन की राशि वर्तमान तिथि से 12 पूर्ववर्ती माह के औसत वेतन तथा रोजगार के कुल वर्षों पर आधारित है । ✓ अशक्तता की स्थिति में न्यूनतम पेंशन । ✓ पूर्व की परिवार पेंशन योजना, 1971 के भागीदारों को पूर्व सेवा लाभ ।	✓ किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, को प्रदान किए गए लाभों में परिवार को, सदस्य के अन्तिम 12 माह के औसत वेतन का 20 गुणा दिया जाता है। संशोधित योजना के अनुसार, योजना के अन्तर्गत अधिकतम लाभ 1,30,000/- रूपए है क्योंकि योजना के अन्तर्गत अंशदान की वेतन सीमा रुपये 6500/- है।

2.11 क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाभों के वित्त पोषण तथा प्रशासन के लिए अंशदान की दर (वेतन का %) नीचे दी गई है :-

	अंशदायी लेखे			प्रशासन लेखे		कुल
	क.भ.नि.	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12	0	0	0	0	12.00
केन्द्रीय सरकार	-	1.16	-	-	-	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

2.12 अतः नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही अंशदान खाते में वेतन के 12% की दर से अंशदान करते हैं। पुनः नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत लाभों की व्यवस्था हेतु भी अंशदान करते हैं।

कुछ श्रेणी की स्थापनाओं के लिए अंशदान की दर 10% है। ये हैं :-

- कोई भी ऐसी स्थापना, जिसमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हों।
- कोई बीमार औद्योगिक कंपनी जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा बीमार घोषित किया गया हो।
- कोई स्थापना जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो।
- निम्नलिखित उद्योगों में कोई स्थापना
(क) जूट (ख) बीड़ी (ग) ईंट (घ) कोयरा तथा (ङ) गौर-गम फैक्ट्री

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

2.13 अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत गठित एक त्रिपक्षीय बोर्ड यथा - केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, (के.न्या.बो.,क.भ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत गठित तीनों योजनाओं को प्रशासित करता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के प्रतिनिधि होते हैं :-

- (i) सरकार (दोनों केन्द्र (5 व्यक्ति) तथा राज्य (15 व्यक्ति)
- (ii) नियोक्ता (10 व्यक्ति) तथा
- (iii) कर्मचारी (10 व्यक्ति)

2.14 अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष है। वर्तमान बोर्ड का गठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली द्वारा गजट अधिसूचना संख्या V -20012/1/2008 - एस.एस. -II दिनांक 13.05.2008 (भाग - II- खंड 3 -उप खंड (ii) - असाधारण) द्वारा किया गया है। माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खडगे के.न्या.बो., क.भ.नि. के अध्यक्ष हैं।

2.15 वर्ष के दौरान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के गठन में गजट अधिसूचना संख्या V -20012 /1 /2008 - एस.एस. - II दिनांक 28.04.2011 (भाग -II- खंड 3 -उप खंड (ii) - असाधारण) द्वारा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 तथा 28 पर दी गई प्रविष्टियों में संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है।

2.16 31.03.2012 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए - I पर दी गई है। वर्ष 2011 -2012 के दौरान बोर्ड की 05 (पांच) बैठकें हुईं।

2.17 एक सांविधिक समिति, जो कि कार्यकारी समिति है तथा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए ए के अधीन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से ही गठित किया गया है एवं जिसका उद्देश्य केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासकीय मामलों के निष्पादन में सहायता देना है। इसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं :-

- (i) सरकार दोनों (केन्द्र (2व्यक्ति) तथा राज्य (3 व्यक्ति)
- (ii) नियोक्ता (3 व्यक्ति) तथा
- (iii) कर्मचारी (3 व्यक्ति)

2.18 कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष तथा छः माह है। वर्तमान कार्यकारी समिति का गठन गजट अधिसूचना संख्या V -20012 /1 /2006 - एस.एस. -II दिनांक 13.05.2012 (भाग -II- खंड 3 -उप खंड (ii) - असाधारण) द्वारा

जारी संख्या 848 के अंतर्गत किया गया है। कार्यकारी समिति के.न्या.बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ए-2 पर दी गई है। वर्ष 2011-2012 के दौरान, कार्यकारी समिति, के.न्या.बो. (क.भ.नि.) की चार (04) बैठकें हुईं। वर्तमान में सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

उप समितियां

2.19 बोर्ड तथा कार्यकारी समिति को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए के.न्या.बो. तथा कार्यकारी समिति की गैर सांविधिक उप समितियों का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित उप समितियों की बैठकें हुईं :-

1. वित्त एवं निवेश समिति (के.न्या.बो., क.भ.नि. की उप समिति)
2. पेंशन कार्यान्वयन समिति (के.न्या.बो., क.भ.नि. की उप समिति)
3. छूट प्राप्त स्थापनाओं पर समिति (के.न्या.बो., क.भ.नि. की उप समिति)
4. भवन एवं निर्माण समिति (कार्यकारी समिति की उप समिति)

2.20 वर्ष के दौरान इन उप समितियों ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैठकें कीं :-

क्र. सं.	उप समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान हुई बैठक
1.	वित्त एवं निवेश समिति	04
2.	पेंशन कार्यान्वयन समिति	02
3.	छूट प्राप्त स्थापनाओं पर समिति	02
4.	भवन एवं निर्माण समिति	01

क्षेत्रीय समितियां, क.भ.नि.

2.21 कर्मचारी भविष्य निधि योजना -1952 के पैरा 4 के अंतर्गत राज्य के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का प्रावधान है। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) राज्यों की क्षेत्रीय समिति का गठन/पुनर्गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। क्षेत्रीय समितियों का गठन केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए परामर्श देने के लिए किया जाता है।

2.22 योजना में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) की दो बैठकें अनिवार्य हैं। वर्ष के अंत में, 23 क्षेत्रीय समितियां अस्तित्व में हैं, जिनमें पुनर्गठन वाली समितियां भी शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य/संघ क्षेत्र वार वर्ष 2011-12 में हुई बैठकों की स्थिति परिशिष्ट ए-4 पर दी गई है।

संगठनात्मक ढांचा

2.23 ग्राहकों तथा वित्तीय सौदों (ट्रांसैक्शन) की मात्राओं को देखते हुए क.भ.नि. भारत, विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। बोर्ड को देश के 123 स्थानों पर स्थित क.भ.नि.सं. के कार्यालयों से सहायता मिलती है। 31 मार्च, 2012 को, संगठन के ढांचे में आंचलिक कार्यालय (10), क्षेत्रीय कार्यालय (40) तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय (83) हैं। संपूर्ण भारत में संगठन के

122 जिला कार्यालय तथा 14 सेवा केन्द्र हैं। संगठनात्मक ढांचे को दर्शाते हुए संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट ए - 5 पर दिया गया है।

2.24 संगठन के पास एक सुसज्जित प्रशिक्षण ढांचा भी है, जहां संगठन के अधिकारी तथा कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण तथा सेमिनार सत्रों में भाग लेते हैं। प्रशिक्षण का ढांचा द्विस्तरीय है, जिनमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी (नाटरस) है। अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। द्वितीय स्तर पर निम्नलिखित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान हैं :-

1. फरीदाबाद स्थित उत्तरी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
2. चेन्नई स्थित दक्षिण अंचल प्रशिक्षण संस्थान
3. कोलकाता स्थित पूर्वी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
4. उज्जैन स्थित पश्चिमी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
5. शिलांग स्थित उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

2.25 पिछले तीन वर्षों के दौरान नाटरस तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान / उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	कोर्स की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों / अधिकारियों की संख्या
2009 - 2010	327	5894
2010 - 2011	289	5471
2011 - 2012	296	4843

2.26 वर्ष 2011 - 2012 के दौरान नाटरस तथा आ.प्र.सं. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए - 6 (i) तथा ए - 6 (ii) पर दिए गए हैं।

भौतिक सुविधा प्रभाग

वर्ष के दौरान परिसंपत्ति प्रबंधन में हुई प्रगति

2.27 कार्पोरेट मुख्यालय, नाटरस, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 40 में से 36 क्षेत्रीय कार्यालय अपने स्वयं के भवन में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद कर ली गई है तथा बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 83 उप क्षेत्रीय कार्यालयों में से 33 अपने परिसर में कार्य कर रहे हैं। लखनऊ तथा वेल्लौर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। रोहतक, भोपाल, जमशेदपुर, राजमुंद्री, कुकटपल्ली, रायचूर, जालंधर, ब्रह्मपुर, चिकमंगलूर, क्योझर, रांची, सेलम, गुडगांव, भटिंडा (भवन का विस्तार), गुंटूर, बेल्लारी तथा कोलकाता आ.प्र.सं. के लिए भूमि की खरीद कर ली गई है तथा परियोजनाएं निर्माण के स्तर पर हैं।

बजट लागत

2.28 वर्ष के लिए संशोधित बजट लागत, जिसमें क.भ.नि. मुख्यालय में केन्द्रीय पूल की राशि भी शामिल है, 182.34 करोड़ रुपये है। वर्ष 2012 -13 के लिए बजट आकलन 242.79 करोड़ रुपये है। भौतिक सुविधा प्रभाग छोटे कार्यों के लिए तथा कार्यालय /स्टॉफ क्वार्टर भवन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए वर्ष 2011 -12 का संशोधित आकलन 26.03 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2012 -13 के लिए बजट आकलन 24.77 करोड़ रुपये है।

अध्याय - 3

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएँ

अधिनियम को लागू करना

अनिवार्य कवरेज

3.1 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। वर्तमान में अधिनियम निम्न स्थापनाओं पर लागू है :

- क) प्रत्येक ऐसी स्थापना जो अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्योगों में या सरकारी गजट में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गतिविधि में संलग्न है, तथा
- ख) जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

कवरेज से छूट

3.2 यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :-

- (क) ऐसी किसी स्थापना पर जो सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अंतर्गत अथवा ऐसे किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, जो किसी ऐसे राज्य में लागू हो जिससे सहकारी संस्था संबंधित हो और उसमें 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हों तथा बिजली की सहायता के बिना कार्य करते हों।
- (ख) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित हो अथवा उनके नियंत्रणाधीन हो तथा जिसके कर्मचारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अथवा किसी योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों, अथवा
- (ग) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो कि केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित हो तथा जिसके कर्मचारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित नियम अथवा अन्य योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों।

स्वैच्छिक कवरेज

3.3 ऐसी स्थापनाओं को, जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं, अधिनियम की धारा 1 (4) के अंतर्गत नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत की सहमति से स्वेच्छा के आधार पर कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जा सकता है। 31 मार्च, 2012 को स्वैच्छिक रूप से कवर्ड स्थापनाओं की संख्या 25644 थी, जो कुल स्थापनाओं का 3.71% था। वर्ष 2011-2012 के दौरान 162 अतिरिक्त स्थापनाओं को अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक कवरेज के लिए अधिसूचित किया गया, जबकि वर्ष 2010-2011 के दौरान 259 स्थापनाओं को अधिसूचित किया गया था।

उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची

3.4 वर्तमान में, 187 उद्योगों / स्थापनाओं पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू है। इनमें अर्थव्यवस्था की व्यापारिक, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रों की फैक्ट्रियां / स्थापनाएं शामिल हैं।

3.5 31.03.2012 तक जिन उद्योगों पर अधिनियम लागू है, उनकी सूची स्थापनाओं तथा प्रत्येक वर्ग में सदस्यों की संख्या सहित परिशिष्ट ए 7(i) में दी गई है तथा स्थापनाओं और सदस्यों की अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण परिशिष्ट ए-7(ii) पर दर्शाई गई हैं।

3.6 तमिलनाडु राज्य तथा इसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक सदस्य संख्या है। यह भी देखा जा सकता है कि 64.65% सदस्य 5 क्षेत्रों नामतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली तथा हरियाणा में संकेन्द्रित हैं। सदस्यों के संकेन्द्रण से संबंधित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट ए 8 पर दी गई है।

3.7 जिन 187 अनुसूचित उद्योगों/स्थापनावर्गों पर अधिनियम लागू होता है, उनमें से प्रथम आठ अनुसूचित उद्योगों में सदस्यों के संकेन्द्रण का प्रतिशत अधिकतम है, जो कि 31.3.2012 तक परिशिष्ट ए 9 में दर्शाई गई कुल सदस्यता का 65.59% है तथा कुल स्थापनाओं का 53.81% है। इन 14 उद्योग वर्गों में 31.3.2012 तक 10 लाख अथवा अधिक सदस्य थे।

योजना की सदस्यता के लिए पात्रता

3.8 प्रारम्भ में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत निधि की सदस्यता के लिए वह कर्मचारी पात्र था, जिसका वेतन 300/- रुपये प्रति माह तक था तथा जिसने एक वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी। वेतन सीमा तथा अर्हक सेवा अवधि के संबंध में सदस्यता हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में किये गये कालानुक्रमिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :-

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 2 (च) के अंतर्गत सदस्यता के लिए वेतनसीमा में परिवर्तन	
अवधि	प्रतिमाह वेतन सीमा
01.11.1952 से 31.05.1957	रुपये 300/-
01.06.1957 से 30.12.1962	रुपये 500/-
31.12.1962 से 10.12.1976	रुपये 1,000/-
11.12.1976 से 31.08.1985	रुपये 1,600/-
01.09.1985 से 31.10.1990	रुपये 2,500/-
01.11.1990 से 30.09.1994	रुपये 3,500/-
01.10.1994 से 31.05.2001	रुपये 5,000/-
01-06-2001 से आगे	रुपये 6,500/-

निधि का सदस्य बनने की पात्रता के लिए अर्हक सेवा अवधि	
(क. भ. नि. योजना, 1952 का पैरा 26)	
1952 में क.भ. नि. योजना के प्रारम्भ से 2 दिसम्बर 1971 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम अवधि में न्यूनतम 240 दिन का वास्तव में कार्य किया हो, जो भी पहले हो
3.12. 1971 से 9.8.1974 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम समय में कम से कम 240 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
10.8.1974 से 30.1.1981 तक	6 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 6 माह या कम समय में न्यूनतम 120 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
31.1.1981 से 31.10.1990 तक	3 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 3 माह में न्यूनतम 60 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
1.11.1990 से व इसके बाद	फैक्ट्री / स्थापना में कार्यभार संभालने की तिथि से।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

3.9 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (क.पें.यो.) दिनांक 16.11.1995 से लागू की गई। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लागू होने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन योजना, 1971 समाप्त हो गई तथा पुरानी योजना की सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर्मचारी पेंशन निधि में अंतरित व शामिल कर दी गई। योजना का उद्देश्य सदस्य तथा उसके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता तथा उत्तरजीवी लाभ देना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता के भाग के भविष्य निधि अंशदान से 8.33% अंशतः राशि परिवर्तित करके इसका वित्तीय पोषण किया जाता है। केन्द्र सरकार कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की तरह 1.16% की दर से अंशदान दे रही है। सदस्यों को पुरानी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा पात्रता नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भी जारी रहेंगे।

3.10 प्रारम्भ में यह योजना उन सभी वर्तमान भविष्य निधि सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई, जो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में अंशदान कर रहे थे। 16.11.1995 और उसके पश्चात् भविष्य निधि की नई सदस्यता लेने वालों ने भी अनिवार्य रूप से इस योजना में सदस्यता ग्रहण की। भविष्य निधि के 15.11.1995 तक के वर्तमान सदस्य जिन्होंने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें उपबंधों के अनुसार नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में शामिल होने का विकल्प है।

3.11 यद्यपि दिनांक 16.11.1995 से लागू पेंशन योजना में प्रावधान है कि बंद की जा चुकी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 से बाहर जा चुके सदस्यों व उसके लाभार्थियों के दिनांक 1.4.1993 से 15.11.1995 के बीच की अवधि

के दौरान चुनिंदा मामलों में दिनांक 1.4.1993 से पूर्व व्याप्ति आवेदन स्वीकृत होंगे। पुरानी योजना के सदस्यों, जिनकी मृत्यु दिनांक 1.4.1993 से 16.11.1995 के बीच हुई है, को नई योजना में शामिल माना जाए तथा उनके लाभार्थी कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन लाभ के हकदार होंगे।

लाभ

3.12 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अपने सदस्यों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है :-

- I. सदस्य पेंशन
- II. अशक्तता पेंशन
- III. विधवा / विधुर पेंशन
- IV. बाल पेंशन
- V. अनाथ पेंशन
- VI. अशक्त बच्चों को पेंशन / अनाथ पेंशन
- VII. नामित को पेंशन
- VIII. आश्रित माता-पिता को पेंशन
- IX. प्रत्याहरण लाभ

3.13 बंद की जा चुकी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत गणनीय सेवा में होते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर ही विधवा / विधुर को पेंशन दी जाती थी। विधवा की अनुपस्थिति में अथवा विधवा पेंशन की समाप्ति पर पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के बड़े बालक को देय होती थी। इसके बाद उससे छोटे बालक को देय होती थी, एक समय में एक को ही, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न करे, दी जाती थी। सदस्य के लिए सेवानिवृत्ति पर पेंशन अथवा अशक्तता पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। सेवा छोड़ने पर कर्मचारी केवल प्रत्याहरण लाभ का ही पात्र था।

पात्रता

3.14 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अधिवर्षिता / समय पूर्व पेंशन निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर देय होती है :-

- (1) पात्र सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष, और
- (2) 58 / 50 वर्ष की आयु होने पर

3.15 58 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सेवा की समाप्ति पर सदस्य, समय पूर्व पेंशन का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार की समयपूर्व पेंशन 50 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है। 58 वर्ष से जितने वर्ष उम्र कम होगी, प्रतिवर्ष 4% की दर से (26.09.2008 से) उतनी पेंशन घटा की जाएगी। 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सदस्य पेंशन देय नहीं होगी। तथापि सदस्य की मृत्यु अथवा अशक्तता के मामले में पेंशन की पात्रता के लिए ऐसी कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्र सेवा का आधार लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में एक माह के अंशदान की सदस्यता ही पर्याप्त है।

3.16 सदस्य की अधिवर्षिता पर और/अथवा 58/50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निकासी होने पर सदस्य को देय पेंशन की मात्रा, सदस्य द्वारा की गई पेंशन योग्य सेवा की अवधि और निकासी के समय उसके पेंशन योग्य वेतन अर्थात् सदस्य द्वारा लिए गए पिछले 12 माह के औसत वेतन पर आधारित होगी।

3.17 जो सदस्य 16.11.1995 से पूर्व सेवा में थे, उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 12(3) में दी गई तालिका के आधार पर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में सदस्यता की अवधि का भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

3.18 मासिक पेंशन और अन्य लाभों के वितरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय एवं वाणिज्यिक बैंकों आदि के साथ संवितरण की व्यवस्था की है, जिसकी सूची **परिशिष्ट ए 10** में दी गई है। पेंशन और अन्य लाभों के संवितरण हेतु पूरे भारत में एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक और डाकघरों में केन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है।

पेंशन लाभार्थी

3.19 31.03.2012 को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:-

पेंशन लाभार्थी		
i) सदस्य पेंशन		
(क)	समयपूर्व पेंशन (50-57 वर्ष)	1579112
(ख)	अधिर्वर्षिता पेंशन	1116511
(ग)	अशक्तता पेंशन	2231
उप योग		2697854
(ii) विधवा / विधुर पेंशन		
(क)	सेवा काल में मृत्यु	683484
(ख)	सेवा काल में न रहते हुए मृत्यु	110376
उप योग		793860
iii) नामित पेंशन		8870
iv) माता-पिता पेंशन		14277
v) अनाथ पेंशन		14441
vi) बाल पेंशन		573712
उप योग		611300
कुल योग		4103014

3.20 उपर्युक्त आंकड़ों में बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे विधवा / विधुर पेंशनभोगी और बाल पेंशनभोगी शामिल हैं।

3.21 31.3.2012 को पेंशन योजना, के अंतर्गत लाभार्थियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण **परिशिष्ट ए-11** पर दिया गया है।

पेंशन निधि का मूल्यांकन

3.22 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के वार्षिक मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगी। तदनुसार, जब कर्मचारी पेंशन निधि में स्वीकार्य हो तो

भुगतान योग्य अंशदान की दर, कोई देय लाभ तथा वह अवधि जिसके लिए लाभों को दिया जाना है, में संशोधन की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी जा सकती है।

3.23 पेंशन निधि के अब तक किए गए मूल्यांकनों के परिणाम एवं सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

मूल्यांकन	मूल्यांकन की अवधि	मूल्यांकनकर्ता का नाम	सिफारिशें	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	अधिशेष/घाटा (करोड़ रु में)
पहला मूल्यांकन	16.11.1995 से 15.11.1996	श्री भूदेव चैटर्जी	मूल्यांकनकर्ता ने 4% पेंशन राहत की सिफारिश की।	30.4.1998	1689
दूसरा मूल्यांकन	16.11.1996 से 31.03.1998		- मूल्यांकनकर्ता ने अधिक अवधि के लिए अनुपातिक वृद्धि के साथ 4% पेंशन राहत की सिफारिश की। 5.5% की दर से राहत की घोषणा की।	30.3.1999	1239
तीसरा मूल्यांकन	01.04.1998 से 31.03.1999		4% पेंशन राहत की सिफारिश की। - विधवा पेंशन न्यूनतम 450/- रुपये प्रतिमाह की दर पर : बाल पेंशन न्यूनतम 150/- रुपये प्रतिमाह की दर पर तथा अनाथ पेंशन न्यूनतम 250/- रुपये प्रतिमाह की दर से सिफारिश की।	4.1.2001	732
चौथा मूल्यांकन	01.04.1999 से 31.03.2000		4% पेंशन राहत की सिफारिश की। - लघुकरण (कम्यूटेशन) मूल्य, आर.ओ.सी. मूल्य, घटती व्याज दरों को देखते हुए निकासी लाभ तालिका कम की जाए।	20.8.2001	70
पांचवा मूल्यांकन	01.04.2000 से 31.03.2001	मैसर्स के.ए. पंडित	सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 58 वर्ष से	नवम्बर, 2003	-43

छठा मूल्यांकन	01.04.2001 से 31.03.2002		60 वर्ष की जाए । ● तालिका ख एवं घ को संशोधित किया जाए ।	नवम्बर, 2003	-17136
सातवां मूल्यांकन	01.04.2002 से 31.03.2003		● समयपूर्व पेंशन मामलों में घटी दर को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए ।	12.8.2004	-19291
आठवां मूल्यांकन	1.4. 2003 से 31.03.2004		● प्राप्ति से वृद्धि करने हेतु निवेश की उदार पद्धति की अनुमति दी जा सकती है । ● योजना के अंतर्गत निकासी पर नियंत्रण की आवश्यकता है ।	25.4.2005	-22021
नौवां एवं दसवां मूल्यांकन (संयुक्त)	01.04.2004 से 31.03.2006	श्री पी.ए. बालासुब्रमण्यम	● वेतन के 9.49% अंशदान की वर्तमान दर अपर्याप्त है तथा इसे 11.75% तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । ● अधिवार्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना ।	05.5.2009	-22659

ग्यारहवां मूल्यांकन	01.04.2006 से 31.03.2007	श्री पी.ए. बालासुब्रमण्यम	● घाटे को समाप्त करने के लिए पेंशन निधि में एक बार में एकमुश्त 41120 करोड़ रू. का अंशदान किया जाए। अथवा ● वर्तमान सदस्यों के लिए अंशदान की दर को बढ़ाकर 13% किया जाए, जिससे भविष्य में प्राप्त होने वाले अधिक अंशदान से घाटे को कम करने में सहायता मिले। अथवा ● भविष्य में अंशदान की दर में 1% की बढ़ोतरी के साथ-साथ निवेश पर 9% प्रति वर्ष की दर से रिटर्न प्राप्त करना। ● अधिवार्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना। ● योजना की वित्तीय स्थिति की बीमांकक जांच के पश्चात् वेतन सीमा में बढ़ोतरी करना। ● कर्मचारी पेंशन निधि की निवेश योजना की समीक्षा।	14.10.2011	-41119
------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	------------	--------

3.24 केन्द्र सरकार ने क्रमशः 31.03.2008 एवं 31.03.2009 को कर्मचारी पेंशन निधि के 12वें तथा 13वें मूल्यांकन हेतु मूल्यांकक की नियुक्ति कर दी है। मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गई है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट पर बीमांककों के पैनल द्वारा समीक्षा रिपोर्ट

3.25 अब तक किए गए दो पुनर्मूल्यांकनों के परिणाम और सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

पुनर्मूल्यांकन	मूल्यांकन की अवधि	पैनल के बीमांककों के नाम	सिफारिशें	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
पहला	16.11.1995 से 15.11.1996	श्री देवव्रत बसु एवं श्री लियाकत खान	● पेंशन राहत की अवधारणा से सहमत नहीं थे। ● यद्यपि उन्होंने 4% की दर से लाभ में बढ़ोतरी करने की सहमति दी तथापि भविष्य में प्रतिकूल अनुभव से बचने के लिए कुछ कम बढ़ोतरी का पक्ष लिया। ● अधिकतम आय के लिए लोक लेखा से लाभों की निकासी की सिफारिश की। ● स्पष्ट रूप से सिफारिश की कि लाभ में किसी प्रकार की बढ़ोतरी केवल आपातक अधिशेष से की जानी चाहिए।	31.3.1998
दूसरा	1.4.1999 से 31.3.2000	श्री एन. आर. कपाडिया एवं श्री आर. रामाकृष्णन्	● पेंशन राहत को कम करने की आवश्यकता बताई। ● उन्होंने टिप्पणी की कि 4% की बढ़ोतरी प्रदान करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ● वेतन सीमा में वृद्धि करने से उत्पन्न अतिरिक्त देयताओं का वित्त पोषण करने हेतु व्यावहारिक पद्धति अपनाने की सिफारिश की। तब तक वेतनसीमा बढ़ाने पर कोई कार्रवाई न की जाए। ● पेंशन योग्य वेतन को पिछले 60 माह के औसत वेतन के रूप में अथवा सेवा के अंतिम 36 माह के वेतन के रूप में परिभाषित करने की सिफारिश की। ● कटौती तत्व में बढ़ोतरी की सिफारिश की (घटी हुई पेंशन के लिए) किन्तु 5% प्रतिवर्ष से कम नहीं।	8.10.2003

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन

3.26 केन्द्र सरकार ने 12.06.2009 को कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति (वर्तमान में जिसके अध्यक्ष अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार हैं) का गठन किया। समिति की दिनांक 01.12.2009, 02.02.2010 तथा 23.07.2010 को बैठकें हुई। विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों / मांगों को जांच एवं विचार हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.08.2010 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की।

3.27 केन्द्र सरकार की सलाह पर, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दिनांक 15.09.2010 को हुई केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 190 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट पर बोर्ड की पेंशन कार्यान्वयन समिति में चर्चा की जाएगी तथा आगामी बैठक में इस पर विस्तार से विचार -विमर्श किया जाएगा। अतः, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को पेंशन कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.11.2010, 07.12.2010, 03.02.2011, 23.05.2011 तथा 15.07.2011 को हुई 28वीं, 29वीं, 30वीं, 31वीं तथा 32वीं बैठक में रखा गया तथा अंत में पेंशन कार्यान्वयन समिति ने अंतरिम उपाय के तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना, 95 में अंशदान की दर को 0.63% बढ़ाकर क.पे. यो., 95 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रु. करने की सिफारिश की। इस पर के.न्या.बो. की दिनांक 23.12.2011 तथा 22.02.2012 को हुई 197वीं तथा 198वीं बैठक में भी चर्चा की गई तथा आगामी बैठकों में भी आगे इस पर विचार -विमर्श तथा चर्चा की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए व्यवस्था

3.28 वैश्विक जनसंख्या दबाव एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण कामगारों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जिससे विदेशों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों हेतु पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में चिंता उत्पन्न हुई है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्य देशों में आवश्यक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे देशों जहाँ भारतीय कामगार काम करने जाते हैं, के साथ सामाजिक सुरक्षा करार हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तदनुसार, विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों को समुचित सामाजिक सुरक्षा आवरण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करार किए हैं।

3.29 मेजबान देश में कामगारों के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा समझौता एक द्विपक्षीय तंत्र है। एक सामाजिक सुरक्षा समझौता तीन महत्वपूर्ण बातों को कवर करता है :-

- वियोजन - जिन देशों के साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा समझौता है, उन देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों को वहाँ की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करने से छूट प्राप्त है, बशर्ते कि वे भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन कर रहे हों। यह छूट समझौते में दी गई एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध रहती है।
- लाभों का राशिकरण - किसी अन्य देश में की गई सेवा की अवधि की पेंशन की पात्रता हेतु गणना की जाती है। तथापि, वास्तविक पेंशन लाभ यथानुपात आधार पर केवल अंशदायी सेवा की अवधि के लिए ही देय है।
- पेंशन की सुवाह्यता - अपने देश अथवा अन्य किसी देश में रहने का विकल्प चुनने वालों को बिना कम किए पेंशन लाभ सीधे लाभार्थियों को देय हैं।

3.30 द्विपक्षीय आधार पर सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एस एस ए) हेतु बातचीत की शुरुआत करने के लिए ओवरसीज भारतीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भारत में सक्षम एजेंसी व संपर्क एजेंसी के रूप में पहचान प्राप्त है। साथ ही सक्षम एजेंसी के रूप में क.भ.नि. संगठन को, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड/कवर होने योग्य सभी कर्मचारियों पर समझौते के उपबंधों को लागू करना आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदाताओं

जैसे बैंकों, संस्थानों, कोयला खान भविष्य निधि, सीमैन भविष्य निधि आदि के साथ समन्वय का कार्य भी किया जाता है।-

3.31 द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों के उपबंधों को लागू करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए उपबंध बनाए गए हैं जो कि दिनांक 01.10.2008 से प्रभावी हैं। बाद में, इन उपबंधों में दिनांक 11.09.2010 से संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को संचित भविष्य निधि केवल 58 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् निकालने की अनुमति देना एवं कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत निकासी लाभ केवल उन्हीं को उपलब्ध हैं, जो सामाजिक सुरक्षा करार के अंतर्गत कवर्ड हैं। साथ ही नियोक्ताओं का 8.33% अंशदान (पेंशन फंड में) अब पूरे वेतन पर देय है।

3.32 मार्च, 2012 तक, निम्नलिखित आठ देशों के साथ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी हो चुका है :-

बेल्जियम	01.09.2009
जर्मनी	01.10.2009
स्विटजरलैंड	29.01.2011
डेनमार्क	01.05.2011
लक्जमबर्ग	01.06.2011
फ्रांस	01.07.2011
कोरिया	01.11.2011
नीदरलैंड	01.12.2011

3.33 अन्य तीन देशों चेक गणराज्य, नार्वे और हंगरी के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कनाडा, क्यूबा, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, आस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ बातचीत चल रही है।

3.34 31.03.2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड स्थापनाओं के बेल्जियम, जर्मनी, स्विटजरलैंड, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, फ्रांस, कोरिया तथा नीदरलैंड में कार्यरत भारतीय कामगारों को लगभग 8785 "कवरेज प्रमाणपत्र" जारी किए गए हैं।

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976

3.35 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976, एक अगस्त, 1976 को लागू हुई। इस योजना में नियोक्ता को मामूली अंशदान करना होता है। इस बीमा सुरक्षा को प्राप्त करने हेतु कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान नहीं दिया जाता है।

लागू होना तथा कवरेज

3.36 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 उन सभी फैक्ट्रियों / स्थापनाओं पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है। वे सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

योजना के अंतर्गत लाभ

3.37 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत लाभ वर्ष 2011-12 के दौरान परिशोधित किया गया था। परिशोधित योजना के अंतर्गत ऐसे सदस्य की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, के परिवार को सदस्य के पिछले 12 माह के वेतन के औसत का 20 गुणा धनराशि मिलेगी। परिशोधित योजना के अनुसार योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ अब रु. 1,30,000/- होगा, क्योंकि योजना के अनुसार अंशदान हेतु वेतन सीमा 6500/- रूपए है।

छूट

3.38 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के कार्य क्षेत्राधीन स्थापनाओं द्वारा अधिनियम के अंतर्गत रचित सभी तीनों योजनाओं के सांविधिक उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है। तथापि, ऐसी स्थापनाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है, जिसमें स्थापना अपने कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र योजनाएं बना सकती हैं, जिसमें उन्हें दिये जाने वाले लाभ सांविधिक योजनाओं से कम नहीं हो। ऐसी स्थापनाएं अधिनियम की धारा 17 से छूट प्राप्त कर सकती हैं, यदि अधिकांश कर्मचारी इस छूट के पक्ष में हों। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के परिचालन से छूट प्राप्त करने के लिए स्थापनाओं द्वारा इस उपबंध का उपयोग किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 ए के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए ऐसी स्वतंत्र भविष्य निधि योजनाएं चलाई जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 17 और योजना के पैरा 27 ए के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए समुचित सरकार ही सक्षम प्राधिकारी है। "समुचित सरकार" से तात्पर्य है -- केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र सरकार से संबंधित या नियंत्रण के अधीन संस्थान के संबंध में, या रेल कंपनी, बड़ा बंदरगाह, खान या शिला - तेल क्षेत्र (आयल फील्ड) या नियंत्रित उद्योग (या वह संस्थान, जिसके विभाग या शाखाएं एक से अधिक राज्य में हों, के संबंध में) तथा अन्य किसी भी संस्थान के संबंध में राज्य सरकार। इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 के अंतर्गत स्थापना द्वारा प्रशासित अपवर्जित (एक्सक्लूडेड) योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से कोई भी कर्मचारी छूट प्राप्त कर सकता है। पैरा 27 के अंतर्गत छूट प्रदान करना संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है।

3.39 इस प्रकार छूट प्राप्त करने से कर्मचारी निजी भविष्य निधि योजना के उपबंध के अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी स्थापना को दी गयी इस प्रकार की छूट को निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने दी गयी छूट की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो।

छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य - कर्मचारी भविष्य निधि

3.40 31.3.2012 तक छूट प्राप्त श्रेणी में 2750 स्थापनाएं थीं। इन छूट प्राप्त स्थापनाओं में पिछले वर्ष के 53,50,025 सदस्यों के स्थान पर 44,32,666 सदस्य कार्यरत थे। क्षेत्रवार सदस्यों का कवरेज विवरण परिशिष्ट ए -12 में दर्शाया गया है।

स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संकेन्द्रण

3.41 छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य मुख्यतः पाँच राज्यों नामतः कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू में संकेन्द्रित हैं। ये पाँच राज्य छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल छूट प्राप्त स्थापनाओं का 56.30 % तथा कुल सदस्यता के 66.02% भाग का निर्माण करते हैं जैसाकि परिशिष्ट ए -13 में दर्शाया गया है।

छूट प्राप्त क्षेत्र से प्राप्त अंशदान

3.42 गत वर्ष के 16123.50 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के रूप में 14785.95 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गयी।

निरीक्षण प्रभार

3.43 छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत का नकद मूल्य एवं प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है तो, उसके 0.18% की दर से निरीक्षण प्रभार देना होता है।

ब्याज दर

3.44 छूट प्राप्त स्थापनाओं से यह अपेक्षित है कि वे अपने सदस्यों के जमा पर सांविधिक निधि के सदस्यों के लिए घोषित ब्याज दर से कम ब्याज घोषित नहीं करेंगे। कुल 2750 छूट प्राप्त स्थापनाओं में से 395 स्थापनाओं ने ब्याज दर घोषित नहीं की है। शेष 2355 स्थापनाओं द्वारा घोषित ब्याज दर की व्यापक पद्धति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

सदस्यों को स्वीकृत ब्याज दर - छूट प्राप्त स्थापनाएं		
	स्थापनाएं	सदस्य
सांविधिक दर से अधिक	104	110598
8.5 प्रतिशत की सांविधिक दर के बराबर	2241	3914111
सांविधिक दर से कम	10	24919
कुल	2355	4049628

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत छूट

3.45 इसके अतिरिक्त, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 39 में सांविधिक योजना के प्रचालन से छूट का प्रावधान है, यदि कर्मचारी अन्य किसी पेंशन योजना का सदस्य है अथवा ऐसी पेंशन योजना की सदस्यता प्रस्तावित है जहां पर पेंशन के लाभ सांविधिक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के समान हैं अथवा बेहतर हैं।

3.46 31.03.2012 तक मैसर्स टाटा मोटर्स (पूर्व में मैसर्स टेलको), मैसर्स मलेशियन एयरलाइन्स और मैसर्स आयल इंडिया लिमिटेड को केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 22.4.1999, 2.12.1999 और 9.12.2002 के द्वारा छूट प्रदान की गई है।

31.03.2012 तक छूट प्राप्त पेंशन निधि न्यास का विवरण

स्थापना का नाम	कोड संख्या	सदस्यों की संख्या	कुल संचय (रूपये करोड़ों में)
मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड	एस/328	8362	613.18
मैसर्स मलेशियन एयरलाइन्स	टीएन/8785	34	2.55
मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड	एमएच/30276	106611	528.86
	जेएच/5	19367	189.31
	यूपी/20366	5170	18.87
कुल		139544	1352.77

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से छूट

3.47 नियोक्ता के अनुरोध पर बीमा योजना के किसी एक उपबंध से अथवा किसी स्थापना को बीमा योजना के सभी उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 17(2ए) के अंतर्गत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समर्थ अधिकारी हैं। यदि ऐसी स्थापनाओं के कर्मचारी बिना कोई पृथक अंशदान अथवा किस्त की अदायगी के जीवन बीमा की प्रकृति के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उनके निक्षेप भविष्य निधि से सम्बद्ध हैं अथवा नहीं और इन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ यदि बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्वीकार्य लाभों से बेहतर हैं तो, वे छूट प्राप्त कर सकते हैं। गतवर्ष 242 स्थापनाओं की तुलना में इस वर्ष के दौरान योजना से 133 स्थापनाओं को छूट प्रदान की गई है।

वित्त अधिनियम, 2006 खंड 56 - प्रक्रिया की तर्कसंगत व्याख्या तथा छूट की पद्धति

3.48 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रभावित करने वाले एक उल्लेखनीय वैधानिक विकास में, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग 'ए' के नियम 3 एवं 4, जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित हैं, वित्तीय अधिनियम, 2006 के खंड 56 द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के पश्चात् नियम 3 निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

"मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भविष्य निधि को जो उनके विचार से, नियम 4 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, मान्यता दे सकता है तथा यदि भविष्य निधि किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो मान्यता वापिस ले सकता है।"

बशर्तें ऐसे मामले में जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 तक या पहले मान्यता दी गई है तथा ऐसा भविष्य निधि नियम 4 के खंड (ई.ए.) में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करती है, तथा यदि ऐसी निधि 31 मार्च, 2007 या उससे पहले उक्त खंड में निर्धारित शर्तें या इस संबंध में बोर्ड द्वारा लगाई गई कोई शर्त पूरी नहीं करती तो ऐसी निधि को दी गई मान्यता वापिस ले ली जाएगी।"

3.49 बाद में, उपर्युक्त दशांसी अंतिम तिथि को भारत सरकार ने 31 मार्च, 2007 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2012 कर दिया जिससे कि अधिकांश न्यासों द्वारा आयकर छूट के लाभों को प्राप्त किया जा सके।

3.50 भविष्य निधियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए नियम 4 में उपखंड (ई.ए.) अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ा गया है। उपखंड (ई.ए.) निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

"(ई.ए.) स्थापना की निधि जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 या उपधारा 3 के प्रावधान लागू होते हैं तथा ऐसी स्थापना को धारा में दर्शाई योजना के किसी एक या सभी प्रावधानों के प्रचालन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है।"

3.51 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या अमान्यता प्राप्त भविष्य निधि की निर्धारित समयावधि में छूट प्राप्त करने की आवश्यकताओं को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने छूट प्रदान करने हेतु प्रक्रिया को तर्कसंगत या नीतिगत बनाने के लिए नीति निर्णय के सरलीकरण की आवश्यकता को महसूस किया। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पास 4 जुलाई, 2006 को एक नीति नोट अनुमोदनार्थ भेजा गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 17 के अंतर्गत छूट हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रस्ताव है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) की दिनांक 07.11.2006 को संपन्न हुई 176वीं बैठक में वित्तीय अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रभाव तथा छूट देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता को दर्शाते हुए एक अलग प्रस्ताव रखा गया ताकि सभी आवेदकों को संशोधन में दी गई अंतिम तिथि से पहले छूट दी जा सके। बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

3.52 परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा (17) (1) (ए) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है :-

- i. छूट प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने से पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तों को तर्कसंगत बनाया गया है। अब केवल अति महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना ही आवश्यक है तथा आवेदक /नियोक्ता की सुविधा के लिए इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर भी डाला गया है। यह सूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पास भी उपलब्ध है।
- ii. देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को केवल न्यूनतम शर्तों को ध्यान में रखकर छूट आवेदनों को प्रोसेस करने पर विशेष बल देने हेतु सलाह दी गई है।
- iii. सभी लंबित छूट आवेदनों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- iv. छूट आवेदनों पर शीघ्र कार्य करके समुचित सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। जहां पर आवेदनों में कमियां पाई गई हैं वहां आवेदक द्वारा सभी कमियों को शीघ्र दूर करने के लिए तथा आवेदन पर कार्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
- v. अपेक्षाकृत पुराने आवेदनों के मामलों में सूचना के अनुपालन या / तथा कमी के कारण जहां प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है वहां कमियां दूर करने या नए आवेदन प्राप्त करने हेतु कंपनी का पता लगाने तथा समयबद्ध तरीके से आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

3.53 अब छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल, तर्कसंगत है जिसमें कम दस्तावेजों की आवश्यकता है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियोक्ताओं /संगठनों को बेहतर तथा आवेदकों को परेशानी रहित सेवा देने की सोच के अनुरूप है।

अध्याय -4

अंशदान एवं निवेश

अंशदान की दर

अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा अदा किये जाने वाले भविष्य निधि अंशदान की सामान्य दरों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत लाभों का वित्तपोषण तथा लागू करने हेतु अंशदान की वर्तमान दर (वेतन का %) नीचे दी गई है :-

	अंशदान लेखे (अंशदान की दर)			प्रशासन लेखे (अंशदान की दर)		कुल
	क.भ.नि.	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12.00	0	0	0	0	12.00
केन्द्र सरकार	-	1.16	-	-	-	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

4.2 निम्नलिखित स्थापना - वर्गों, जहाँ यह कुल वेतन का 10% है, को छोड़कर सभी स्थापनाओं पर वर्तमान में कुल वेतन के 12% की दर से अंशदान लागू है :-

- (क) कोई स्थापना जिसमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हों।
- (ख) कोई रूग्ण औद्योगिक कंपनी जिसे रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (o) में परिभाषित किया गया है तथा जिसे अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में संदर्भ के पंजीकरण की तिथि पर अथवा तिथि से प्रारम्भ होने की अवधि तथा उस तिथि पर समाप्त जब से अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) के अंतर्गत पारित आदेशों से उक्त स्थापना का शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो जाता है अथवा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन की अंतिम तिथि से रूग्ण घोषित किया गया हो।
- (ग) कोई स्थापना जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य से अधिक घाटा उठाया हो अथवा जिसने अपनी अदा की गई पूंजी की कुल राशि एवं फ्री - रिजर्व जैसे संपूर्ण शुद्ध मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की हो तथा ऐसे वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि भी उठाई हो तथा पूर्ववर्ती ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् तुरन्त ही इस वित्तीय वर्ष में घाटा उठाया हो। स्पष्टीकरण- खण्ड (iii) के उद्देश्य के लिए "रोकड़ हानि" का तात्पर्य मूल्यहास में कुछ भी दिए बिना परिणत रूप में हानि से है।
- (घ) (क) जूट उद्योग (ख) बीड़ी उद्योग (ग) ईंट उद्योग (घ) बुनाई क्षेत्र के अतिरिक्त क्वायर उद्योग (ङ) गौर-गम फैक्ट्री में कोई स्थापना।

4.3 वर्ष 1952 से कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं हेतु अंशदान की लागू दर निम्नानुसार है :-

वर्ष 1952 से अब तक अंशदान की दर

अवधि	अंशदान की दर
1.11.1952 से 31.3.1956	नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों द्वारा मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट के प्रत्येक रूपए पर एक आना।
1.4.1956 से 31.3.1971	कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि देय है।
1.4.1971 से 31.7.1988	कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत। नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि देय है। 31 मार्च, 1972 को 8% की बढ़ी हुई दर ऐसी स्थापनाओं पर लागू थी जिनमें 50 अथवा 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
1.8.1988 से 31.5.1990	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि शामिल है) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का $8\frac{1}{3}$ %
1.6.1990 से 8.4.1997	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त 1988 से अंशदाता है, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि शामिल है) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का $8\frac{1}{3}$ % 31 मार्च, 1991 को 10% की बढ़ी हुई दर ऐसी स्थापनाओं पर लागू थी जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
9.4.1991 से 21.9.1997	भविष्य निधि अंशदान की दर 8.33% से 10% तक बढ़ाते हुए अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 1997 जारी की गई थी। इसके साथ 177 अधिसूचित श्रेणियों में से 172 श्रेणी के उद्योगों/स्थापनाओं को 1.5.1997 से 10% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था।
22.9.1997 से अब तक	क) स्थापनाएं 8.33% से 10% की दर पर अंशदान कर रही हैं। ख) स्थापनाएं 10% से 12% की दर पर अंशदान कर रही हैं।

प्राप्त अंशदान

भविष्य निधि

4.4 पिछले 03 वर्ष के दौरान प्राप्त भविष्य निधि अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :-

प्राप्त भविष्य निधि अंशदान						
(रूपये करोड़ों में)						
वर्ष	छूट प्राप्त क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत में भिन्नता	अछूट प्राप्त क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में भिन्नता	कुल अंशदान	पिछले वर्ष से प्रतिशत में भिन्नता
2009-10	22092.60	308.16	26558.20	14.24	48650.80	69.76
2010-11	14785.95	-33.06	32494.40	22.35	47280.35	-2.82
2011-12	16123.50	9.05	39431.44	21.35	55554.94	17.50

पेंशन निधि

4.5 बंद हो चुकी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी के वेतन का 1.16% नियोक्ता तथा उतना ही कर्मचारी का अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य था। बंद परिवार पेंशन निधि के संचय से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए पेंशन कार्पस बनाया गया है। नई पेंशन निधि के लिए नियोक्ता या कर्मचारी के द्वारा कोई अतिरिक्त अंशदान का भुगतान देय नहीं है। योजना का वित्त पोषण नियोक्ता के भविष्य निधि अंशदान में से वेतन के 8.33% अंशदान से किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार 1.16% की दर से अंशदान करके अंशदान को कर्मचारी पेंशन योजना में जमा करती है। दिनांक 31.3.2012 को संग्रह राशि (प्रतिभूति + लोकलेखा) 1,61,780.08 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2011 -12 के दौरान 14,767.47 करोड़ रूपए पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए थे। इसमें से रु. 13,417.47 करोड़ नियोक्ताओं का भाग था एवं रूपए 1350.00 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान था।

4.6 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2009-10 से वर्ष-वार प्राप्त अंशदान, संग्रहित राशि एवं कुल पेंशन भोगियों की स्थिति दर्शाती है :-

क्र.सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (सरकार के भाग सहित)	संग्रह राशि	पेंशन भोगियों की संख्या (कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 सहित) संचयी
2009-10	10,924.52	1,23,790.43	35,10,006
2010-11	12,887.94	1,42,050.82	35,25,971
2011-12	14,767.47	1,61,780.08	41,03,014

बीमा निधि

4.7 नियोक्ताओं को बीमा निधि में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, भोजन छूट की नकद कीमत तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि हो, का 0.5% की दर से अंशदान करना है, जबकि सदस्यों को बीमा निधि में कोई अंशदान नहीं करना है। वर्ष के दौरान नियोक्ताओं के अंशदान की 566.00 करोड़ राशि प्राप्त की गई। गतवर्ष यह राशि रु. 480.00 करोड़ थी। वर्ष 2009 - 10 के दौरान यह राशि रु. 423.22 करोड़ थी।

सभी तीनों योजनाओं में अंशदान तथा भुगतान

4.8 वर्ष 2011- 12, 2010 -11 एवं 2009 -10 हेतु भुगतान एवं अंशदान का क्षेत्रवार व्यौरा परिशिष्ट ए -14 (i) से ए 14 (iii) पर रखा गया है।

प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार

4.9 कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 54 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करने का व्यय अछूट प्राप्त एवं छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से निर्धारित दर पर मिलने वाले क्रमशः प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार की उगाही से किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 38 एवं 39 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन कर रही अछूट प्राप्त स्थापनाओं को प्रतिमाह प्रशासकीय प्रभार देना होता है। अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार छूट प्राप्त स्थापनाओं को प्रतिमाह निरीक्षण प्रभार देना होता है।

4.10 केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार की दर नीचे तालिका में दी गई हैं :-

अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय प्रशासकीय प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की
01.11.1952 से 31.12.1962	3%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के कुल अंशदान पर
01.01.1963 से 30.09.1964	3%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के 6.25% की दर से कुल अंशदान पर
	2.4%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के 8% की दर से कुल अंशदान पर
01.10.1964 से 30.11.1978	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है
01.12.78 से 30.09.1986	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है । प्रत्येक स्थापना द्वारा प्रति माह दिया जाने वाला न्यूनतम प्रशासकीय प्रभार 5/- रुपये है।
01.10.1986 से 31.07.1998	0.65%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है । प्रत्येक स्थापना द्वारा प्रतिमाह दिया जाना वाला न्यूनतम प्रशासकीय प्रभार 5/-रुपये है।
01.08.1998 से आगे	1.10%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है । प्रत्येक स्थापना द्वारा प्रतिमाह दिया जाने वाला न्यूनतम प्रशासकीय प्रभार 5/- रुपये है।
छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय निरीक्षण प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की
01.11.1952 से 31.12.1962	0.75%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के 6.25% की दर से कुल अंशदान पर
01.01.1963 से 30.09.1964	0.75%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के 6.25% की दर से कुल अंशदान पर
	0.60.%	नियोक्ता एवं कर्मचारी के 8% की दर से कुल अंशदान पर
01.10.1964 से 31.07.98	0.09%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है।
01.08.1998 से आगे	0.18%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है।

4.11 वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त रुपये 2035.19 करोड़ के स्थान पर वर्ष 2011-12 के दौरान रुपये 2483.84 करोड़ प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार के रूप में प्राप्त किए गए।

4.12 सभी कवर्ड स्थापनाओं के नियोक्ताओं को बीमा निधि में खचौ की भरपाई हेतु प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना होता है। 1 अक्टूबर 1987से, प्रशासनिक प्रभार की दर, न्यूनतम 2/- रु. प्रतिमाह की शर्त पर, मूल वेतन, भोजन छूट की नकद कीमत तथा प्रतिधारक भत्ता, यदि हो, सहित मंहगाई भत्ते का 0.01% है।

4.13 क.नि.स.बी.यो. से छूट प्राप्त सभी कवर्ड स्थापनाओं को 15 जनवरी, 1989 से न्यूनतम 1/- रु. प्रतिमाह की शर्त पर, मूल वेतन, भोजन छूट की नकद कीमत तथा प्रतिधारक भत्ता, यदि हो, सहित मंहगाई भत्ते का 0.005% निरीक्षण प्रभार के रूप में देना होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गत वर्ष के 17.60 करोड़ रूपए के स्थान पर इस वर्ष 20.52 करोड़ रूपए प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी के रूप में प्राप्त किए गए।

4.14 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से संबंधित वर्ष 2011-12 के लिए प्रशासकीय लेखे की आय एवं व्यय नीचे तालिका में दिया गया है :-

आय एवं व्यय लेखा (2011-2012)		(रूपये करोड़ों में)
आय :		
(क)	प्रशासकीय, निरीक्षण प्रभार एवं दाण्डिक नुकसानी (7 क्यू ब्याज सहित)	2483.84
(ख)	निवेश पर ब्याज	573.79
(ग)	अन्य लेखों से प्राप्तियां	10.93
(घ)	विविध प्राप्तियां	12.94
कुल		3081.50
व्यय :		
(क)	राजस्व व्यय	1285.85
(ख)	पूंजीगत व्यय विनियोग	0.00
(ग)	भवन रखरखाव व्यय विनियोग	0.00
(घ)	अन्य लेखों में अदायगी	12.99
कुल		1298.84
व्यय पर आय की अधिकता		1782.66

संगठन का प्रशासकीय राजस्व

4.15 वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियोक्ताओं से प्रशासकीय राजस्व के शीर्षों के अंतर्गत एकत्रित की गई राशि नीचे तालिका में दी गई है :-

स्थापनाओं से प्राप्त प्रशासकीय /निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी (रूपये करोड़ों में)				
	योजना	क.भ.नि.योजना	क.नि.सह.बी.यो.	कुल
1.	प्रशासकीय प्रभार	2343.46	16.54	2360.00
2.	निरीक्षण प्रभार	112.76	2.96	115.72
3.	शास्तिक नुकसानी (7 क्यू ब्याज सहित)	27.62	1.02	28.64
	कुल	2483.84	20.52	2504.36

निवेश

4.16 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अनुसार निधि की समग्र राशि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अनुसूचित बैंक में जमा की जानी आवश्यक है तथा यह निवेश केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों पर आधारित रहेगा। तदनुसार, संगठन द्वारा प्राप्त अंशदान को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाता है।

निवेश पद्धति

4.17 वर्ष के दौरान, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा निवेशित निधि में अग्रिम, ऋण निकासी तथा अन्तिम निपटान शामिल है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा प्रशासित निधि, क.भ.नि. योजना 1952 के पैरा 52 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित की जाती है। 09.07.2003 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तथा 1.4.2003 से लागू वर्तमान निवेश पद्धति नीचे दी गयी है :-

निवेश पद्धति [भारत के राजपत्र, पार्ट II, भाग-3(ii) जारी संख्या 30, दिनांक 09.07.2003 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2126]		निवेश की जाने वाली राशि का %
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों तथा / या ऐसे म्युचुअल फण्डों की यूनिटें जिनका सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में गठन किया गया है तथा जिनका प्रतिभूतियों तथा भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है।	25%
(ii)	(1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित तथा जारी तथा / या ऐसे म्युचुअल फण्डों के यूनिट जिनका सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में गठन किया गया है तथा जिनका प्रतिभूतियों व भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है और/ अथवा (2) ऐसी अन्य कोई हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां जिनके मूल एवं ब्याज के बारे में केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने पूर्णतः तथा बिना किसी शर्त के गारन्टी ले रखी है, सिवाए उनके जो निम्न iii (क) के अधीन आते हैं।	15%
(iii)	(क) कंपनी अधिनियम की धारा 4 (क) के अधीन उल्लिखित 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं' आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (36 क) में दिए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित "सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनियों के बांड / प्रतिभूतियां और/अथवा (ख) सार्वजनिक बैंकों द्वारा जारी अल्प अवधि (एक वर्ष से कम) सावधि जमा रसीदें (टी.डी.आर.)	30%
(iv)	न्यासी बोर्ड द्वारा निर्णीत उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश किया जाए।	30%
(v)	न्यासी बोर्ड बशर्ते कि उनके जोखिम लाभ संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त (iv) का 1/3 भाग तक का निवेश (उन निजी क्षेत्र के बांड / प्रतिभूतियों में कर सकता है, जिनके पास कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का निवेश - ग्रेड रेटिंग हो।	

पेंशन निधि का निवेश

4.18 पेंशन निधि के निवेश हेतु योजना में निम्नलिखित पद्धति का उपबन्ध है :-

- (i) दिनांक 15.11.1995 तक की परिवार पेंशन निधि की समग्र राशि तथा 16.11.1995 से केन्द्रीय सरकार का अंशदान भारत सरकार के लोक लेखे में निवेशित किया जाएगा।
- (ii) पेंशन निधि में होने वाली अभिवृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की जाएगी।

बीमा निधि का निवेश

4.19 वर्ष 1996 - 1997 तक "बीमा निधि" में प्राप्त अंशदान लोक लेखे में रखा जाता था। लाभ स्वरूप देय भुगतान के पश्चात् अभिवृद्धि को निवेश खाते में अंतरित किया जाता है। लोक लेखे में निवेशित समग्र राशि का लोक लेखे में ही निवेश किया जाना जारी रखा गया है। 1997 -1998 से निवल अभिवृद्धि को निवेश की निर्धारित पद्धति के अनुरूप निवेश किया जा रहा है।

पोर्टफोलियो प्रबंधन

4.20 के.न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के निवेश का प्रबंधन पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा उपर्युक्त पद्धति एवं समय - समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। क.भ.नि.सं. के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन क्रिसिल (सी.आर.आई.एस.आई.एल.) द्वारा क.भ.नि.सं. के निवेश मॉनीटरिंग अनुभाग के परामर्श से विकसित निष्पादन मानकों के आधार पर किया जाता है।

4.21 निष्पादन मानक सक्रिय प्रकृति के हैं और यह ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा - निर्देशों के अनुसार क.भ.नि. के धन के निवेश की अनुमति है, के दैनिक लाभ की जानकारी प्राप्त करता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन की तुलना एवं मूल्यांकन किया जाता है। यह क.भ.नि.सं. के साथ -साथ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भी संदर्भ बिन्दु का कार्य करता है तथा वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा -निर्देशों के अनुसार अनुमत परिसंपत्तियों के वर्ग में निवेश से अर्जित किए जा सकने वाले सांकेतिक न्यूनतम लाभ की सूचना प्रदान करता है।

4.22 क.भ.नि.सं. ने पहली बार वर्ष 2008 में चार नए पोर्टफोलियो प्रबंधकों का चयन किया ताकि पोर्टफोलियो प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा लाते हुए निवेश पर बेहतर आय प्राप्त की जा सके। प्रारम्भ में चुने गए चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों नामतः एच.एस.बी.सी., ए.एम.एल., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल ए.एम.सी., एस.बी.आई., पी.एम.एस. एवं रिलाइंस कैपिटल ए.एम.एल. की अवधि 31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है।

4.23 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने दिनांक 30.03.2011 को हुई अपनी 193वीं बैठक में भारतीय स्टेट बैंक को 01.04.2011 से 30.06.2011 तक की अवधि के लिए निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन सौंपा। अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का कार्यकाल 31.10.2011 तक बढ़ाया गया।

4.24 01.04.2011 से 31.10.2011 तक से अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र पोर्टफोलियो प्रबंधक रहा। पोर्टफोलियो के रूप में 01.04.2011 से 30.09.2011 तक की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था :-

पोर्टफोलियो प्रबंधक	अर्धवार्षिक आय की तुलना	
	आय %	मानक आय %
भारतीय स्टेट बैंक पी.एम.एस.	9.39%	9.02%

4.25 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 14.07.2011 को हुई अपनी 195वीं बैठक में क.भ.नि.सं. के चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों, नामतः 1. भारतीय स्टेट बैंक 2. आई.सी.आई.सी. स्विट्ज़रलैंड प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड 3. रिलाइंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 4. एच.एस.बी.सी. एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की नियुक्ति का अनुमोदन किया।

4.26 नए नियुक्त हुए पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने 01.11.2011 से क.भ.नि.सं. की धनराशि का प्रबंधन आरंभ किया। 01.11.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि में नए नियुक्त किए गए पोर्टफोलियो प्रबंधकों का निष्पादन निम्नानुसार था :-

संचयी निष्पादन

पोर्टफोलियो प्रबंधक	01.11.2011 से 31.03.2012 (संचयी)	
	आय %	मानक आय %
एस.बी.आई. पी.एम.एस.	9.31%	9.24%
एच.एस.बी.सी. ए.एम.सी.	9.23%	9.24%
रिलाइंस कैपिटल ए.एम.एल.	9.22%	9.24%
आई.सी.आई.सी.आई. पी.डी.लिमिटेड	9.20%	9.24%

पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दु

1. वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा आय का अर्जन बाजार में निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा - निर्देशों के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था। अतः उनके निष्पादन की तुलना अथवा बराबरी बाजार में अन्य योजनाओं द्वारा अर्जित आय से नहीं की जा सकती, जिनका निवेश इसी प्रकार से नियंत्रित नहीं है।
2. चूंकि लाभ बाजार आय के उतार - चढ़ाव से जुड़ा है अतः गत वर्षों में अर्जित आय से इसकी तुलना कड़ाई से नहीं की जा सकती। साथ ही ये उस समय की बाजार आय का प्रतिबिम्ब है। अतः वास्तविक तुलना केवल चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के बीच की जा सकती है, जो एक ही बाजार में एक जैसे नियमों के तहत निवेश कर रहे हैं।
3. क.भ.नि.सं. के नजरिए से, निधि प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा से एक अकेले पोर्टफोलियो प्रबंधक के खराब प्रदर्शन से पूरे पोर्टफोलियो की आय पर प्रभाव के जोखिम से निपटना सुनिश्चित किया जा सका है। प्रतिस्पर्धा से चारों पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए संदर्भ हेतु एक सक्रिय मानक उपलब्ध है। पोर्टफोलियो प्रबंधकों को न केवल इस मानक को प्राप्त करना है बल्कि मानक से अधिक आय अर्जित करनी है।

निवेश का ब्यौरा:

4.27 तीनों योजनाओं के अंतर्गत कुल संचय तथा तीनों योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान पद्धति के अनुसार निवेश की विभिन्न श्रेणियों में निवेशित राशि का प्रतिशत में वितरण नीचे दिया गया है :-

31.3.2012 को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश की समेकित विवरणी

क्र.सं.	श्रेणी	(राशि करोड़ों में)				
		कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी पेंशन निधि	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	कुल	% प्रतिशत
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	58413.58 (24.61%)	38588.19 (23.85%)	1574.51 (14.77%)	98576.28	24.06
2 (क)	राज्य सरकार	39145.49 (16.50%)	18720.15 (11.57%)	949.02 (8.91%)	58814.66	14.35
(ख)	सरकारी गारण्टीड प्रतिभूतियाँ	2683.50 (1.13%)	2576.30 (1.59%)	108.30 (1.02%)	5368.10	1.31
3	विशेष जमा योजना	52660.23 (22.19%)	1400.52 (0.87%)	2.50 (0.02%)	54063.25	13.19
4	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/उपक्रम @	84420.83 (35.57%)	43407.91 (26.83%)	2142.53 (20.10%)	129971.27	31.72
5	लोक लेखा	--	57087.01 (35.29%)	5880.73 (55.18%)	62967.74	15.37
	कुल	237323.63 (57.92%)	161780.08 (39.48%)	10657.59 (2.60%)	409761.30	100.00

@ (निजी क्षेत्र के बाँड / प्रतिभूतियाँ सहित)

वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश की समेकित विवरणी नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	श्रेणी	(राशि करोड़ों में)				
		कर्मचारी भविष्य निधि	कर्मचारी पेंशन निधि	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	कुल	% प्रतिशत
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	10,859.57	4,488.69	277.63	15,625.89	27.27
2 (क)	राज्य सरकार	8,240.73	2,327.43	135.03	10,703.19	18.68
(ख)	सरकारी गारण्टीड	276.86	(41.10)	(0.80)	234.96	0.41

	प्रतिभूतियां					
3	विशेष जमा योजना	31.41	-	-	31.41	0.05
4	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान/उपक्रम *	16,851.05	7,052.64	447.36	24,351.05	42.49
5	लोक लेखा	-	5,901.60	460.70	6,362.30	11.10
	कुल	36,259.62	19,729.26	1,319.92	57,308.80	100.00

* (निजी क्षेत्र सम्मिलित)

31.3.2012 तक तीनों योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर विभिन्न श्रेणियों में निवेशित राशि का समेकित विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए 45(i), ए 45(ii) तथा ए (iii) में दिया गया है ।

भविष्य निधि के निवेश की राशि (छूट प्राप्त क्षेत्र)

4.28 छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे उसी पद्धति से निवेश करें जैसा अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निर्धारित किया गया है । 31.03.2012 तक छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा भविष्य निधि की कुल 1,36,320.66 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया । पिछले वर्ष 13593.00 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 22,402.66 करोड़ रुपये का निवल निवेश किया गया । वर्ष के दौरान किया गया निवेश नीचे दिया गया है :-

2011-2012 के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा किया गया निवेश	
निवेश की श्रेणी	निवेशित राशि (रुपये करोड़ों में)
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	3733.76
किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित तथा जारी सरकारी प्रतिभूतियां तथा गारंटीड प्रतिभूतियां	2330.86
सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बांड/प्रतिभूतियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा के प्रमाण-पत्र / विशेष जमा योजना	18971.54
कुल सकल निवेश	25036.16
घटाई - छुड़ाई गई निधियां	2633.51
कुल निवल निवेश	22402.65

सदस्यों को ब्याज दर

4.29 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) में निहित उपबंधों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों में उपलब्ध बकाया पर ब्याज प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2011-2012 के दौरान, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने केन्द्र सरकार को सदस्यों के खातों के मासिक चालू बकाया पर 8.25% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करने की सिफारिश की । 1952 से क.भ.नि. जमा पर घोषित ब्याज की दर परिशिष्ट ए -15 में दी गई है।

अध्याय - 5

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुपालन प्रबंधन

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसे भविष्य निधि, पेंशन एवं निक्षेप सहबद्ध बीमा के रूप में देश के ऐसे भाग, जहाँ यह लागू है; के संगठित क्षेत्र की कार्य शक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाया गया है। अधिनियम में दी गई अनुपालन कार्य संबंधी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

अनिवार्य कवरेज

5.1 वर्तमान में अधिनियम निम्न पर लागू हैं :-

- प्रत्येक ऐसी स्थापना जो अधिनियम की अनुसूची - I में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्योगों में या सरकारी गजट में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गतिविधि में संलग्न है, तथा
- जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।

अधिनियम उन सहकारी संस्थाओं /स्थापनाओं पर लागू नहीं होता, जिनमें 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हों तथा यह बिजली की सहायता के बिना कार्य करती हों।

स्वैच्छिक कवरेज

5.2 ऐसी स्थापनाओं को, जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं, अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत की सहमति से स्वेच्छा के आधार पर कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जा सकता है।

उद्योगों की अनुसूची /स्थापनाओं की श्रेणी

5.3 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत वर्तमान में 1871 उद्योगों/ स्थापनाओं की श्रेणी कवर्ड हैं। इनमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख, गौण श्रेणी की फैक्ट्रियां /स्थापनाएँ, व्यापार एवं वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्र सम्मिलित हैं।

चूककर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

5.4 अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित सख्त कार्रवाई की जा सकती है :-

1. **धारा 7 ए के अंतर्गत कार्रवाई** - भविष्य निधि देयों का आकलन तथा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध वसूली की मांग।
2. **धारा 8 एफ के अंतर्गत कार्रवाई** - चूककर्ताओं को बैंकों सहित अन्य पक्षों से प्राप्त होने वाले भुगतान पर प्रतिबंध लगाना तथा इसे कर्मचारी भविष्य निधि देयों के भुगतान में लगाना।
3. **धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई** - न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं का अभियोजन।
4. **धारा 14 बी के अंतर्गत कार्रवाई** - दण्ड स्वरूप नुकसानी लगाना -एक निवारक कार्रवाई।
5. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 /409 के अंतर्गत अभियोजना** - नियोक्ता द्वारा अंशदान के भुगतान में चूक के लिए, जो कि संज्ञेय अपराध है।

6. अपराध दण्ड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई - स्थायी चूककर्ताओं के अच्छे व्यवहार हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत है।

7. धारा 7 क्यू के अंतर्गत कार्रवाई - देरी से भुगतान हेतु ब्याज लगाना।

बकाया की वसूली :-

5.5 वर्ष 1990 से पूर्व, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बकाया की वसूली हेतु राज्य राजस्व तंत्र पर निर्भर था। वसूली हेतु विभागीय तंत्र की शुरुआत 1990 से की गई तथा यह पूरे देश में कार्यरत है। वसूली को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय स्तर पर वसूली निदेशालय बनाया गया है, जो वसूली क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन की सीधे मॉनीटरिंग करता है। चूककर्ताओं के विरुद्ध वसूली कार्रवाई हेतु निम्नलिखित कानूनों का प्रावधान है :-

- (i) चूककर्ता स्थापनाओं की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्की तथा बिक्री।
- (ii) चूककर्ता स्थापनाओं के व्यापार को चलाने के लिए प्रापक (receiver) की नियुक्ति।
- (iii) चूककर्ताओं की गिरफ्तारी एवं बंदी बनाना।

भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता :-

5.6 धारा 11 (2) यह सुस्पष्ट करते हुए कि कर्मचारी भविष्य निधि देयों का अन्य सभी ऋणों की अपेक्षा वरीयता देते हुए भुगतान किया जाएगा, स्थापना की सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार प्रदान करती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक बनाम भविष्य निधि आयुक्त [2009 (10) एस.सी.सी. 123 : 2009 (123) एफ.एल.आर., 653 : 2009 (2) एस.सी.सी., (एल.एण्ड सी.) 743 (एस.सी. -3 एम)] मामले में कंपनी के अन्य देयों/ऋणों की अपेक्षा कर्मचारी भविष्य निधि के देयों के भुगतान को वरीयता देने के मामले की पुष्टि की है।

कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम ओ.एल. ऑफ एस्के फार्माक्यूटिकल लिमिटेड [2011 (5) एल.एल.एन. 1: 2012 (1) एल.एल.जे. 1: 2012 (132) एफ.एल.आर. 98 (एस.सी. -2 एम)] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि परिसमापन के मामलों में भी कर्मचारी भविष्य निधि देयों के भुगतान को कंपनी के अन्य देयों/ऋणों के मुकाबले वरीयता दी जाए।

वर्ष के दौरान अनुपालन की स्थिति पर नोट

बकाया प्रबंधन

5.7 वर्ष के दौरान योजनावार निर्धारित बकाया, वसूल की गई राशि अन्तःशेष (रूपये करोड़ों में) नीचे तालिका में दिया गया है :-

	कार्यभार	वसूली	अंत शेष
क.भ.नि.	3000.57	1133.96	1866.61
क.पें.यो.	1444.77	415.46	1029.31
क.नि.स.बी.यो.	118.27	36.15	82.12
कुल	4563.61	1585.57	2978.04

वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के बकाया का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए -16 (i), ए-16 (ii) एवं ए-16 (iii) में दिया गया है।

बकाया का विभाजन (सभी योजनाएँ)

5.8 2978.04 करोड़ रूपए के कुल बकाया में से 2196.71 करोड़ रूपये तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी में आते हैं और 781.33 करोड़ रूपये की राशि अनिवार्य वसूली कार्यवाही के माध्यम से वसूली योग्य है। तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी के अंतर्गत वर्षों से बकाया की वसूली निम्नलिखित कारणों से नहीं की जा सकी है :-

- (1) न्यायालय /अधिकरण में विवादित राशि
- (2) समापनाधीन स्थापनाएँ
- (3) केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियमों द्वारा रोकी गई वसूली कार्रवाई /किश्तों की मंजूरी
- (4) वे स्थापनाएँ, जिनको पुनर्स्थापना के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूरी दी गई है।

5.9 बकाया मांग की तत्काल न वसूली जाने वाली राशि 74% रही। फील्ड कार्यालय नियमित रूप से वसूली की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तत्काल न वसूली योग्य श्रेणी में आने वाली चूक की श्रेणी और कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल न वसूलने योग्य बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (रू.करोड़ों में)	कुल का %
कोर्ट द्वारा रोक	5496	1597.00	73.00%
समापनाधीन	1099	300.00	14.00%
बी.आई.एफ.आर.	546	96.00	4.00%
अन्य	4028	203.00	9.00%
कुल	11169	2196.71	100%

5.10 अछूत प्राप्त क्षेत्र की कुल 77,948 चूककर्ता स्थापनाओं में से 75,391 स्थापनाएँ निजी क्षेत्र, 998 स्थापनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र तथा 1559 स्थापनाएँ सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कुल बकाया राशि 2978.04 करोड़ रूपये में से 2258.89 करोड़ रूपये निजी क्षेत्र, 621.88 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र तथा 97.27 करोड़ रूपये सहकारी क्षेत्र के हैं।

5.11 31.03.2012 को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र से संबंधित तीनों योजनाओं के बकाया का ब्यौरा परिशिष्ट ए-17 में दिया गया है।

5.12 31.03.2012 को भविष्य निधि के 50 लाख रूपये तथा इससे अधिक चूक वाली अछूत प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए-18 पर दिया गया है। 1 करोड़ रूपये से अधिक चूक वाली अछूत प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए-19 पर दिया गया है।

अन्य बकाया (सभी योजनाएँ)

5.13 कुल बकाया में प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार के रूप में 89.98 करोड़ रूपये की राशि (शास्तिक नुकसानी तथा उस पर लगाए ब्याज को छोड़कर) शामिल है और 1327.01 करोड़ रूपये शास्तिक नुकसानी तथा ब्याज की बकाया राशि के रूप में हैं।

चूक रोकने हेतु कृत कार्रवाई

5.14 संगठन द्वारा चूककर्ता स्थापनाओं से देय की वसूली हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई :-

(क) देयों के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 7 ए के अंतर्गत कार्रवाई : निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7 ए में दिए गए प्रावधानों के अनुसार देय राशि का निर्धारण किया गया। निर्धारण मामलों का प्रारम्भ तथा निपटान का अंचलवार ब्यौरा परिशिष्ट ए -20 में दिया गया है एवं 7 ए के लंबित मामलों का आवर्तन (periodicity) निम्नानुसार है :-

लंबित 7 ए मामलों का आवर्तन (Periodicity)		
	2010 -11	2011 -12
छः माह से कम	8753	5923
छः माह से एक वर्ष तक	4605	3515
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	5286	5968
तीन वर्ष से अधिक	2908	2847
कुल	21452	18253

(ख) अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज का निर्धारण : नियोक्ता द्वारा देरी से जमा की गई राशि पर अधिनियम की धारा 7 क्यू के उपबंधों के अनुसार ब्याज का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2011 -12 के दौरान कुल कार्यभार 601.71 करोड़ रूपए था, इसमें से 123.08 करोड़ रूपए जो कुल कार्यभार का 20.46% था, की वसूली की गई। 31 मार्च 2012 का 478.63 करोड़ रूपए वसूली हेतु बकाया थे। अंचलवार/क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ए -21 पर दिया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 14 बी के अंतर्गत नुकसानी लगाना : वर्ष 2011 -12 के दौरान वसूली की कुल बकाया राशि 1024.93 करोड़ रूपए थी। जिसमें से 176.55 करोड़ रूपए की वसूली की गई। लगाई गई, एकत्रित व वर्ष के अंत में शेष शास्तिक नुकसानी का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट ए -22 में दिया गया है।

(घ) अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित क.भ.नि. योजना, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत की गई कार्रवाई : वर्ष 2011 -12 के दौरान कृत कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट नीचे तालिका में दी गई है :-

	कार्यभार		वसूले गए		अंत शेष	
	आर.आर.सी. की संख्या	निहित राशि (रूपए करोड़ों में)	आर.आर.सी. की संख्या	निहित राशि (रूपए करोड़ों में)	आर.आर.सी.की संख्या	निहित राशि (रूपए करोड़ों में)
भविष्य निधि	72024	1746.88	15753	281.61	56271	1465.27
पेंशन निधि	61062	923.14	13615	155.92	47447	767.22
बीमा निधि	59430	65.59	13432	12.11	45998	53.48
कुल	192516	2735.61	42800	449.64	149716	2285.97

कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में जारी, निष्पादित एवं लंबित प्रमाण पत्रों का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट - ए - 23, ए-24, एवं ए- 25 पर दिया गया है।

(इ) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई : चूककर्ता स्थापनाओं और नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 में निहित उपबंधों के अनुसार आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन के मामले दायर किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के मामलों का क्षेत्रवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए-26, ए-27, एवं ए-28 पर दिया गया है।

(च) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई : कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदान जमा न कराने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत

एफ आई आर दर्ज की गई। पुलिस के समक्ष दायर मामलों का क्षेत्रवार विवरण, पुलिस द्वारा न्यायालय में किए गए चालान और न्यायालय में सीधे दर्ज की गई शिकायतों का विवरण तथा भारतीय दंड संहिता मामलों के निपटान एवं बकाया का विवरण परिशिष्ट ए-29 (i) एवं परिशिष्ट ए-29 (ii) में दिया गया है।

बकाया की वसूली हेतु चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की करना एवं /अथवा गिरफ्तारी

5.15 वर्ष 2011-12 के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं की सम्पत्ति की बिक्री और कुर्की के प्रावधानों का प्रयोग करके 188.61 करोड़ रूपए वसूल किए गए। अछूटप्राप्त स्थापनाओं के चूककर्ताओं की सम्पत्ति की कुर्की करने /गिरफ्तारी की स्थिति परिशिष्ट 30 में दी गई है।

5.16 उपर्युक्त कार्रवाई के अतिरिक्त वसूली की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश जारी किए गए :-

- बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार की सहायता लेना।
- क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय कार्यालयों के सबसे बड़े 10 चूककर्ताओं के नाम कार्यालय के अग्रभाग में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना।
- चूककर्ता नियोक्ताओं की चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की हेतु राज्य पुलिस से पूरा सहयोग लेते रहना।
- समुचित प्राधिकारियों द्वारा जेलों को सिविल जेल के रूप में अधिसूचित करना।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर बड़े चूककर्ताओं के नाम दर्शाना।

पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग में चूक

5.23 वर्ष के दौरान चूककर्ता जूट स्थापनाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और अथक प्रयास किए गये। 31.3.2012 को चूक की राशि 138.38 करोड़ रुपये थी। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग में चूक की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:-

31.03.2012 को जूट मिलों में चूक की स्थिति				
I.	1	पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की संख्या	67	
	2	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	1.99	
	3	अनुपालन करने वाली स्थापनाओं की संख्या	30	
	4	जूट मिलों में चूक की संख्या	37	
	5	चूक की राशि (रूपये करोड़ों में)	140.85	
II.	चूक का वर्गीकरण		स्थापनाओं की संख्या	चूक की राशि (रूपये करोड़ों में)
क)	1	समापनाधीन	2	6.96
	2	मुकदमाधीन	17	81.65
	3	बी आई एफ आर के अधीन	6	20.00
	4	अन्य	12	32.24
		कुल	37	140.85

चूक का वर्गीकरण - उद्योगवार				
	1	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	11.73
	2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र	5	9.00
	3	सहकारी क्षेत्र	0	0.00
	4	निजी क्षेत्र	31	120.12
		कुल	37	140.85
चूक का वर्गीकरण - वसूलनीय/अवसूलनीय				
(ग)	1	वसूलने योग्य बकाया	1	1.53
	2	अवसूलने योग्य बकाया	36	139.32
		कुल	37	140.85

- 5.24 वसूली योग्य बकाया की उगाही के लिए स्थापनाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के भाग की अदायगी न करने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी कार्रवाई प्रारंभ की गई। 1 करोड़ और अधिक की चूक वाली जूट उद्योग सहित स्थापनाओं के क्षेत्रवार नाम परिशिष्ट ए-19 (अछूत प्राप्त देयताएं) तथा परिशिष्ट ए-35 (छूत प्राप्त देयताएं) में दिए गए हैं।

छूत प्राप्त क्षेत्र में बकाया

- 5.25 बकाया 737.62 करोड़ रुपये में से 605.05 करोड़ रुपये शेष को छोड़कर 132.57 करोड़ रुपये की वसूली की गयी। विवरण परिशिष्ट ए-31 में दिया गया है।
- 5.26 छूत प्राप्त स्थापनाओं में बकाया का बड़ा भाग 152.79 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल राज्य का है इसके पश्चात् 113.53 करोड़ रुपये रांची क्षेत्र के और 79.95 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश क्षेत्र के हैं जो कुल बकाया का 57.23% है, जैसा कि परिशिष्ट ए-32 में दर्शाया गया है।

बकाया का विभाजन - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएं

- 5.27 छूत प्राप्त क्षेत्र की कुल 437 चूकदार स्थापनाओं में से 326 स्थापनाएं निजी क्षेत्र और 111 स्थापनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। 605.05 करोड़ रुपये की कुल चूक में से 243.13 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के हैं और 361.92 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की छूत प्राप्त स्थापनाओं की क्षेत्रवार चूक की स्थिति परिशिष्ट ए-33 में दी गयी है।

बकाया की स्थिति

- 5.28 605.05 करोड़ रुपये की कुल चूक में से 559.13 करोड़ रुपये तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी में आते हैं तथा 45.92 करोड़ रुपये की राशि अधिनियम के अंतर्गत दाण्डिक कार्रवाई एवं वसूली द्वारा वसूल करने के लिए शेष है। वर्ष के दौरान तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत बकाया की वसूली विभिन्न कारणों से नहीं की जा सकी, जैसे कि :-

- राशि न्यायालय में विवादित है।
- फैक्ट्रियां समापनाधीन है।

- केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियमों द्वारा वसूली पर रोक लगायी गई है।
- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा ऐसी स्थापनाओं को रूग्ण घोषित करना जिनके लिए पुनः स्थापना योजना की बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृति दी गयी है /विचाराधीन है।

5.29 तत्काल वसूल न की जाने वाली राशि बकाया मांग का **84.49 %** है। तत्काल वसूल न किए जाने वाली श्रेणी में आने वाली चूककर्ता श्रेणी और चूक के कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल वसूल न किए जाने वाले बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (रूपये लाखों में)	कुल का %
(क) न्यायालय द्वारा रोक	167	37162.26	66.47%
(ख) समापनाधीन	31	572.18	1.02%
(ग) अन्य	193	18178.38	32.51%
कुल	391	55912.82	100.00%

5.30 31.3.2012 तक भविष्य निधि अंशदान को अपने संबंधित न्यासी बोर्ड और अन्य देयों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरित करने के मामले में छूट प्राप्त स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण, जिनकी चूक की राशि **50 लाख** अथवा अधिक है और ऐसी स्थापनाओं की सूची जिनकी चूक की राशि **1 करोड़** अथवा अधिक है, क्रमशः **परिशिष्ट ए-34** और **परिशिष्ट ए-35** पर दिया गया है।

अनिवेशित निधि

5.31 न्यासी बोर्ड द्वारा न्यास के खाते में पूंजी की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूंजी का निवेश अपेक्षित है। वर्ष के अंत में **1364** छूट प्राप्त ट्रस्ट थे, जिनके पास **1983.13 करोड़** रु. की राशि बकाया अनिवेशित राशि के रूप में पड़ी थी। 31.3.2012 को छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्ड के पास अनिवेशित राशि के क्षेत्रवार आंकड़े **परिशिष्ट ए-36** में दिए गए हैं।

चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई

5.32 वर्ष के दौरान ऐसे चूकदार नियोक्ता, जिन्होंने भविष्य निधि अंशदान की राशि अपने कर्मचारियों के वेतन से काटकर जमा नहीं करायी थी, के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए 13 शिकायतें दर्ज करायी गयी।

बकाया की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की एवं/अथवा चूककर्ताओं को गिरफ्तार करना

5.33 वर्ष 2011-2012 के दौरान छूट प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत चूककर्ताओं से विभिन्न माध्यमों से **5.90 करोड़** रुपये की राशि वसूल की गयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

बकाया में चूक के कारण संपत्ति की कुर्की एवं गिरफ्तारी की स्थिति - छूट प्राप्त क्षेत्र (रूपये करोड़ों में)			
क्र.सं.	कार्रवाई का तरीका	मामलों की संख्या	वसूल की गयी राशि
1	बैंक खातों का अटैचमेंट	77	5.90
2	चल संपत्ति का अटैचमेंट	2	0.00
3	अचल संपत्ति का अटैचमेंट	1	0.00
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	0	0.00
	कुल	80	5.90

न्यायालयों में मामले

माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील

5.34 वर्ष 2011-12 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास 152 मामलों के कुल कार्यभार में से 16 मामलों का निर्णय दिया गया। 31.03.2012 तक 136 मामले लंबित थे।

अन्य न्यायालयों के मामले

5.35 वर्ष 2011-2012 में विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है :-

	वर्ष के दौरान कार्यभार	निपटाए गए	लंबित
उच्च न्यायालय	12074	3003	9071
जिला न्यायालय	17123	623	16500
एन.सी.डी.आर.सी.	173	36	135
राज्य आयोग	1161	169	992
जिला उपभोक्ता फोरम	4483	1340	3143
क.भ.नि.अपीलीय अधिकरण	3657	1753	1904

कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण

5.36 अधिनियम को लागू करने पर होने वाले विवादों के न्यायनिर्णय हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 डी में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की व्यवस्था है। हालांकि अपीलीय अधिकरण गठित करने की व्यवस्था अधिनियम के, 1.8.1988 से प्रभावी 33 वें संशोधन में की गई थी तथापि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण 1 जुलाई 1997 से गठित किया गया।

5.37 वर्तमान में, दिल्ली में स्थित अधिकरण में एक बेंच है। केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा 62वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, है।

5.38 अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के परन्तुक या उप-धारा (4) या धारा 3 या धारा 7 ए की उप-धारा (1) या धारा 7 बी के अंतर्गत (पुनरावलोकन के आवेदन पत्र को रद्द किए जाने के अतिरिक्त) अथवा धारा 7 सी अथवा धारा 14 बी के अंतर्गत केन्द्र सरकार या अन्य अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना से पीड़ित कोई व्यक्ति अधिकरण के समक्ष ऐसे विरोधी आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अधिकरण यदि संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता पर्याप्त कारणों से निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो अधिकरण अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर सकता है।

5.39 वर्ष 2011-12 के दौरान 3657 मामलों के कुल कार्यभार में से 1753 मामलों का निर्णय दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अंत में 1904 मामले लंबित थे।

अध्याय -6

बेहतर सेवा के लिए सूचना तकनीक

क.भ.नि.सं. की पहल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनाए गए सूचना तकनीक प्रयासों में नागरिक - केन्द्रित, सेवानुकूल तथा पारदर्शी गवर्नेंस शामिल हैं। सूचना एवं संचार तकनीक की सहायता से गवर्नेंस का महत्व बढ़ता है क्योंकि इनके प्रयोग से आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेवा उपलब्ध होती है तथा प्रतिबद्धता मजबूत होती है। क.भ.नि.सं. ने नागरिकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार तथा विश्वसनीय सूचना तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रयासों की शुरुआत की है।

6.1 क.भ.नि.सं. में दिनांक 17.04.2008 को आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की 182वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से "कंप्यूटीकरण परियोजना" की शुरुआत की गई तथा परियोजना के पहले चरण की शुरुआत 119 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई। शेष उप क्षेत्रीय कार्यालयों, जैसे -उड़ीसा में क्योंकि द्वार के संबंध में किराए पर लेने के लिए उपयुक्त कार्यालय स्थान चुन लिया गया है तथा शीघ्र ही परियोजना की शुरुआत की जाएगी।

6.2 पहले चरण के परिणामस्वरूप प्रत्येक कार्यालय में स्टैंड -अलोन आधार पर डाटाबेस का सृजन एवं समेकन सुनिश्चित हुआ। पहले चरण की प्राथमिक उपलब्धि सदस्य एवं स्थापना रिकार्डों के एक समान कार्यालय स्तरीय वितरित डाटाबेस का सृजन तथा दावा निपटान एवं वार्षिक लेखे तैयार करने जैसी सदस्य आधारित सेवाओं के आधार पर एक प्रणाली की शुरुआत करनी रही।

6.3 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा सृजित एवं विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आधारभूत प्रणालियों के अलावा क.भ.नि.सं. ने सदस्य अंशदाताओं एवं नियोक्ताओं के लाभ हेतु परियोजना के अंतर्गत विकसित सेवाओं की शुरुआत भी की।

6.4 क.भ.नि.सं. द्वारा किए गए कार्य : क.भ.नि.सं. द्वारा शुरू की गई अतिरिक्त सेवाएं एवं सुविधाएं इस प्रकार हैं :

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) : भविष्य निधि लाभों के भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) द्वारा भुगतान को शामिल किया गया। इसने पूर्व की मैन्युअल प्रणाली का स्थान लिया जिससे दावे को प्राधिकृत करने एवं भुगतान की वास्तविक प्राप्ति में काफी देरी लगती थी। यह देरी मुख्य रूप से दावे को प्राधिकृत करने तथा चेक प्रिंट करने, ज्यादा संख्या होने के कारण चेक पर हस्ताक्षर करने में लगने वाले समय, चेक को पहुंचाने तथा स्पीड -पोस्ट केन्द्र को पत्र भेजने में लगने वाले समय, स्पीड -पोस्ट केन्द्र द्वारा समय लेने एवं चेक का भुगतान करने में लगने वाले समय के कारण होती है। इस देरी के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आती हैं तथा ग्राहक की संतुष्टि का स्तर गिरता चला जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) की शुरुआत के परिणामस्वरूप दावे के निपटान के बाद सदस्य के बैंक खाते में राशि क्रेडिट करने में

लगने वाले समय में कमी आई तथा चैक लिखने, प्रेषित करने एवं डाक पर होने वाले पैसे तथा जनशक्ति की बचत के अलावा समेकन में पारदर्शिता/संतुलन आया।

- **रिटर्न जमा कराने हेतु नियोक्ताओं के लिए ई-रिटर्न सुविधा :** नियोक्ताओं को अपने रिटर्न सॉफ्ट रूप में सृजित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु, ई-रिटर्न टूल का विकास किया गया। इसके लिए नियोक्ता को कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसे केवल आने वाले महीनों में रिटर्न में जोड़ अथवा घटा ही करनी पड़ती है।
- **लेखों का अंतरण होने पर निधि एवं लेखा विवरण का इलैक्ट्रॉनिक अंतरण :** सदस्यों द्वारा रोजगार बदलने पर लेखों के अंतरण के मामले में, प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु चैक के स्थान पर एन.ई.एफ.टी. द्वारा निधि के अंतरण की शुरूआत की गई। सदस्य के रोजगार के ब्यौरे (परिशिष्ट के) को भी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से नए कार्यालय को भेजा जाता है तथा सदस्यों को पिछले खाते के बंद होने एवं हर स्तर पर नए खाते में क्रेडिट होने की सूचना दी जाती है।
- **एस.एम.एस. गवर्नेंस की शुरूआत :** जिन सदस्यों द्वारा दावा फार्म जमा कराते समय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें दावा निपटान के विभिन्न चरणों जैसे दावा प्राप्ति, दावा वापसी अथवा रद्द होने, चैक प्रेषण /एन.ई.एफ.टी. द्वारा क्रेडिट, निपटान राशि का ब्यौरा तथा जिस बैंक खाते में राशि भेजी गई है, की सूचना ऑटोमैटिक रूप में दी जाती है।
- **क.भ.नि.सं. की वैबसाइट पर सदस्य के दावे की स्थिति की जानकारी :** कंप्यूटरीकृत कार्यालयों के लिए क.भ.नि.सं. की वैबसाइट पर सदस्य के दावे की स्थिति की जानकारी उपलब्ध होती है। भविष्य निधि खाता संख्या प्रविष्ट करते ही उनके दावे की स्थिति स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है।
- **क.भ.नि.सं. की वैबसाइट पर सदस्य के भविष्य निधि बकाया की जानकारी :** क.भ.नि.सं. की वैबसाइट पर सदस्यों के भविष्य निधि बकाया की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है। जब सदस्य अपनी भविष्य निधि खाता संख्या, नाम, मोबाइल नंबर प्रविष्ट करता है तो उसके मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा बकाया की जानकारी भेज दी जाती है।
- **उन्नत एवं सक्रिय एम.आई.एस. प्रणाली :** इसके अंतर्गत प्राप्त दावों की संख्या, रद्द किए गए दावे, अनुमोदित दावे, एन.ई.एफ.टी. द्वारा भुगतान, चैक द्वारा भुगतान, कुल कार्यभार, 30 दिन के भीतर दावा निपटान आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। इस सूचना को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- **नई पेंशन योजना के लिए सॉफ्टवेयर :** नई पेंशन योजना के अंतर्गत कवर्ड क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों हेतु संगठन के कार्यालयों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्यालय नई पेंशन योजना के अंतर्गत आवश्यक रिपोर्ट सृजित करने तथा मुख्यालय को सूचना भेजने में समर्थ होते हैं। डाटा के समेकन एवं मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर का एक अन्य वर्जन मुख्यालय के लिए तैयार किया गया है।
- **अन्तर्राष्ट्रीय कामगारों हेतु कवरेज प्रमाणपत्र सृजित करने के लिए सॉफ्टवेयर :** अन्तर्राष्ट्रीय कामगारों हेतु कवरेज प्रमाणपत्र सृजित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है तथा इसका प्रयोग मुख्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय कामगार प्रभाग (IWU) द्वारा किया जा रहा है।

- **इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न (ECR) :** रिटर्न को ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा हेतु अप्रैल 2012 (मार्च, अप्रैल में भुगतान) से इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न (ECR) की ऑनलाइन प्राप्ति की शुरुआत की जाएगी। इन रिटर्नों को बैंक को किए गए वास्तविक भुगतान के साथ जोड़ा जाएगा तथा मासिक आधार पर सदस्यों के व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट किया जाएगा। साथ ही, नियोक्ताओं के लिए दस्तावेजी (पेपर) रिटर्न तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।
- **उन्हें अन्य रिटर्न जैसे फॉर्म 5 /10 /12ए , 3ए तथा 6ए जमा करना आवश्यक नहीं होगा।** नियोक्ताओं को भुगतान की पुष्टि एस.एम.एस. द्वारा तत्काल दे दी जाएगी।
- **सदस्य पासबुक की शुरुआत :** ई.सी.आर. की शुरुआत के परिणामस्वरूप सदस्य के खाते को प्रतिमाह क्रेडिट किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य के लिए सभी लेन-देन के ब्यौरे वाली सदस्य पासबुक ऑनलाइन (वेब आधारित) उपलब्ध कराने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में नियोक्ताओं द्वारा तथा बाद में सदस्य पोर्टल की सहायता से सदस्य स्वयं ई.सी.आर. के माध्यम से किए जाने वाले अंशदान के संबंध में उपलब्ध पासबुक सृजित कर पाएंगे।

पहल शक्ति के लाभ

6.5 नई प्रणाली से सदस्य अंशदाताओं, नियोक्ताओं तथा संगठन को बहुत से लाभ मिले हैं। इनमें से मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :

(क) **क.भ.नि. संगठन के अंशदाताओं** को अपने खातों /बकाया /दावा स्थिति तक वेब आधारित पहुंच प्राप्त है तथा वे एस.एम.एस. सुविधा द्वारा अपने दावे की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। एन.ई.एफ.टी. द्वारा किए जाने वाले भुगतान की सहायता से विशेषकर आउट-स्टेशन चेकों के मामले में, सदस्यों के बैंक खातों में भविष्य निधि राशि को क्रेडिट किए जाने की समयावधि में पर्याप्त कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न (ई.सी.आर.) की शुरुआत के साथ, भुगतान की प्राप्ति के एक अथवा दो दिन के भीतर सदस्य का खाता ऑटोमैटिक रूप से अद्यतन हो जाएगा। अंशदाता प्रारंभ में अपने नियोक्ता द्वारा अपने खातों में होने वाले मासिक क्रेडिट और बाद में सदस्य पोर्टल की सहायता से स्वयं विवरण जान पाएंगे।

(ख) **नियोक्ताओं को ई-रिटर्न टूल के माध्यम से रिटर्न सॉफ्ट रूप में सृजित करने की सुविधा दी गई है।** उन्हें यह रिटर्न हर माह बनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल आने वाले महीनों में इसमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं रिटर्न (ई.सी.आर.) के माध्यम से नियोक्ता ऑनलाइन रिटर्न जमा एवं अंशदान प्रेषित कर सकते हैं। नियोक्ता भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भुगतान कर सकते हैं अथवा चालान का प्रिंट आउट लेकर उसका भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की किसी भी निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं। नियोक्ताओं को भुगतान की पुष्टि तत्काल एस.एम.एस. द्वारा मिल जाती है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक लेखा पर्चियों को डाउनलोड कर उनका प्रिंट ले सकते हैं।

(ग) **क.भ.नि.सं. के लिए कार्य प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है तथा** बहुत से कामों में दस्तावेजी कार्य समाप्त किए जाने के कारण स्टॉफ को काफी राहत मिली है। इससे संगठन की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में लगभग 126.93 लाख दावे निपटाए गए जबकि 2010-11 में यह संख्या 104.79 लाख थी, जो कि 21% अधिक है। लंबित दावों की संख्या में भी कमी आई, जो कि वर्ष 2010 -11 में 6.74 लाख थी और 2011-12 में घटकर 5.7 लाख रह गई। इस अवधि के दौरान कार्यभार से संबंधित लंबितता का प्रतिशत 6.43% से घटकर 4.62 % रह गया। इसी प्रकार वर्ष 2011 में 16.62 करोड़ वार्षिक लेखे बनाए गए, जबकि 2010-11 में यह संख्या 6.06 करोड़ थी। एन.ई.एफ.टी. की शुरुआत के कारण

स्टेशनरी एवं डाक खर्चों में भी काफी राशि की बचत हुई तथा चैक पर हस्ताक्षर करने एवं प्रेषण, चैक रिटर्न संबंधित पत्राचार आदि में भी जनशक्ति की बचत हुई। ई-चालान की शुरुआत के कारण प्राप्तियों से संबंधित रोकड़ समेकन को ऑटोमैटेड किए जाने से मैन्युअल रोकड़ बही तैयार करने में लगने वाले समय में कमी आई। ऑनलाइन एम.आई.एस. प्रणाली के अंतर्गत बेहतर मॉनीटरिंग द्वारा संगठन की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। ई.सी.आर. की शुरुआत की वजह से वर्ष के अंत में वार्षिक लेखें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदस्य के खाते में अंशदान क्रेडिट होते ही उसका खाता अद्यतन हो जाएगा। इस काम में लगने वाली जनशक्ति का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

संस्था के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

1. निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

2. निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

3. निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

4. निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

5. निम्नलिखित कार्यवाही के लिए कार्य शुरू किया गया है -

अध्याय -7

मानव संसाधन प्रबंधन एवं सतर्कता

संगठन के व्यापक ढांचे और स्टाफ के विविध कार्यों एवं श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है। संगठनात्मक ढांचे तथा कार्य के दायित्वों के लिए जनशक्ति की व्यवस्था में अत्यन्त सक्रियता की आवश्यकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने जनशक्ति संसाधनों के प्रबन्ध के लिए कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नीति निर्देशों का अनुसरण प्रमाण एवं तत्पश्चात प्रशिक्षण हेतु करता है। सेवा उन्मुखता के कारण जनशक्ति की मांग सेवा प्रदान करने एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अति संवेदनशील है। दिनांक 31.3.2012 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कुल स्टाफ संख्या 25091 है।

7.2 वर्ष 2011-12 के दौरान अधिकारियों तथा स्टाफ की स्वीकृत संख्या/तथा कार्यरत अधिकारियों/स्टाफ की वर्गवार स्थिति परिशिष्ट ए-37, ए-38 तथा ए-39 में दर्शायी गयी है।

7.3 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के पदों के लिए समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों एवं मार्ग निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियां कार्यान्वित की हैं। 2 जुलाई, 1997 से रिक्ति आधारित रोस्टर का स्थान पद आधारित रोस्टर ने ले लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या की श्रेणीवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका-1												
31.3.2012 तक आरक्षण के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी												
आरक्षण												
वर्ग	स्वीकृत संख्या	कार्यरत स्टाफ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		शारीरिक विकलांग		भूतपूर्व सैनिक	
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
क	1042	762										
ख	6368	5086	722	665	315	299	248	146	74	87	44	04
ग (पूर्व में घ के पद भी सम्मिलित हैं)	17681	13980	2445	3282	971	1429	2070	1449	361	848	626	157
कुल	25091	19828										

क.भ.नि. स्टाफ पेंशनर्स

7.4 दिनांक 31.3.2012 तक कुल 4849 कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही दिनांक 31.3.2012 तक 1756 मृतक कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को पेंशन वितरित की जा रही है।

7.5 दिनांक 31.3.2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भूतपूर्व कर्मचारी तथा मृतक कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य, जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का क्षेत्रवार वर्गीकरण परिशिष्ट ए-40 पर दिया गया है।

परीक्षा प्रभाग

7.6 क.भ.नि. संगठन, मुख्यालय का परीक्षा अनुभाग मुख्य रूप से विभिन्न कैडरों में भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु विभिन्न विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह अनुभाग सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन परीक्षा का भी आयोजन करता है। परीक्षा अनुभाग सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर सीधी भर्ती के कार्य का समन्वय भी करता है।

7.7 सामान्य तौर पर हर वर्ष आयोजित होने वाली विभिन्न विभागीय एवं परिवीक्षा परीक्षाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	क) विभागीय परीक्षाएँ (सामान्यतः हर वर्ष एक परीक्षा)	% कोटा
01	अवर श्रेणी लिपिक	30%
02	सामाजिक सुरक्षा सहायक	15%
03	अनुभाग पर्यवेक्षक	33.1/3%
04	हिंदी अनुवादक (ग्रेड-II)	50%
05	प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी	25%
06	अनुभाग अधिकारी	50%
ख) परिवीक्षा परीक्षाएँ : (प्रत्येक वर्ष दो या अधिक परीक्षाएँ)		
01	सहायक भविष्य निधि आयुक्त	
02	प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी	

क. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 20 जनवरी 2012 तक किया गया जिसमें 55 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

ख. परीक्षा अनुभाग ने अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय परीक्षा हेतु दिनांक 18 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया। किन्तु यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31.03.2013 तक की रिक्तियों को इसमें शामिल किया जाए तथा इस परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए।

ग. वर्ष 2009 -2010 में की गई सीधी भर्ती के उपलब्ध पैनल में से सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद हेतु 253 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को दिनांक 12.05.2011 को जारी किया गया क्योंकि कुछ चुने हुए अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इस सूची के जारी होते ही, सितंबर 2009 की सामाजिक सुरक्षा सहायक सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के पैनल को अन्ततः बन्द कर दिया गया है।

घ. परीक्षा अनुभाग ने सामाजिक सुरक्षा सहायक के कैडर में 1867+76 (खेल -कूद कोटा के अंतर्गत) पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस उद्देश्य के लिए एक प्रतिष्ठित एजेंसी की नियुक्ति की गई तथा रोजगार समाचार में दिनांक 11.02.2012 को विज्ञापन /अधिसूचना जारी की गई। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान एवं तीव्र बनाने के उद्देश्य से पहली बार ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए।

ड अन्य कैडरों, जैसे अनुभाग पर्यवेक्षक तथा प्रवर्तन अधिकारी /लेखा अधिकारी हेतु परीक्षा के आयोजन की आधारभूत प्रक्रिया की शुरुआत इन कैडरों के संबंध में रिक्ति की स्थिति मंगवाने के साथ की गई, जिससे कि इन पदों हेतु 2012- 13 के दौरान विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जा सके।

उत्पादकता सहबद्ध बोनस

7.8 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा उत्पादकता सहबद्ध बोनस का प्रतिपादन किया गया और इस का प्रारंभ वर्ष 1980-81 में हुआ। योजना का प्रथम संशोधन 1986-87 में हुआ। वर्तमान उत्पादकता सहबद्ध बोनस योजना 6 माह की अवधि के लिए वर्ष 1998-99 से कार्यान्वित की गई थी एवं इसमें पुरानी योजना के अनुसार बोनस का प्रावधान है। यदि उत्पादकता इंडेक्स 90 से नीचे चला जाता है, तो बोनस नहीं दिया जाता। योजना में बोनस की गणना प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादकता के आधार पर की जाती है। मुख्यालय के मामले में उत्पादकता सहबद्ध बोनस का मूल्यांकन सभी क्षेत्रों की उत्पादकता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में यह पिछले आठ वर्षों से लागू है।

7.9 वर्ष 2009-10 के लिए प्रत्येक क्षेत्र द्वारा दिए गए उत्पादकता सहबद्ध बोनस का विवरण जिसका भुगतान वर्तमान योजना के आधार पर 2010-11 में एक और वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, परिशिष्ट ए-41 पर है।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण

7.10 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। वर्तमान में इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं। इसी प्रकार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं, जो समूह के अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क अधिकारी मुख्यालय के मुख्य संपर्क अधिकारी को आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न उपलब्ध कराते हैं।

खेलकूद गतिविधियां

7.11 वर्ष 2011-12 के खेलकूद कैलेंडर को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अध्यक्ष केंद्रीय खेलकूद प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया एवं इसे सभी कार्यालयों को कार्यान्वयन हेतु 28.07.2011 को परिचालित किया गया।

7.12 वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमोदित खेलकूद कैलेंडर में से सभी अनुसूचित गतिविधियाँ समय पर आयोजित कर ली गईं। वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित खेलकूद गतिविधियाँ आयोजित की गईं:-

वर्ष 2011-12 दौरान आयोजित खेलकूद गतिविधियों के परिणाम

खेल	मेजबान	विजेता	रनर-अप
एथलेटिक एवं इन्डोर प्रतिस्पर्धा	राजस्थान	कर्नाटक	महाराष्ट्र
फुटबाल	गुवाहाटी	तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल
वालीबॉल	गोवा	गोवा	तमिलनाडु
बास्केट बॉल	गोवा	तमिलनाडु	गुजरात
क्रिकेट	कर्नाटक	महाराष्ट्र	मुख्यालय

7.13 वर्ष 2011-12 में खेल गतिविधियों के लिए क.भ.नि. केन्द्रीय खेल संवर्द्धन बोर्ड को 1.10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। आवश्यकता के अनुसार 1.00 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये केवल) खर्च किए गए। आंचलिक एवं फाइनल प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी तथा विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए क्षेत्रीय खेल संवर्द्धन बोर्डों को 99,49,626/- रु. वितरित किए गए। वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित सभी खेल गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया।

खेलकूद के क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां

7.14 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल संवर्द्धन बोर्ड के साथ सम्बद्ध है। अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल संवर्द्धन बोर्ड के संरक्षण में अखिल भारतीय क.भ.नि. क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में भाग लिया।

स्टाफ कल्याण

7.15 29.12.1989 को आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 121 वीं बैठक के अनुमोदन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सभी स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा एवं कल्याण के उद्देश्य से स्टाफ कल्याण निधि का गठन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कल्याण गतिविधियों के लिए कुल 6.75 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया था, जिसमें वर्ष 2011-12 के लिए विभिन्न क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को 6,74,97,400 रुपये की राशि निम्नलिखित गतिविधियों के लिए आबंटित की गई।

- **स्टाफ मनोरंजन क्लब** - वर्ष 2011-12 दौरान स्टाफ मनोरंजन क्लब पर साज-सामान/फर्नीचर, लाइब्रेरी पुस्तकों की खरीद, भ्रमण तथा नए कार्यालयों में मनोरंजन क्लब स्थापित करने हेतु रुपये 8,72,400/- की राशि खर्च की गई।
- **कैंटीन** - विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों में कैंटीन शीर्ष के अंतर्गत 40,22,000/- की राशि खर्च की गई। क्षेत्रीय कार्यालय की स्टाफ संख्या के आधार पर श्रेणी क से लेकर घ तक की कैंटीन के अनुसार राशि व्यय की गई।
- **छात्रवृत्ति एवं बुक अवार्ड** - कर्मचारियों के बारहवीं कक्षा में 80% प्राप्त करने वाले बच्चों को पढ़ाई जारी रखने पर 6000/- रु. प्रति वर्ष की दर से 90,53,000/- रु. की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के दसवीं व बारहवीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 1500/- रु. की दर पर बुक अवार्ड भी प्रदान किए गए।
- **हॉलीडे होम/गेस्ट हाउस** - शिमला (हिमाचल प्रदेश), पुरी (उड़ीसा), पणजी (गोवा) और कन्याकुमारी (तमिलनाडु) स्थित हॉलीडे होम के रखरखाव के लिए 24,80,000/- रुपये की राशि खर्च की गयी।
- **अन्य गतिविधियाँ** - कार्य के दौरान मृत्यु होने पर परिवार की सहायता, लंबी बीमारी से ग्रस्त स्टाफ की सहायता, दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक आपदाएं, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, क्रैच, सांस्कृतिक सम्मेलन, हॉलीडे कैप तथा कर्मचारियों के अन्य सामान्य हितों के लिए 2,21,50,000/- रुपये आबंटित किए गए।
- **मृत्यु राहत निधि** - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी कर्मचारी की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को मृत्यु राहत निधि के रूप में 2.00 लाख रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.50 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को मृत्यु राहत निधि के रूप में वर्ष 2011-12 में 2,89,00,000/-रु. प्रदान किए गए।

- **स्टाफ कल्याण निधि में से वित्तीय सहायता**

- (क) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला विदाई अनुदान बढ़ाकर 4000/- रु. प्रति कर्मचारी निर्धारित किया गया ।
- (ख) संगठन के 50 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी के लिए बिना किसी आयु सीमा की स्वास्थ्य जांच सुविधा की शुरुआत की गई । प्रत्येक के लिए अधिकतम सीमा 4500/- रु. निर्धारित की गई ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

7.16 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति तथा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में तेजी लाने की दृष्टि से इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- वर्ष 2010 -11 की 413 बैठकों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान संगठन के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 392 तिमाही बैठकें आयोजित की गई । मुख्यालय में चार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (संगठन) की छःमाही बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा कार्य के निष्पादन की समीक्षा की गई ।
- वर्ष के दौरान, मुख्यालय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मुख्यालय सहित संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों, अपर केन्द्रीय आयुक्त कार्यालयों, नाटर्स से प्राप्त चारों तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की है जिसमें कार्य की कोटि एवं गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है । इसमें 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'संतोषजनक' एवं 'खेदजनक' श्रेणी दी जाती है । यह समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है । इस प्रकार पिछले वर्ष 481 की तुलना में इस वर्ष 208 तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा सुनिश्चित की गई ।
- हिन्दी के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देने के लिए 279 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जो गत वर्ष से 57 अधिक हैं । 2859 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण एवं लेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया । उन्हें राजभाषा नीति से भी परिचित कराया गया । यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 550 अधिक है ।
- प्रत्येक कार्यालय में 14 सितम्बर से लेकर 28 सितम्बर 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा 1228 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए तथा इसमें 12,95, 600/- रु की धन राशि व्यय की गई ।
- ख एवं ग क्षेत्र के लिए हिन्दी प्रयोग विभागीय नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना लागू है इसके अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्रमशः अपना 75% एवं 50% कार्यालय संबंधी कार्य हिन्दी में करने पर नकद पुरस्कृत किया जाता है । वर्ष 2009-2010 से पुरस्कार की राशि को 300 /- तथा 400/- से बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया गया है ।
- वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 25% के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्यालय द्वारा वर्ष के दौरान 6 और क्षेत्रीय स्तर पर 64 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । इस प्रकार वर्ष के दौरान 70 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ।
- हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गृह पत्रिका प्रकाशित की जा रही हैं, जिसमें सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी रचनाएं प्रकाशन हेतु देते हैं । मूल रचनाओं के लेखकों (अधिकारियों / कर्मचारियों) को नकद पुरस्कार दिया जाता है । वर्ष के दौरान 30 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं ।
- वित्तीय वर्ष 2011 - 2012 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 3 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया । दिनांक 11.05.2011 को उप क्षेत्रीय कार्यालय दार्जिलिंग, दिनांक 28.10.2011 को क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण), दिनांक 19.01.2012 को क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा का निरीक्षण किया गया ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 92 कार्यालय राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जा चुके हैं ।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत सभी वांछितों को हिंदी भाषा तथा हिंदी टंकण / आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष हिंदी भाषा में प्रशिक्षण के लिए 664 कर्मचारी शेष हैं। हिंदी टंकण में 376 कर्मचारी तथा हिंदी आशुलिपि में 31 कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु शेष हैं।

सतर्कता

7.17 दिनांक 31.1.1976 को हुई केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 68वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सतर्कता मशीनरी का गठन किया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर निदेशक (सतर्कता) के पद का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) के रैंक में पदोन्नयन करते हुए तथा अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के वेतनमान में प्रथम पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) की नियुक्ति 01.09.2006 को की गई। वर्तमान में, सी.वी.ओ की नियुक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव के संवर्ग तथा वेतन में की गई है।

वर्ष के दौरान की गई प्रगति

7.18 वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के दौरान महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :-

कार्य	आदि शेष	नए मामले	निपटान	अंत शेष
शिकायतें - केन्द्रीय सतर्कता आयोग	21	21	28	14
शिकायतें - अन्य	97	98	117	78
निलंबित कर्मचारी	25	27	20	32
स्वीकृत अभियोजन	2	14	13	3
न्यायालय में अभियोजित कार्मिक	180	20	12	188
अनुशासनिक कार्यवाही-मुख्य शास्ति	274	183	87	370
अनुशासनिक कार्यवाही-लघु शास्ति	96	128	106	118

अध्याय -8

ग्राहक सेवा

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (RFD)

प्रधानमंत्री ने "सरकारी विभागों के लिए निष्पादन मॉनीटरिंग एवं जांच प्रणाली (PMES) "की रूपरेखा का अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1331721/पी.एम.ओ./2009-पी.ओ.एल. दिनांक 11.09.2009 द्वारा अनुमोदन कर दिया। पी.एम.ई.एस. के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के लिए परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज (RFD) तैयार करना आवश्यक है।

8.2 परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (RFD) में किसी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित अति महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश उपलब्ध होता है। इस दस्तावेज के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं : (क) संगठन का लक्ष्य प्रक्रियोन्मुख (process - orientation) के स्थान पर परिणामोन्मुख (results - orientation) करना, तथा (ख) वर्ष के अंत में संगठन के समग्र निष्पादन की जांच के लिए एक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष आधार उपलब्ध कराना।

8.3 "संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना " के समग्र उद्देश्य के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दायित्व केन्द्र के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण मापदंडों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है :-

कार्रवाई	सफलता संकेतक
संगठित क्षेत्र के कामगारों को	सभी दावों का (फॉर्म 10 ए/ 10 डी को छोड़कर) 30 दिन के भीतर निपटान।
सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।	मासिक पेंशन दावों (फॉर्म 10 ए/ 10 डी) 30 दिन के भीतर निपटान।
	स्थापनाओं की संख्या में वृद्धि।
	सदस्यता में वृद्धि।

नागरिक चार्टर

8.4 नागरिक चार्टर किसी सरकारी विभाग की एक लिखित घोषणा है, जिसमें उस विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवा स्तरों, ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्पों, शिकायत निपटान के साधनों तथा अन्य संबंधित जानकारी के विषय में बताया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह किसी विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवा के स्तरों से संबंधित प्रतिबद्धता का विवरण होता है।

8.5 हालांकि यह किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, नागरिक चार्टर का लक्ष्य नागरिकों एवं ग्राहकों को इस प्रकार सशक्त बनाना है, जिससे कि वे सेवा के प्रतिबद्ध स्तरों की मांग कर सकें तथा सेवा देने वाले संगठनों द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में उपाय प्राप्त कर सकें। नागरिक चार्टर का मुख्य लक्ष्य जन सेवाओं को नागरिक केन्द्रित बनाने के लिए उन्हें आपूर्ति आधारित के स्थान पर मांग आधारित बनाना।

8.6 प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, कार्मिक जन शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सेवोत्तम (SEVOTTAM) (उत्तम सेवा निष्पादन) को लागू करने के लिए चुने गए नौ विभागों/संगठनों में से एक के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को चुना गया है। इसे लागू करने के अंतर्गत नागरिक चार्टर का निर्माण, नागरिक चार्टर के माध्यम से घोषित सेवास्तरों से संबंधित वितरण क्षमताओं का विकास एवं मॉनीटरिंग तथा जन शिकायतों पर कार्रवाई शामिल हैं।

8.7 नागरिक चार्टर को लागू करने के लिए स्टैक होल्डरों की अपेक्षाओं को एकत्रित करना भी आवश्यक है। चूंकि, सभी दावों के निपटान से संबंधित सेवा स्तरों को पहले ही तीनों योजनाओं यथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976, के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूर्ण रूप से भरे गए दावे की प्राप्ति के लिए 30 दिन की समयावधि उपलब्ध कराई गई है, इसे ही नागरिक चार्टर में लिया गया है। साथ ही सदस्यों से संबंधित अन्य सेवा, वित्तीय वर्ष के पश्चात वर्ष की 30 सितंबर की तिथि को वार्षिक लेखा विवरणी जारी करने हेतु निर्धारित किया गया है तथा इसे भी चार्टर में शामिल किया गया है, जिसे "अधिकारों का विधेयक" शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

8.8 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए नागरिक चार्टर का अनुमोदन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड क.भ.नि. द्वारा दिनांक 23.12.2011 को आयोजित अपनी 197 वीं बैठक में किया गया। इस चार्टर को क.भ.नि.सं. की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

जन शिकायतें

8.9 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लक्ष्य सार्वजनिक प्रबंधन की गुणवत्ता के जरिए वृद्धावस्था सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु अनुपालन के मानदण्डों में साफ - सुथरे, ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ तरीके से निरंतर सुधार करना और लाभ प्रदान करना है तथा ऐसी प्रणाली तैयार करना है जो स्टैकहोल्डरों का हमारी कार्य प्रणाली, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं एकनिष्ठा में विश्वास जीतने के साथ - साथ भारतीयों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में योगदान दे सके।

8.10 संगठन अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निधि के सदस्यों की शिकायतों के निपटान को पर्याप्त महत्व देता है। जन शिकायतों के निपटान के लिए निम्नलिखित माध्यम प्रयोग किए जाते हैं:

- मुख्यालय तथा फील्ड कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रभाग
- फील्ड कार्यालयों में भविष्य निधि अदालतें
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन्टरनेट शिकायत प्रबन्धन तंत्र (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.)
- केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस)

8.11 पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:

	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के आरम्भ में लंबित शिकायतें	1,305	1,047	18,880
वर्ष के दौरान प्राप्त	17,551	1,56,578	2,56,096
कुल	18856	157625	2,74,976
वर्ष के दौरान निपटान	17,809	1,38,745	2,46,224
वर्ष के अंत में बकाया	1,047	18,880	28,752

फील्ड कार्यालयों में भविष्य निधि अदालतें

8.12 निधि के सदस्यों की गंभीर शिकायतों के निपटान के लिए सभी फील्ड कार्यालयों ने "भविष्य निधि अदालतें" आयोजित कीं। "भविष्य निधि अदालतें" प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित की जाती हैं तथा अगर 10 तारीख को छुट्टी हो, तो ये अदालतें अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं। भविष्य निधि अदालतें कार्यालय परिसर में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा साथ ही कार्यालयों से दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए कार्यालय परिसर से बाहर भी उनका आयोजन किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान "भविष्य निधि अदालतों" के समक्ष प्रस्तुत की गयी शिकायतें तथा निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :-

	2009-10	2010-11	2011-12
आयोजित की गई भविष्य निधि अदालतों की संख्या	1,495	1,270	1,410
भविष्य निधि अदालतों में दर्ज शिकायतों की संख्या	7,436	5,622	5,203
भविष्य निधि अदालतों में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	7,257	5,452	5,128

शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण व निवारण

केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस)

8.13 सी पी जी आर ए एम एस कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित कार्यक्रम है। शिकायत निवारण तंत्र के क्षेत्र में यह सभी महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों को सेवा प्रदान करती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। सभी क.भ.नि. कार्यालय नियमित रूप से सी पी जी आर ए एम एस मामलों की मॉनीटरिंग एवं निपटान कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन तंत्र (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.)

8.14 ग्राहक सेवा प्रभाग ने 5 मई, 2010 को ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. की शुरूआत की जो कि एक इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित किया गया है। ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. का विकास एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जो कि शिकायतों के अंतिम निपटान तक उनका रिकार्ड, पावती तथा ट्रेक/ मॉनीटर करने में सक्षम हो।

सूचना का अधिकार

8.15 क.भ.नि. संगठन ने अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों के निर्वाह हेतु प्रत्येक फील्ड कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय के प्रत्येक प्रभाग के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (CPIO), केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों (CAPIO) तथा अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों की सूची क.भ.नि.संगठन की वेबसाइट : www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है।

8.16 वित्तीय वर्ष 2011-12 में निपटाए गए सूचना अनुरोधों का विवरण परिशिष्ट ए -42 में दिया गया है।

अध्याय -9

सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षा

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 56, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुच्छेद 30 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अनुसार प्रशासनिक लेखे एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय सहित निधि के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी ।

- 9.2 तदनुसार, मुख्यालय का लेखा परीक्षा प्रभाग प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों की संबंधित राज्यों के महालेखाकारों द्वारा की जाने वाली नियमित लेखा परीक्षा को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करता है । संगठन के लेखों एवं कार्रवाई की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्गदर्शन में महानिदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है । लेखा परीक्षा प्रभाग मुख्यालय के प्रत्येक प्रभाग द्वारा महालेखाकार की लेखा परीक्षा पार्टियों को समय पर उत्तर दिए जाने की मॉनीटरिंग करता है । लेखा परीक्षा पार्टी विभिन्न क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों के राज्य महालेखा परीक्षक द्वारा बताए गए बकाया लेखा परीक्षा पैरों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए पैरों को गंभीरतापूर्वक मॉनीटर भी करती है। वर्ष 2011-12 के अंत में 1447 लेखा परीक्षा पैरा बकाया थे। वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा पैरों की क्षेत्रवार स्थिति परिशिष्ट ए - 43 में दी गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

- 9.3 मुख्यालय का लेखा परीक्षा प्रभाग आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों के लेखा परीक्षा को मॉनीटर करता है ।

- 9.4 वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा कार्यालयों की लेखापरीक्षा में प्राप्त सफलता की स्थिति निम्नलिखित है :-

आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या	2010-11 की लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान की जाने वाली लेखापरीक्षा हेतु कार्यालयों की संख्या	2011-12 के दौरान 2010-2011 तक के लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु शेष कार्यालयों की संख्या
11	129	126	उपक्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग, लक्ष्मी नगर एवं नोएडा

- 9.5 31.03.2012 तक आंतरिक लेखापरीक्षा के 9214 पैरा बकाया थे। वर्ष 2011- 12 के दौरान लेखापरीक्षा पैरों की क्षेत्रवार स्थिति परिशिष्ट ए - 44 में दी गई है।

परिशिष्ट

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य			
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) का 5 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया तथा अधिसूचना सं.४-20012/1/2008-एस एस-II दिनांक 13.05.2008 के द्वारा भारत के गजट में अधिसूचित किया गया ।			
अध्यक्ष		राज्य सरकार के प्रतिनिधि	
1.	श्री मल्लिकार्जुन खड्गे, श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग , नई दिल्ली -110001.	8.	सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार , श्रम एवं रोजगार विभाग, हेबराबाद - 500022
उपाध्यक्ष			
2.	श्री हरीश रावत, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग , नई दिल्ली -110001	9.	सचिव, असम सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, डी ब्लाक तीसरी मंजिल, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी 781005 (असम)
सदस्य		10.	सचिव, बिहार सरकार, श्रम, प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना - 800 015
केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि			
3	श्री पी.सी. चतुर्वेदी , सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग , नई दिल्ली -110001		
4	श्री रवि माथुर, अपर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली -110001	11.	प्रधान सचिव, गुजरात सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग, नया सचिवालय ,सरदार पटेल भवन, ब्लाक न. 5 , छठी मंजिल गाँधी नगर -382010.
5.	श्री एस.के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली -110001	12	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग, कमरा न. 235, तीसरी मंजिल , नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017
6.	श्री तरुण बजाज, संयुक्त सचिव, (बीमा एवं पेंशन) आर्थिक मामलों संबंधी विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार, नई दिल्ली -110001	13.	सचिव , कर्नाटक सरकार , श्रम विभाग, 414, चौथी मंजिल, विकास सौध, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर चौथी बंगलौर- 560 001.
7.	श्री चमन कुमार, वित्तीय सलाहकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार , नई दिल्ली -110001	14.	प्रधान सचिव , श्रम मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।

15	प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, कमरा नं. 620, एनेक्सी, छठी मंजिल, मंत्रालय, मुंबई - 400032.		नियोक्ताओं के प्रतिनिधि
16	सचिव, उद्योग, श्रम एवं रोजगार विभाग, मुंबई - 751001	23	श्री जे.पी. चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैसर्स टीएमए स्टील्स लि., 113, पाके स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
17	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, कमरा नं. 510, छठी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर - 9, चंडीगढ़.	24	डॉ. राम एस. तरनेजा, फ्लैट नं. 2102, प्लेनेट गोबरेज, एक्वा टॉवर-II, के.के. मार्ग, जेकब सर्कल, महालक्ष्मी, मुंबई - 400011 (महाराष्ट्र)
18	सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं रोजगार प्रशासनिक सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)	25	श्री शरद पाटिल, महासचिव, (सी.आई.ई.) कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया, 204, जुआना, 10, मैनुअल गोनसाल्विस रोड, बान्द्रा परियम, मुंबई - 400 050.
19	सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चेन्नई - 600 009	26	डॉ. यू.डी. चौबे, महानिदेशक (स्कोप), कोर- 2, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
20	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार, “बापू भवन” लखनऊ - 226 001	27	श्री संतोष सराफ, 108, स्टैंडर्ड हाउस, 83, महर्षि कारवे रोड, मुंबई-400002.
21	प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राईटर्स बिल्डिंग, कोलकाता - 700001	28	श्री पी.राजेन्द्रन (सी.आई.आई.) एन.आई. आई. टी. लि. नं. 85, सेक्टर - 32 इन्स्टीट्यूशनल, गुडगांव - 122001 (हरियाणा)
22	सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्रम विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली- 110054	29	श्री बी.पी. पन्त, सचिव, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन, फेडरेशन हाउस, V/10, एनसीआईआरटी कैम्पस, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली - 110016.
31	श्री दीपक सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फैसी, “स्वप्न विला” 87/48-ए, बोस पुकुर रोड, कोलकाता - 700042.	30	श्री बाबूलाल बी. टोडी, प्रबंध निदेशक, मैसर्स टोडी एस्टेट, सनमिल कम्पाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.
32	श्री रवि बिग, पीएचडीसीसीआई, मकान नं. 618, सेक्टर 21 ए, फरिदाबाद (हरियाणा)	38	श्री डॉ.एल.सचदेव, सचिव, एआईटी यू सी, 35-36 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002

कर्मचारियों के प्रतिनिधि		39	श्री ए.डी. नागपाल सचिव, हिंद मजदूर सभा, 1181, सेक्टर - 43-बी, चंडीगढ़ - 160 022
33	श्री गिरिश अवरुयी, अखिल भारतीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मकान न. 196/ए (2) शक्ति विहार, कल्याणपुर, कानपुर -208 001 (उ.प्र.)	40	श्री दीपांकर मुखर्जी, सचिव, सोडू, बी.टी. रणदिवे भवन, 13ए, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली -110002
34	श्री बी.एन. रॉय , अखिल भारतीय सचिव, भारतीय मजदूर संघ , 116, बक्कर महल ,बैरकपुर एन. 24 परगना (प.बं.) कोलकाता-700120	41	श्री शंकर साह , सचिव, अखिल भारतीय समिति , यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर , लेनिन सराणी, 77/2/1, लेनिन सराणी, (प्रथम तल) कोलकाता -700 013
35	श्री एम. जगदीश्वर राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य., बी.एम.एस., डी. न. 31-3-3/2, गोबरी नगर, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के सामने , कुरमत्रापलम, विशाखापटनम-530046 (आंध्र.प्र.).	42	श्री निर्मल घोष, सदस्य इंटरक, 2, ह्यूवर चटर्जी रोड, पी.ओ. सोदपुर- 743178
36	डॉ. जी. संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस , 6/8, लेह बरकतपुर, हैदराबाद-500 027	43	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय , भविष्य निधि भवन, 14- धोकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
37	श्री अशोक सिंह, सचिव , इंटरक, नं. 435, विष्वास खंड - III, गोमती नगर , लखनऊ		

कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्यों का पता			
अध्यक्ष		नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (3)	
1.	डॉ. मृत्युंजय सारंगी, सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001	8.	श्री संतोष सराफ, 108, स्टैन्डर्ड हाउस, 83, महर्षि कारवे रोड, मुम्बई-400002.
केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि (2)			
2.	श्री रवि माथुर, अपर सचिव, भारत सरकार (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली- 110 001	9.	श्री रवि बिग, पीएचडीसीसीआई, मकान नं. 618, सेक्टर 21 ए, फरीदाबाद (हरियाणा)
3.	श्री पी.के. पुजारी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001.	10.	डॉ. जी. संजीव रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 6/8, लेह बरकतपुर, हैदराबाद-500 027
राज्य सरकार के प्रतिनिधि (3)		कर्मचारियों के प्रतिनिधि (3)	
4.	सचिव, असम सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, डी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी - 781005 (असम)	11.	श्री गिरीश अवस्थी, अखिल भारतीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मकान नं. 196/ ए (2) शक्ति विहार, कल्याणपुर, कानपुर -208 001 (उ.प्र.)
5.	सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं रोजगार प्रशासनिक सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)	12.	श्री डी.एल. सचदेव, सचिव, एआईटी यू सी, 35-36 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6.	सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चेन्नई -600 009	13.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14- मीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
7	डॉ. यू. डी. चोबे, महानिदेशक (स्कोप), क्वोर- 2, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003		

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि दावों का निपटान (अच्छूट प्राप्त क्षेत्र)								
क्षेत्र	कार्यभार	लौटए गए / निरस्त	लौटए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्य - भार	निपटए गए दावे	निवल कार्यभार पर दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	64353	16095	25.01%	48258	44816	92.87%	3442	7.13%
दिल्ली (उत्तर)	194003	32877	16.95%	161126	146254	90.77%	14872	9.23%
दिल्ली (दक्षिण)	229542	45163	19.68%	184379	166839	90.49%	17540	9.51%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	487898	94135	19.29%	393763	357909	90.89%	35854	9.11%
यडौगड	93169	18570	19.93%	74599	73012	97.87%	1587	2.13%
लुधियाना	106049	19941	18.80%	86108	84546	98.19%	1562	1.81%
शिमला	45626	10995	24.10%	34631	33783	97.55%	848	2.45%
आं.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	244844	49506	20.22%	195338	191341	97.95%	3997	2.05%
कानपुर	86503	19641	22.71%	66862	64547	96.54%	2315	3.46%
मेरठ	162574	28134	17.31%	134440	127351	94.73%	7089	5.27%
पटना	18174	5580	30.70%	12594	11367	90.26%	1227	9.74%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	267251	53355	19.96%	213896	203265	95.03%	10631	4.97%
फरीदाबाद	143412	31209	21.76%	112203	109878	97.93%	2325	2.07%
गुडगांव	204463	40087	19.61%	164376	152010	92.48%	12366	7.52%
जयपुर	127056	27151	21.37%	99905	97652	97.74%	2253	2.26%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	474931	98447	20.73%	376484	359540	95.50%	16944	4.50%
अहमदाबाद	181489	34602	19.07%	146887	142322	96.89%	4565	3.11%
बड़ौदा	64145	11669	18.19%	52476	51657	98.44%	819	1.56%
इंदौर	120982	22511	18.61%	98471	98471	100.00%	0	0.00%
सुरत	118707	25231	21.25%	93476	89816	96.08%	3660	3.92%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	485323	94013	19.37%	391310	382266	97.69%	9044	2.31%
कोयंबटूर	223401	56654	25.36%	166747	164122	98.43%	2625	1.57%
मुम्बई-1, बांद्रा	324178	46851	14.45%	277327	242273	87.36%	35054	12.64%
मुम्बई-1, धाणे	183020	43336	23.68%	139684	136005	97.37%	3679	2.63%
नागपुर	101202	19919	19.68%	81283	79303	97.56%	1980	2.44%
पुणे	291671	54451	18.67%	237220	225072	94.88%	12148	5.12%
रायपुर	33791	7680	22.73%	26111	26058	99.80%	53	0.20%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1157263	228891	19.78%	928372	872833	94.02%	55539	5.98%
बंगलूर	216629	30354	14.01%	186275	173371	93.07%	12904	6.93%
मूलबर्गा	45122	8086	17.92%	37036	35954	97.08%	1082	2.92%
मंगलूर	101356	12599	12.43%	88757	84932	95.69%	3825	4.31%
पणजी	36016	5642	15.67%	30374	29379	96.72%	995	3.28%
पोण्या	350836	57537	16.40%	293299	279667	95.35%	13632	4.65%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	749959	114218	15.23%	635741	603303	94.90%	32438	5.10%
भुवनेश्वर	57261	11494	20.07%	45767	43304	94.62%	2463	5.38%
मुन्दर	114355	24139	21.11%	90216	87504	96.99%	2712	3.01%
हैदराबाद	285117	61836	21.69%	223281	210796	94.41%	12485	5.59%
चिन्नामाबाद	45195	7614	16.85%	37581	37048	98.58%	533	1.42%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	501928	105083	20.94%	396845	378652	95.42%	18193	4.58%
चेन्नै	286117	50926	17.80%	235191	210929	89.68%	24262	10.32%
कोयम्बटूर	183593	36934	20.12%	146659	139183	94.90%	7476	5.10%
मडुरै	125512	16341	13.02%	109171	107403	98.38%	1768	1.62%
ताम्वरम	120319	19197	15.96%	101122	98420	97.33%	2702	2.67%
तिरुवनंतपुरम्	132594	22571	17.02%	110023	105339	95.74%	4684	4.26%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	848135	145969	17.21%	702166	661274	94.18%	40892	5.82%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	22998	7723	33.58%	15275	14745	96.53%	530	3.47%
जलपाईगुडी	79953	19642	24.57%	60311	56537	93.74%	3774	6.26%
कोलकाता	121695	21343	17.54%	100352	98101	97.76%	2251	2.24%
रांची	47082	12820	27.23%	34262	32150	93.84%	2112	6.16%
आं.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड)	271728	61528	22.64%	210200	201533	95.88%	8667	4.12%
अखिल भारतीय	5489260	1045145	19.04%	4444115	4211916	94.78%	232199	5.22%

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत प्रदत्त आंशिक निकासी (अच्छूट प्राप्त क्षेत्र)								
क्षेत्र	कार्यभार	लौटए गए/निरस्त किए गए	लौटए गए/निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निव्वल कार्यभार	निपटए गए दावे	निव्वल कार्यभार पर दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे	निव्वल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	4917	1070	21.76%	3847	3712	96.49%	135	3.51%
दिल्ली (उत्तर)	5402	1165	21.57%	4237	3806	89.83%	431	10.17%
दिल्ली (दक्षिण)	3389	1017	30.01%	2372	2097	88.41%	275	11.59%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	13708	3252	23.72%	10456	9615	91.96%	841	8.04%
चंडीगढ़	11117	1553	13.97%	9564	9440	98.70%	124	1.30%
लुधियाना	7646	1656	21.66%	5990	5881	98.18%	109	1.82%
सिमला	2433	695	28.57%	1738	1690	97.24%	48	2.76%
आं.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	21196	3904	18.42%	17292	17011	98.37%	281	1.63%
कानपुर	14562	2290	15.73%	12272	11897	96.94%	375	3.06%
मेरठ	19295	2463	12.76%	16832	16361	97.20%	471	2.80%
पटना	3044	622	20.43%	2422	2263	93.44%	159	6.56%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	36901	5375	14.57%	31526	30521	96.81%	1005	3.19%
फरीदाबाद	8882	1786	20.11%	7096	7082	99.80%	14	0.20%
गुडगांव	6493	1397	21.52%	5096	4810	94.39%	286	5.61%
जयपुर	7806	1918	24.57%	5888	5776	98.10%	112	1.90%
आं.का. (हरियाणा एवं अहमदाबाद)	5550	1458	26.27%	4092	3944	96.38%	148	3.62%
बड़ोदा	2417	704	29.13%	1713	1685	98.37%	28	1.63%
इंदौर	15754	4145	26.31%	11609	11609	100.00%	0	0.00%
सुरत	5965	1143	19.16%	4822	4659	96.62%	163	3.38%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	29686	7450	25.10%	22236	21897	98.48%	339	1.52%
कोटिक्ली	7330	2038	27.80%	5292	5089	96.16%	203	3.84%
मुम्बई- I, बांद्रा	4408	1278	28.99%	3130	2635	84.19%	495	15.81%
मुम्बई- II, याणे	3373	1287	38.16%	2086	2009	96.31%	77	3.69%
नागपुर	11924	3300	27.68%	8624	8306	96.31%	318	3.69%
पुणे	9964	3197	32.09%	6767	6304	93.16%	463	6.84%
रायपुर	3086	687	22.26%	2399	2399	100.00%	0	0.00%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं बंगलौर)	40085	11787	29.41%	28298	26742	94.50%	1556	5.50%
गुलबर्गा	5140	1131	22.00%	4009	3921	97.80%	88	2.20%
मंगलौर	6438	1370	21.28%	5068	4802	94.75%	266	5.25%
पणजी	1021	282	27.62%	739	714	96.62%	25	3.38%
पीण्हा	4763	1286	27.00%	3477	3227	92.81%	250	7.19%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	21411	5335	24.92%	16076	15197	94.53%	879	5.47%
मुचनेन्वर	13738	2486	18.10%	11252	10745	95.49%	507	4.51%
मुन्दूर	12930	2731	21.12%	10199	9930	97.36%	269	2.64%
हैदराबाद	12053	3878	32.17%	8175	7711	94.32%	464	5.68%
निजामाबाद	3335	573	17.18%	2762	2711	98.15%	51	1.85%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	42056	9668	22.99%	32388	31097	96.01%	1291	3.99%
चेन्नै	10457	2494	23.85%	7963	7495	94.12%	468	5.88%
कोयम्बतूर	22073	4258	19.29%	17815	17250	96.83%	565	3.17%
मद्रुरै	7857	1768	22.50%	6089	5947	97.67%	142	2.33%
ताम्वरम	16068	4551	28.32%	11517	9282	80.59%	2235	19.41%
तिरुवनंतपुरम्	35145	7759	22.08%	27386	26495	96.75%	891	3.25%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	91600	20830	22.74%	70770	66469	93.92%	4301	6.08%
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	6151	1314	21.36%	4837	4723	97.64%	114	2.36%
जलपाईगुड़ी	9255	1125	12.16%	8130	8048	98.99%	82	1.01%
कोलकाता	9671	1779	18.40%	7892	7750	98.20%	142	1.80%
रांची	4161	939	22.57%	3222	3064	95.10%	158	4.90%
आं.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल क्षेत्र एवं झारखंड)	29238	5157	17.64%	24081	23585	97.94%	496	2.06%
अखिल भारतीय	349062	77859	22.31%	271203	259802	95.80%	11401	4.20%

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत अंतरण दावों का निपटन (अच्छ प्राप्त क्षेत्र)								
क्षेत्र	कार्यभार	लौटए गए/ निरस्त किए गए	लौटए गए/ निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निकल कार्यभार	निपटए गए दावे	निकल कार्यभार पर दावों के निपटन का अनुपात	लंबित दावे	निकल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	11137	3373	30.29%	7764	6876	88.56%	888	11.44%
दिल्ली (उत्तर)	30240	8053	26.63%	22187	18707	84.32%	3480	15.68%
दिल्ली (दक्षिण)	37162	14712	39.59%	22450	18359	81.78%	4091	18.22%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	78539	26138	33.28%	52401	43942	83.86%	8459	16.14%
चंडीगढ़	15671	3765	24.03%	11906	11524	96.79%	382	3.21%
गुजरात	10758	4012	37.29%	6746	6612	98.01%	134	1.99%
शिमला	7641	2801	36.66%	4840	4449	91.92%	391	8.08%
आं.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	34070	10578	31.05%	23492	22585	96.14%	907	3.86%
कानपुर	22465	7951	35.39%	14514	13417	92.44%	1097	7.56%
मेरठ	27310	8125	29.75%	19185	16976	88.49%	2209	11.51%
पटना	3090	1551	50.19%	1539	1333	86.61%	206	13.39%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	52865	17627	33.34%	35238	31726	90.03%	3512	9.97%
फरीदाबाद	30320	8690	28.66%	21630	20912	96.68%	718	3.32%
गुडगांव	41722	18060	43.29%	23662	20860	88.16%	2802	11.84%
जयपुर	27884	8551	30.67%	19333	18358	94.96%	975	5.04%
आं.का. (हरियाणा एवं)	99926	35301	35.33%	64625	60130	93.04%	4495	6.96%
अहमदाबाद	29837	8490	28.45%	21347	20024	93.80%	1323	6.20%
बड़ोदा	9649	3939	40.82%	5710	5521	96.69%	189	3.31%
इंदौर	20352	6202	30.47%	14150	14150	100.00%	0	0.00%
सुरत	10844	4372	40.32%	6472	5994	92.61%	478	7.39%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	70682	23003	32.54%	47679	45689	95.83%	1990	4.17%
कांदिवाली	37695	26737	70.93%	10958	9730	88.79%	1228	11.21%
मुम्बई- I, बांद्रा	77956	36544	46.88%	41412	25662	61.97%	15750	38.03%
मुम्बई- II, थाणे	16802	7172	42.69%	9630	8935	92.78%	695	7.22%
नागपुर	16009	8030	50.16%	7979	7589	95.11%	390	4.89%
पुणे	72616	29011	39.95%	43605	38878	89.16%	4727	10.84%
रायपुर	9382	2726	29.06%	6656	6648	99.88%	8	0.12%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं)	230460	110220	47.83%	120240	97442	81.04%	22798	18.96%
बंगलूर	64307	35408	55.06%	28899	23589	81.63%	5310	18.37%
गुलबर्गा	14821	5453	36.79%	9368	9042	96.52%	326	3.48%
मंगलूर	19102	5223	27.34%	13879	13286	95.73%	593	4.27%
पणजी	4684	1668	35.61%	3016	2919	96.78%	97	3.22%
पोणया	86682	39666	45.76%	47016	38885	82.71%	8131	17.29%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	189596	87418	46.11%	102178	87721	85.85%	14457	14.15%
पुवनेश्वर	20679	8410	40.67%	12269	11429	93.15%	840	6.85%
गुन्डूर	22950	8787	38.29%	14163	13491	95.26%	672	4.74%
हैदराबाद	54201	27824	51.33%	26377	22960	87.05%	3417	12.95%
निजामाबाद	8688	3567	41.06%	5121	5072	99.04%	49	0.96%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	106518	48588	45.61%	57930	52952	91.41%	4978	8.59%
चेन्नै	67097	21007	31.31%	46090	40485	87.84%	5605	12.16%
कोयंबतूर	35105	12464	35.50%	22641	20756	91.67%	1885	8.33%
मदुरै	18404	4368	23.73%	14036	13458	95.88%	578	4.12%
ताम्वरम	24295	7255	29.86%	17040	16259	95.42%	781	4.58%
तिरुवनंतपुरम्	26566	10701	40.28%	15865	14531	91.59%	1334	8.41%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	171467	55795	32.54%	115672	105489	91.20%	10183	8.80%
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	2050	1225	59.76%	825	658	79.76%	167	20.24%
जलपाईगुड़ी	2605	1669	64.07%	936	909	97.12%	27	2.88%
कोलकाता	19736	11556	58.55%	8180	7446	91.03%	734	8.97%
रांची	5799	2804	48.35%	2995	2816	94.02%	179	5.98%
आं.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल क्षेत्र एवं झारखंड)	30190	17254	57.15%	12936	11829	91.44%	1107	8.56%
अखिल भारतीय	1064313	431922	40.58%	632391	559505	88.47%	72886	11.53%

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन दावों का निपटान (अच्छूट प्राप्त क्षेत्र)								
क्षेत्र	कार्यभार	लॉटए गए/निरस्त किए गए	लॉटए गए/निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवर्तित कार्यभार	निपटए गए दावे	निवर्तित कार्यभार पर दावों के निपटान का अनुपात	लॉबित दावे	निवर्तित कार्यभार पर लॉबित दावों का अनुपात
देहरादून	6086	1734	28.49%	4352	4039	92.81%	313	7.19%
दिल्ली (उत्तर)	13411	3977	29.65%	9434	8226	87.20%	1208	12.80%
दिल्ली (दक्षिण)	6204	2843	45.83%	3361	2740	81.52%	621	18.48%
ऑ. का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	25701	8554	33.28%	17147	15005	87.51%	2142	12.49%
चंडीगढ़	6101	2345	38.44%	3756	3657	97.36%	99	2.64%
लुधियाना	9880	2742	27.75%	7138	7006	98.15%	132	1.85%
शिमला	2324	1242	53.44%	1082	1076	99.45%	6	0.55%
ऑ. का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	18305	6329	34.58%	11976	11739	98.02%	237	1.98%
कानपुर	27585	8301	30.09%	19284	18175	94.25%	1109	5.75%
मेरठ	17724	6446	36.37%	11278	10509	93.18%	769	6.82%
पटना	6586	2021	30.69%	4565	4052	88.76%	513	11.24%
ऑ. का. (उ.प्र. एवं बिहार)	51895	16768	32.31%	35127	32736	93.19%	2391	6.81%
फरीदाबाद	8426	3485	41.36%	4941	4897	99.11%	44	0.89%
गुडगांव	4283	1762	41.14%	2521	2175	86.28%	346	13.72%
जयपुर	15656	7602	48.56%	8054	7740	96.10%	314	3.90%
ऑ. का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	28365	12849	45.30%	15516	14812	95.46%	704	4.54%
अहमदाबाद	22840	6752	29.56%	16088	15551	96.66%	537	3.34%
बड़ोदा	7056	2380	33.73%	4676	4518	96.62%	158	3.38%
इंदौर	17785	7983	44.89%	9802	9800	99.98%	2	0.02%
सुरत	6594	2639	40.02%	3955	3790	95.83%	165	4.17%
ऑ. का. (गुजरात एवं म.प्र.)	54275	19754	36.40%	34521	33659	97.50%	862	2.50%
काठिवाली	21399	9983	46.65%	11416	9832	86.12%	1584	13.88%
मुम्बई- I, चांदी	38409	8596	22.38%	29813	14844	49.79%	14969	50.21%
मुम्बई- II, थाणे	15261	7067	46.31%	8194	7775	94.89%	419	5.11%
नागपुर	18892	7972	42.20%	10920	10429	95.50%	491	4.50%
पुणे	30827	13517	43.85%	17310	16273	94.01%	1037	5.99%
रावपुर	6600	2015	30.53%	4585	4584	99.98%	1	0.02%
ऑ. का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	131388	49150	37.41%	82238	63737	77.50%	18501	22.50%
बंगलौर	11656	4308	36.96%	7348	5501	74.86%	1847	25.14%
गुलबर्गा	10086	4012	39.78%	6074	5774	95.06%	300	4.94%
मंगलौर	17757	5604	31.56%	12153	11110	91.42%	1043	8.58%
पणजी	2469	1072	43.42%	1397	1291	92.41%	106	7.59%
पोण्वा	9325	3915	41.98%	5410	4460	82.44%	950	17.56%
ऑ. का. (कर्नाटक एवं गोवा)	51293	18911	36.87%	32382	28136	86.89%	4246	13.11%
धुबनगर	13268	4716	35.54%	8552	7374	86.23%	1178	13.77%
गुन्डूर	24908	9270	37.22%	15638	14533	92.93%	1105	7.07%
हैदराबाद	24231	9660	39.87%	14571	13455	92.34%	1116	7.66%
निजामाबाद	22125	5579	25.22%	16546	16359	98.87%	187	1.13%
ऑ. का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	84532	29225	34.57%	55307	51721	93.52%	3586	6.48%
चेन्नै	15755	6466	41.04%	9289	8179	88.05%	1110	11.95%
कोयंबटूर	26538	11456	43.17%	15082	14093	93.44%	989	6.56%
मद्रास	16222	5220	32.18%	11002	10774	97.93%	228	2.07%
ताम्वरम	9645	3841	39.82%	5804	5484	94.49%	320	5.51%
तिरुवनंतपुरम्	34744	13624	39.21%	21120	19900	94.22%	1220	5.78%
ऑ. का. (तमिलनाडु एवं केरल)	102904	40607	39.46%	62297	58430	93.79%	3867	6.21%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	6227	2566	41.21%	3661	3370	92.05%	291	7.95%
जलपाईगुडी	11961	4676	39.09%	7285	6786	93.15%	499	6.85%
कोलकाता	43867	9712	22.14%	34155	33093	96.89%	1062	3.11%
रांची	13260	3657	27.58%	9603	9091	94.67%	512	5.33%
ऑ. का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड)	75315	20611	27.37%	54704	52340	95.68%	2364	4.32%
अखिल भारतीय	623973	222758	35.70%	401215	362315	90.30%	38900	9.70%

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सभी दावे (मासिकपेंशन दावों को छोड़कर) (अकूट प्राप्त)								
क्षेत्र	कार्यभार	लौटए गए/ निरस्त किए गए	लौटए गए/ निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवृत्त कार्यभार	निपटए गए दावे	निवृत्त कार्यभार पर दावों के निपटन का अनुपात	लंबित दावे	निवृत्त कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	61248	19563	31.94%	41685	38369	92.05%	3316	7.95%
दिल्ली (उत्तर)	181605	41753	22.99%	139852	126171	90.22%	13681	9.78%
दिल्ली (दक्षिण)	220287	60305	27.38%	159982	143236	89.53%	16746	10.47%
ऑ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	463140	121621	26.26%	341519	307776	90.12%	33743	9.88%
चंडीगढ़	82072	19637	23.93%	62435	61607	98.67%	828	1.33%
लुधियाना	98201	22106	22.51%	76095	74929	98.47%	1166	1.53%
शिमला	43623	13112	30.06%	30511	29695	97.33%	816	2.67%
ऑ.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	223896	54855	24.50%	169041	166231	98.34%	2810	1.66%
कानपुर	67213	18767	27.92%	48446	46636	96.26%	1810	3.74%
मेरठ	142250	34549	24.29%	107701	101683	94.41%	6018	5.59%
पटना	12713	4306	33.87%	8407	7444	88.55%	963	11.45%
ऑ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	222176	57622	25.94%	164554	155763	94.66%	8791	5.34%
फरीदाबाद	129189	35753	27.67%	93436	92950	99.48%	486	0.52%
गुडगांव	194353	50843	26.16%	143510	131312	91.50%	12198	8.50%
जयपुर	116965	32149	27.49%	84816	84425	99.54%	391	0.46%
ऑ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	440507	118745	26.96%	321762	308687	95.94%	13075	4.06%
अहमदाबाद	167056	40714	24.37%	126342	122268	96.78%	4074	3.22%
बड़ौदा	60058	14019	23.34%	46039	45252	98.29%	787	1.71%
इंदौर	101296	25396	25.07%	75900	75899	100.00%	1	0.00%
सुरत	110753	29478	26.62%	81275	78851	97.02%	2424	2.98%
ऑ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	439163	109607	24.96%	329556	322270	97.79%	7286	2.21%
कादिवली	211874	69986	33.03%	141888	135458	95.47%	6430	4.53%
मुम्बई- I, बांद्रा	351972	61506	17.47%	290466	244917	84.32%	45549	15.68%
मुम्बई- II, वाण	175091	49052	28.02%	126039	122448	97.15%	3591	2.85%
नागपुर	82728	23987	29.00%	58741	57035	97.10%	1706	2.90%
पुणे	259976	67512	25.97%	192464	181510	94.31%	10954	5.69%
रायपुर	31159	8777	28.17%	22382	22348	99.85%	34	0.15%
ऑ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1112800	280820	25.24%	831980	763716	91.79%	68264	8.21%
बंगलूर	235322	43894	18.65%	191428	177767	92.86%	13661	7.14%
गुलबर्गा	40043	8750	21.85%	31293	30413	97.19%	880	2.81%
यंगलूर	85023	15774	18.55%	69249	66215	95.62%	3034	4.38%
पणजी	32981	7401	22.44%	25580	24902	97.35%	678	2.65%
पोण्णा	362536	76964	21.23%	285572	271728	95.15%	13844	4.85%
ऑ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	755905	152783	20.21%	603122	571025	94.68%	32097	5.32%
भुवनेश्वर	45158	11193	24.79%	33965	32002	94.22%	1963	5.78%
गुन्टूर	102278	26121	25.54%	76157	73792	96.89%	2365	3.11%
हैदराबाद	271042	68476	25.26%	202566	190146	93.87%	12420	6.13%
निजामाबाद	34062	7413	21.76%	26649	26302	98.70%	347	1.30%
ऑ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	452540	113203	25.02%	339337	322242	94.96%	17095	5.04%
चेन्नै	272949	61472	22.52%	211477	188748	89.25%	22729	10.75%
कोयंबतूर	169930	45131	26.56%	124799	117893	94.47%	6906	5.53%
मद्रास	116772	21316	18.25%	95456	93873	98.34%	1583	1.66%
ताम्वरम	114956	25091	21.83%	89865	87469	97.33%	2396	2.67%
तिरुवनंतपुरम्	109378	27682	25.31%	81696	77561	94.94%	4135	5.06%
ऑ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	783985	180692	23.05%	603293	565544	93.74%	37749	6.26%
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	18899	6790	35.93%	12109	11740	96.95%	369	3.05%
जलपाईगुड़ी	53814	17328	32.20%	36486	32695	89.61%	3791	10.39%
कोलकाता	105155	22051	20.97%	83104	81259	97.78%	1845	2.22%
रोप्री	42180	14186	33.63%	27994	26256	93.79%	1738	6.21%
ऑ.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल क्षेत्र एवं झारखंड)	220048	60355	27.43%	159693	151950	95.15%	7743	4.85%
अखिल भारतीय	5114160	1250303	24.45%	3863857	3635204	94.08%	228653	5.92%

कर्मचारी निक्षेप सहबन्ध बीमा योजना दावे (अकूट प्राप्त क्षेत्र)								
क्षेत्र	कार्यभार	लौटिए गए/ निरस्त किए गए	लौटिए गए/ निरस्त किए गए दावों का	निवर्त कार्यभार	निपटारिए गए दावे	निवर्त कार्यभार पर दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे	निवर्त कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	604	290	48.01%	314	275	87.58%	39	12.42%
दिल्ली (उत्तर)	1324	653	49.32%	671	612	91.21%	59	8.79%
दिल्ली (दक्षिण)	932	581	62.34%	351	272	77.49%	79	22.51%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	2860	1524	53.29%	1336	1159	86.75%	177	13.25%
चंडीगढ़	423	171	40.43%	252	251	99.60%	1	0.40%
लुधियाना	813	431	53.01%	382	358	93.72%	24	6.28%
शिमला	554	405	73.10%	149	134	89.93%	15	10.07%
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	1790	1007	56.26%	783	743	94.89%	40	5.11%
कनपुर	1892	992	52.43%	900	831	92.33%	69	7.67%
मेरठ	1220	694	56.89%	526	472	89.73%	54	10.27%
पटना	745	388	52.08%	357	311	87.11%	46	12.89%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	3857	2074	53.77%	1783	1614	90.52%	169	9.48%
फर्रुखाबाद	787	483	61.37%	304	299	98.36%	5	1.64%
गुडगांव	739	463	62.65%	276	244	88.41%	32	11.59%
जयपुर	807	439	54.40%	368	300	81.52%	68	18.48%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	2333	1385	59.37%	948	843	88.92%	105	11.08%
अहमदाबाद	871	322	36.97%	549	538	98.00%	11	2.00%
बड़ोदा	345	116	33.62%	229	225	98.25%	4	1.75%
इंदौर	1293	653	50.50%	640	640	100.00%	0	0.00%
सुरत	678	328	48.38%	350	340	97.14%	10	2.86%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3187	1419	44.52%	1768	1743	98.59%	25	1.41%
कांदिवली	1291	757	58.64%	534	458	85.77%	76	14.23%
मुम्बई- I, वांद्रा	1677	535	31.90%	1142	565	49.47%	577	50.53%
मुम्बई- II, धाणे	1441	897	62.25%	544	521	95.77%	23	4.23%
नागपुर	1581	898	56.80%	683	631	92.39%	52	7.61%
पुणे	2047	1139	55.64%	908	822	90.53%	86	9.47%
रायपुर	524	308	58.78%	216	216	100.00%	0	0.00%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	8561	4534	52.96%	4027	3213	79.79%	814	20.21%
बंगलूर	910	406	44.62%	504	440	87.30%	64	12.70%
गुलबर्गा	1185	626	52.83%	559	526	94.10%	33	5.90%
मंगलूर	1439	687	47.74%	752	705	93.75%	47	6.25%
पणजी	373	247	66.22%	126	118	93.65%	8	6.35%
पोण्णा	979	569	58.12%	410	367	89.51%	43	10.49%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	4886	2535	51.88%	2351	2156	91.71%	195	8.29%
धुवनेश्वर	1283	770	60.02%	513	404	78.75%	109	21.25%
मुन्दूर	2643	1509	57.09%	1134	1063	93.74%	71	6.26%
हैदराबाद	1985	1358	68.41%	627	521	83.09%	106	16.91%
निजामाबाद	1332	777	58.33%	555	537	96.76%	18	3.24%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	7243	4414	60.94%	2829	2525	89.25%	304	10.75%
चेन्नै	1605	977	60.87%	628	502	79.94%	126	20.06%
कोयम्बतूर	2337	1482	63.41%	855	782	91.46%	73	8.54%
मदुरै	1570	818	52.10%	752	712	94.68%	40	5.32%
ताम्वरम	1091	634	58.11%	457	411	89.93%	46	10.07%
तिरुवनंतपुरम्	2673	1632	61.05%	1041	963	92.51%	78	7.49%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	9276	5543	59.76%	3733	3370	90.28%	363	9.72%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	821	481	58.59%	340	267	78.53%	73	21.47%
जलपाईगुड़ी	3732	1979	53.03%	1753	1616	92.18%	137	7.82%
कोलकाता	2854	1296	45.41%	1558	1497	96.08%	61	3.92%
रांची	598	362	60.54%	236	225	95.34%	11	4.66%
आ.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड)	8005	4118	51.44%	3887	3605	92.75%	282	7.25%
अखिल भारतीय	51998	28553	54.91%	23445	20971	89.45%	2474	10.55%

क्षेत्र	कार्यभार	लौटए गए / निरस्त किए गए	निवल कार्यभार	सभी दावे				अंत शेष
				30 दिनों के भीतर	कुल निपटए गए दावों पर तीस दिनों के भीतर निपटान का प्रतिशत	तीस दिनों के बाध	कुल निपटए गए दावे	
देहरादून	148345	42125	106220	71498	72.89%	26589	98087	8133
दिल्ली (उत्तर)	425985	88478	337507	63759	20.99%	240017	303776	33731
दिल्ली (दक्षिण)	497516	124621	372895	50484	15.14%	283059	333543	39352
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1071846	255224	816622	185741	25.26%	549665	735406	81216
चंडीगढ़	208553	46041	162512	137692	86.33%	21799	159491	3021
लुधियाना	233347	50888	182459	163874	91.38%	15458	179332	3127
सिमला	102201	29250	72951	65707	92.77%	5120	70827	2124
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	544101	126179	417922	367273	89.66%	42377	409650	8272
कानपुर	220220	57942	162278	119195	76.65%	36308	155503	6775
मेरठ	370373	80411	289962	180571	66.06%	92781	273352	16610
पटना	44352	14468	29884	10490	39.19%	16280	26770	3114
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	634945	152821	482124	310256	68.09%	145369	455625	26499
फरीदाबाद	321016	81406	239610	231120	97.92%	4898	236018	3592
गुडगांव	452053	112612	339441	91906	29.51%	219505	311411	28030
जयपुर	296174	77810	218364	177620	82.90%	36631	214251	4113
आ.का. (हरियाणा एवं)	1069243	271828	797415	500646	65.73%	261034	761680	35735
अहमदाबाद	407643	92338	315305	232354	76.27%	72293	304647	10658
वडोदा	143670	32827	110843	67259	61.79%	41599	108858	1985
इंदौर	277462	66890	210572	176460	83.80%	34109	210569	3
सुरत	253541	63191	190350	121024	65.97%	62426	183450	6900
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1082316	255246	827070	597097	73.94%	210427	807524	19546
काठिवासी	502990	166155	336835	89938	27.70%	234751	324689	12146
मुम्बई- I, बांद्रा	798600	155310	643290	40051	7.54%	490845	530896	112394
मुम्बई- II, थाणे	394988	108811	286177	159468	57.43%	118225	277693	8484
नागपुर	232336	64106	168230	137718	84.34%	25575	163293	4937
पुणे	667101	168827	498274	180668	38.53%	288191	468859	29415
रायपुर	84542	22193	62349	59661	95.84%	2592	62253	96
आ.का. (महाराष्ट्र एवं)	2680557	685402	1995155	667504	36.52%	1160179	1827683	167472
बंगलौर	532873	115636	417237	77858	20.32%	305343	383201	34036
गुलबर्गा	116397	28058	88339	71980	84.06%	13650	85630	2709
मंगलौर	231115	41257	189858	126988	70.14%	54062	181050	8808
पणजी	77544	16312	61232	38531	64.95%	20792	59323	1909
पोण्हा	815121	179937	635184	116476	19.47%	481858	598334	36850
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1773050	381200	1391850	431833	33.03%	875705	1307538	84312
धुवनेश्वर	151387	39069	112318	68524	65.10%	36734	105258	7060
गुन्टूर	280064	72557	207507	164982	82.36%	35331	200313	7194
हैदराबाद	648629	173032	475597	338438	75.95%	107151	445589	30008
निजामाबाद	114737	25523	89214	70267	79.82%	17762	88029	1185
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं)	1194817	310181	884636	642211	76.53%	196978	839189	45447
चेन्नै	653980	143342	510638	167032	36.60%	289306	456338	54300
कोयम्बटूर	439576	111725	327851	173035	55.83%	136922	309957	17894
मद्रास	286337	49831	236506	217042	93.49%	15125	232167	4339
ताम्ररम	286374	60569	225805	150982	69.47%	66343	217325	8480
तिरुवनंतपुरम्	341100	83969	257131	165423	67.58%	79366	244789	12342
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2007367	449436	1557931	873514	59.81%	587062	1460576	97355
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	57146	20099	37047	20826	58.66%	14677	35503	1544
जलपाईगुडी	161320	46419	114901	77400	72.61%	29191	106591	8310
कोलकाता	302978	67737	235241	115999	50.62%	113147	229146	6095
रांची	113080	34768	78312	51577	70.08%	22025	73602	4710
आ.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड)	634524	169023	465501	265802	59.75%	179040	444842	20659
अखिल भारतीय	12692766	3056540	9636226	4841877	53.50%	4207836	9049713	586513

क्षेत्रीय समितियाँ, कर्मचारी भविष्य निधि

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	आयोजित बैठकों की कुल संख्या	
		2011-12	2010-11
1.	आन्ध्र प्रदेश	02	02
2.	असम	01	02
3.	बिहार	02	02
4.	छत्तीसगढ़	02	02
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	02	02
8.	हरियाणा	02	02
9.	हिमाचल प्रदेश	02	01
10.	झारखंड	01	शून्य
11.	कर्नाटक	01	02
12.	केरल	02	02
13.	मध्य प्रदेश	01	01
14.	महाराष्ट्र	02	02
15.	उड़ीसा	02	02
16.	पुदुचेरी	02	02
17.	पंजाब	शून्य	02
18.	राजस्थान	02	02
19.	तमिलनाडु	02	02
20.	त्रिपुरा	01	01
21.	उत्तराखंड	01	02
22.	उत्तर प्रदेश	01	01
23.	पश्चिम बंगाल	02	02
	योग	34	36

31.03.2012 को क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा सेवा केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय	राज्य / क्षेत्र	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केन्द्र
1	दिल्ली एवं उत्तराखंड (दिल्ली)	देहरादून (उत्तराखंड)	1. हल्द्वानी		1. हरिद्वार
		दिल्ली (उत्तर)			1. पौरागढ़ी
		बजौरपुर			
2	पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)	दिल्ली (साउथ) द्वारका	1. लक्ष्मीनगर		2. ओखला
		चंडीगढ़ (पंजाब)	1. भटिण्डा	1. पटियाला 2. मंडी गोविन्दगढ़ 3. मोगा 4. संगरूर	
		लुधियाना (पंजाब)	1. अमृतसर 2. जालन्धर	1. बटाला 2. फगवाड़ा 3. होशियारपुर	
		शिमला (हि.प्र.)		1. शिमला 2. परवान 3. पोन्टा साहिब 4. पालमपुर 5. कुल्चु	
		कानपुर (उ.प्र.)	1. लखनऊ 2. वाराणसी 3. बरेली 4. गोरखपुर 5. इलाहाबाद	1. मुरादाबाद	1. गाजियाबाद
		मेरठ (उ.प्र.)	1. नोएडा 2. आगरा	1. मुजफ्फरनगर 2. सहारनपुर 3. अलीगढ़	
3	उत्तर प्रदेश और बिहार (कानपुर)	पटना (बिहार)		1. गया 2. रोहतास 3. दरभंगा 4. कटिहार 5. मुंगेर	
			1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर		
4	हरियाणा एवं राजस्थान (फरीदाबाद)	फरीदाबाद (हरियाणा)	1. करनाल	1. यमुनानगर 2. अम्बाला 3. सोनीपत 4. पानीपत	
		गुडगांव (हरियाणा)	1. रोहतक	1. हिसार	
		जयपुर (राजस्थान)		1. अजमेर 2. अलवर 3. भरतपुर 4. झुंझु	
			1. कोटा 2. उदयपुर 3. जोधपुर	5. भीलवारा 6. बीकानेर 7. पाली 8. श्रीगंगानगर	

5	गुजरात एवं मध्य प्रदेश (अहमदाबाद)	अहमदाबाद (गुजरात)	1 राजकोट 2 नरोडा 3 वटवा	1 मेहसाना 2 भावनगर 3 नाडियाड 4 जामनगर 5 जूनागढ़ 6 गांधीधाम 7 सुरेन्द्रनगर 8 हिममतनगर	
		वडोदरा (गुजरात)			
		इंदौर (एम पी)	1. जबलपुर 2. भोपाल 3. उज्जैन 4. ग्वालियर 5. सागर	1 खंडवा 2 धार 3 खतना 4 छिंदवाड़ा 5 इटारसी 6 रतलाम	
		सुरत (गुजरात)	1 बापी 2 भरुच *		
6	महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़	कांदिवली (महाराष्ट्र)	1 नासिक	1 जलगांव 2 अहमदनगर	
		मुम्बई -I बार्दा (महाराष्ट्र)			
		मुम्बई -II धाणे (महाराष्ट्र)	1. वाली		
		नागपुर (महाराष्ट्र)	1. अकोला 2. औरंगाबाद	1 चन्द्रापुर 2 अमरावती	
		पुणे (महाराष्ट्र)	1 कोल्हापुर 2 सोलापुर		
		रायपुर (छत्तीसगढ़)		1 बिलासपुर	
7	कर्नाटक एवं गोवा (बंगलौर)	बंगलौर (के एन)	1 मैसूर रोड 2 बेल्लान्क *		
		मंगलौर (के एन)	1 मैसूर 2 चिक्कमंगलूर 3 शिमोगा 4 उडुपि	1 मदिकरी 2 हसन 3 देवनगरी *	
		गुलबर्गा (के एन)	1 हुबली 2 बरेला 3 रायचूर 4 बेलगांव*	1. विजापुर 2. बिदार * 3. बागलकोट * 4. करवार *	
		पणजी (गोवा)			1. मार्गव
		पोंग्या (कर्नाटक)	1 दोमसांद्रा 2 के. आ. पुरम (वाईट फोल्ड) 3. तुमकूर *	1. कोलार	

8	आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा (हैदराबाद)	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1. राउरकेला 2. बेहरामपुर 3. बर्याझर	1. कटक 2. बालासोर 3. सम्भलपुर 4. बाराबिल 5. रायगढ़	
		हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1. कुवकटपल्ली 2. गट्टनचेरू 3. सिद्धपेट		1. नलगोंडा
		निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	1. करीमनगर 2. बारागल	1. निर्मल (अदिलाबाद) 2. खम्माम	
		गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	1. विशाखापटनम् 2. राजामुंद्री 3. कडुप्पा	1. गुंटूर 2. विजयवाड़ा 3. ओंगोल (प्रकाशम) 4. विशाखापटनम् 5. विजयनगरम् 6. श्रीकाकुलम् 7. राजामुंद्री 8. काकोनाडा 9. भीमावरम् 10. Ellura 11. एलूरू 12. कडपल 13. कुरनूल 14. तिरुपति 15. अनन्तपुर	1. विजयवाड़ा 2. ओंगोल
9	तमिलनाडु एवं केरल (चेन्नै)	चेन्नै (तमिलनाडु)	1. अम्बातूर	1. चेन्नै	
		कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1. त्रिची 2. सेलम	1. कोयम्बटूर 2. कन्नूर 3. ऊटो 4. तिरुपुर 5. पोल्लाची 6. तनजौर 7. त्रिचि 8. कुम्माकोणम 9. कुट्टालोर 10. करूर 11. सेलम 12. इरोड 13. कृष्णगिरी	
		मदुरै (तमिलनाडु)	1. तिरुनेलवेली 2. नागरकोईल	1. डिंडीगुल 2. शिवाकाशी 3. तूतोकोरन	
		ताम्वरम् (तमिलनाडु)	1. वेल्तूर 2. पुदुचेरी		
		तिरुवनंतपुरम् (केरल)	1. कोटायम 2. एरणकूलम् 3. कोझीकोड 4. कन्नूर 5. कोल्लम	1. मून्नार 2. एलेप्पी 3. कलपेट्टा	1. त्रिशूर 2. पालक्काड

10	पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड (कोलकाता)	गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1 तिनसुकिया 2 अगरतला 3 शिलांग	1 सिलचर 2 तेजपुर 3 बोंगईगाँव 4 दीमापुर 5 जोरहाट 6 धर्मनगर	1. इम्फाल 2. मनोपुर 3. ईटानगर 4. एन्वाल
		जलपाईगुड़ी (प.ब.)	1 दार्जिलिंग 2 जांगीपुर 3 सिलीगुड़ी	1. अलीपुरद्वार 2. मालबाजार	1. गंगटोक
		कोलकाता (प.ब.)	1 पार्क स्ट्रीट 2 हावड़ा 3 बैरकपुर 4 दुर्गापुर 5 अंडमान (पोर्टब्लेयर)	1. गिदनापुर 2. श्रीरामपुर	
		राँची (झारखंड)	1. जमशेदपुर	1 कोडरमा 2 बोकारो 3 विरिडीह 4 धनबाद 5 देवघर 6 साहबगंज 7 पश्चिम सिंहभूम (चैलबासा)	

* स्वीकृत, खुलना शेष है।

क्षेत्रीय कार्यालय	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केंद्र
40	83	122	14

- उप क्षेत्रीय कार्यालय येलाहोका (कर्नाटक) की स्वीकृति दिनांक 12.08.11 को दी गई है।
- उप क्षेत्रीय कार्यालय तुमकूर की स्वीकृति दिनांक 12.02.11 को दी गई है।
- बोर, बागलकोट तथा दावन गेरे (कर्नाटक) में जिला कार्यालयों की स्वीकृति दिनांक 21.07.2011 को दी गई है।
- उप क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव की स्वीकृति दिनांक 30.01.2012 को तथा कारबाड में जिला कार्यालय की स्वीकृति 31.01.2012 को दी दिनांक 30.1.2012 को दी गई है।

क्र.सं.	नाटर्स द्वारा आयोजित प्रशिक्षण 2011-12	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
	क्रियात्मक एवं तकनीकी दक्षता		
1	वित्तीय प्रबंधन	2	54
2	अनुपालन प्रबंधन	2	46
3	स्थापना एवं प्रशासन	1	28
4	श्रम कानून	1	16
5	कर्मचारी पेंशन योजना - 1995	1	25
6	जॉब अधिकारी/प्रोजेक्टिंग अधिकारी	1	13
7	समन्वय अधिकारी	2	35
8	सामाजिक सुरक्षा प्रणाली - मुद्रा एवं चुनौतियाँ	1	20
	योग	11	237
	सामान्य प्रबंधन तथा स्व विकास		
09	ग्राहक संबंध प्रबंधन	2	42
10	सेवा निवृत्ति के पश्चात जीवन योजना	2	39
11	सामान्य प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन	1	29
12	उन्नत प्रबंधन विकास	1	20
13	टीम विकास एवं आपदा प्रबंधन	2	39
14	रणनीति प्रबंधन	1	14
15	प्रबंधात्मक प्रभावोत्पन्नकता विकास	1	09
16	संचाद एवं प्रस्तुति दक्षता	1	13
17	संकाय विकास	1	15
	योग	12	220
	प्रवेश / पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम		
18	नये पदोन्नत सहायक भविष्य निधि आयुक्तों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	86
	योग	5	86
	कर्मचारी भविष्य निधि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हेतु प्रशिक्षण		
19	विशेष एवं गंभीर मामलों के निपटान के लिए नये एप्लिकेशन का गहन प्रशिक्षण	1	31
20	सतर्कता अधिकारियों के लिए नया कर्मचारी भविष्य निधि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर	1	39
	योग	2	70
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम		
21	प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दक्षता (DTS)	1	20
22	प्रशिक्षण का डिजाइन (DoT)	1	09
23	प्रयोगात्मक विद्युतता आकरण (ELT)	1	17
24	हितकर्म दक्षता	1	09
25	सुविधा दक्षता	1	09
26	प्रशिक्षण मूल्यांकन	1	13
27	प्रशिक्षण का प्रणालीबद्ध नजरिया	1	18
	योग	7	95
	राष्ट्रीय कार्यशालाएं		
28	छूट प्राप्त स्थापनाओं हेतु कार्यशाला	1	90
	योग	1	90
	कुल योग	38	798

वर्ष 2011-12 के दौरान आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या
उत्तरी अंचल	62	809
पूर्वी अंचल	64	1045
पश्चिमी अंचल	58	990
दक्षिणी अंचल	52	1095
उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान शिलांग	22	106
योग	258	4045

विस्तार की तिथि	31.03.2012 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं			सदस्य		
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
01 नवम्बर, 1952 (1 से 6ए)	1	सीमेंट	1767	45	1812	367147	35589	402736
	2	सिगरेट	138	6	144	29658	8503	38161
	3	विजली, यंत्रिकी एवं सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद	79675	448	80122	9924372	721492	10645864
	4	लोहा व इस्पात	10425	53	10478	1154813	224692	1409505
	5	कागज	2181	22	2203	322718	42632	365350
	6	बरत	24601	140	24741	2563916	164312	2728228
	6A	जूट	177	60	237	27939	210075	238014
31 जुलाई, 1956 (7 से 19)	7	खाद्य तेल एवं चिकनाई	3059	21	3080	172552	2813	175365
	8	चौनी	3160	46	3206	359792	83750	443542
	9	रबड़ तथा रबड़ उत्पाद	3865	15	3880	834402	18396	852798
	10	विद्युत	4007	55	4062	434163	186409	620572
	11	चाय (आसाम राज्य को छोड़कर जहाँ आसाम सरकार ने इस उद्योग हेतु रोपण सहित अलग भविष्य निधि योजना स्थापित की है)	1605	13	1618	340305	5106	345411
	12	मुद्रण	6122	12	6134	355446	12536	367982
	13	स्टोन वेयर पाइप्स	408	1	409	42199	63	42262
	14	सेन्टिरो का सामान	395	0	395	58803	0	58803
	15	विजली के पोलिलेन (विद्युत रोधक)	1195	4	1199	171065	541	171606
	16	उच्चताप	671	11	682	49539	20778	70317
	17	टाइल	2536	0	2536	130180	0	130180
	18	दियारालाई	1703	2	1705	227402	2058	229460
	19	बैच	1628	17	1645	169733	13432	185165
30 सितम्बर, 1956 (20 से 23)	20	भारी परिष्कृत रसायन	13494	186	13680	198067	155446	210513
	21	नील	291	0	291	22508	0	22508
	22	लघु शूल्क सहित	85	1	86	6354	161	6515
	23	अखाद्य वनस्पति तथा पशुओं का बसा एवं तेल	358	2	360	18224	2158	20382
31 दिसम्बर, 1956	24	समाचार स्थापनाएं	1191	21	1212	132843	9455	142298
31 जनवरी, 1957	25	खनिज तेल	188	1	189	28937	530	29467
30 अप्रैल, 1957 (26 से 30 ए)	26	चाय बागान	941	4	945	195750	125	195875
	27	कोफ़ी बागान	2970	1	2971	105997	1889	107886
	28	रबड़ बागान	1278	1	1279	60970	146	70116
	29	इलायची बागान	578	0	578	9570	0	9570
	30	काली मिर्च बागान	52	0	52	2237	0	2237
	30A	मिश्रित बागान	28	0	28	2660	0	2660
	31	लोह अयस्क की खानें	415	17	432	39357	23314	62691
30 नवम्बर, 1957 (31 से 37)	32	मैंगनीज की खानें	305	9	314	18911	2681	21592
	33	चूने की खानें	674	5	679	35934	1486	37420
	34	सोने की खानें	32	3	35	5899	6999	12898
	35	औद्योगिक एवं पॉवर ऐल्कोहल	278	1	279	14913	58	14971
	36	एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें	191	2	193	13858	1023	14881
	37	कोफ़ी संसाधन स्थापनाएं	380	0	380	120233	0	120233
30 अप्रैल, 1958	38	बिस्कुट उद्योग	1015	3	1018	115898	2227	118125
30 अप्रैल, 1959	39	मोटर परिवहन स्थापनाएं	7542	75	7617	596176	449462	1045638

विस्तार की तिथि	31.03.2012 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग /स्थापना.	स्थापनाएं			सदस्य		
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
31मई, 1960 (40 से 41)	40	अप्रक के उद्योग	383	1	384	14029	0	14029
	41	अप्रक की खानें	247	1	248	14547	258	14805
30 जून, 1960 (42 से 43)	42	प्लाईवुड	1591	5	1596	105093	525	105618
	43	मोटर मरम्मत एवं सर्विसिंग	3316	16	3332	356042	45100	401142
31दिसम्बर., 1960 (44 से 46)	44	चावल मिलें	11467	0	11467	326849	0	326849
	45	दाल मिलें	826	0	826	39251	0	39251
	46	आटा मिलें	1282	6	1288	58794	1561	60355
31 मई 1961	47	स्टार्च	143	2	145	13143	1010	14153
30 जून , 1961 (48 से 52)	48	होटल	13902	18	13920	1661685	15529	1677214
	49	रेस्तरां	8462	2	8464	601229	4082	605311
	50	वे स्थापनाएं जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के के भंडारण या लाने ले या वितरण का कार्य करती हैं ।	1158	2	1160	62015	1299	63314
	51	पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस	648	24	672	99664	47934	147598
	52	पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का शोधन करना	255	19	274	103884	17420	121304
31जुलाई, 1961 (53 से 57)	53	सिनेमा (पूर्वदर्शन थियेटर सहित)	6539	6	6545	92111	678	92789
	54	फिल्म निर्माण	314	2	316	28699	0	28699
	55	फिल्म स्टूडियो	754	0	754	39943	0	39943
	56	प्रदर्शित फिल्म संबंधी लेनदेन	201	0	201	13732	0	13732
	57	फिल्म बनाने की प्रयोगशाला	315	0	315	16889	0	16889
31 अगस्त , 1961	58	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	4926	6	4932	465116	12008	477124
30 नवम्बर, 1961 (59 से 60)	59	पत्थर के जार	696	0	696	96329	0	96329
	60	ब्रॉकरी	1436	7	1443	62423	7888	70311
30 नवम्बर 1960 और 31 दिसम्बर, 1961	61	अधिकृत मालिक या चीनी फैक्ट्री के पदाधिकारी या ऐसे मालिक या पदाधिकारी या उनके स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा परिष्कृत प्रत्येक केन फार्म	429	5	434	22238	1252	23490
30 अप्रैल, 1962	62	व्यापार एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं	72857	217	73074	7797339	355287	8152646
30 जून, 1962	63	फल एवं सब्जियों का परिरक्षण	1415	5	1420	91550	2434	93984
30 सितम्बर., 1962	64	काजू	3518	1	3519	460543	76	460619
31 अक्टूबर, 1962 (65 से 69)	65	लकड़ी संसाधन के उपचार में लगी स्थापनाएं	610	1	611	30963	5080	36043
	66	आरा मशीन	1241	1	1242	54389	1170	55759
	67	लकड़ी सुखाने वाले भट्टे	155	0	155	6358	0	6358
	68	लकड़ी परिरक्षण संयंत्र	125	0	125	20271	0	20271
	69	लकड़ी के कारखाने	1690	4	1694	77400	650	78050
31 दिसम्बर, 1962	70	वाक्सार्ड की खानें	135	7	142	7250	11241	18491
31 मई, 1963	71	मिथान भंडार	929	4	933	71185	1569	72754
30 अप्रैल, 1963 (72 से 76)	72	लौह एवं लौह सेवाएं	551	0	551	26091	0	26091
	73	बटन	264	0	264	25195	0	25195
	74	बुरा	136	1	137	10886	326	11212
	75	प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान	7745	9	7754	586267	1052	587319
	76	लेखा सामग्री	661	3	664	48355	72	48427
31 मई, 1963 (77 से 79)	77	थियेटर	1937	1	1938	44060	40	44100
	78	सांसायटी, क्लब या संघ	3640	54	3694	222774	12817	235591
	79	मनोरंजन कंपनियां	335	0	335	25191	0	25191

विस्तार की तिथि	क्र.सं.	उद्योग / स्थापना.	स्थापनाएं			सदस्य		
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
31 अगस्त, 1963 (80 से 81)	80	कैटोन	2453	4	2457	143108	356	143464
	81	वायु मिश्रित पानी, साफ्ट ड्रिंक या कार्बनेटेड पानी	496	2	498	57061	48	57109
31 अक्टूबर, 1963	82	सिरेट का अवसन और परिशोधन	739	10	749	110058	3128	113186
31 जनवरी, 1964 (83 से 84)	83	गैट और वार्निश	839	14	873	114632	7511	122143
	84	अस्थिचूर्ण	108	0	108	4378	0	4378
30th June, 1964 (85 to 86)	85	अचार-मुरब्बे	448	0	448	16581	0	16581
	86	चौनो मिट्टी की खानें	302	0	302	14776	0	14776
31 अक्टूबर, 1964 (87 से 92)	87	अधिवक्ता अधिनियम, 1963	148	2	150	5872	34	5906
	88	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	695	8	703	37978	2896	40874
	89	लागत	89	0	89	1446	0	1446
	90	इंजीनियरिंग या इंजीनियर का कार्य करने वाले ठेकेदार	49580	60	49640	5889842	47767	5937609
	91	वास्तुविद	472	4	476	33407	1996	35403
	92	चिकित्सा विश्लेषण	807	0	807	181863	0	181863
31 दिसम्बर, 1964	93	दूध एवं दूध उत्पाद	2306	19	2325	267738	10958	278696
31 जनवरी, 1965 (94 तक 96)	94	अग्नेयण ऐजेंसियां	5773	11	5784	426786	4943	431729
	95	सिलिकॉन के आकार में अलुमिना और मिश्र धातु	2595	6	2601	303555	2333	305888
	96	ब्रेड	684	19	703	46382	9004	55386
31 मार्च, 1965	97	तम्बाकू के पत्तों को भाप देना, पुनः सुखाना, संभालना, अलग-अलग करना, छांटना तथा पैक करना	492	3	495	39472	127	39599
30 जून, 1965	98	अमरबत्ती	128	0	128	11457	0	11457
31st July, 1965	99	मेग्नेसाइट की खानें	769	0	769	106303	0	106303
31 अगस्त, 1965	100	कॉयर (स्पिनिंग सेक्टर सहित)	275	2	277	6663	2389	9052
30 सितम्बर, 1965	101	पत्थर की खदान	584	0	584	28198	0	28198
31 दिसम्बर, 1965	102	बैंक	1550	2	1552	47358	6707	54065
31 जनवरी, 1966	103	तम्बाकू उद्योग, जो सिगार, जर्दा, नसबार, कबीराम तथा गुलाकू तम्बाकू से बनाते हैं।	2921	62	2983	252050	22199	274249
30 जून, 1966	104	कागज के उत्पाद	1225	2	1227	68930	34	68964
31 जुलाई, 1966	105	लाइसेंस नमक	3004	14	3018	210412	14767	225179
30 सितम्बर, 1966	106	लिनोलियम	899	5	904	33604	54	33658
30 अप्रैल, 1967 (108 व 109)	107	इंडोलियम	49	3	52	6727	277	7004
	108	विस्फोटक पदार्थ	2694	3	2697	162589	172	162761
31 जुलाई, 1967	109	फटसन (जूट) की गांठें बनाना व दबाना	125	2	127	14310	3272	17582
31 अगस्त, 1967	110	आतिशबाजी और रंगारू टोपी का कार्य	131	2	133	11403	199	11602
31st October, 1967	111	टेंट बनाना	1125	0	1125	164817	0	164817
31 अक्टूबर, 1967	112	बेराइट्स की खानें	150	0	150	5215	0	5215
30 नवम्बर, 1967	113	होलामाइट की खानें	43	0	43	5804	0	5804
	114	फायर क्ले की खानें	1054	1	1055	26920	0	26920
	115	जिप्सम की खानें	58	1	59	1591	0	1591
	116	क्यानाइट की खानें	145	0	145	3789	0	3789
	117	क्यानाइट की खानें	40	0	40	1778	0	1778
	118	सिलीमिनाइट की खानें	97	1	98	4129	2845	6974
	119	स्टेराइट की खानें	40	0	40	1522	0	1522

विस्तार की तिथि	क्र.सं.	उद्योग / स्थापना.	स्थापनाएं			सदस्य		
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
31 दिसम्बर, 1968	120	सिंकोना उद्योग	26	0	26	24691	0	24691
30 अप्रैल, 1969	121	फरोमैगनीज	81	2	83	11043	390	11433
30 जून, 1969 (123 से 124)	122	वर्क या आईस्क्रीम	443	1	444	39091	1370	40461
	123	होरे की खानें	30	0	30	1578	0	1578
31 जनवरी, 1970	124	सामान्य बीमा व्यापार	187	2	189	604053	3	604056
31 मई, 1971	125	विशेषज्ञ सेवाएं देने वाली स्थापनाएं	98855	97	98952	17484350	470301	17954651
30 नवम्बर, 1971	126	धागा बटने और अटारने का काम करने वाली फैक्टरियां	271	1	272	38627	1387	40014
31 मार्च, 1972	127	रेलवे बुकिंग एजेंसी	156	0	156	30356	0	30356
30 सितम्बर, 1972	128	रूई की छंटाई, गांठें बांधना और दवाना	3705	10	3715	120581	3082	123663
31 मार्च, 1973	129	सैनिक मेस को छोड़कर अन्य सभी भोजनालय	1512	1	1513	44442	104	44546
31 मई, 1974	130	कत्था बनाना	103	2	105	6806	1626	8432
31 अगस्त, 1974	131	अस्पताल	8971	41	9012	1008536	34618	1043154
30 अप्रैल, 1974	132	बीयर उत्पादन	328	11	339	27754	6802	34556
30 सितम्बर, 1974	133	कच्चे सूत की छंटाई, सफाई और धुलाई	517	5	522	17473	6523	23996
30 नवम्बर, 1974 (135 से 136)	134	सांसायटी, क्लब एवं संघ	2697	14	2711	140583	4406	144989
	135	गारमेंट फैक्ट्रीज	12770	9	12779	2876137	3572	2879709
31 दिसम्बर, 1974 (137 से 140)	136	कृषि फार्म	1184	6	1190	38912	4217	93129
30 जून, 1975	137	सेल खड़ी की खानें	335	2	337	12400	697	13097
31 जुलाई, 1974 (138 से 150)	138	एपेटाइट की खानें	1523	2	1525	29503	99	29602
	139	एक्वेस्टस की खानें	307	0	307	20435	0	20435
	140	कैलसाइट की खानें	38	0	38	7700	0	7700
	141	बोलबले की खानें	59	0	59	1424	0	1424
	142	कुरुण्ड की खानें	12	0	12	141	0	141
	143	पत्र की खानें	23	0	23	855	0	855
	144	फेलस्पार की खानें	14	1	15	113	2490	2603
	145	सिलिकन (रेत की खानें)	120	0	120	7555	0	7555
	146	स्मॉल्टिक की खानें	63	0	63	1396	0	1396
	147	गेरू की खानें	21	1	22	1403	0	1403
	148	ब्रोमाइट की खानें	35	1	36	6216	661	6877
	149	ग्रेफाइट की खानें	63	0	63	3992	0	3992
28 फरवरी, 1977 (155 से 157)	150	फ्लोराइट की खानें	30	0	30	853	0	853
	151	गम एवं ग्लोबलिटिन	33	0	33	2787	0	2787
	152	पत्थर की खानें	492	2	494	22701	1428	24129
	153	मछली संसाधन	668	0	668	47918	0	47918
31 मई, 1977	154	बोड़ी बनाने में संलग्न स्थापनाएं	7310	0	7310	3436527	0	3436527
31 दिसम्बर, 1978	155	बैंकों को छोड़कर वित्तीय स्थापनाएं	4013	46	4059	576475	40012	616487
6 जनवरी, 1979	156	लिग्नाइट की खानें	219	2	221	6366	20548	26914
28 जुलाई, 1979 (155 से 157)	157	फेरो ब्रोम	173	4	177	13600	1730	15330
31 मई, 1980 (158 से 160)	158	होरे की कटाई	1794	2	1796	149300	58	149358
	159	क्वासाइट माईन्स	271	1	272	7364	188	7552
	160	आंतरिक जल परिवहन स्थापनाएं	173	1	174	16826	291	17117

विस्तार की तिथि	क्र.सं.	उद्योग/स्थापना.	स्थापनाएं			सदस्य		
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
31 अक्टूबर, 1980 (161 से 162)	161	भवन और निर्माण	28586	21	28607	3932969	32860	3965829
	162	हरड़ मिश्रित चूर्ण बनाना	76	2	78	4891	30048	34939
30 नवम्बर, 1980	163	ईट	13170	4	13174	333840	3499	337339
23 नवम्बर, 1981	164	ऐसी स्थापनाएं जो जहाजों में माल चढ़ाने - उतारने के कार्य में संलग्न हैं।	251	2	253	26354	6274	32628
7 दिसम्बर, 1981 (165 से 166)	165	भुगो पालन में लगी स्थापनाएं	918	0	918	96766	0	96766
	166	पशु चारा उद्योग में संलग्न स्थापनाएं	311	0	311	26299	0	26299
6 मार्च, 1982 (167 से 172)	167	कोई भी विश्वविद्यालय	10628	78	10706	980942	6599	987541
	168	कोई भी कॉलेज	8897	14	8911	566368	31968	598336
	169	कोई भी स्कूल	24110	178	24288	1122956	19582	1142538
	170	कोई भी वैज्ञानिक संस्थान	641	8	649	26673	2285	28958
	171	संस्थान अनुसंधान	449	12	461	29909	13705	43614
	172	ज्ञान एवं प्रशिक्षण	3689	11	3700	244834	19063	263897
1 जनवरी, 1984	173	एस्वेस्टस स्थापनाएं	502	8	510	23404	3066	26470
16 सितम्बर, 1989	174	लोह अयस्क छरे बनाने वाली स्थापनाएं	423	0	423	22631	0	22631
25 मार्च, 1992	175	ग्वार गम फैक्ट्री	182	0	182	5906	6	5912
1 अप्रैल, 1992	176	संगमरमर की खानें	654	0	654	37273	0	37273
	177	होरा काटने वाली मशीन	182	0	182	6505	0	6505
1 अप्रैल, 2001 (178 से 180)	178	कुरियर सेवाएं देने वाली स्थापनाएं	446	0	446	42411	0	42411
	179	एयरक्राफ्ट अवका एयरक्राफ्ट लेजन	39	1	40	1519	3285	4804
	180	साफ-सफाई सेवाएं देने वाली संस्थाएं	4387	6	4393	411128	84721	495849
10 नवम्बर, 2005	181	केन्द्र या राज्य सरकार या उनके द्वारा नियंत्रित रेल स्थापनाओं को छोड़कर रेलवे	1388	103	1491	208261	103178	311439
27 जुलाई, 2006	182	कम्प्यूटर	3879	19	3898	833305	331889	1165194
8 दिसम्बर, 2007 (183 से 187)	183	भारतीय जीवन बीमा के अतिरिक्त जीवन बीमा, वार्षिकी आदि, प्रदान करने वाली अन्य कंपनियाँ	43	0	43	34958	0	34958
	184	निजी एयरपोर्ट तथा संयुक्त उपक्रम वाले एयरपोर्ट	66	0	66	3329	0	3329
	185	निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियाँ	83	1	84	57424	2	57426
	186	आवास गृह, सह-स्वामित्व तथा सेवा अपार्टमेंट	248	0	248	13449	0	13449
8 जनवरी, 2011	187	नगर परिषद तथा नगर निगम	741	0	741	55948	0	55948
	188	योग	679804	2730	682534	80130048	4403364	84533412
	189	अन्य	8683	20	8703	977609	29302	1006911
	190	कुल योग	688487	2750	691237	81107658	4432666	85540324

अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं स्थापनाओं का सकेन्द्रण								
क्षेत्र	स्थापनाएं				सबस्थता			
	अच्छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	सम्पूर्ण भारत के योग का %	अच्छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	सम्पूर्ण भारत के योग का %
देहरादून	5937	32	5969	0.86%	816418	59044	875462	1.02%
दिल्ली उत्तर	23218	138	23356	3.38%	2126309	424564	2550873	2.98%
दिल्ली दक्षिण	19942	87	20029	2.90%	2275396	148589	2423985	2.83%
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	49097	257	49354	7.14%	5218123	632197	5850320	6.84%
चण्डीगढ़	16731	41	16772	2.43%	2157898	6346	2164244	2.53%
लुधियाना	17124	24	17148	2.48%	1944798	28868	1973666	2.31%
शिमला	7414	87	7501	1.09%	1770040	30947	1800987	2.11%
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	41269	152	41421	5.99%	5872736	66161	5938897	6.94%
कानपुर	22235	139	22374	3.24%	654699	116178	770877	0.90%
मेरठ	24131	68	24199	3.50%	1028071	83202	1111273	1.30%
पटना	8973	96	9071	1.31%	389558	35581	425139	0.50%
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	55341	303	55644	8.05%	2072328	234961	2307289	2.70%
फर्रुखाबाद	19792	44	19836	2.87%	2882792	51129	2933921	3.43%
गुड़गांव	14435	47	14482	2.10%	1794368	102321	1896689	2.22%
जयपुर	24676	49	24725	3.58%	1086566	127856	1214422	1.42%
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	58903	140	59043	8.54%	5763726	281306	6045032	7.07%
अहमदाबाद	34504	56	34560	5.00%	1963522	120985	2084507	2.44%
बड़ोदा	7510	40	7550	1.09%	1628757	8306	1637063	1.91%
इंदौर	20613	37	20650	2.99%	2042602	42463	2085065	2.44%
सुरत	19764	20	19784	2.86%	1063385	10109	1073494	1.25%
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	82391	153	82544	11.94%	6698266	181863	6880129	8.04%
कांदिवाली	22281	78	22359	3.23%	1523488	114693	1638181	1.92%
मुम्बई- I, बांद्रा	14800	256	15056	2.18%	8771643	77158	8848803	10.34%
मुम्बई- II, थाणे	22599	70	22669	3.28%	1217937	115094	1333031	1.56%
नागपुर	18070	53	18123	2.62%	1157524	111298	1268822	1.48%
पुणे	25905	91	25996	3.76%	3173428	190232	3363660	3.93%
रायपुर	8524	40	8564	1.24%	1012709	13449	1026158	1.20%
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	112179	588	112767	16.31%	16856731	621924	17478655	20.43%
बंगलौर	11257	43	11300	1.63%	2455346	236594	2691940	3.15%
गुलबर्गा	11240	33	11273	1.63%	497498	59627	557125	0.65%
मंगलौर	11820	33	11853	1.71%	1615725	39851	1655576	1.94%
पणजी	3653	13	3666	0.53%	820668	14443	835111	0.98%
पोण्या	13047	60	13107	1.90%	5236220	579249	5815469	6.80%
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	51017	182	51199	7.41%	10625457	929764	11555221	13.51%
भुवनेश्वर	15945	101	16046	2.32%	701356	65687	767043	0.90%
गुंटूर	29539	52	29591	4.28%	920797	64220	985017	1.15%
हैदराबाद	25384	47	25431	3.68%	1577044	232303	1809347	2.12%
निजामाबाद	7208	11	7219	1.04%	1177315	2645	1179960	1.38%
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	78076	211	78287	11.33%	4376512	364855	4741367	5.54%
चेन्नै	22380	67	22447	3.25%	11954745	202225	12136970	14.19%
कोयंबटूर	27835	28	27863	4.03%	2366922	62669	2429591	2.84%
मद्रास	16878	14	16892	2.44%	2461394	20427	2481821	2.90%
तांवरम	12217	20	12237	1.77%	1077557	23082	1100639	1.29%
तिरुवनंतपुरम्	19444	64	19508	2.82%	1931653	50376	1982029	2.32%

आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	98754	193	98947	14.31%	19772271	358779	20131050	23.53%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	9745	16	9761	1.41%	373725	10231	383956	0.45%
जलपाइगुडी	7785	9	7794	1.13%	946682	4958	951640	1.11%
कोलकाता	33033	468	33501	4.85%	1745158	515722	2260880	2.64%
रांची	10897	78	10975	1.59%	785943	229945	1015888	1.19%
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र एवं झारखंड)	61460	571	62031	8.97%	3851508	760856	4612364	5.39%
सम्पूर्ण भारत	688487	2750	691237	100.00%	81107658	4432666	85540324	100.00%

क्षेत्र	संस्थान				सदस्यता			
	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	सम्पूर्ण भारत के योग का %	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग	सम्पूर्ण भारत के योग का %
तमिलनाडु	79310	129	79439	11.49%	17840618	308403	18149021	21.22%
महाराष्ट्र	103655	548	104203	15.07%	15844022	608475	16452497	19.23%
कर्नाटक	47364	169	47533	6.88%	9804789	915321	10720110	12.53%
दिल्ली	43160	225	43385	6.28%	4401705	573153	4974858	5.82%
हरियाणा	34227	91	34318	4.96%	4677160	153450	4830610	5.65%
गुजरात	61778	116	61894	8.95%	4655664	139400	4795064	5.61%
गंजाब	33855	65	33920	4.91%	4102696	35214	4137910	4.84%
आंध्र प्रदेश	62131	110	62241	9.00%	3675156	299168	3974324	4.65%
पश्चिम बंगाल	40818	477	41295	5.97%	2691840	520680	3212520	3.76%
मध्य प्रदेश	20613	37	20650	2.99%	2042602	42463	2085065	2.44%
केरल	19444	64	19508	2.82%	1931653	50376	1982029	2.32%
उत्तर प्रदेश	46366	207	46573	6.74%	1682770	199380	1882150	2.20%
हिमाचल प्रदेश	7414	87	7501	1.09%	1770040	30947	1800987	2.11%
राजस्थान	24676	49	24725	3.58%	1086566	127856	1214422	1.42%
छत्तीसगढ़	8524	40	8564	1.24%	1012709	13449	1026158	1.20%
झारखंड	10897	78	10975	1.59%	785943	229945	1015888	1.19%
उत्तराखंड	5937	32	5969	0.86%	816418	59044	875462	1.02%
गोवा	3653	13	3666	0.53%	820668	14443	835111	0.98%
उड़ीसा	15945	101	16046	2.32%	701356	65687	767043	0.90%
बिहार	8975	96	9071	1.31%	389558	35581	425139	0.50%
उत्तर पूर्व क्षेत्र	9745	16	9761	1.41%	373725	10231	383956	0.45%
कुल	688487	2750	691237	100.00%	81107658	4432666	85540324	100.00%

सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण					
स्थापनाओं और सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण					
क्र.सं.	उद्योग	स्थापनाएं		सदस्य	
		संख्या	कुल का %	संख्या	कुल का %
1	विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली स्थापनाएं	98952	14.32%	17954651	20.99%
2	इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं सामान्य इंजीनियरिंग	80122	11.59%	10645864	12.45%
3	ट्रेडिंग एवं कमर्शियल स्थापनाएं	73074	10.57%	8152646	9.53%
4	इंजीनियर एवं इंजीनियरिंग ठेकेदार	49640	7.18%	5937609	6.94%
5	भवन एवं निर्माण	28607	4.14%	3965829	4.64%
6	बीड़ी निर्माण	7310	1.06%	3436527	4.02%
7	वस्त्र निर्माण फैक्ट्रियां	12779	1.85%	2879709	3.37%
8	कपड़ा	24741	3.58%	2728228	3.19%
9	हैवी एवं फाइन केमिकल्स	13680	1.98%	2103513	2.46%
10	लोहा तथा इस्पात	13920	2.01%	1677214	1.96%
11	सेटल	10478	1.52%	1409505	1.65%
12	कोई भी स्कूल	3898	0.56%	1165194	1.36%
13	अस्पताल	24288	3.51%	1142538	1.34%
14	सड़क मोटर परिवहन स्थापना	7617	1.10%	1045638	1.22%
15	कोई भी विश्वविद्यालय	9012	1.30%	1043154	1.22%
16	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	10706	1.55%	987541	1.15%
17	कम्प्यूटर्स	3880	0.56%	852798	1.00%
18	साधारण बोमा व्यवसाय	4062	0.59%	620572	0.73%
19	बिजली	4059	0.59%	616487	0.72%
20	बैंक के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं	8464	1.22%	605311	0.71%
21	कोई भी कॉलेज	189	0.03%	604056	0.71%
22	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	8911	1.29%	598336	0.70%
23	रेरज	7754	1.12%	587319	0.69%
24	सफाई	4393	0.64%	495849	0.58%
25	चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	4932	0.71%	477124	0.56%
शीर्ष 25 प्रकार के उद्योगों की कवरेज		515468	74.57%	71733215	83.86%
अन्य शेष उद्योग		175769	25.43%	13807109	16.14%
सभी उद्योगों की कवरेज		691237	100.00%	85540324	100.00%

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत संचितरण एजेंसियों की सूची		
1	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद और गुन्टूर)	आंध्र बैंक इंडियन बैंक भारतीय स्टेट बैंक
2.	बिहार	बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक सिंडिकेट बैंक
3	चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लुधियाना, उ.पू.क्षेत्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश	पंजाब नेशनल बैंक (उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर) भारतीय स्टेट बैंक
4.	दिल्ली (उत्तर और दक्षिण)	इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक
5	गोवा	बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक
6.	गुजरात (अहमदाबाद और वडोदरा)	देना बैंक भारतीय स्टेट बैंक
7.	झारखंड	बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
8.	केरल	केनरा बैंक फेडरल बैंक इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक भारतीय स्टेट बैंक सिंडिकेट बैंक
9.	कर्नाटक (बंगलूर एवं मंगलूर)	केनरा बैंक विजया बैंक कारपोरेशन बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (केवल मंगलूर क्षेत्र) सिंडिकेट बैंक
10	महाराष्ट्र (मुम्बई, पुणे एवं नागपुर)	बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (मुम्बई-1 के लिए) इंडियन बैंक
11	मध्य प्रदेश	पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक
12.	उड़ीसा	बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक यूको बैंक
13.	राजस्थान	पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ वोक्नेर एंड जयपुर
14.	तमिलनाडु (चेन्नै, मदुरै एवं कोयम्बतूर)	इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक भारतीय स्टेट बैंक
15.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	अण्डमान एवं निकोबार सहकारी बैंक लिमिटेड केवल (अ. एवं नि) पंजाब नेशनल बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
16.	पश्चिम बंगाल (जलपाईगुड़ी)	पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक यूको बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

पेंशनभोगियों का बर्गीकरण (31.03.2012 तक)																
पेंशन भोगी सदस्य																
क्रम सं.	क्षेत्र	पूर्व पेंशन (50-57) वर्ष	अधिवर्धिता पेंशन (58 वर्ष)	अराकतता पेंशन	कुल	सेवा में मृत्यु		सेवा छोड़ने के बाद मृत्यु	कुल	बाल पेंशन भोगी		कुल	अनाथ पेंशनभोगी	नामित पेंशनभोगी	माता / पिता पेंशनभोगी	कुल
						क.प.प.यो 71	क.प.प.यो 95			क.प.प.यो 71	क.प.प.यो 95					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1- दिल्ली-उत्तराखंड	डी एल	3423	4866	0	8289	3243	414	197	3854	120	988	1108	24	6	33	13314
2	डी एस	4232	6099	5	10336	67	3097	1495	4659	0	2011	2011	74	38	125	17243
3	यू के	7696	13660	15	21371	1916	5706	549	8171	78	8106	8184	222	89	153	38190
4 -महाराष्ट्र - छत्तीसगढ़	एम एच	40454	16099	24	56577	7471	12078	0	19549	95	11190	11285	648	221	417	88697
5	पी यू	83517	63683	353	147553	8027	25324	4418	37769	25	36852	36877	1019	322	878	224418
6	टी एच	42581	26847	27	69455	4	9370	12123	21497	7	22190	22197	1029	359	719	115256
7	एनओ	56274	42106	102	98482	6024	25356	2421	33801	16	20104	20120	0	220	418	153041
8	के डी	48012	43573	56	91641	7	19355	2028	21390	0	10493	10493	377	140	464	124505
9	सी ओ	21416	13945	38	35399	2069	5134	1371	8574	0	5880	5880	153	41	58	50105
10 - कर्नाटक- गोवा	के एन	72437	19931	87	92455	4123	10616	2096	16835	57	16312	16369	797	673	547	127676
11	पी चार्ल	21085	11413	3	32501	34	3736	1806	5576	0	3801	3801	88	93	390	42449
12	बी जी	22639	21333	19	43991	1465	14336	1723	17524	7	8066	8073	111	167	320	70186
13	जी बी	31075	21336	47	52458	4126	12595	2814	19535	60	17722	17782	495	211	475	90956
14	जी ए	1494	5716	12	7222	519	2198	148	2865	0	1925	1925	65	97	64	12238
15 - आंध्र प्रदेश- उड़ीसा	जी आर	56249	50580	92	106921	8343	26350	12688	47381	114	28296	28410	617	682	696	184707
16	एन जेड	76433	12479	31	88943	1843	13137	1112	16092	21	11551	11572	166	96	689	117558
17	ए पी	45345	26078	31	71454	3903	11712	3287	18902	32	10667	10699	464	266	470	102255
18	ओ आर	34788	30636	38	65462	3815	8393	4194	16402	17	16522	16539	355	30	354	99142
19 - गुजरात- मध्यप्रदेश	बी डी	15735	16338	6	32079	1481	5793	494	7768	3	5482	5485	74	134	79	45619
20	जी जे	61249	53406	23	114678	5602	21082	8687	35371	0	19818	19818	15	243	695	170820
21	एस आर	14480	8827	14	23321	1445	5715	1419	8579	0	4957	4957	195	114	219	37385
22	एम पी	73870	28035	55	101960	7514	16520	3553	27587	29	24869	24898	501	298	237	155481
23 हरियाणा- राजस्थान	एच आर	27494	13540	33	41067	1828	9431	1447	12706	9	14622	14631	317	47	222	68990
24	जी एन	4097	3945	8	8050	896	1847	421	3164	91	3380	3471	68	48	49	14850
25	आरजे	38204	21952	48	60204	5186	13280	3682	22148	41	17394	17435	390	145	324	100646
26 - पंजाब-चंडी- गढ़	जे एल	11038	16088	8	27134	1522	14168	1590	17280	45	16977	17022	706	168	232	62542
27	डब्ल्यू बी	69136	88221	23	157380	6386	30725	3885	40996	8	18744	18752	404	372	429	218333
28	एन ई	10180	10403	29	20612	1769	6489	821	9079	11	9896	9907	287	128	124	40137
29	जे एच	38537	39007	2	77546	3404	4036	3979	11419	22	17079	17101	159	21	13	106259
30 तमिलनाडु-केरल	टी एन	27040	28702	5	55747	6030	7516	2477	16023	35	10336	10371	267	259	464	83131
31	टी बी	32726	17699	10	50435	4293	10389	3150	17832	2	16338	16340	386	444	830	86267
32	एम डी	82187	25648	69	107904	5546	19863	4148	29537	87	15363	15450	830	690	770	155201
33	सी बी	86880	37195	46	124121	7160	20292	4919	32371	150	19606	19756	401	356	641	177646
34	के आर	114578	106999	745	222322	6476	27957	6590	41023	233	16629	16862	489	647	693	282036

35 - उत्तर प्रदेश- बिहार	यू पी	101371	78070	45	179486	12755	22764	2798	38317	358	40398	40756	879	339	198	259975
36	एम आर	24552	20246	9	44807	3436	10383	990	14809	24	18455	18479	475	172	301	79043
37	बी आर	47801	37308	17	85126	3914	19376	800	24090	1	22841	22842	300	136	68	132562
38 - पंजाब -हिमाचल प्रदेश	एल डी	17314	16376	35	33725	17314	16376	35	33725	54	13323	13377	244	137	171	81379
39	पी बी	7856	13985	11	21852	7856	13985	11	21852	99	9012	9111	318	160	103	53396
40	एच पी	3637	4141	10	7788	3637	4141	10	7788	8	3558	3566	32	61	145	19380
कुल		1579112	1116511	2231	2697854	172449	511035	110376	793860	1959	571753	573712	14441	8870	14277	4103014

स्थापनाओं तथा सदस्यों की अंशलवार (सेक्टर) स्थिति एवं संकेन्द्रण - छूट प्राप्त स्थापनाएं

क्षेत्र	स्थापनाएं		सदस्य	
	छूट प्राप्त	अखिल भारतीय %	छूट प्राप्त	अखिल भारतीय %
देहरादून	32	1.16%	59044	1.33%
दिल्ली (उत्तर)	138	5.02%	424564	9.58%
दिल्ली (दक्षिण)	87	3.16%	148589	3.35%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	257	9.35%	632197	14.26%
पंडीगढ़	41	1.49%	6346	0.14%
लुधियाना	24	0.87%	28868	0.65%
शिमला	87	3.16%	30947	0.70%
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	152	5.53%	66161	1.49%
कानपुर	139	5.05%	116178	2.62%
मेरठ	68	2.47%	83202	1.88%
फटना	96	3.49%	35581	0.80%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	303	11.02%	234961	5.30%
फरीदाबाद	44	1.60%	51129	1.15%
गुडगांव	47	1.71%	102321	2.31%
जयपुर	49	1.78%	127856	2.88%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	140	5.09%	281306	6.35%
अहमदाबाद	56	2.04%	120985	2.73%
वडोदा	40	1.45%	8306	0.19%
इंदौर	37	1.35%	42463	0.96%
सुरत	20	0.73%	10109	0.23%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	153	5.56%	181863	4.10%
कादियली	78	2.84%	114693	2.59%
मुम्बई-I, बांद्रा	256	9.31%	77158	1.74%
मुम्बई-II, वाने	70	2.55%	115094	2.60%
नागपुर	53	1.93%	111298	2.51%
पुणे	91	3.31%	190232	4.29%
रायपुर	40	1.45%	13449	0.30%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	588	21.38%	621924	14.03%
बंगलौर	43	1.56%	236594	5.34%
गुलबर्गा	33	1.20%	59627	1.35%
मंगलौर	33	1.20%	30851	0.90%
पणजी	13	0.47%	14443	0.33%
पोण्या	60	2.18%	579249	13.07%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	182	6.62%	929764	20.98%
पुवनेश्वर	101	3.67%	65687	1.48%
गन्दूर	52	1.89%	64220	1.45%
हैदराबाद	47	1.71%	232303	5.24%
निजामाबाद	11	0.40%	2645	0.06%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	211	7.67%	364855	8.23%
चेन्नै	67	2.44%	202225	4.56%
कोयम्बतूर	28	1.02%	62669	1.41%
मडुरै	14	0.51%	20427	0.46%
ताम्वरम	20	0.73%	23082	0.52%
तिरुवनंतपुरम्	64	2.33%	50376	1.14%
आ.का. (तमिलनाडू एवं केरल)	193	7.02%	358779	8.09%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	16	0.58%	10231	0.23%
जलपाईगुडी	9	0.33%	4958	0.11%
कोलकाता	468	17.02%	515722	11.63%
रांची	78	2.84%	229945	5.19%
आ.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड)	571	20.76%	760856	17.16%
अखिल भारतीय	2750	100.00%	4432666	100.00%

31.03.2012 तक कूट प्राप्त स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण					
राज्य		स्थापनाएं		सदस्य	
		संख्या	कुल का %	संख्या	कुल का %
1.	कर्नाटक	169	6.15%	915321	20.65%
2.	महाराष्ट्र	548	19.93%	608475	13.73%
3.	दिल्ली	225	8.18%	573153	12.93%
4.	पश्चिम बंगाल	477	17.35%	520680	11.75%
5.	तमिल नाडू	129	4.69%	308403	6.96%
उप - योग		1548	56.30%	2926032	66.02%
शेष राज्य		1202	43.70%	1506634	33.98%
40 क्षेत्रों की कुल संख्या		2750	100.00 %	4432666	100.00 %

सभी तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2011-12) (रूपये करोड़ों में)

क्षेत्र	क.म.नि.		क.पै.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	310.52	128.97	143.22	68.68	7.19	1.03	460.93	198.68
दिल्ली (उत्तर)	1,611.69	798.26	594.55	185.23	21.11	2.76	2,227.34	986.25
दिल्ली (दक्षिण)	1,793.91	925.95	556.10	234.93	20.33	0.97	2,370.34	1,161.86
आ.का. (दिल्ली एवं चंडीगढ़)	3,716.12	1,853.18	1,293.87	488.84	48.63	4.76	5,058.62	2,346.78
लुधियाना	562.54	408.99	168.63	92.38	8.77	1.07	739.94	502.43
शिमला	449.91	332.36	190.77	137.27	7.89	1.33	648.57	470.96
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	261.14	131.43	93.39	47.92	4.30	0.35	358.83	179.69
कानपुर	1,273.60	872.77	452.78	277.57	20.96	2.75	1,747.34	1,153.09
मेरठ	507.67	442.69	249.31	327.50	11.41	3.38	768.39	773.56
पटना	843.49	549.07	320.02	168.71	13.77	1.63	1,177.29	719.41
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	151.38	80.17	73.01	102.99	3.73	0.91	228.12	184.07
फरीदाबाद	1,502.55	1,071.92	642.34	599.19	28.91	5.92	2,173.80	1,677.04
गुडगांव	533.94	439.81	216.14	130.18	10.51	1.10	760.59	571.09
जयपुर	1,562.14	539.77	439.96	145.62	18.25	0.77	2,020.36	686.16
आ.का. (हरियाणा एवं अहमदाबाद)	703.12	438.67	257.21	176.27	11.05	1.07	971.38	616.00
बडोदा	2,799.20	1,418.24	913.32	452.07	39.81	2.94	3,752.32	1,873.25
इंदौर	1,145.74	659.34	450.19	285.37	17.11	2.45	1,613.04	947.17
सुरत	334.17	186.17	126.12	90.19	5.68	0.95	465.97	277.31
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	754.84	478.86	270.27	200.06	13.49	2.22	1,038.60	681.15
कोटाखली	585.53	328.90	226.17	113.39	11.06	1.35	822.75	443.63
मुम्बई- I, बांद्रा	2,820.29	1,653.27	1,072.74	689.02	47.34	6.96	3,940.37	2,349.25
मुम्बई- II, थाने	1,755.46	922.06	561.62	386.81	30.22	4.52	2,347.30	1,313.39
नागपुर	4,015.88	1,820.69	1,083.88	383.42	33.17	2.40	5,132.92	2,206.52
पुणे	1,630.80	745.02	489.76	253.76	23.52	0.85	2,144.08	999.63
रायपुर	596.54	355.74	234.84	302.15	25.18	2.15	856.56	660.04
आ.का. (महाराष्ट्र एवं बंगलौर)	2,196.99	1,017.87	656.05	203.57	12.39	3.18	2,865.42	1,224.62
गुलबर्गा	233.84	118.75	120.01	90.37	4.55	0.55	358.40	209.67
मंगलौर	10,429.52	4,980.13	3,146.14	1,620.08	129.03	13.65	13,704.70	6,613.86
पणजी	1,921.83	943.46	523.48	252.70	17.46	1.47	2,462.77	1,197.62
पोण्ढा	2,928.55	198.12	145.13	288.18	20.22	1.16	3,093.90	487.46
आ.का. (कर्नाटक एवं भुवनेश्वर)	303.33	259.34	175.40	118.36	6.68	1.55	485.41	379.25
गन्टूर	205.61	137.02	64.80	33.85	2.58	0.43	272.99	171.31
हैदराबाद	367.13	1,104.57	783.22	155.96	7.39	1.98	1,157.73	1,262.50
निजामाबाद	5,726.46	2,642.50	1,692.03	849.05	54.32	6.59	7,472.81	3,498.14
कोयंबतूर	580.11	225.43	262.35	126.13	10.66	1.08	853.12	352.64
मदुरै	714.78	357.66	301.12	266.06	5.51	1.20	1,021.40	624.93
ताम्वरम	2,222.04	977.24	702.65	283.50	29.02	1.58	2,953.71	1,262.32
तिरुवनंतपुरम्	197.45	157.22	91.34	102.40	17.16	3.63	305.96	263.25
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं चेन्नै)	3,714.38	1,717.55	1,357.47	778.09	62.34	7.50	5,134.19	2,503.14
कोयंबतूर	2,452.32	922.51	685.91	255.33	27.22	1.34	3,175.45	1,179.18
मदुरै	902.99	539.00	379.40	178.86	10.21	1.89	1,292.60	719.75
ताम्वरम	425.97	325.87	197.37	149.23	10.74	1.09	634.08	476.20
तिरुवनंतपुरम्	771.53	410.19	250.67	257.67	16.48	2.16	1,038.67	670.03
आ.का. (तमिलनाडु एवं गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र))	980.58	635.59	380.32	334.88	18.55	3.10	1,379.44	973.57
जलपाईगुडी	5,533.39	2,833.17	1,903.66	1,175.97	83.20	9.59	7,520.25	4,018.73
कोलकाता	210.09	99.81	89.77	63.36	5.53	1.48	305.38	164.64
रांची	246.65	204.85	128.25	74.88	8.09	4.86	382.99	284.59
अखिल भारतीय	1,216.48	692.07	573.98	382.53	31.56	7.15	1,822.02	1,081.74
अखिल भारतीय	242.74	116.27	151.12	188.86	6.70	0.83	400.55	305.96
अखिल भारतीय	1,915.95	1,112.99	943.13	709.63	51.87	14.32	2,910.94	1,836.94
अखिल भारतीय	39,431.44	20,155.72	13,417.47	7,639.50	566.40	75.00	53,415.32	27,870.22

सभी तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2010-11) (रूपये करोड़ों में)								
क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पै.यो.		क.नि.स.यो.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान		कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान
देहरादून	283.34	92.69	147.23	52.66	5.83	0.62	436.41	145.97
दिल्ली (उत्तर)	1,423.30	634.02	565.56	163.00	20.22	2.01	2,009.08	799.03
दिल्ली (दक्षिण)	1,560.15	436.39	432.18	96.41	18.39	0.49	2,010.71	533.29
आं.का. (दिल्ली एवं चंडीगढ़)	3,266.80	1,163.10	1,144.97	312.07	44.44	3.12	4,456.20	1,478.29
लुधियाना	471.35	330.01	146.50	75.77	7.01	0.57	624.86	406.35
शिमला	383.09	277.15	160.29	102.93	6.56	0.77	549.93	380.85
आं.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	1,050.06	697.87	381.21	214.55	17.04	1.51	1,448.31	913.93
कानपुर	483.97	334.25	231.39	247.39	10.25	2.37	725.61	584.01
मेरठ	711.50	377.07	280.85	120.59	11.61	0.96	1,003.96	498.62
पटना	141.87	53.03	61.79	97.04	3.13	0.68	206.79	150.75
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1,337.34	764.35	574.03	465.01	24.99	4.01	1,936.36	1,233.37
फरीदाबाद	448.50	291.97	191.61	109.28	9.04	0.57	649.15	401.82
गुडगाँव	1,261.68	393.21	354.81	108.21	15.83	0.35	1,632.32	501.77
जयपुर	585.08	307.58	232.52	134.56	9.02	0.63	826.62	442.77
आं.का. (हरियाणा एवं अहमदाबाद)	2,295.26	992.77	778.93	352.04	33.90	1.55	3,108.09	1,346.36
बड़ौदा	942.75	510.10	390.57	233.81	14.59	1.43	1,347.90	745.34
इंदौर	288.15	123.65	116.44	60.96	5.13	0.42	409.72	185.03
सुरत	613.07	316.93	228.93	161.46	10.84	1.55	852.83	479.94
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	512.66	240.77	201.29	76.42	9.53	0.83	723.48	318.02
कादिवाली	2,356.63	1,191.45	937.23	532.66	40.08	4.24	3,333.94	1,728.35
मुम्बई- I, वांदा	1,518.43	493.37	487.72	219.85	22.91	1.78	2,029.06	715.00
मुम्बई- II, धाने	3,037.94	885.55	942.17	208.69	29.26	1.78	4,009.37	1,096.02
नागपुर	1,327.90	624.69	425.53	223.02	21.20	1.51	1,774.63	849.22
पुणे	493.18	293.23	190.15	186.54	10.51	1.97	693.84	481.74
रायपुर	1,773.45	673.61	578.38	377.04	25.89	2.38	2,377.72	1,053.03
आं.का. (महाराष्ट्र एवं बंगलौर)	186.32	86.71	104.51	64.14	3.68	0.44	294.52	151.29
गुलबर्गा	8,337.23	3,057.16	2,728.46	1,279.28	113.45	9.87	11,179.14	4,346.31
मंगलौर	1,584.40	510.32	433.17	194.91	14.91	0.72	2,032.48	705.95
पणजी	256.26	143.35	130.75	96.33	5.46	0.91	392.46	240.59
पोण्या	312.87	202.21	156.28	125.52	6.46	1.20	475.61	328.93
आं.का. (कर्नाटक एवं भुवनेश्वर)	178.15	86.71	58.59	25.82	2.21	0.16	238.95	112.69
गन्दूर	2,356.69	674.31	643.41	190.51	16.20	0.53	3,016.29	865.35
हैदराबाद	4,688.36	1,616.89	1,422.19	633.09	45.23	3.52	6,155.78	2,253.50
निजामाबाद	432.86	157.97	194.62	102.55	9.33	0.71	636.81	261.23
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं चेन्नै)	595.42	266.39	255.80	208.52	14.01	2.14	865.23	477.05
कोयम्बतूर	1,850.58	813.04	603.69	288.03	22.44	1.19	2,476.72	1,102.26
मडुरै	167.24	136.68	77.29	80.54	4.63	0.88	249.16	218.10
ताम्वरम	3,046.11	1,374.08	1,131.41	679.63	50.41	4.91	4,227.92	2,058.62
तिरुवनंतपुरम्	1,961.63	797.29	582.34	230.97	21.08	1.22	2,565.05	1,029.48
आं.का. (तमिलनाडु एवं गुवाहाटी (पूर्वांतर क्षेत्र))	733.13	426.25	332.62	213.07	13.60	1.34	1,079.35	640.66
जलपाईगुडी	365.32	259.98	171.04	161.44	8.58	0.99	544.93	422.41
कालकोता	628.99	288.40	211.25	111.98	9.07	0.69	849.31	401.07
रांची	781.10	497.68	314.98	265.46	14.91	1.71	1,110.99	764.85
आं.का. (पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय)	4,470.17	2,269.60	1,612.24	982.92	67.24	5.94	6,149.65	3,258.46
रॉयची	201.37	79.96	80.92	42.74	4.51	0.90	286.81	123.60
रांची	203.77	175.69	108.36	62.31	6.65	2.77	318.79	240.77
रांची	1,053.89	468.47	512.58	282.13	26.92	3.66	1,593.39	754.26
रांची	187.42	77.11	129.47	94.26	5.15	0.51	322.04	171.88
रांची	1,646.45	801.22	831.33	481.44	43.24	7.84	2,521.03	1,290.50
रांची	32,494.41	13,928.48	11,542.00	5,932.69	480.01	46.51	44,516.42	19,907.68

सभी तीनों योजनाओं में अंशदान एवं भुगतान (2009-10) (रूपये करोड़ों में)								
क्षेत्र	क.म.नि.		क.प.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	185.82	79.43	107.35	43.73	4.49	0.61	297.66	123.78
दिल्ली (उत्तर)	1,223.13	391.95	473.29	141.90	30.68	1.08	1,727.10	534.93
दिल्ली (दक्षिण)	1,143.36	523.97	365.88	116.27	15.86	0.59	1,525.10	640.83
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	2,552.31	995.35	946.53	301.90	51.03	2.28	3,549.86	1,299.53
चंडीगढ़	398.36	284.49	126.86	64.96	5.76	0.77	530.98	350.23
लुधियाना	319.99	256.01	140.12	89.66	5.75	0.95	465.86	346.62
शिमला	164.66	77.43	66.57	30.35	3.03	0.18	234.25	107.96
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	883.01	617.93	333.55	184.97	14.54	1.91	1,231.09	804.81
कानपुर	395.05	309.05	204.09	235.37	8.63	2.79	607.77	547.21
मेरठ	601.49	354.10	246.72	108.97	11.18	1.14	859.40	464.20
पटना	97.66	67.59	54.79	108.24	2.75	0.93	155.20	176.76
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1,094.21	730.75	505.60	452.58	22.56	4.85	1,622.37	1,188.18
फरीदाबाद	387.63	244.61	165.43	89.75	7.41	0.46	560.48	334.83
गुडगांव	1,003.48	340.92	293.85	89.98	13.13	0.56	1,310.46	431.46
जयपुर	507.94	288.60	205.26	139.36	8.00	0.66	721.21	428.62
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	1,899.05	874.14	664.55	319.09	28.55	1.68	2,592.15	1,194.91
अहमदाबाद	800.74	432.61	348.50	198.00	12.38	1.17	1,161.63	631.78
बड़ौदा	240.40	124.91	101.92	62.14	3.99	0.54	346.31	187.59
इंदौर	528.78	302.82	194.54	149.37	9.51	1.01	732.84	453.20
सुरत	436.65	243.39	175.07	77.18	8.09	0.71	619.81	321.27
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2,006.58	1,103.73	820.03	486.68	33.97	3.44	2,860.58	1,593.84
काठिवाली	1,224.97	599.04	448.56	234.36	23.55	2.05	1,697.07	835.45
मुम्बई- I, बांद्रा	2,547.39	1,120.68	814.74	262.47	26.43	2.55	3,388.56	1,385.69
मुम्बई- II, थाने	1,071.74	475.49	371.22	164.56	17.34	1.23	1,460.30	641.28
नागपुर	410.14	261.14	163.85	178.03	8.83	2.02	582.82	441.19
पुणे	1,394.34	611.40	478.64	274.79	21.42	3.33	1,894.40	889.52
रायपुर	147.97	87.31	91.48	69.52	3.05	0.47	242.50	157.30
आ.का. (महाराष्ट्र एवं)	6,796.54	3,155.06	2,368.49	1,183.73	100.63	11.65	9,265.66	4,350.44
बंगलूर	1,388.01	499.91	382.89	171.28	14.82	0.84	1,785.72	672.03
गुलबर्गा	222.27	137.72	118.16	94.71	4.75	1.15	345.18	233.58
संगली	257.69	175.52	134.15	107.14	5.60	1.04	397.44	283.70
पणजी	151.16	82.39	49.62	23.98	1.80	0.23	202.58	106.59
पोण्या	1,906.06	649.43	530.63	181.82	13.55	0.59	2,450.24	831.83
आ.का. (कर्नाटक एवं)	3,925.20	1,544.97	1,215.45	578.92	40.52	3.85	5,181.17	2,127.74
भुवनेश्वर	348.50	153.31	173.86	90.54	7.65	0.72	530.01	244.57
गन्टूर	452.95	252.51	214.68	197.41	10.99	2.09	678.62	452.01
हैदराबाद	1,548.08	578.07	509.80	190.62	17.85	1.10	2,075.73	769.79
निनामाबाद	132.92	133.18	66.34	75.65	3.82	1.02	203.09	209.85
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं)	2,482.45	1,117.07	964.69	554.21	40.31	4.94	3,487.46	1,676.22
चेन्नै	1,565.60	577.72	492.40	179.47	17.09	0.92	2,075.08	758.11
कोयम्बतूर	621.69	441.22	287.68	196.94	11.41	1.43	920.78	639.59
मदुरै	353.71	241.33	146.70	144.10	7.24	0.96	507.65	386.39
ताम्वरम	473.01	277.13	168.97	108.00	7.15	0.72	649.13	385.85
तिरुवनंतपुरम्	639.84	439.56	272.73	256.31	13.24	1.79	925.80	697.66
आ.का. (तमिलनाडु एवं)	3,653.84	1,976.97	1,368.47	884.82	56.13	5.81	5,078.44	2,867.60
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	138.29	74.73	69.67	39.87	3.53	1.34	211.48	115.93
जलपाईगुड़ी	166.94	165.82	93.51	59.60	5.81	3.05	266.26	228.48
कोलकोता	809.49	556.24	434.19	283.08	21.66	4.00	1,265.34	843.31
रांची	150.30	75.55	110.90	109.60	3.98	0.69	265.18	185.84
आ.का. (पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय)	1,265.01	872.34	708.26	492.15	34.98	9.07	2,008.26	1,373.56
	26,558.20	12,988.29	9,895.61	5,439.04	423.22	49.48	36,877.04	18,476.82

क.प.नि. शेष पर मासिक चालू शेष व्याज का दर

वर्ष	व्याज दर	वर्ष	व्याज दर
1952-53	3%	1981-82	8.50%
1953-54	3%	1982-83	8.75%
1954-55	3%	1983-84	9.15%
1955-56	3.50%	1984-85	9.90%
1956-57	3.50%	1985-86	10.15%
1957-58	3.75%	1986-87	11%
1958-59	3.75%	1987-88	11.50%
1959-60	3.75%	1988-89	11.80%
1960-61	3.75%	1989-90	12%
1961-62	3.75%	1990-91	12%
1962-63	3.75%	1991-92	12%
1963-64	4%	1992-93	12%
1964-65	4.25%	1993-94	12%*
1965-66	4.50%	1994-95	12%*
1966-67	4.75%	1995-96	12%*
1967-68	5%	1996-97	12%*
1968-69	5.25%	1997-98	12%*
1969-70	5.50%	1998-99	12%*
1970-71	5.70%	1999-00	12%*
1971-72	5.80%	2000-01	12 % 11% (*)
1972-73	6%	2001-02	9.50%
1973-74	6%	2002-03	9.50%
1974-75	6.50%	2003-04	9.50%
1975-76	7%	2004-05	9.5% @
1976-77	7.50%	2005-06	8.50%
1977-78	8%	2006-07	8.50%
1978-79	8.25%+0.5%bonus***	2007-08	8.50%
1979-80	8.25%	2008-09	8.50%
1980-81	8.25%	2009-10	8.50%
		2010-11	9.50%
		2011-12	8.25%
***1976-1977 व 1977-1978 के दौरान जिन्होंने अपने भविष्य निर्ध से कोई राशि का प्रत्याहरण न किया हो			
(*)मासिक चालू शेष पर अप्रैल-जून 2001 पर 12% तथा जुलाई 2001 से 11%.			
@ 9% व्याज तथा 0.5% स्वर्ण जयन्ती बोनस व्याज			

अछूत प्राप्ति क्षेत्र में क.म.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रूपये करोड़ों में)									
क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.म.नि. देय	क.म.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.म.नि. देय	क.म.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.म.नि. देय	क.म.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
पेहरादून	43.33	1.02	44.35	13.02	0.34	13.36	30.31	0.68	30.99
दिल्ली (उत्तर)	28.37	1.99	30.36	4.37	0.31	4.68	24.01	1.68	25.69
दिल्ली (दक्षिण)	374.64	26.12	400.76	16.83	0.08	16.91	357.81	26.04	383.85
ऑ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	446.34	29.13	475.48	34.22	0.73	34.95	412.13	28.40	440.53
चंडीगढ़	51.39	5.87	57.26	11.26	0.66	11.91	40.13	5.21	45.34
लुधियाना	24.01	1.84	25.85	7.97	0.55	8.53	16.04	1.29	17.32
शिमला	4.81	0.39	5.20	1.99	0.15	2.14	2.82	0.24	3.06
ऑ.का. (पंजाब एवं हिमाचल)	80.21	8.10	88.31	21.22	1.36	22.58	58.99	6.74	65.73
कानपुर	140.34	9.85	150.19	32.73	2.30	35.03	107.60	7.55	115.16
मेरठ	30.50	2.89	33.38	9.25	0.61	9.86	21.25	2.27	23.52
पटना	27.34	2.22	29.56	7.72	0.70	8.42	19.61	1.52	21.13
ऑ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	198.17	14.96	213.12	49.70	3.61	53.31	148.46	11.35	159.81
फरीदाबाद	21.33	2.47	23.79	8.34	0.55	8.89	12.99	1.92	14.91
गुडगांव	13.28	0.93	14.21	7.34	0.51	7.85	5.94	0.42	6.36
नयपुर	24.79	1.64	26.43	8.22	0.59	8.81	16.57	1.05	17.62
ऑ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	59.40	5.04	64.44	23.89	1.66	25.55	35.51	3.38	38.89
अहमदाबाद	38.55	5.46	44.01	12.96	0.96	13.92	25.59	4.49	30.08
बड़ोदा	16.29	1.31	17.60	9.95	0.70	10.65	6.34	0.61	6.95
इंदौर	180.14	13.75	193.89	49.81	4.07	53.88	130.33	9.68	140.01
सुरत	14.62	2.23	16.85	5.69	0.88	6.57	8.93	1.34	10.28
ऑ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	249.60	22.74	272.35	78.41	6.62	85.02	171.20	16.13	187.32
कांदिवाली	67.35	3.96	71.31	12.00	0.71	12.71	55.35	3.26	58.60
मुम्बई- I, बांद्रा	75.17	13.15	88.32	4.21	0.44	4.65	70.96	12.71	83.67
मुम्बई- II, धाने	32.34	2.55	34.89	11.14	1.60	12.74	21.19	0.95	22.15
नागपुर	110.52	7.34	117.86	28.18	1.98	30.16	82.34	5.36	87.70
पुणे	71.92	7.64	79.56	28.39	1.36	29.75	43.53	6.28	49.81
रायपुर	18.48	0.57	19.05	1.84	0.17	2.01	16.64	0.40	17.04
ऑ.का. (महाराष्ट्र एवं बंगलौर)	375.77	35.22	410.99	85.76	6.26	92.02	290.01	28.97	318.97
बंगलौर	377.29	23.38	400.67	351.44	19.50	370.94	25.85	3.88	29.73
गुलबर्गा	21.51	1.60	23.11	4.67	0.35	5.02	16.84	1.25	18.09
मंगलौर	20.19	1.32	21.51	6.77	0.43	7.20	13.42	0.89	14.31
पणजी	4.27	0.35	4.62	1.40	0.09	1.49	2.87	0.27	3.13
पोण्णा	48.92	3.16	52.09	32.23	2.07	34.30	16.69	1.09	17.79
ऑ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	472.19	29.81	502.00	396.51	22.44	418.95	75.68	7.37	83.05
भुवनेश्वर	148.65	11.55	160.20	89.35	6.27	95.63	59.30	5.28	64.58
गन्टूर	73.90	5.23	79.14	32.65	2.30	34.95	41.25	2.94	44.19
हैदराबाद	75.25	6.79	82.04	23.61	1.97	25.58	51.64	4.82	56.46
निजामाबाद	17.24	1.17	18.41	9.99	0.59	10.58	7.25	0.58	7.83
ऑ.का. (आंध्र प्रदेश एवं चेन्नै)	315.05	24.74	339.79	155.61	11.13	166.74	159.44	13.61	173.06
चेन्नै	69.03	4.84	73.87	45.17	2.35	47.52	23.86	2.49	26.35
कोयम्बतूर	95.12	8.33	103.45	32.26	2.38	34.64	62.86	5.95	68.81
मद्रास	64.54	4.12	68.66	25.90	1.85	27.75	38.64	2.27	40.91
ताम्वरम	42.59	3.79	46.38	26.38	2.26	28.64	16.21	1.53	17.74
तिरुवनंतपुरम्	144.38	11.23	155.61	48.23	3.46	51.69	96.14	7.78	103.92
ऑ.का. (तमिलनाडु एवं गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र))	415.65	32.31	447.96	177.95	12.29	190.24	237.70	20.02	257.72
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	15.65	1.26	16.90	3.15	0.30	3.45	12.50	0.96	13.45
जलपाईगुडी	48.60	4.93	53.53	24.12	2.32	26.44	24.47	2.61	27.08
कोलकोता	92.88	3.37	96.24	11.19	0.64	11.83	81.69	2.73	84.42
रांची	17.80	1.65	19.45	2.56	0.32	2.88	15.24	1.33	16.57
ऑ.का. (पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय)	174.92	11.20	186.12	41.03	3.57	44.60	133.89	7.63	141.52
अखिल भारतीय	2787.31	213.26	3000.57	1064.30	69.66	1133.96	1723.00	143.60	1866.61

नोट : बकाया में 7 क्यू. 14 बी शामिल हैं।

अकूट प्राप्त क्षेत्र में क.प. योजना, 1995 के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रूपये करोड़ों में)			
क्षेत्र	कार्यभार	एकत्रित राशि	अंत शेष
देहरादून	13.38	1.64	11.74
दिल्ली (उत्तर)	14.95	2.32	12.63
दिल्ली (दक्षिण)	196.54	0.55	195.99
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	224.87	4.51	220.36
चंडीगढ़	23.68	3.68	20.00
लुधियाना	14.86	3.38	11.48
शिमला	3.41	1.17	2.24
आ.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	41.96	8.23	33.72
कानपुर	74.60	17.40	57.20
मेरठ	14.19	4.50	9.69
पटना	18.72	4.52	14.20
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	107.51	26.42	81.09
फरीदाबाद	16.57	4.12	12.45
गुडगांव	7.06	3.90	3.16
जयपुर	15.22	4.18	11.05
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	38.86	12.20	26.66
अहमदाबाद	64.34	20.80	43.54
बड़ौदा	8.52	3.89	4.63
इंदौर	101.80	23.97	77.83
सुरत	9.96	2.13	7.83
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	184.62	50.79	133.83
काँदिवली	27.75	4.95	22.80
मुम्बई- I, बांद्रा	45.36	2.57	42.79
मुम्बई- II, धाने	19.35	2.57	16.77
नागपुर	58.56	14.98	43.58
पुणे	42.04	7.30	34.74
रायपुर	9.83	1.38	8.45
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	202.88	33.75	169.13
बंगलूर	85.86	76.60	9.26
गुलबर्गा	12.48	2.68	9.81
मंगलूर	10.61	3.69	6.92
पणजी	2.45	0.54	1.91
पोण्या	26.23	15.03	11.20
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	137.64	98.54	39.10
भुवनेश्वर	85.21	47.50	37.71
गन्टूर	39.82	17.08	22.74
हैदराबाद	45.59	11.07	34.53
निजामाबाद	9.15	5.55	3.60
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	179.78	81.20	98.58
चेन्नै	26.55	14.03	12.52
कोयंबतूर	59.68	17.76	41.92
मडुरै	39.52	12.74	26.78
ताम्वरम	21.29	9.75	11.54
तिरुवनंतपुरम्	84.42	23.62	60.80
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	231.45	77.90	153.55
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	8.42	2.05	6.37
जलपाईगुड़ी	39.88	12.43	27.45
कोलकोता	32.42	5.31	27.11
रांची	14.49	2.14	12.35
आ.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं	95.21	21.93	73.28
अखिल भारतीय	1444.77	415.46	1029.31

अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.नि.स.बी.योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया (रूपये करोड़ों में)									
क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.नि.स.बी. योजना देय	क.नि.स.बी. योजना प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. योजना देय	क.नि.स.बी. योजना प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. योजना देय	क.नि.स.बी. योजना प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
देहरादून	1.57	0.07	1.64	0.07	0.02	0.09	1.49	0.05	1.54
दिल्ली (उत्तर)	0.93	0.02	0.95	0.14	0.00	0.14	0.79	0.02	0.81
दिल्ली (दक्षिण)	11.79	0.25	12.04	0.04	0.00	0.04	11.75	0.25	12.00
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	14.29	0.34	14.63	0.25	0.02	0.27	14.04	0.32	14.36
चंडीगढ़	6.50	0.11	6.60	3.13	0.04	3.16	3.37	0.07	3.44
लुधियाना	1.60	0.22	1.81	0.60	0.01	0.61	0.99	0.21	1.20
शिमला	0.14	0.01	0.15	0.06	0.00	0.06	0.08	0.00	0.08
आं.का. (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	8.23	0.33	8.56	3.79	0.05	3.84	4.44	0.28	4.72
कानपुर	4.48	0.09	4.57	1.04	0.02	1.07	3.43	0.07	3.50
मेरठ	2.07	0.19	2.26	0.76	0.01	0.77	1.30	0.19	1.49
पटना	1.61	0.16	1.77	1.02	0.06	1.08	0.59	0.10	0.69
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	8.15	0.45	8.60	2.83	0.09	2.91	5.32	0.36	5.68
फरीदाबाद	2.09	0.04	2.13	0.25	0.01	0.26	1.84	0.03	1.87
गुडगांव	0.42	0.01	0.43	0.23	0.01	0.24	0.19	0.00	0.19
जयपुर	0.93	0.08	1.01	0.37	0.01	0.37	0.56	0.08	0.63
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	3.44	0.13	3.57	0.85	0.02	0.87	2.59	0.11	2.70
अहमदाबाद	2.25	0.15	2.40	0.52	0.01	0.53	1.74	0.14	1.88
बड़ोदा	0.49	0.01	0.51	0.25	0.01	0.26	0.24	0.01	0.25
इंदौर	6.23	0.28	6.52	1.90	0.07	1.96	4.34	0.22	4.56
सुरत	0.92	0.15	1.08	0.18	0.00	0.19	0.74	0.15	0.89
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	9.91	0.60	10.50	2.85	0.08	2.93	7.06	0.52	7.57
कोयंबटूर	2.47	0.07	2.54	0.44	0.01	0.45	2.03	0.06	2.09
मुम्बई- I, बांद्रा	2.36	0.07	2.43	0.20	0.05	0.25	2.16	0.02	2.18
मुम्बई- II, याने	3.15	0.35	3.50	0.97	0.32	1.29	2.18	0.03	2.21
नागपुर	4.62	0.07	4.69	0.90	0.02	0.92	3.72	0.05	3.78
पुणे	8.18	1.60	9.78	2.36	0.10	2.47	5.81	1.50	7.31
रायपुर	1.16	0.02	1.19	0.06	0.00	0.06	1.10	0.02	1.12
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	21.95	2.18	24.13	4.93	0.50	5.44	17.01	1.68	18.69
बंगलौर	4.50	0.75	5.25	1.46	0.06	1.53	3.03	0.69	3.72
गुलबर्गा	0.74	0.02	0.76	0.12	0.00	0.13	0.62	0.01	0.64
मंगलौर	0.87	0.04	0.91	0.26	0.01	0.26	0.62	0.03	0.65
पणजी	0.15	0.02	0.16	0.03	0.00	0.03	0.12	0.02	0.14
पीण्या	1.27	0.15	1.42	0.81	0.02	0.83	0.46	0.13	0.60
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	7.53	0.98	8.51	2.68	0.09	2.77	4.85	0.89	5.74
भुवनेश्वर	6.05	0.17	6.22	2.85	0.06	2.91	3.20	0.11	3.31
गन्टूर	2.45	0.06	2.51	1.06	0.02	1.08	1.40	0.04	1.43
हैदराबाद	3.23	0.16	3.39	0.73	0.02	0.74	2.50	0.15	2.65
निजामाबाद	0.85	0.02	0.87	0.50	0.01	0.51	0.34	0.01	0.36
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	12.57	0.42	12.99	5.13	0.10	5.24	7.44	0.31	7.75
चेन्नै	6.03	0.20	6.23	4.95	0.02	4.98	1.08	0.18	1.26
कोयंबटूर	3.51	0.09	3.59	1.24	0.03	1.27	2.27	0.05	2.32
मदुरै	1.72	0.05	1.78	0.76	0.02	0.78	0.96	0.03	1.00
ताम्वरम	1.44	0.08	1.52	0.86	0.02	0.88	0.58	0.07	0.64
तिरुवनंतपुरम्	5.73	0.20	5.93	2.20	0.05	2.25	3.53	0.15	3.68
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	18.44	0.62	19.06	10.02	0.14	10.15	8.42	0.48	8.90
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1.67	0.07	1.74	0.16	0.01	0.17	1.51	0.06	1.57
जलपाइगुडी	2.08	0.06	2.14	1.02	0.03	1.05	1.06	0.03	1.09
कोलकोता	2.74	0.13	2.87	0.35	0.01	0.35	2.39	0.13	2.51
रांची	0.82	0.16	0.98	0.15	0.00	0.15	0.67	0.16	0.83
आं.का. (पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर)	7.31	0.42	7.73	1.67	0.05	1.73	5.63	0.36	6.00
अखिल भारतीय	111.8	6.46	118.27	35.01	1.15	36.15	76.81	5.31	82.12

परिशिष्ट ए -17

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन (सभी योजनाएं) (रूपये करोड़ों में)				
क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	कुल मांग
देहरादून	29.63	14.64	0.00	44.27
दिल्ली (उत्तर)	0.00	39.13	0.00	39.13
दिल्ली (दक्षिण)	0.00	591.85	0.00	591.85
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	29.63	645.62	0.00	675.25
चंडीगढ़	18.75	49.13	0.90	68.78
लुधियाना	3.31	26.70	0.00	30.01
शिमला	0.00	5.31	0.08	5.39
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	22.06	81.14	0.98	104.18
कानपुर	47.01	116.40	12.44	175.86
मेरठ	8.84	25.87	0.00	34.71
पटना	10.26	25.39	0.37	36.03
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	66.11	167.67	12.81	246.59
फरीदाबाद	0.00	29.23	0.00	29.23
गुडगांव	0.00	9.71	0.00	9.71
जयपुर	1.64	27.23	0.43	29.30
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	1.64	66.18	0.43	68.25
अहमदाबाद	28.51	46.99	0.00	75.50
बड़ौदा	0.00	11.83	0.00	11.83
इंदौर	159.21	63.19	0.00	222.40
सूरत	0.00	19.00	0.00	19.00
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	187.72	141.01	0.00	328.73
कांदिवली	0.00	83.49	0.00	83.49
मुम्बई -I (बान्द्रा)	100.09	28.55	0.00	128.64
मुम्बई -II (थाणे)	0.00	41.13	0.00	41.13
नागपुर	8.94	88.73	37.38	135.06
पुणे	0.00	79.67	12.19	91.86
रायपुर	16.46	9.83	0.32	26.61
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	125.49	331.41	49.89	506.80
बंगलौर	28.43	14.28	0.00	42.71
गुलबर्गा	0.77	27.31	0.46	28.54
मंगलौर	2.96	18.76	0.16	21.88
पणजी	0.64	4.54	0.00	5.18

पीण्या	0.15	29.23	0.20	29.58
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	32.96	94.11	0.82	127.89
भुवनेश्वर	56.50	48.82	0.28	105.60
गुंटूर	14.84	52.51	1.01	68.36
हेदराबाद	3.31	90.33	0.00	93.63
निजामाबाद	0.93	10.82	0.04	11.79
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	75.58	202.48	1.33	279.39
चेन्नई	0.78	39.28	0.06	40.12
कोयम्बटूर	4.65	99.16	9.25	113.05
मदुरै	1.30	63.76	3.63	68.69
ताम्वरम	10.34	18.24	1.34	29.92
तिरुवनंतपुरम	19.64	135.48	13.28	168.40
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	36.71	355.91	27.56	420.18
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	12.61	6.89	1.89	21.39
जलपाईगुड़ी	4.79	50.80	0.04	55.62
कोलकाता	26.57	87.23	0.25	114.04
रांची	0.00	28.47	1.28	29.74
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	43.97	173.37	3.45	220.80
संपूर्ण भारत	621.88	2258.90	97.27	2978.04
टिप्पणी : बकाया में 7 क्यू, 14बी तथा प्रशासनिक प्रभार भी शामिल हैं।				

50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र)		
क्षेत्र	चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या	राशि (करोड़ों में)
देहरादून	10	30.03
दिल्ली (उत्तर)	7	21.88
दिल्ली (दक्षिण)	7	600.39
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	24	652.29
चंडीगढ़	9	33.88
लुधियाना	7	12.84
शिमला	1	0.52
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	17	47.23
कानपुर	39	84.42
मेरठ	14	14.26
पटना	12	17.80
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	65	116.48
फरीदाबाद	9	21.97
गुड़गांव	0	0.00
जयपुर	11	13.41
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	20	35.38
अहमदाबाद	19	37.72
बड़ोदा	8	6.70
इंदौर	42	184.12
सूरत	6	7.55
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	75	236.09
कांदिवली	29	133.12
मुम्बई - I (बान्द्रा)	34	116.26
मुम्बई - II (थाणे)	13	46.92
नागपुर	47	196.64
पुणे	28	120.19
रायपुर	6	19.79
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	157	632.92
बंगलौर	13	32.50
गुलबर्गा	3	1.77
मंगलौर	5	15.29
पणजी	2	1.23
पोण्या	8	7.81

आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	31	58.61
भुवनेश्वर	34	68.87
गुंटूर	13	28.20
हैदराबाद	17	44.36
निजामाबाद	1	1.66
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	65	143.09
चेन्नई	12	10.39
कोयम्बटूर	44	76.66
मदुरै	23	48.10
ताम्वरम	11	15.48
तिरुवनंतपुरम	53	93.49
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	143	244.13
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	8	13.35
जलपाईगुडी	30	35.66
कोलकाता	35	96.08
रांची	7	8.41
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	80	153.50
संपूर्ण भारत	677	2319.71

एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र) 2011-12					
क्रम. सं.	क्षेत्र कोड	कोड सं.	चूककर्ता स्थापना का नाम	कुल चूक (करोड़ों में)	कुल चूक (करोड़ों में)
देहरादून					
1	यू ए	14072	मैसर्स एच एम टी वाच फैक्ट्री	22.48	
2	यू ए	7018	मैसर्स मैग्नेसाइट एंड मिनरल	1.88	
3	यू ए	16927	मैसर्स क्रिसटल क्रेडिट नैनीताल	1.01	
क्षेत्र का कुल					25.38
दिल्ली उत्तर					
1	डी एल	26342	मैसर्स विशाल रिटेल लि.	10.37	
2	डी एल	35351	मैसर्स एम.लक्ष्मी वाटिका लि.	3.85	
3	डी एल	4831	मैसर्स सेवा इंटरनेशनल फैशनस	2.41	
4	डी एल	7112	मैसर्स नैन्सी क्रॉफ्टस	1.52	
5	डी एल	17549	मैसर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी	1.49	
6	डी एल	10148	मैसर्स एलबी सर्विसस प्राइवेट लि.	1.29	
क्षेत्र का कुल					20.94
दिल्ली					
1	डी एल	7227	मैसर्स बी.एल. कश्यप एंड संस लि.	592.77	
2	डी एल	8076	मैसर्स एलटोस इंडिया प्रा.लि.	3.17	
3	डी एल	8685	मैसर्स एस लैबोर्ट्रीज लि.	1.61	
4	डी एल	17946	मैसर्स डी एस एस मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	1.01	
क्षेत्र का कुल					598.56
चंडीगढ़					
1	पी एन	13882	मैसर्स गोल्डन फारेस्ट (आई) लि., लालरू, पटियाला	16.04	
2	पी एन	13796	मैसर्स जैन आनंदपुर साहिब हाईडोल , गंगूवाल	6.53	
3	पी एन	4715	मैसर्स पुनवायर लि., मोहाली	4.14	
4	पी एन	12686	मैसर्स जे.सी.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स लि., फेस VIII, मोहाली	2.25	
5	पी एन	4988	मैसर्स निदेशक पीजीआई, चंडीगढ़	1.65	
6	पी एन	386	मैसर्स पी आर टी सी, पटियाला (छूट प्राप्त)	1.19	
क्षेत्र का कुल					31.81
लुधियाना					
1	पीएन	15106	मैसर्स बाबा शूज, गोइंदवाल साहिब, ए एस आर	5.83	
2	पीएन	14738	मैसर्स एकजीक्यूटिव इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पंजाब मंडी बोर्ड , गुरदासपुर	2.33	
3	पीएन	1748	मैसर्स ऑटो पिस्टन, लि. ए एस आर	2.06	
क्षेत्र का कुल					10.22

शिमला					
कानपुर					
1	यू पी	12149	मैसर्स माउ ऐमा सहकारी कताई मिल इलाहाबाद (यू पी/12149)	9.45	
2	यू पी	1416	मैसर्स मित्रा प्रकाशन	1.10	
3	यू पी	4049	मैसर्स डंकन इंडिया लि., कानपुर (यू पी /4049)	7.11	
4	यू पी	1151	मैसर्स एस. एंड कैमिकल ब्ले	1.33	
5	यू पी	14436	मैसर्स यू पी कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल, जे पी नगर (यू पी/14436)	3.85	
6	यू पी	4805	मैसर्स यू पी एस आर टी सी, कानपुर	1.05	
7	यू पी	784	मैसर्स यू पी एस आर टी सी, कानपुर	2.50	
8	यू पी	39	मैसर्स लाल इमली मिल्स, कानपुर	1.91	
9	यू पी	204	मैसर्स वेव इन्डस्ट्रीज	1.22	
10	यू पी	15285	मैसर्स यू पी सहकारी मिल्स फतेहपुर	6.35	
11	यू पी	338	मैसर्स इलाहाबाद पत्रिका	4.65	
12	यू पी	6156	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, आजमगढ़ (यू पी/6156)	3.19	
13	यू पी	1189	मैसर्स यूपीका, कानपुर	6.90	
14	यू पी	336	मैसर्स एसोसिएटिड जर्नल्स, एल के ओ	2.90	
15	यू पी	332	मैसर्स आई टी आर, बरेली, ब्ले	2.78	
16	यू पी	13862	मैसर्स बेतुला रिवर बोर्ड, ललितपुर , झांसी (यू पी/13852)	2.74	
17	यू पी	28043	मैसर्स कमलापुर शूगर इंडस्ट्रीज (यू पी/28043)	2.60	
18	यू पी	417	मैसर्स यू पी एस आर टी. सी., के.एन.पी.	2.53	
19	यू पी	6918	मैसर्स यू पी एस आर टी सी , झांसी (यू पी/6918)	2.75	
20	यू पी	14132	मैसर्स राजेन्द्र स्टील लि., कानपुर देहात	1.77	
21	यू पी	2870	मैसर्स यू पी कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल, इटावा (यू पी/2870)	1.34	
22	यू पी	25168	मैसर्स मोतीवाला इंडस्ट्रीज लि., वाराणसी (यू पी/25168)	1.24	
23	यू पी	6946	मैसर्स यू पी एस आर टी सी, फरुखाबाद (यू पी/6946)	1.00	
24	यू पी	495	मैसर्स सीतापुर प्लाईवुड (यू पी/495)	1.16	
25	यू पी	176	मैसर्स यू पी स्टेट शूगर कार्पोरेशन, हरदोई (यू पी/176)	1.04	
क्षेत्र का कुल				74.45	
मेरठ					
1	यू पी	3618	मैसर्स रेन्ज तलबोर्स लि.	1.98	
2	यू पी	11399	मैसर्स नगीना सहकारी कताई मिल	1.40	
3	यू पी	796	मैसर्स यू पी एस आर टी सी, आगरा	1.64	
4	यू पी	4797	मैसर्स स्वेदशी पोलिटैक्स लि.	1.41	
6	यू पी	17450	मैसर्स तुलसी राम महेश्वरी पब्लिक स्कूल	1.17	
7	यू पी	14799	मैसर्स अरिहन्त फैब्रिक्स लि.	1.15	
क्षेत्र का कुल				8.75	
पटना					
1	बी आर	1983	मैसर्स बी एस एस कार्पोरेशन, पूर्णिया	4.12	

2	बी आर	3	मैसर्स एन जे एम सी , कटिहार	2.69	
3	बी आर	7271	मैसर्स नटराज इंजीनियरिंग, वैशाली	1.99	
4	बी आर	2084	मैसर्स आजाद ट्रांसपोर्ट कम्पनी , पटना	1.92	
5	बी आर	290	मैसर्स न्यूज पेपर एंड पब्लिकेशन , पटना	1.15	
6	बी आर	3256	मैसर्स अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा	1.74	
क्षेत्र का कुल					13.61
फरीदाबाद					
1	एच आर	286	मैसर्स झालानी टूल्स	13.05	
2	एच आर	2058	मैसर्स एच आर शीट क्लास सोनीपत	1.91	
3	एच आर	65	मैसर्स इलेक्ट्रोनिक्स लि.	1.20	
4	एच आर	1152	मैसर्स झालानी टूल्स, सोनीपत	1.06	
5	एच आर	3528	मैसर्स लखानी इंडिया लि.	1.76	
6	एच आर	10938	मैसर्स लखानी इंडिया लि.	1.05	
क्षेत्र का कुल					20.03
गुडगांव					
क्षेत्र का कुल					
जयपुर					
1	आर जे	3675	मैसर्स नागोर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	2.47	
2	आर जे	5	मैसर्स जयपुर मेटल्स, जयपुर	2.76	
3	आर जे	3673	मैसर्स जोधपुर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	1.85	
4	आर जे	3962	मैसर्स परफेक्ट थैड मिल्स, उदयपुर	1.19	
क्षेत्र का कुल					8.27
अहमदाबाद					
1	जी जे	1122	मैसर्स जी एस आर टी सी, अहमदाबाद	21.08	
2	जी जे	5227	मैसर्स कृष्णा केशव	1.26	
3	जी जे	1003	मैसर्स पी पी डब्ल्यू, सुरेन्द्रनगर	1.89	
4	जी जे	4514	मैसर्स टी. मानेकलाल	1.22	
5	जी जे	353	मैसर्स महेन्द्र मिल, गांधीनगर	1.86	
6	जी जे	295	मैसर्स राजेन्द्र टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	1.64	
क्षेत्र का कुल					28.95
बड़ोदरा					
1	जी जे	1050	मैसर्स नवीनोन लि.	1.22	
2	जी जे	14658	मैसर्स न्यूटोन इंजीनियरिंग	1.03	
क्षेत्र का कुल					2.25
इंदौर					
1	एम पी	225	मैसर्स एम. पी .आर. टी .सी., ग्वालियर	19.06	
2	एम पी	18262	मैसर्स चैकमेट सिक्योरिटी बी.पी.एल.	1.56	
3	एम पी	13278	मैसर्स नूटैक कंसट्रक्शन	1.03	
4	एम पी	1267	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी. ,भोपाल	18.05	
5	एम पी	264	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., जबलपुर	16.98	

6	एम पी	5417	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., सिओनी	13.46	
7	एम पी	4044	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., उज्जैन	13.01	
8	एम पी	4045	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी.	7.04	
9	एम पी	4046	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., रेवा	6.42	
10	एम पी	11	मैसर्स बिनोद मिल्स क.लि., उज्जैन	6.00	
11	एम पी	4646	मैसर्स ऑयल फेडरेशन	4.70	
12	एम पी	1378	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., भोपाल	5.46	
13	एम पी	229	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., सेंट्रल वर्कशॉप ग्वालियर	4.71	
14	एम पी	2070	मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स लि., उज्जैन	4.19	
15	एम पी	3839	मैसर्स आई. डी. ए. इंदौर	2.67	
16	एम पी	1143	मैसर्स एम. पी .आर. टी .सी., इंदौर	2.66	
17	एम पी	3424	मैसर्स गजरा बावेल गियर्स लि., देवास	2.17	
18	एम पी	11-A	मैसर्स बिमल मिल्स , उज्जैन	1.81	
19	एम पी	4	मैसर्स राजकुमार मिल्स	1.75	
20	एम पी	15378	मैसर्स किडियर कॉरनर , सीनियर सैकेंडरी स्कूल , ग्वालियर	1.55	
21	एम पी	15251	मैसर्स हर्षित टेक्सटाइल्स लि. ग्वालियर	1.35	
22	एम पी	9734	मैसर्स टी सी कोटन यार्न ग्वालियर	1.33	
23	एम पी	1	मैसर्स हुकमचन्द मिल्स	1.24	
24	एम पी	2	मैसर्स इंदौर मालवा मिल्स	1.08	
क्षेत्र का कुल				139.28	
सूरत					
1	जी जे	1383	मैसर्स बड़ौदा रेयोन का.लि., सूरत	2.11	
2	जी जे	33719	मैसर्स शिवा इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी एजेंसी प्रा.लि., सूरत	2.17	
3	जी जे	4521	मैसर्स एच एम पी इंजीनियरिंग लि., सूरत	1.03	
क्षेत्र का कुल				5.30	
कांदिवली					
1	एम एच	15480	मैसर्स सतपुड़ा एस.एस.के.लि.	5.32	
2	एम एच	1492-A	मैसर्स नवीनोन लि.(आई डी आई लि.)	6.38	
3	एम एच	19247	मैसर्स बेलगंगा एस एस के लि.	3.00	
4	एम एच	24711	मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज़ लि.	83.31	
5	एम एच	1880	मैसर्स बी बी तानपुरे एस एस के लि.	6.19	
6	एम एच	1870	मैसर्स गणेश एस एस के लि.	1.06	
7	एम एच	20277	मैसर्स जगदम्बा एस एस के लि.	2.45	
8	एम एच	1819-A	मैसर्स पोसिल रोलिंग मिल्स लि.	1.81	
9	एम एच	51547	मैसर्स पुष्पदेनतेश्वर एस एस के लि.	1.10	
10	एम एच	24840	मैसर्स पारनर तलुका साह, एस के लि.	1.17	
11	एम एच	51380	मैसर्स प्रियदर्शनी साह, सूत गिरनी लि.	1.46	
12	एम एच	997	मैसर्स रवलगांव एस एस के लि.	1.40	

13	एम एच	51491	मैसर्स टॉप्स सिक्योरिटी लि.	1.50	
14	एम एच	802	मैसर्स डॉ. वी वी पाटिल एस.एस.के.लि. आनन्दनगर	4.34	
15	एम एच	1505	मैसर्स उषा ओफसेट	1.19	
16	एम एच	20375	मैसर्स नासिक एस एस के लि.	2.36	
क्षेत्र का कुल					124.03
बांद्रा					
1	एम एच	21385	मैसर्स एम.एच. ए. डी .ए.	48.57	
2	एम एच	640	मैसर्स आई .यू एम. 3	5.09	
3	एम एच	121	मैसर्स इंडिया यूनाइटेड मिल्स न.1	4.90	
4	एम एच	120	मैसर्स आई यू एम 4	4.75	
5	एम एच	169	मैसर्स मुम्बई टेक्सटाईल लि.	3.53	
6	एम एच	183	मैसर्स टाटा मिल्स	3.32	
7	एम एच	101	मैसर्स हिन्दुस्तान स्पिनिंग मिल्स एंड वीविंग मिल्स	3.07	
8	एम एच	1204	मैसर्स दि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि.	2.94	
9	एम एच	41299	मैसर्स वजीर सरफेस प्रोटैक्शन प्रा. लि.	2.71	
10	एम एच	119	मैसर्स आई यू एम 2	2.58	
11	एम एच	401	मैसर्स दिग्विजय स्पिनिंग मिल्स एंड वीविंग मिल्स क. लि.	2.57	
12	एम एच	113	मैसर्स जूपिटर मिल्स	2.52	
13	एम एच	9264	मैसर्स कोरोना लि.	2.44	
14	एम एच	132	मैसर्स कोहिनूर मिल्स न.1 एंड 2	2.43	
15	एम एच	124	मैसर्स जाम मैनुफैक्चरिंग मिल्स लि.	2.37	
16	एम एच	8865	मैसर्स न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स	2.19	
17	एम एच	118	मैसर्स आईयूएम 5	2.12	
18	एम एच	139	मैसर्स न्यू सिटी ऑफ बोम्बे मैनुफैक्चरिंग क. लि.	1.92	
19	एम एच	82	मैसर्स अपोलो मिल्स लि.	1.71	
20	एम एच	158	मैसर्स पोदार मिल्स	1.29	
21	एम एच	110	मैसर्स गोल्ड मोहर मिल्स	1.26	
22	एम एच	38968-A	मैसर्स फोरटीज (रेलगेरीज) सिक्योरिटी	1.25	
23	एम एच	122	मैसर्स आई यू एम 6	1.25	
24	एम एच	420	मैसर्स मधु दूदन मिल्स लि.	1.22	
25	एम एच	109	मैसर्स फिनले मिल्स	1.15	
26	एम एच	106	मैसर्स भारत टैक्सटाइल	1.38	
क्षेत्र का कुल					110.52
थाणे					
1	एम एच	1654	मैसर्स राली वुल्फ लि.	13.40	
2	एम एच	8743	मैसर्स प्रेसिजन फास्टनर	2.86	
3	एम एच	1492	मैसर्स नवीनोन लि.	1.13	

4	ए पी	50575	मैसर्स अपर्णा कंस्ट्रक्शन्स एंड ऐस्टेट्स प्रा. लि.	1.26	
5	ए पी	42126	मैसर्स ज्योति कंप्यूटर्स	1.29	
6	ए पी	26304	मैसर्स ऑलविन वॉचेज	2.31	
7	ए पी	61288	मैसर्स आर वी पी आर एंड कं.	3.04	
8	ए पी	18829	मैसर्स के एम सी कंस्ट्रक्शन्स लि.	4.73	
9	ए पी	25409	मैसर्स ग्रुप 4 सिक्योरिटीज़ गार्डिंग प्रा. लि.	8.96	
10	ए पी	42774	मैसर्स इन्दु प्रोजेक्ट्स	14.01	
क्षेत्र का कुल					39.07
निजामाबाद					
1	ए पी	11962	मैसर्स काकातीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1.66	
क्षेत्र का कुल					1.66
चैन्ने					
1	टी एन	48617	मैसर्स आदित्य बिरला मनी लि., चैन्ने -6	1.05	
2	टी एन	49016	मैसर्स टॉपस डिटेक्टिव्स एंड सिक्योरिटीज़ सर्विसेज लि., चैन्ने-	1.04	
3	टी एन	52226	मैसर्स पिरामिड सेमिरा थियेटर लि. चैन्ने -35	1.50	
क्षेत्र का कुल					3.60
कोयम्बटूर					
1	टी एन	55	मैसर्स सी बी ई पॉइनियर मिल्स	1.42	
2	टी एन	1178	मैसर्स प्रशान्त टेक्सटाइल्स	1.20	
3	टी एन	21376	मैसर्स एन ई पी सी टेक्सटाइल्स	1.12	
4	टी एन	651	मैसर्स एन ई पी सी टी गार्डन यूनिट I	1.04	
5	टी एन	691	मैसर्स एन ई पी सी टी गार्डन यूनिट II	1.13	
6	टी एन	8400	मैसर्स कोंगरार स्पीनर्स	1.64	
7	टी एन	12461	मैसर्स सी बी ई पॉपुलर स्पिनिंग मिल्स	1.08	
8	टी एन	17229	मैसर्स कोंगरार टेक्सटाइल्स	1.01	
9	टी एन	21038	मैसर्स लखना कॉटन मिल्स	1.33	
10	टी एन	153	मैसर्स उमा परमेश्वरी मिल्स	5.19	
11	टी एन	5562	मैसर्स करूर डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2.85	
12	टी एन	5531	मैसर्स नागापटनम डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल्स	2.38	
13	टी एन	6091	मैसर्स अरकोट टेक्सटाइल मिल्स	1.02	
14	टी एन	3179	मैसर्स तिरुचिरापल्ली कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव हॉलसेल स्टोर्स लि.	1.22	
15	टी एन	1160	मैसर्स मेतुर टेक्सटाइल्स	1.60	
16	टी एन	4900	मैसर्स सलेम डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2.71	
17	टी एन	5544	मैसर्स ईरोड डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	1.98	
18	टी एन	6517	मैसर्स सलेम टेक्सटाइल लि.	1.30	
19	टी एन	16681	मैसर्स उमा माहेश्वरी मिल्स	7.55	
20	टी एन	17496	मैसर्स एशियन वीयरिंग्स	1.61	
21	टी एन		मैसर्स (टी एन ई बी) इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स, सलेम	4.75	
22	टी एन		मैसर्स (टी एन ई बी) इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स, मेतुर डेम	7.78	

4	एम एच	98188	मैसर्स जूवैन्टस हेल्थकेयर लि.	2.98	
5	एम एच	115195	मैसर्स राइटर सेफ गार्ड प्रा. लि.	9.30	
6	एम एच	686	मैसर्स पोएशा इंडस्ट्रियल कं.लि.	2.45	
7	एम एच	42941	मैसर्स हनील ईरा टैक्सटाइल्स लि.	2.20	
क्षेत्र का कुल					34.33
नागपुर					
1	एम एच	60200	मैसर्स महात्मा साह, सरकार कारखाना, वर्धा	2.76	
2	एम एच	63577	मैसर्स भारत संचार निगम लि., नागपुर	1.70	
3	एम एच	3516	मैसर्स आर बी बंसीलाल स्पिनिंग एंड विविंग मिल, वर्धा	1.32	
4	एम एच	65058	मैसर्स आर बी बंसीलाल स्पिनिंग एंड विविंग मिल, वर्धा	1.25	
5	एम एच	62709	मैसर्स ग्रुप 4 सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. नागपुर	1.25	
6	एम एच	18860	मैसर्स वर्धा नागरी सहकारी अधीकोश	1.13	
7	एम एच	17362	मैसर्स कोवेन्ट्री स्प्रिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि., एम आई डी सी, नागपुर	1.02	
8	एम एच	16971	मैसर्स एफ डी सी एम वैस्ट चंदा	9.32	
9	एम एच	62251	मैसर्स अश्वामेध इंजिनियरिंग	1.29	
10	एम एच	3771	मैसर्स गंगापुर एस एस के लि.	14.24	
11	एम एच	12689-A	मैसर्स पथेजा फोरजिन्स	1.00	
12	एम एच	16549	मैसर्स झलानी टूल्स प्रा. लि., अहमदाबाद	2.47	
13	एम एच	18166	मैसर्स कन्नड़ एस एस के लि.	8.08	
14	एम एच	18274	मैसर्स विनायक एस एस के लि.	7.21	
15	एम एच	19443	मैसर्स झालानी टूल्स लि. जलना	2.95	
16	एम एच	21949	मैसर्स डोलेक्स इंडस्ट्रीज, नांदेड़	1.04	
17	एम एच	22565	मैसर्स गोदावरी दुधना एस एस के लि. परभानी	5.12	
18	एम एच	80005	मैसर्स गजानन एस एस के लि.	1.97	
19	एम एच	80379,	मैसर्स वालमी कंचनवाड़ी, औरंगाबाद	1.61	
20	एम एच	80393	मैसर्स मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी	4.18	
21	एम एच	80591	मैसर्स छाते कोचिंग क्लासिस, सी आई डी सी ओ, औरंगाबाद	1.09	
22	एम एच	80683	मैसर्स पाटिल कंस्ट्रक्शन	1.66	
23	एम एच	80990	मैसर्स बड़ाशिव हनुमान एस एस के लि.	1.32	
24	एम एच	81862	मैसर्स जलना विभाग सह सूत गिरनी	1.90	
25	एम एच	13843	मैसर्स वीके कॉटसिन प्रा. लि.	1.46	
26	एम एच	35962	मैसर्स पेनगंगा सहकारी सूत गिरनी लि., बुलधाना	1.06	
27	एम एच	60244	मैसर्स बालाजी सह अखर कारखाना लि. यवतमाल	2.62	
28	एम एच	61706	मैसर्स संत गाडगे बाबा सह, सूत गिरनी, अमरावती	1.00	
29	एम एच	62194	मैसर्स पुष्पावती एस एस के लि., पुसाड़	2.22	
30	एम एच	110791	मैसर्स अशाई इन्फ्रास्ट्रक्चर, अकोला	1.34	

क्षेत्र का कुल					86.61
पुणे					
1	एम एच	15379	मैसर्स दि कोसमोस कोपरेटिव बँक	3.97	
2	एम एच	26908	मैसर्स ऑल सेंट हाई स्कूल	1.03	
3	एम एच	11718	मैसर्स कोल्हापुर जिला वी एस एस गिरनी लि.	66.29	
4	एम एच	5559	मैसर्स डेकन कापरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2.63	
5	एम एच	13506	मैसर्स बंसतदादा को आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स (कोल्हापुर)	2.22	
6	एम एच	29380	मैसर्स जे.पी. लाजिस्टिक्स	1.08	
7	एम एच	5904	मैसर्स हिन्दुस्तान गियर्स	1.59	
8	एम एच	29122	मैसर्स मनगंगा एस एस के लि.	8.91	
9	एम एच	19831	मैसर्स दौलत, एस एस के लि.	5.88	
10	एम एच	3746	मैसर्स वसंतदादा एस एस के लि.	6.59	
11	एम एच	15574	मैसर्स चेतन फाउंड्रीज लि., होतगीरोड, शोलापुर	1.13	
12	एम एच	11557	मैसर्स तेरना एस एस के लि.	3.14	
13	एम एच	15683	मैसर्स शेताकारी एस एस के लि. (शोलापुर)	4.30	
14	एम एच	37877	मैसर्स तुलजा भवानी एस एस के लि.	2.48	
क्षेत्र का कुल					111.24
रायपुर					
1	सी जी	6482	मैसर्स केडिया डिस्ट्रीलरीज	1.53	
2	सी जी	4047	मैसर्स सी आई डी सी , बिलासपुर	6.71	
3	सी जी	1249	मैसर्स सी आई डी सी , रायपुर	9.47	
क्षेत्र का कुल					17.70
बंगलौर					
1	के एन	3853	मैसर्स कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	1.09	
2	के एन	19633	मैसर्स एरोन्शियल सर्विसेज	1.29	
3	के एन	23372	मैसर्स इस्मार्ट ग्लोबल	1.61	
4	के एन	44	मैसर्स मैसूर लैम्प्स	2.82	
5	के एन	6820	मैसर्स कर्नाटक हेंडलूम	20.36	
क्षेत्र का कुल					27.18
गुलबर्गा					
मंगलौर					
1	के एन	20898	मैसर्स मेसकॉम	2.66	
2	के एन	2260	मैसर्स आईडियल जावा (प्रा.) लि.	10.68	
क्षेत्र का कुल					13.35
गोवा					
पीण्या					
1	के एन	13490	मैसर्स विक्ट्री ग्लासिज	1.03	

4	ए पी	50575	मैसर्स अपर्णा कंस्ट्रक्शन्स एंड ऐस्टेट्स प्रा. लि.	1.26	
5	ए पी	42126	मैसर्स ज्योति कंप्यूटर्स	1.29	
6	ए पी	26304	मैसर्स ऑलविन वॉचेज	2.31	
7	ए पी	61288	मैसर्स आर वी पी आर एंड कं.	3.04	
8	ए पी	18829	मैसर्स के एम सी कंस्ट्रक्शन्स लि.	4.73	
9	ए पी	25409	मैसर्स ग्रुप 4 सिक्वोरिटीज़ गार्डिंग प्रा. लि.	8.96	
10	ए पी	42774	मैसर्स इन्दु प्रोजेक्ट्स	14.01	
क्षेत्र का कुल				39.07	
निजामाबाद					
1	ए पी	11962	मैसर्स काकातीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1.66	
क्षेत्र का कुल				1.66	
चैन्ने					
1	टी एन	48617	मैसर्स आदित्य बिरला मनी लि.,चैन्ने -6	1.05	
2	टी एन	49016	मैसर्स टॉपस डिटेक्टिव्स एंड सिक्वोरिटीज़ सर्विसेज लि.,चैन्ने-	1.04	
3	टी एन	52226	मैसर्स पिरामिड सेमिरा थियेटर लि. चैन्ने -35	1.50	
क्षेत्र का कुल				3.60	
कोयम्बटूर					
1	टी एन	55	मैसर्स सी बी ई पॉइनियर मिल्स	1.42	
2	टी एन	1178	मैसर्स प्रशान्त टेक्सटाइल्स	1.20	
3	टी एन	21376	मैसर्स एन ई पी सी टेक्सटाइल्स	1.12	
4	टी एन	651	मैसर्स एन ई पी सी टी गार्डन यूनिट I	1.04	
5	टी एन	691	मैसर्स एन ई पी सी टी गार्डन यूनिट II	1.13	
6	टी एन	8400	मैसर्स कोंगरार स्पीनर्स	1.64	
7	टी एन	12461	मैसर्स सी बी ई पॉपुलर स्पिनिंग मिल्स	1.08	
8	टी एन	17229	मैसर्स कोंगरार टैक्सटाइल्स	1.01	
9	टी एन	21038	मैसर्स लखना कॉटन मिल्स	1.33	
10	टी एन	153	मैसर्स उमा परमेश्वरी मिल्स	5.19	
11	टी एन	5562	मैसर्स करूर डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2.85	
12	टी एन	5531	मैसर्स नागापटनम डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	2.38	
13	टी एन	6091	मैसर्स अरकोट टैक्सटाइल मिल्स	1.02	
14	टी एन	3179	मैसर्स तिरुचिरापल्ली कंज्युमर्स कॉपरेटिव हॉलसेल स्टोर्स लि.	1.22	
15	टी एन	1160	मैसर्स मेतुर टेक्सटाइल्स	1.60	
16	टी एन	4900	मैसर्स सलेम डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	2.71	
17	टी एन	5544	मैसर्स ईरोड डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	1.98	
18	टी एन	6517	मैसर्स सलेम टैक्सटाइल लि.	1.30	
19	टी एन	16681	मैसर्स उमा माहेश्वरी मिल्स	7.55	
20	टी एन	17496	मैसर्स एशियन वीयरिंग्स	1.61	
21	टी एन		मैसर्स (टी एन ई बी) इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स, सलेम	4.75	
22	टी एन		मैसर्स (टी एन ई बी) इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स,मेतुर डैम	7.78	

23	टी एन		मैसर्स (टी एन ई बी) इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स, धर्मापुरी	8.29	
क्षेत्र का कुल					61.20
मदुरै					
1	टी एन	157	मैसर्स मदुरा कोट्स प्रा. लि.	1.64	
2	टी एन	861	मैसर्स श्री विशालाक्षी मिल्स (प्रा.) लि.	4.92	
3	टी एन	891-A	मैसर्स श्री विशालाक्षी मिल्स (प्रा.) लि.	3.56	
4	टी एन	1707	मैसर्स श्री शीला रानी टेक्सटाइल्स, मदुरै	3.37	
5	टी एन	2298	मैसर्स सीतालक्ष्मी मिल्स लि.	2.84	
6	टी एन	3115	मैसर्स दि श्री विल्लीपुटूर कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	1.02	
7	टी एन	6357	मैसर्स स्वामीजी मिल्स लि.	5.71	
8	टी एन	11266	मैसर्स वेंकटेश पेपर एंड बोर्ड्स लि.	2.86	
9	टी एन	20567	मैसर्स द रामनाथपुरम डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	1.07	
10	टी एन	20905	मैसर्स विश्वभारती टेक्सटाइल्स (प्रा.) लि.	2.33	
11	टी एन	2133	मैसर्स साउथ इंडिया कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	3.00	
12	टी एन	3926	मैसर्स तिरुचेन्दुर कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	0.84	
13	टी एन	7130	मैसर्स सेयादु बीड़ी कंपनी	1.84	
14	टी एन	55650	मैसर्स टी एन ई बी, तिरुनेलनेली	1.93	
15	टी एन	55651	मैसर्स टी एन ई बी, तूतीकोरिन	2.29	
16	टी एन	55649	मैसर्स टी एन ई बी, नागरकॉयल	3.31	
क्षेत्र का कुल					42.54
ताम्वरम					
1	टी एन	PC/20	मैसर्स एंगलो फ्रेंच टैक्सटाइल्स	6.43	
2	टी एन	8611	मैसर्स तमिलनाडु एगो इंजी. एंड सर्विस कॉपरेटिव फेडरेशन	1.89	
3	टी एन	30001	मैसर्स पेंटाफोर प्रोडक्ट्स लि.	1.14	
4	टी एन	19937	मैसर्स अब्दुलअजीज साहिब एंड सन्स	1.10	
क्षेत्र का कुल					10.56
केरल					
1	के आर	12344	मैसर्स केल्ट्रोन इक्वीप कॉम्पलेक्स, टी वी एम	1.67	
2	के आर	10160	मैसर्स ऑटो कार्ट, ई के एम	1.56	
3	के आर	11	मैसर्स राजगोपाल मिल्स, ई के एम	1.28	
4	के आर	185	मैसर्स कॉमनवेल्थ, के के डी	1.91	
5	के आर	2568	मैसर्स मद्रास स्पीनर्स, के के डी	3.90	
6	के आर	2638	मैसर्स तिरुवेपथी मिल्स, के एन आर	1.65	
7	के आर	2356	मैसर्स कॉपरेटिव शूगर्स, के के डी	1.35	
8	के आर	5975	मैसर्स मंगलम पब्लिकेशन्स, के टी एम	1.35	
9	के आर	222	मैसर्स कॉमनवेल्थ फाइल फैक्ट्री, के के डी	1.04	
10	के आर	570	मैसर्स केरला सोप्स, के के डी	1.13	
11	के आर	16672	मैसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, के एल एम	2.66	
12	के आर	67	मैसर्स कोलीकनम एस्टेट, के टी एम	1.63	
13	के आर	68	मैसर्स मंजुमलाई एस्टेट, के टी एम	3.05	

14	के आर	266	मैसर्स थंगांकल एस्टेट, के टी एम	1.47	
15	के आर	267	मैसर्स पम्बनार एस्टेट, के टी एम	2.13	
16	के आर	268	मैसर्स ग्रैनबाई एस्टेट, के टी एम	1.40	
17	के आर	269	मैसर्स नेलीकाई एस्टेट, के टी एम	1.08	
18	के आर	270	मैसर्स थंगामलय एस्टेट, के टी एम	2.55	
19	के आर	294	मैसर्स पासुमलय एस्टेट, के टी एम	1.51	
20	के आर	3110	मैसर्स माउन्ट एस्टेट, के टी एम	1.14	
21	के आर	395	मैसर्स लैडरम एस्टेट, के टी एम	1.14	
22	के आर	396	मैसर्स कुदुकरनम एस्टेट, के टी एम	2.48	
23	के आर	401	मैसर्स गलैनमैरी एस्टेट, के टी एम	1.04	
24	के आर	16159	मैसर्स मुथूट कन्सल्टैन्सी, टी वी एम	24.94	
25	के आर	18103	मैसर्स रूबको, के एन आर	1.41	
26	के आर	16122	मैसर्स ऑडियोविजयुल, टी वी एम	2.82	
क्षेत्र का कुल					69.30
एन ई आर					
1	एन ई आर	3996	मैसर्स बी एस एन एल, सिलचर	1.30	
2	एन ई आर	1026	मैसर्स एम एच एच डी सी, लि.	1.84	
3	एन ई आर	922	मैसर्स फटीकैम	1.80	
4	एन ई आर	842	मैसर्स एन एस मिल	1.92	
5	एन ई आर	518	मैसर्स आसाम एग्रो	2.24	
6	एन ई आर	1268	मैसर्स सेंट ए कॉलेज	2.86	
क्षेत्र का कुल					11.95
जलपाईगुड़ी					
1	डब्ल्यू बी	889	मैसर्स मधु टै	3.23	
2	डब्ल्यू बी	651	मैसर्स न्यू डूअर्स टै	1.14	
3	डब्ल्यू बी	670	मैसर्स रैमटैंग टै	1.43	
4	डब्ल्यू बी	799	मैसर्स बुदांपानी टै	1.71	
5	डब्ल्यू बी	880	मैसर्स साइली टै	1.43	
6	डब्ल्यू बी	816	मैसर्स भरनोबरी टै	1.08	
7	डब्ल्यू बी	853	मैसर्स दुमचीपारा टै	1.45	
8	डब्ल्यू बी	911	मैसर्स दालमोर टै	1.39	
9	डब्ल्यू बी	913	मैसर्स दलसिंह पारा टै	2.11	
10	डब्ल्यू बी	952	मैसर्स रायपुर टै	1.45	
11	डब्ल्यू बी	977	मैसर्स भगतपुर टै	1.12	
12	डब्ल्यू बी	1011	मैसर्स कोहीनूर टै	2.80	
13	डब्ल्यू बी	1081	मैसर्स सैमसिंह टै	2.01	
14	डब्ल्यू बी	1465	मैसर्स करबला टै	1.09	
15	डब्ल्यू बी	929	मैसर्स बेलगाची टै	1.09	
क्षेत्र का कुल					24.52

कोलकाता					
1	डब्ल्यू बी	28199,	मैसर्स एफ सी आई	1.82	
2	डब्ल्यू बी	9608,	मैसर्स साइमन कार्वस	3.55	
3	डब्ल्यू बी	44950	मैसर्स एक्स-सर्विसमैन रिसैटलमैन्ट सोसाइटी	2.36	
4	डब्ल्यू बी	12781,	मैसर्स स्टेट फिशरिज डी बी एल कॉपोरेशन	2.13	
5	डब्ल्यू बी	28546	मैसर्स स्टार सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव एजेंसी	1.30	
6	डब्ल्यू बी	16165	मैसर्स फेवरेट स्मॉल इन्वेस्टमेंट लि.	7.49	
7	डब्ल्यू बी	246	मैसर्स बी ई एस सी ओ	1.85	
8	डब्ल्यू बी	39785	मैसर्स ब्रिटिश एयवेज	1.24	
9	डब्ल्यू बी	112,	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	2.29	
10	डब्ल्यू बी	113,	मैसर्स रामपुरिया कॉटन मिल	4.07	
11	डब्ल्यू बी	350	मैसर्स बंगाल फाइन स्पिनिंग	1.99	
12	डब्ल्यू बी	542,	मैसर्स सेंट्रल कॉटन मिल	4.56	
13	डब्ल्यू बी	12201,	मैसर्स इंडो जापान स्टील्स लि.	1.70	
14	डब्ल्यू बी	12317,	मैसर्स ईस्टएन्ड पेपर (प्रा.) लि.	1.04	
15	डब्ल्यू बी	7 & 25,	मैसर्स गोरीपुर क.लि.	5.48	
16	डब्ल्यू बी	36&47	मैसर्स नुडिया मिल क. लि.	34.19	
17	डब्ल्यू बी	2,27 & 40	मैसर्स बाराणगर जूट (पी एल सी)	6.49	
क्षेत्र का कुल				83.55	
झारखंड					
1	जे एच	16	मैसर्स लेमस सीमेंट	1.10	
2	जे एच	5152	मैसर्स एस एन एल रांची	1.28	
3	जे एच	5355	मैसर्स बिलाल बीड़ी पोकुर प्रा.लि.	1.66	
4	जे एच	11184	मैसर्स डायरेक्टर ऑफ सॉयल कन्सर्वेशन	1.46	
5	जे एच	225	मैसर्स सरायकेला ग्लास वर्क्स	1.09	
6	जे एच	14840	मैसर्स एस के जी सिविल एंड इंटीरिअर्स	1.27	
क्षेत्र का कुल				7.86	
अखिल भारतीय महायोग				1951.77	

परिशिष्ट ए -20

वर्ष 2011-12 के दौरान अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत निर्धारण मामलों के प्रारंभ एवं निपटान की स्थिति						
क्षेत्र	01.04.2011 को निपटान के लिए बकाया मामले	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए मामले	कुल कार्यभार	अंतिम आदेश द्वारा निष्पादित मामले	निष्पादन का प्रतिशत	31.03.2012 को लंबित मामले
देहरादून	231	6	237	15	6.33%	222
दिल्ली (उत्तर)	492	38	530	49	9.25%	481
दिल्ली (दक्षिण)	318	69	387	10	2.58%	377
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1041	113	1154	74	6.41%	1080
चंडीगढ़	459	553	1012	305	30.14%	707
लुधियाना	579	524	1103	597	54.13%	506
शिमला	328	176	504	251	49.80%	253
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	1366	1253	2619	1153	44.02%	1466
कानपुर	1504	651	2155	772	35.82%	1383
मेरठ	602	271	873	423	48.45%	450
पटना	785	55	840	134	15.95%	706
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	2891	977	3868	1329	34.36%	2539
फरीदाबाद	409	161	570	362	63.51%	208
गुडगांव	427	288	715	392	54.83%	323
जयपुर	855	323	1178	852	72.33%	326
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	1691	772	2463	1606	65.21%	857
अहमदाबाद	809	152	961	467	48.60%	494
बड़ोदा	107	125	232	211	90.95%	21
इंदौर	1025	637	1662	843	50.72%	819
सुरत	711	33	744	142	19.09%	602
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	2652	947	3599	1663	46.21%	1936
कांदिवली	521	203	724	126	17.40%	598
मुम्बई -I (बान्द्रा)	366	33	399	50	12.53%	349
मुम्बई -II (थाणे)	881	96	977	199	20.37%	778
नागपुर	832	97	929	338	36.38%	591
पुणे	1017	373	1390	493	35.47%	897
रायपुर	97	91	188	121	64.36%	67
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	3714	893	4607	1327	28.80%	3280
बंगलौर	354	251	605	252	41.65%	353
गुलबर्गा	335	415	750	367	48.93%	383
मंगलौर	276	394	670	522	77.91%	148
पणजी	99	66	165	75	45.45%	90

पोण्या	379	468	847	554	65.41%	293
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	1443	1594	3037	1770	58.28%	1267
भुवनेश्वर	769	303	1072	480	44.78%	592
गुंटूर	726	1400	2126	1514	71.21%	612
हैदराबाद	756	666	1422	847	59.56%	575
निजामाबाद	256	400	656	493	75.15%	163
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	2507	2769	5276	3334	63.19%	1942
चेन्नई	253	1745	1998	1719	86.04%	279
कोयम्बटूर	469	1521	1990	1526	76.68%	464
मदुरै	182	2955	3137	2867	91.39%	270
ताम्रम	438	604	1042	688	66.03%	354
तिरुवनंतपुरम	393	2882	3275	2744	83.79%	531
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	1735	9707	11442	9544	83.41%	1898
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	453	94	547	198	36.20%	349
जलपाईगुड़ी	343	147	490	284	57.96%	206
कोलकाता	1100	174	1274	207	16.25%	1067
रांची	363	175	538	172	31.97%	366
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	2259	590	2849	861	30.22%	1988
संपूर्ण भारत	21299	19615	40914	22661	55.39%	18253

अधिनियम की धारा 7 (क्यू) के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज (रूपये करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का प्रतिशत	31.03.2012 को अंत शेष
देहरादून	3.71	0.69	18.65%	3.02
दिल्ली (उत्तर)	2.92	0.60	20.56%	2.32
दिल्ली (दक्षिण)	158.70	0.50	0.31%	158.20
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	165.33	1.79	1.08%	163.54
चंडीगढ़	3.55	1.79	50.28%	1.77
लुधियाना	7.74	1.95	25.18%	5.79
शिमला	0.12	0.12	100.00%	0.00
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	11.41	3.86	33.79%	7.56
कानपुर	42.97	7.24	16.86%	35.73
मेरठ	3.04	0.98	32.42%	2.05
पटना	11.15	2.86	25.62%	8.30
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	57.16	11.09	19.39%	46.08
फरीदाबाद	4.04	1.33	32.95%	2.71
गुडगांव	1.93	0.92	47.97%	1.00
जयपुर	4.69	1.22	26.05%	3.47
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	10.65	3.48	32.63%	7.18
अहमदाबाद	15.05	2.38	15.84%	12.66
बड़ोदा	1.34	0.62	46.30%	0.72
इंदौर	32.98	3.33	10.11%	29.64
सूरत	2.51	0.21	8.46%	2.30
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	51.88	6.55	12.63%	45.33
कांदिवली	16.37	2.06	12.56%	14.32
मुम्बई -I (बांद्रा)	15.40	1.26	8.15%	14.14
मुम्बई -II (थाणे)	7.93	2.08	26.25%	5.85
नागपुर	30.12	8.63	28.65%	21.49
पुणे	33.24	9.79	29.47%	23.45
रायपुर	3.08	0.41	13.43%	2.66
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	106.15	24.23	22.83%	81.91
बंगलौर	2.34	1.30	55.32%	1.05
गुलबर्गा	3.43	0.69	20.26%	2.73
मंगलौर	2.27	0.58	25.43%	1.69
पणजी	0.37	0.15	41.55%	0.22
पीण्या	7.18	3.51	48.82%	3.68
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	15.59	6.23	39.95%	9.36
भुवनेश्वर	65.25	32.90	50.41%	32.36

गुंटूर	9.40	2.23	23.74%	7.17
हेदराबाद	9.34	2.74	29.39%	6.59
निजामाबाद	3.90	1.26	32.24%	2.64
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	87.89	39.13	44.52%	48.76
चेन्नई	6.28	2.11	33.52%	4.18
कोयम्बटूर	17.48	6.16	35.26%	11.31
मदुरै	9.41	2.07	21.99%	7.34
ताम्वरम	4.69	1.30	27.74%	3.39
तिरुवनंतपुरम	15.83	5.32	33.64%	10.50
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	53.68	16.96	31.60%	36.72
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	7.47	2.41	32.20%	5.07
जलपाईगुड़ी	16.02	2.67	16.64%	13.36
कोलकाता	12.14	3.35	27.55%	8.80
रांची	6.33	1.35	21.30%	4.98
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	41.96	9.77	23.27%	32.20
संपूर्ण भारत	601.71	123.08	20.46%	478.63

तीनों योजनाओं के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त क्षेत्र) (रूपये करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का प्रतिशत	31.03.2012 को अंत शेष
देहरादून	16.68	1.86	11.14%	14.82
दिल्ली (उत्तर)	7.68	1.78	23.21%	5.90
दिल्ली (दक्षिण)	4.12	1.19	28.89%	2.93
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	28.48	4.83	16.96%	23.65
चंडीगढ़	7.41	2.29	30.90%	5.12
लुधियाना	12.72	3.23	25.39%	9.49
शिमला	0.24	0.24	100.00%	0.00
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	20.37	5.76	28.26%	14.61
कानपुर	87.90	26.76	30.44%	61.14
मेरठ	5.63	1.69	30.09%	3.94
पटना	5.41	0.71	13.21%	4.69
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	98.94	29.17	29.48%	69.77
फरीदाबाद	14.11	2.78	19.67%	11.34
गुडगांव	5.43	1.48	27.28%	3.95
जयपुर	15.81	1.90	12.02%	13.91
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	35.36	6.16	17.42%	29.20
अहमदाबाद	62.16	16.37	26.34%	45.79
बड़ौदा	5.15	1.09	21.19%	4.06
इंदौर	121.18	11.78	9.72%	109.39
सूरत	4.93	0.38	7.72%	4.55
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	193.42	29.63	15.32%	163.79
कांदिवली	26.51	2.43	9.18%	24.08
मुम्बई -I (वांद्रा)	63.45	1.36	2.14%	62.10
मुम्बई -II (थाणे)	9.46	1.59	16.79%	7.87
नागपुर	56.35	12.08	21.44%	44.27
पुणे	62.04	9.85	15.88%	52.19
रायपुर	17.21	0.71	4.13%	16.50
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	235.02	28.02	11.92%	207.00
बंगलौर	9.37	2.05	21.91%	7.32
गुलबर्गा	8.24	1.79	21.69%	6.45
मंगलौर	6.61	1.55	23.48%	5.06
पणजी	1.53	0.33	21.48%	1.20
पीण्या	16.26	5.89	36.20%	10.38

आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	42.01	11.61	27.63%	30.41
भुवनेश्वर	28.85	5.51	19.11%	23.33
गुंटूर	36.38	6.23	17.14%	30.15
हैदराबाद	24.87	4.68	18.83%	20.19
निजामाबाद	5.75	2.16	37.65%	3.58
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	95.85	18.60	19.40%	77.25
चेन्नई	16.72	4.28	25.60%	12.44
कोयम्बटूर	54.94	9.16	16.67%	45.78
मदुरै	36.22	4.17	11.50%	32.06
ताम्वरम	17.22	4.59	26.67%	12.63
तिरुवनंतपुरम	73.56	12.05	16.38%	61.51
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	198.67	34.25	17.24%	164.42
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	8.72	0.46	5.30%	8.25
जलपाईगुड़ी	14.15	1.30	9.18%	12.85
कोलकाता	42.85	4.22	9.84%	38.64
रांची	11.09	2.55	22.96%	8.55
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	76.82	8.53	11.10%	68.29
संपूर्ण भारत	1024.93	176.55	17.23%	848.38

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क.भ.नि.देयों (खाता संख्या :1) के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 2011-12 (रूपये करोड़ों में)						
क्षेत्र	कार्यभार		वर्ष के दौरान वसूली		अंत शेष	
	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	वसूली प्रमाण पत्र	राशि	वसूली प्रमाण पत्र	राशि
देहरादून	335	22.15	73	1.01	262	21.14
दिल्ली (उत्तर)	720	38.57	163	3.48	557	35.09
दिल्ली (दक्षिण)	318	11.04	30	0.84	288	10.20
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1373	71.76	266	5.33	1107	66.43
चंडीगढ़	3750	24.66	652	1.81	3098	22.84
लुधियाना	3223	18.41	806	3.61	2417	14.79
शिमला	209	1.17	102	0.50	107	0.67
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	7182	44.23	1560	5.93	5622	38.31
कानपुर	2583	151.64	424	22.30	2159	129.34
मेरठ	2566	15.62	248	1.77	2318	13.85
पटना	1706	26.68	448	6.49	1258	20.20
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	6855	193.94	1120	30.56	5735	163.38
फरीदाबाद	1484	17.57	200	3.07	1284	14.49
गुडगांव	886	8.41	178	2.96	708	5.44
जयपुर	1056	24.39	405	7.41	651	16.98
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	3426	50.36	783	13.45	2643	36.92
अहमदाबाद	1055	23.40	246	3.52	809	19.88
बड़ोदा	386	5.92	123	0.66	263	5.26
इंदौर	2296	130.02	521	13.34	1775	116.69
सूरत	944	14.87	111	3.20	833	11.67
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	4681	174.21	1001	20.71	3680	153.50
कोदिवली	586	41.86	0	7.61	586	34.25
मुम्बई -I (बांद्रा)	762	69.21	120	1.41	642	67.80
मुम्बई -II (थाणे)	224	26.61	27	7.12	197	19.48
नागपुर	1912	84.83	313	15.05	1599	69.79
पुणे	1478	42.03	211	11.90	1267	30.13
रायपुर	731	16.66	38	0.67	693	15.99
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	5693	281.21	709	43.76	4984	237.45

बंगलौर	1523	24.31	72	2.11	1451	22.20
गुलबर्गा	1000	10.27	284	1.90	716	8.37
मंगलौर	1379	12.55	440	1.25	939	11.29
पणजी	205	2.64	23	0.48	182	2.17
पीण्या	961	68.53	131	9.23	830	59.30
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	5068	118.31	950	14.97	4118	103.34
भुवनेश्वर	2565	115.39	299	64.63	2266	50.76
गुंटूर	6179	54.33	650	5.98	5529	48.35
हैदराबाद	3243	29.56	233	5.42	3010	24.14
निजामाबाद	2632	7.82	370	2.17	2262	5.65
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	14619	207.09	1552	78.20	13067	128.90
चेन्नई	6294	32.26	1762	3.43	4532	28.83
कोयंबटूर	2964	69.82	659	10.51	2305	59.31
मदुरै	3757	41.38	1737	5.95	2020	35.43
ताम्वरम	2442	13.90	954	4.60	1488	9.30
तिरुवनंतपुरम	4473	93.53	1834	13.50	2639	80.03
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	19930	250.89	6946	37.99	12984	212.90
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	640	9.49	196	1.79	444	7.70
जलपाईगुड़ी	467	36.33	168	14.52	299	21.80
कोलकाता	1548	180.40	317	7.64	1231	172.76
रांची	542	128.66	185	6.77	357	121.89
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	3197	354.87	866	30.72	2331	324.15
संपूर्ण भारत	72024	1746.88	15753	281.61	56271	1465.26

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत क.पें.यो. देयों (खाता संख्या :10) के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 2011-12 (रूपये करोड़ों में)						
क्षेत्र	कार्यभार		वर्ष के दौरान वसूली		अंत शेष	
	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
देहरादून	325	11.20	48	0.30	277	10.91
दिल्ली (उत्तर)	665	20.50	163	1.85	502	18.65
दिल्ली (दक्षिण)	318	3.53	30	0.36	288	3.17
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1308	35.23	241	2.51	1067	32.73
चंडीगढ़	3693	11.82	652	0.92	3041	10.90
लुधियाना	3086	12.22	778	1.80	2308	10.42
शिमला	209	1.47	102	0.42	107	1.06
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	6988	25.51	1532	3.13	5456	22.37
कानपुर	2583	80.61	424	11.85	2159	68.76
मेरठ	2489	13.56	248	1.16	2241	12.40
पटना	0	18.43	0	3.36	0	15.07
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	5072	112.60	672	16.37	4400	96.23
फरीदाबाद	1484	11.54	200	0.56	1284	10.99
गुडगांव	886	4.47	178	1.58	708	2.89
जयपुर	1074	13.89	394	3.33	680	10.55
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	3444	29.90	772	5.47	2672	24.43
अहमदाबाद	1084	49.69	243	16.41	841	33.28
बड़ोदा	0	4.24	0	0.39	0	3.85
इंदौर	2299	74.89	477	6.72	1822	68.17
सुरत	0	9.29	0	1.32	0	7.96
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	3383	138.11	720	24.84	2663	113.26
कांदिवली	586	17.25	0	3.14	586	14.11
मुम्बई -I (बांद्रा)	0	40.70	0	0.50	0	40.19
मुम्बई -II (थाणे)	221	16.88	25	1.40	196	15.48
नागपुर	0	45.61	0	8.00	0	37.62
पुणे	1478	22.06	211	6.08	1267	15.98
रायपुर	0	9.18	0	0.75	0	8.43

आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	2285	151.68	236	19.87	2049	131.81
बंगलौर	1523	8.11	72	1.42	1451	6.69
गुलबर्गा	845	6.48	277	1.30	568	5.18
मंगलौर	1379	6.60	440	1.18	939	5.42
पणजी	203	1.73	23	0.25	180	1.48
पीण्या	962	17.08	132	2.63	830	14.46
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	4912	39.99	944	6.77	3968	33.22
भुवनेश्वर	2579	76.20	299	34.36	2280	41.84
गुंटूर	6179	22.54	650	3.26	5529	19.29
हैदराबाद	3260	22.62	233	3.02	3027	19.60
निजामाबाद	2632	4.23	370	1.40	2262	2.83
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	14650	125.59	1552	42.03	13098	83.55
चेन्नई	6253	17.75	1762	1.44	4491	16.31
कोयम्बटूर	0	42.53	0	4.00	0	38.53
मदुरै	3758	27.15	1741	3.55	2017	23.60
ताम्वरम	2441	9.84	945	2.14	1496	7.70
तिरुवनंतपुरम	4479	59.23	1823	6.18	2656	53.05
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	16931	156.49	6271	17.29	10660	139.19
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	641	5.88	197	0.78	444	5.10
जलपाईगुडी	465	32.71	169	7.91	296	24.80
कोलकाता	445	45.05	124	2.45	321	42.60
रांची	538	24.41	185	6.48	353	17.93
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	2089	108.05	675	17.63	1414	90.42
संपूर्ण भारत	61062	923.14	13615	155.92	47447	767.23

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत क.नि.सह.बी.यो. देयों (खाता संख्या :21) के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र - 2011-12 (रूपये करोड़ों में)						
क्षेत्र	कार्यभार		वर्ष के दौरान वसूली		अंत शेष	
	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	वसूली प्रमाण पत्र की संख्या		वसूली प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
देहरादून	329	1.18	48	0.02	281	1.16
दिल्ली (उत्तर)	676	0.92	163	0.11	513	0.81
दिल्ली (दक्षिण)	318	0.17	30	0.04	288	0.13
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1323	2.27	241	0.18	1082	2.09
चंडीगढ़	3160	1.16	609	0.04	2551	1.12
लुधियाना	2764	0.99	670	0.06	2094	0.94
शिमला	201	0.04	97	0.02	104	0.02
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	6125	2.19	1376	0.11	4749	2.08
कानपुर	2583	4.84	424	0.71	2159	4.13
मेरठ	2127	1.14	248	0.06	1879	1.08
पटना	0	1.47	0	0.53	0	0.94
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	4710	7.45	672	1.30	4038	6.15
फरीदाबाद	1484	0.99	200	0.04	1284	0.95
गुडगांव	886	0.27	178	0.09	708	0.17
जयपुर	938	0.32	389	0.14	549	0.18
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	3308	1.58	767	0.28	2541	1.30
अहमदाबाद	1084	1.55	246	0.05	838	1.51
बड़ीदा	0	0.23	0	0.02	0	0.21
इंदौर	2133	5.88	450	0.42	1683	5.46
सूरत	0	1.09	0	0.18	0	0.91
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	3217	8.75	696	0.68	2521	8.08
कांदिवली	586	2.46	0	0.45	586	2.02
मुम्बई -I (बांद्रा)	0	2.03	0	0.02	0	2.01
मुम्बई -II (थाणे)	234	1.86	17	0.68	217	1.17
नागपुर	0	5.54	0	0.79	0	4.75
पुणे	1478	0.96	211	0.39	1267	0.57
रायपुर	0	1.13	0	0.03	0	1.10
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	2298	13.98	228	2.37	2070	11.62
बंगलौर	1523	3.64	72	0.08	1451	3.56
गुलबर्गा	924	0.38	279	0.07	645	0.31
मंगलौर	1379	0.61	440	0.12	939	0.50

पणजी	115	0.10	25	0.01	90	0.09
पीण्या	944	0.44	125	0.10	819	0.35
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	4885	5.18	941	0.38	3944	4.80
भुवनेश्वर	2533	4.99	299	2.06	2234	2.93
गुंदूर	6179	1.41	650	0.26	5529	1.15
हैदराबाद	3304	1.13	233	0.51	3071	0.62
निजामाबाद	2632	0.31	370	0.10	2262	0.21
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	14648	7.84	1552	2.93	13096	4.91
चेन्नई	6034	0.86	1762	0.09	4272	0.76
कोयम्बटूर	0	3.12	0	0.50	0	2.62
मद्रुरै	3776	1.38	1776	0.35	2000	1.03
ताम्वरम	2439	0.86	938	0.43	1501	0.43
तिरुवनंतपुरम	4429	3.74	1820	0.99	2609	2.75
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	16678	9.96	6296	2.36	10382	7.60
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	643	0.36	197	0.10	446	0.26
जलपाईगुडी	471	1.62	169	0.73	302	0.89
कोलकाता	586	3.39	112	0.17	474	3.22
रांची	538	1.00	185	0.52	353	0.48
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	2238	6.38	663	1.52	1575	4.85
संपूर्ण भारत	59430	65.59	13432	12.11	45998	53.48

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)								क.भ.नि. योजना
क्षेत्र	निपटान हेतु कुल मामले	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत तक कुल लम्बन
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	505	0	0	0	0	0	0	505
दिल्ली (दक्षिण)	381	0	0	0	0	0	0	381
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	886	0	0	0	0	0	0	886
चंडीगढ़	536	39	0	0	0	0	39	497
लुधियाना	617	0	0	0	0	0	0	617
शिमला	54	11	21	0	0	0	32	22
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	1207	50	21	0	0	0	71	1136
कानपुर	219	0	0	0	0	0	0	219
मेरठ	57	0	0	0	0	0	0	57
पटना	1560	0	0	0	0	0	0	1560
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	1836	0	0	0	0	0	0	1836
फरीदाबाद	304	0	0	0	0	0	0	304
गुडगांव	281	0	0	0	0	0	0	281
जयपुर	321	4	0	0	0	10	14	307
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	906	4	0	0	0	10	14	892
अहमदाबाद	1497	57	0	86	0	0	143	1354
बड़ोदा	488	0	0	0	0	0	0	488
इंदौर	1429	0	0	0	0	0	0	1429
सुरत	462	0	0	0	0	0	0	462
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	3876	57	0	86	0	0	143	3733
कांदिवली	526	0	0	0	0	0	0	526
मुम्बई -I (बांद्रा)	928	0	0	0	0	0	0	928
मुम्बई -II (थाणे)	492	0	0	0	0	0	0	492
नागपुर	214	0	0	1	0	0	1	213
पुणे	2481	0	0	0	0	0	0	2481
रायपुर	517	1	0	0	0	0	1	516
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	5158	1	0	1	0	0	2	5156
बंगलौर	492	0	0	0	0	0	0	492
गुलबर्गा	584	22	0	0	0	0	22	562

मंगलौर	1027	0	0	0	0	54	54	973
पणजी	182	11	0	51	0	0	62	120
पोण्या	199	0	0	0	0	0	0	199
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	2484	33	0	51	0	54	138	2346
भुवनेश्वर	1027	0	0	0	0	0	0	1027
गुडूर	494	16	1	0	0	0	17	477
हैदराबाद	2470	0	0	0	0	0	0	2470
निजामाबाद	264	0	0	0	0	0	0	264
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	4255	16	1	0	0	0	17	4238
चेन्नई	277	0	0	0	0	0	0	277
कोयम्बटूर	591	1	0	0	0	0	1	590
मदुरै	485	40	12	0	0	0	52	433
ताम्वरम	228	0	0	0	0	0	0	228
तिरुवनंतपुरम	1321	69	0	0	0	0	69	1252
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	2902	110	12	0	0	0	122	2780
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	710	0	0	0	0	0	0	710
जलपाईगुड़ी	1085	0	0	0	0	0	0	1085
कोलकाता	2121	0	0	0	0	334	334	1787
रांची	821	0	0	0	0	0	0	821
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	4737	0	0	0	0	334	334	4403
संपूर्ण भारत	28247	271	34	138	0	398	841	27406

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)								क.पै. योजना
क्षेत्र	निपटान हेतु कुल मामले	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत तक कुल लम्बन
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	357	0	0	0	0	0	0	357
दिल्ली (दक्षिण)	207	0	0	0	0	0	0	207
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	564	0	0	0	0	0	0	564
चंडीगढ़	323	37	0	0	0	0	37	286
लुधियाना	351	0	0	0	0	0	0	351
शिमला	54	10	22	0	0	0	32	22
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	728	47	22	0	0	0	69	659
कानपुर	45	0	0	0	0	0	0	45
मेरठ	57	0	0	0	0	0	0	57
पटना	1340	0	0	0	0	0	0	1340
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	1442	0	0	0	0	0	0	1442
फरीदाबाद	272	0	0	0	0	0	0	272
गुडगांव	220	0	0	0	0	0	0	220
जयपुर	70	1	0	0	0	10	11	59
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	562	1	0	0	0	10	11	551
अहमदाबाद	258	0	0	0	0	0	0	258
बड़ौदा	342	0	0	0	0	0	0	342
इंदौर	1063	0	0	0	0	0	0	1063
सुरत	161	0	0	0	0	0	0	161
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	1824	0	0	0	0	0	0	1824
कांदिवली	77	0	0	0	0	0	0	77
मुम्बई -I (बांद्रा)	553	0	0	0	0	0	0	553
मुम्बई -II (थाणे)	492	0	0	0	0	0	0	492
नागपुर	172	1	0	0	0	0	1	171
पुणे	2449	0	0	0	0	0	0	2449
रायपुर	283	0	0	0	0	0	0	283
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	4026	1	0	0	0	0	1	4025
बंगलौर	436	0	0	0	0	0	0	436
गुलबर्गा	398	23	0	0	0	0	23	375
मंगलौर	407	0	0	0	0	45	45	362

पणजी	198	10	0	32	0	0	42	156
पोण्या	199	0	0	0	0	0	0	199
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	1638	33	0	32	0	45	110	1528
भुवनेश्वर	477	0	0	0	0	0	0	477
गुंटूर	400	0	0	0	0	0	0	400
हैदराबाद	2031	0	0	0	0	0	0	2031
निजामाबाद	241	0	0	0	0	0	0	241
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	3149	0	0	0	0	0	0	3149
चेन्नई	240	0	0	0	0	0	0	240
कोयम्बटूर	260	1	0	0	0	0	1	259
मदुरै	335	40	12	0	0	0	52	283
ताम्वरम	232	0	0	0	0	0	0	232
तिरुवंतपुरम	876	44	0	0	0	0	44	832
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	1943	85	12	0	0	0	97	1846
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	537	0	0	0	0	0	0	537
जलपाईगुडी	1085	0	0	0	0	0	0	1085
कोलकाता	513	0	0	0	0	0	0	513
रांची	819	0	0	0	0	0	0	819
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	2954	0	0	0	0	0	0	2954
संपूर्ण भारत	18830	167	34	32	0	55	288	18542

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)								क.नि.सह.बीमा योजना
क्षेत्र	निपटान हेतु कुल मामले	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत तक शेष मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	259	0	0	0	0	0	0	259
दिल्ली (दक्षिण)	258	0	0	0	0	0	0	258
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	517	0	0	0	0	0	0	517
चंडीगढ़	387	37	0	0	0	0	37	350
लुधियाना	243	0	0	0	0	0	0	243
शिमला	55	10	22	0	0	0	32	23
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	685	47	22	0	0	0	69	616
कानपुर	40	0	0	0	0	0	0	40
मेरठ	57	0	0	0	0	0	0	57
पटना	1340	0	0	0	0	0	0	1340
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	1437	0	0	0	0	0	0	1437
फरीदाबाद	266	0	0	0	0	0	0	266
गुडगांव	209	0	0	0	0	0	0	209
जयपुर	75	1	0	0	0	10	11	64
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	550	1	0	0	0	10	11	539
अहमदाबाद	249	0	0	0	0	0	0	249
बड़ोदा	427	0	0	0	0	0	0	427
इंदौर	1471	0	0	0	0	0	0	1471
सूरत	167	0	0	0	0	0	0	167
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	2314	0	0	0	0	0	0	2314
कांदिवली	76	0	0	0	0	0	0	76
मुम्बई -I (बांद्रा)	549	0	0	0	0	0	0	549
मुम्बई -II (थाणे)	484	0	0	0	0	0	0	484
नागपुर	78	0	0	0	0	0	0	78
पुणे	2463	0	0	0	0	0	0	2463
रायपुर	356	0	0	0	0	0	0	356
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	4006	0	0	0	0	0	0	4006

बंगलौर	400	0	0	0	0	0	0	400
गुलबर्गा	382	24	0	0	0	0	24	358
मंगलौर	467	0	0	0	0	95	95	372
पणजी	172	10	0	32	0	0	42	130
पीण्या	198	0	0	0	0	0	0	198
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	1619	34	0	32	0	95	161	1458
भवनेश्वर	617	0	0	0	0	0	0	617
गुंटूर	406	16	0	0	0	0	16	390
हैदराबाद	1594	0	0	0	0	0	0	1594
निजामाबाद	231	0	0	0	0	0	0	231
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	2848	16	0	0	0	0	16	2832
चेन्नई	257	0	0	0	0	0	0	257
कोयम्बटूर	268	1	0	0	0	0	1	267
मद्रुरै	236	40	12	0	0	0	52	184
ताम्वरम	231	0	0	0	0	0	0	231
तिरुवनंतपुरम	724	44	0	0	0	0	44	680
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	1716	85	12	0	0	0	97	1619
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	629	0	0	0	0	0	0	629
जलपाईगुड़ी	1085	0	0	0	0	0	0	1085
कोलकाता	499	0	0	0	0	0	0	499
रांची	726	0	0	0	0	0	0	726
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	2939	0	0	0	0	0	0	2939
संपूर्ण भारत	18631	183	34	32	0	105	354	18277

परिशिष्ट ए -29 (i)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)				
क्षेत्र	वर्ष 2010-11 के लिए कार्यभार	पुलिस द्वारा समाप्त किए गए मामले	पुलिस द्वारा न्यायालय में फाइल किए गए चालान	वर्ष की समाप्ति पर पुलिस के समक्ष लंबित एफ.आई.आर.
देहरादून	2	0	0	2
दिल्ली (उत्तर)	32	0	0	32
दिल्ली (दक्षिण)	45	0	0	45
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	79	0	0	79
चंडीगढ़	44	0	0	44
लुधियाना	94	86	0	8
शिमला	0	0	0	0
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	138	86	0	52
कानपुर	69	0	0	69
मेरठ	11	0	0	11
पटना	32	0	0	32
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	112	0	0	112
फरीदाबाद	13	8	0	5
गुडगांव	1	0	0	1
जयपुर	39	0	0	39
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	53	8	0	45
अहमदाबाद	168	0	0	168
बड़ौदा	128	0	0	128
इंदौर	91	0	0	91
सूरत	95	0	0	95
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	482	0	0	482
कांदिवली	45	0	0	45
मुम्बई -I (बांद्रा)	153	0	0	153
मुम्बई -II (थाणे)	23	0	0	23
नागपुर	37	0	0	37
पुणे	182	0	0	182
रायपुर	5	0	0	5
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	445	0	0	445
बंगलोर	219	0	0	219

गुलबर्गा	183	5	0	178
मंगलौर	188	0	0	188
पणजी	91	0	0	91
पोण्या	418	0	0	418
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	1099	5	0	1094
भुवनेश्वर	107	0	0	107
गुंटूर	91	0	2	89
हैदराबाद	127	0	0	127
निजामाबाद	5	0	0	5
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	330	0	2	328
चेन्नई	395	0	0	395
कोयम्बटूर	363	0	0	363
मदुरै	298	47	77	174
ताम्वरम	550	0	0	550
तिरुवनंतपुरम	1197	18	0	1179
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	2803	65	77	2661
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	83	0	0	83
जलपाईगुड़ी	290	0	0	290
कोलकाता	1030	0	0	1030
रांची	8	0	0	8
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	1411	0	0	1411
संपूर्ण भारत	6952	164	79	6709

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र)						
क्षेत्र	निपटान के लिए कार्यभार	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले				न्यायालय में लंबित कुल मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	खारिज /मुक्त किए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (दक्षिण)	0	0	0	0	0	0
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	11	0	0	0	0	11
लुधियाना	8	0	0	0	0	8
शिमला	0	0	0	0	0	0
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	19	0	0	0	0	19
कानपुर	48	0	0	0	0	48
मेरठ	0	0	0	0	0	0
पटना	6	0	0	0	0	6
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	54	0	0	0	0	54
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	68	1	0	0	1	67
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	68	1	0	0	1	67
अहमदाबाद	664	0	0	0	0	664
बड़ौदा	0	0	0	0	0	0
इंदौर	2	0	0	0	0	2
सूरत	95	0	0	0	0	95
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	761	0	0	0	0	761
कादिवली	14	0	0	0	0	14
मुम्बई -I (बांद्रा)	18	0	0	1	1	17
मुम्बई -II (थाणे)	0	0	0	0	0	0
नागपुर	36	0	0	0	0	36
पुणे	22	0	0	4	4	18
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	90	0	0	5	5	85
बंगलौर	0	0	0	0	0	0
गुलबर्गा	5	0	0	0	0	5
मंगलौर	3	0	0	0	0	3

पणजी	85	0	0	0	0	85
पीण्या	0	0	0	0	0	0
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	93	0	0	0	0	93
भुवनेश्वर	49	0	0	0	0	49
गुंटूर	67	0	0	0	0	67
हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
निजामाबाद	1	0	0	0	0	1
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	117	0	0	0	0	117
चेन्नई	0	0	0	0	0	0
कोयम्बटूर	29	0	0	0	0	29
मदुरै	0	0	0	0	0	0
ताम्वरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	7	0	0	0	0	7
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	36	0	0	0	0	36
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	17	0	0	0	0	17
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	0	0	0	0	0	0
रांची	25	0	0	0	0	25
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	42	0	0	0	0	42
संपूर्ण भारत	1280	1	0	5	6	1274

संपत्ति का अटैचमेंट /चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति - अछूट प्राप्त क्षेत्र (रूपए करोड़ों में)			
क्रम सं.	कार्रवाई का तरीका	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1	बैंक खातों की कुर्की	13768	141.45
2	चल संपत्ति की कुर्की	109	4.16
3	अचल संपत्ति की कुर्की	143	28.90
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	42	0.55
5	सार्वजनिक नीलामी :		
	(i) चल संपत्ति	20	12.75
	(ii) अचल संपत्ति	03	0.80
कुल		14085	188.61

छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया (रूपए करोड़ों में)			
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	(31.03.2012) को अंत शेष
देहरादून	12.51	12.16	0.35
दिल्ली (उत्तर)	21.79	0.04	21.74
दिल्ली (दक्षिण)	0.00	0.00	0.00
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	34.29	12.20	22.09
चंडीगढ़	1.19	0.00	1.19
लुधियाना	0.76	0.00	0.76
शिमला	0.00	0.00	0.00
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	1.96	0.00	1.96
कानपुर	78.33	0.68	77.65
मेरठ	2.34	0.04	2.31
पटना	4.22	0.13	4.09
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	84.90	0.85	84.05
फरीदाबाद	7.17	2.32	4.85
गुडगांव	0.11	0.00	0.11
जयपुर	26.25	13.24	13.01
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	33.53	15.56	17.97
अहमदाबाद	3.62	0.55	3.07
बड़ोदा	0.15	0.05	0.10
इंदौर	13.66	8.04	5.63
सूरत	4.57	0.00	4.57
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	22.00	8.63	13.36
कांदिवली	0.77	0.68	0.09
मुम्बई -I (बांद्रा)	44.36	14.20	30.16
मुम्बई -II (थाणे)	8.94	0.16	8.78
नागपुर	14.20	2.75	11.44
पुणे	5.53	0.90	4.63
रायपुर	0.27	0.00	0.27
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	74.07	18.69	55.38
बंगलौर	17.40	7.18	10.23
गुलबर्गा	0.40	0.12	0.28
मंगलौर	2.29	0.02	2.27
पणजी	0.00	0.00	0.00
पोण्णा	73.31	16.22	57.09

आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	93.40	23.54	69.86
भुवनेश्वर	8.68	0.02	8.67
गुंटूर	16.15	0.42	15.73
हैदराबाद	35.21	9.68	25.53
निजामाबाद	0.06	0.06	0.00
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	60.10	10.18	49.92
चेन्नई	17.43	0.95	16.49
कोयम्बटूर	0.99	0.19	0.79
मदुरै	0.92	0.67	0.26
ताम्वरम	3.56	3.54	0.02
तिरुवनंतपुरम	8.92	2.35	6.58
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	31.83	7.69	24.14
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00
जलपाईगुड़ी	10.60	3.12	7.48
कोलकाता	164.11	18.80	145.31
रांची	126.83	13.30	113.53
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	301.54	35.21	266.32
संपूर्ण भारत	737.62	132.57	605.05

छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया (2011-12) (रूपए करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	31. 03.2012 को अंत शेष	कुल का प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	174.71	21.92	152.79	25.25%
झारखंड	126.83	13.30	113.53	18.76%
उत्तर प्रदेश	80.68	0.72	79.96	13.21%
उप - योग	382.21	35.93	346.28	57.23%
शेष राज्य	355.41	96.64	258.77	42.77%
कुल बकाया	737.62	132.57	605.05	100.00%

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन (2011-12)						
	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
क्षेत्र	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
देहरादून	1	0.35	0	0.00	1	0.35
दिल्ली (उत्तर)	2	17.73	15	4.01	17	21.74
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	3	18.08	15	4.01	18	22.09
चंडीगढ़	1	1.19	0	0.00	1	1.19
लुधियाना	0	0.00	1	0.76	1	0.76
शिमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	1	1.19	1	0.76	2	1.96
कानपुर	16	17.54	18	60.11	34	77.65
मेरठ	1	1.25	6	1.06	7	2.31
पटना	1	0.38	21	3.71	22	4.09
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	18	19.16	45	64.88	63	84.05
फरीदाबाद	2	4.18	2	0.67	4	4.85
गुडगांव	0	0.00	1	0.11	1	0.11
जयपुर	6	13.00	6	0.01	12	13.01
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	8	17.18	9	0.79	17	17.97
अहमदाबाद	0	0.00	23	3.07	23	3.07
बड़ोदा	1	0.10	1	0.01	2	0.10
इंदौर	7	1.50	5	4.13	12	5.63
सूरत	0	0.00	4	4.57	4	4.57
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	8	1.59	33	11.77	41	13.36
कांदिवली	0	0.00	3	0.09	3	0.09
मुम्बई -I (बांद्रा)	1	2.36	13	27.80	14	30.16
मुम्बई -II (थाणे)	0	0.00	4	8.78	4	8.78
नागपुर	1	10.32	6	1.13	7	11.44
पुणे	1	1.34	2	3.29	3	4.63
रायपुर	1	0.27	0	0.00	1	0.27
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	4	14.30	28	41.08	32	55.38
बंगलौर	18	10.23	0	0.00	18	10.23
गुलबर्गा	0	0.00	1	0.28	1	0.28
मंगलौर	2	1.97	1	0.30	3	2.27
पणजी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पीण्या	2	57.09	0	0.00	2	57.09

आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	22	69.28	2	0.58	24	69.86
भुवनेश्वर	2	7.99	4	0.68	6	8.67
गुंटूर	6	15.17	2	0.56	8	15.73
हैदराबाद	5	23.08	2	2.45	7	25.53
निजामाबाद	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	13	46.24	8	3.69	21	49.92
चेन्नई	3	14.67	31	1.82	34	16.49
कायम्बटूर	2	0.14	2	0.65	4	0.79
मडुरै	3	0.13	2	0.12	5	0.26
ताम्वरम	1	0.02	0	0.00	1	0.02
तिरुवनंतपुरम	7	6.23	3	0.35	10	6.58
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	16	21.20	38	2.94	54	24.14
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
जलपाईगुडी	0	0.00	6	7.48	6	7.48
कोलकाता	14	42.31	139	103.00	153	145.31
रांची	4	111.39	2	2.14	6	113.53
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	18	153.70	147	112.62	165	266.32
संपूर्ण भारत	111	361.92	326	243.13	437	605.05

50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (छूट प्राप्त क्षेत्र)		
क्षेत्र	चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या	राशि करोड़ों में
देहरादून	0	0.00
दिल्ली (उत्तर)	6	34.66
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	6	34.66
चंडीगढ़	1	1.19
लुधियाना	1	0.76
शिमला	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	2	1.96
कानपुर	9	37.89
मेरठ	1	1.69
पटना	2	3.28
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	12	42.86
फरीदाबाद	2	4.18
गुडगांव	0	0.00
जयपुर	2	12.88
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	4	17.07
अहमदाबाद	1	0.53
बड़ौदा	0	0.00
इंदौर	3	5.32
सूरत	3	4.53
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	7	10.38
कांदिवली	0	0.00
मुम्बई -I (वाद्रा)	3	25.20
मुम्बई -II (थाणे)	2	1.54
नागपुर	2	11.21
पुणे	3	5.38
रायपुर	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	10	43.33
बंगलौर	1	7.73
गुलबर्गा	0	0.00
मंगलौर	1	1.54
पणजी	0	0.00
पीण्चा	2	57.09
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	4	66.36
भुवनेश्वर	1	7.64
गुंटूर	2	15.17
हैदराबाद	3	24.80
निजामाबाद	0	0.00

आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	6	47.61
चेन्नई	4	15.58
कोयंबटूर	1	0.61
मदुरै	0	0.00
ताम्ररम	0	0.00
तिरुवनंतपुरम	2	5.61
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	7	21.80
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00
जलपाईगुड़ी	2	3.40
कोलकाता	34	118.65
रांची	3	100.03
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	39	222.09
संपूर्ण भारत	97	508.11

एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र)					
क्र.सं.	क्षेत्र कोड	कोड सं.	चूकदार स्थापना का नाम	कुल चूक (करोड़ों में)	कुल चूक (करोड़ों में)
देहरादून					
शून्य					
				क्षेत्र का कुल	0.00
दिल्ली उत्तरी					
1	डी एल	1091	मैसर्स प्योर ड्रिक्स	2.20	
2	डी एल	2271	मैसर्स एफ सी आई	15.01	
3	डी एल	7413	मैसर्स गेल	15.82	
				क्षेत्र का कुल	33.02
चंडीगढ़					
1	पी एन	386	पी.आर.टी.सी., पटियाला	1.19	
				क्षेत्र का कुल	1.19
लुधियाना					
शून्य					
शिमला					
शून्य					
कानपुर					
1	यू पी	13539	मैसर्स सहारा इंडिया लखनऊ	3.84	
2	यू पी	7493	मैसर्स बी एच ई एल, झांसी	1.20	
3	यू पी	22	मैसर्स जे.के. जूट मिल क. लि., कानपुर	1.07	
4	यू पी	18958	मैसर्स मालवीका स्टील्स सुल्तानपुर	1.58	
5	यू पी	28461	मैसर्स सहारा इंडिया फाईनेन्स इंस्टिट्यूट	4.83	
6	यू पी	28462	मैसर्स सहारा इंडिया कॉम. कार्पोरेशन	9.93	
7	यू पी	28463	मैसर्स सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन	5.08	
8	यू पी	28464	मैसर्स सहारा एयरलाइन्स	9.73	
				क्षेत्र का कुल	37.27
मेरठ					
1	यू पी	196	मैसर्स मोदी शूगर	1.69	
				क्षेत्र का कुल	1.69
पटना					
1	बी आर	188	मैसर्स मोतीहरि चीनी मिल, मोतीहरि	2.32	
				क्षेत्र का कुल	2.32
फरीदाबाद					
1	एच आर	1061	मैसर्स एच एम टी, पिंजोर, पंचकुला	3.64	
				क्षेत्र का कुल	3.64
गुडगांव					
शून्य					
जयपुर					
1	आर जे	2993	मैसर्स राज स्ट्रीट रोड देव एंड कंस्ट्रक्शन कार्पो. जयपुर	1.20	
2	आर जे	1139	मैसर्स आई एल लि./कोटा	11.68	
				क्षेत्र का कुल	12.88
अहमदाबाद					

शून्य				
वडोदरा				
शून्य				
इंदौर				
1	एम पी	40	मैसर्स ग्वालियर शुगर कंपनी, डाबरा	3.97
क्षेत्र का कुल				3.97
सुरत				
1	जी जे	324	मैसर्स नवसारी कॉटन सिल्क मिल्स लि.	2.78
क्षेत्र का कुल				2.78
वांद्रा				
1	एम एच	1255	मैसर्स एम एस आर टी सी	23.60
क्षेत्र का कुल				23.60
थाणे				
शून्य				
कांदिवली				
शून्य				
पुणे				
1	एम एच	1459	मैसर्स हिंदुस्तान एटीबाईटिक लि.	3.08
2	एम एच	6286	मैसर्स इनकेब इंडस्ट्रीज लि.	1.27
3	एम एच	998	न्यू फलतन शुगर वर्क्स	1.02
क्षेत्र का कुल				5.38
नागपुर				
1	एम एच	3502	मैसर्स मॉडल मिल्स , नागपुर	10.32
क्षेत्र का कुल				10.32
रायपुर				
शून्य				
बंगलौर				
1	के एन	873E	मैसर्स एच एम टी कॉरपोरेट ऑफिस, हैवी इंजीनियरिंग	7.73
क्षेत्र का कुल				7.73
गोवा				
शून्य				
गुलबर्गा				
शून्य				
मंगलौर				
1	के एन		मैसर्स मैसूर किरलोसकर	1.54
क्षेत्र का कुल				1.54
पीण्था				
1	के एन	873A	मैसर्स एच एम टी लि. वॉच डिवीजन	31.81
2	के एन	873	मैसर्स एच एम टी लि. (एम टी डी)	25.28
क्षेत्र का कुल				57.09
भुवनेश्वर				
1	ओ आर	888	मैसर्स एन टी पी सी	7.64
क्षेत्र का कुल				7.64
गुंटूर				
1	ए पी	13	मैसर्स हिंदुस्तान सिफायर्ड लि., वी एस पी	14.33
क्षेत्र का कुल				14.33

13	डब्ल्यू बी	97	मैसर्स कन्नौरिया जूट इंडस्ट्रीज	10.98	
14	डब्ल्यू बी	72	मैसर्स नॉर्थ ब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड	1.25	
15	डब्ल्यू बी	17	मैसर्स कामराटी क. लि.	1.66	
16	डब्ल्यू बी	48 & 55	मैसर्स एन जे एम सी लिमिटेड, यूनिट केनिसियन	4.25	
17	डब्ल्यू बी	11 & 43	मैसर्स एन जे एम सी लिमिटेड, यूनिट खर्दा	2.99	
18	डब्ल्यू बी	30	मैसर्स हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड (यूनिट : वेवरली)	1.98	
19	डब्ल्यू बी	35	मैसर्स मेघना जूट मिल्स (यूनिट : गजानन्द)	3.74	
20	डब्ल्यू बी	338	मैसर्स टीटागढ़ जूट मिल नं० 2 (लूमटेक्स)	10.00	
21	डब्ल्यू बी	2.27 & 40	मैसर्स बारानगर जूट फैक्ट्री	6.49	
22	डब्ल्यू बी	23	मैसर्स केल्विन जूट इंडस्ट्रीज लि.	3.55	
23	डब्ल्यू बी	664	मैसर्स बंगाल वाटर प्रूफ	1.25	
				क्षेत्र का कुल	110.02
जलपाईगुड़ी					
1	डब्ल्यू बी	1083	मैसर्स सुभाषिनी टी.ई.	2.70	
				क्षेत्र का कुल	2.70
पूर्वी उत्तर क्षेत्र					
शून्य					
रांची					
1	जे एच	1465	मैसर्स एचईसी लि.	95.02	
2	जे एच	2203	मैसर्स मेकोन लि.	2.88	
3	जे एच	13022	मैसर्स टाटा कुमिन्स लि.	2.13	
				क्षेत्र का कुल	100.03
				अखिल भारतीय महायोग	484.24

परिशिष्ट ए -36

वर्ष के अंत में अनिवेशित राशि (31.03.2012 तक)		
क्षेत्र	स्थापनाओं की संख्या	राशि (रूपए करोड़ों में)
देहरादून	13	48.55
दिल्ली (उत्तर)	207	335.02
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	220	383.57
चंडीगढ़	7	15.24
लुधियाना	10	2.91
शिमला	6	0.35
आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश)	23	18.50
कानपुर	7	4.26
मेरठ	4	0.40
पटना	15	89.00
आंचलिक कार्यालय (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)	26	93.67
फरीदाबाद	4	2.52
गुड़गांव	0	0.00
जयपुर	15	89.00
आंचलिक कार्यालय (हरियाणा एवं राजस्थान)	19	91.52
अहमदाबाद	24	1.47
बड़ोदा	22	104.94
इंदौर	6	33.76
सूरत	0	0.00
आंचलिक कार्यालय (गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	52	140.17
कांदिवली	35	14.64
मुम्बई -I (बांद्रा)	281	150.86
मुम्बई -II (थाणे)	71	154.96
नागपुर	17	16.41
पुणे	0	0.00
रायपुर	5	29.93
आंचलिक कार्यालय (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	409	366.80
बंगलौर	32	33.02
गुलबर्गा	5	2.42
मंगलौर	9	5.34
पणजी	8	1.56
पोण्य	21	19.93
आंचलिक कार्यालय (कर्नाटक एवं गोवा)	75	62.27

शून्य				
वडोदरा				
शून्य				
इंदौर				
1	एम पी	40	मैसर्स ग्वालियर शूगर कंपनी, डाबरा	3.97
क्षेत्र का कुल				3.97
सुरत				
1	जी जे	324	मैसर्स नवसारी कॉटन सिल्क मिल्स लि.	2.78
क्षेत्र का कुल				2.78
बांद्रा				
1	एम एच	1255	मैसर्स एम एस आर टी सी	23.60
क्षेत्र का कुल				23.60
थाणे				
शून्य				
कांदिवली				
शून्य				
पुणे				
1	एम एच	1459	मैसर्स हिंदुस्तान एटीबाईटिक लि.	3.08
2	एम एच	6286	मैसर्स इनकेब इंडस्ट्रीज लि.	1.27
3	एम एच	998	न्यू फलतन शूगर वर्क्स	1.02
क्षेत्र का कुल				5.38
नागपुर				
1	एम एच	3502	मैसर्स मॉडल मिल्स , नागपुर	10.32
क्षेत्र का कुल				10.32
रायपुर				
शून्य				
बंगलौर				
1	के एन	873E	मैसर्स एच एम टी कॉरपोरेट ऑफिस, हैवी इंजीनियरिंग	7.73
क्षेत्र का कुल				7.73
गोवा				
शून्य				
गुलबर्गा				
शून्य				
मंगलौर				
1	के एन		मैसर्स मैसूर किरलोराकर	1.54
क्षेत्र का कुल				1.54
पीण्या				
1	के एन	873A	मैसर्स एच एम टी लि. वॉच डिवाइजन	31.81
2	के एन	873	मैसर्स एच एम टी लि. (एम टी डी)	25.28
क्षेत्र का कुल				57.09
भुवनेश्वर				
1	ओ आर	888	मैसर्स एन टी पी सी	7.64
क्षेत्र का कुल				7.64
गुंदूर				
1	ए पी	13	मैसर्स हिंदुस्तान सिफयार्ड लि., वी एस पी	14.33
क्षेत्र का कुल				14.33

भुवनेश्वर	0	0.00
गुंटूर	8	5.01
हैदराबाद	20	27.42
निजामाबाद	1	0.00
आंचलिक कार्यालय (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	29	32.44
चेन्नई	47	28.42
कोयम्बटूर	28	14.00
मदुरै	14	17.19
ताम्वरम	15	5.36
तिरुवनंतपुरम	35	24.78
आंचलिक कार्यालय (तमिलनाडु एवं केरल)	139	89.76
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00
जलपाईगुड़ी	1	0.88
कोलकाता	315	220.81
रांची	56	482.77
आंचलिक कार्यालय (पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं झारखण्ड)	372	704.45
संपूर्ण भारत	1364	1983.13

31.03.2012 को ग्रुप ए अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या		
क्षेत्र	स्वीकृत	वर्तमान
आंध्र प्रदेश	71	63
बिहार	11	08
झारखंड	16	12
दिल्ली	38	36
गुजरात	52	38
हरियाणा	45	32
हिमाचल प्रदेश	8	7
कर्नाटक	73	65
केरल	32	25
मध्य प्रदेश	31	26
छत्तीसगढ़	10	8
महाराष्ट्र	104	78
गोवा	10	4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	18	11
उड़ीसा	21	19
पंजाब	50	43
राजस्थान	22	16
तमिलनाडु	117	82
उत्तर प्रदेश	40	38
उत्तराखंड	12	10
पश्चिमी बंगाल	61	46
मुख्यालय	157	78
नाटर्स	4	7
आं.प्र.सं. (द.अं.)	3	2
आं.प्र.सं. (उ.अं.)	3	2
आं.प्र.सं. (प.अं.)	3	2
आं.प्र.सं. (पू.अं.)	4	2
आं.अ.के.आ. (द.अं.)	8	0
आं.अ.के.आ. (पू. अं.)	8	0
आं.अ.के.आ. (प.अं.)	3	2
आं.अ.के.आ. (उ.अं.)	7	0
कुल	1042	762

31.03.2012 को ग्रुप बी अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या												
क्षेत्र	स्वीकृत संख्या	स्टाफ की स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस सी	एस टी	ओ बी सी	विक.	भू.से.	एस सी	एस टी	ओ बी सी	विक.	भू.से.
आंध्र प्रदेश	448	396	63	31	20	0	0	56	25	12	0	0
बिहार	86	62	9	2	3	1	0	6	0	1	22	0
झारखंड	129	92	6	0	5	3	8	4	8	5	0	0
दिल्ली	277	239	36	17	7	8	0	43	15	7	5	0
गुजरात	435	368	58	30	17	10	7	56	30	16	9	0
हरियाणा	256	233	38	17	32	5	0	26	12	9	5	0
हिमाचल प्रदेश	38	27	2	1	1	0	0	1	3	0	0	0
कर्नाटक	402	380	54	25	12	10	0	50	25	0	17	0
केरल	289	251	29	7	9	0	0	28	10	5	0	0
मध्य प्रदेश	206	154	8	3	6	0	0	3	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	36	32	1	0	1	0	0	2	15	4	0	0
महाराष्ट्र	914	747	127	61	46	22	3	82	51	2	10	0
गोवा	32	26	4	2	8	0	0	3	4	5	0	1
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	89	61	7	2	5	0	0	2	5	1	0	0
उड़ीसा	163	131	22	5	6	1	0	13	11	2	1	0
पंजाब	279	244	17	6	8	0	0	17	3	2	3	0
राजस्थान	193	171	28	14	1	6	19	27	11	2	3	0
तमिलनाडु	790	574	94	40	24	2	6	113	33	42	1	2
उत्तर प्रदेश	358	259	45	20	13	6	0	50	2	17	8	1
उत्तराखंड	45	37	2	1	1	0	0	13	4	1	0	0
पश्चिमी बंगाल	537	315	40	20	18	0	0	40	20	10	3	0
मुख्यालय	337	266	28	9	3	0	0	28	9	3	0	0
नाटर्स	4	11	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0
आं. प्र. सं.	11	10	2	0	2	0	1					
आं.अ.के.आ. (सभी अंचल)	14	0										
कुल	6368	5086	722	315	248	74	44	665	299	146	87	4

31.03.2012 को ग्रुप सी एवं ग्रुप डी अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या												
क्षेत्र	स्वीकृत संख्या	स्टाफ की स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस सी	एस टी	ओ बी सी	विक.	भू.से.	एस सी	एस टी	ओ बी सी	विक.	भू.से.
आंध्र प्रदेश	1368	1204	206	102	128	0	0	169	90	71	0	0
बिहार	211	167	28	12	51	6	20	17	2	66	8	0
झारखंड	298	247	45	18	52	9	20	32	44	76	4	2
दिल्ली	837	679	119	63	89	26	32	139	58	83	24	24
गुजरात	1227	942	174	96	261	33	104	190	111	225	40	19
हरियाणा	700	473	86	50	76	18	44	119	15	64	14	19
हिमाचल प्रदेश	103	81	15	6	23	2	3	20	6	8	1	2
कर्नाटक	1374	1149	54	25	12	10	0	50	25	0	17	0
केरल	825	667	85	16	170	25	64	119	25	132	10	28
मध्य प्रदेश	620	525	102	119	81	15	2	132	122	61	14	1
छत्तीसगढ़	112	95	11	5	21	0	0	9	15	28	2	2
महाराष्ट्र	2631	2083	383	188	241	76	29	379	175	263	39	21
गोवा	80	67	10	4	17	0	1	4	5	5	2	2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	227	192	34	14	40	8	20	23	43	17	2	3
उड़ीसा	451	367	62	68	37	10	3	69	71	25	12	3
पंजाब	786	644	254	11	79	35	41	124	1	26	20	9
राजस्थान	538	464	92	45	34	6	51	79	63	28	7	7
तमिलनाडु	2287	1778	411	45	509	48	179	1020	498	20	268	0
उत्तर प्रदेश	931	727	152	57	37	20	0	172	1	88	288	0
उत्तराखंड	117	99	14	6	25	4	8	23	6	14	47	0
पश्चिमी बंगाल	1740	1162	84	14	57	10	4	328	34	135	29	15
मुख्यालय	178	135	17	6	23	0	0	59	18	11	0	0
नाटर्स	25	18	6	1	3	0	0	6	1	3	0	0
ऑ. प्र. सं.	15	15	1	0	4	0	1					
कुल	17681	13980	2445	971	2070	361	626	3282	1429	1449	848	157

31.03.2012 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टॉफ पेंशन भोगियों तथा परिवार पेंशन भोगियों की संख्या		
क्षेत्र	पेंशन भोगियों की संख्या	परिवार पेंशन भोगियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	344	166
बिहार	97	62
झारखण्ड	22	12
दिल्ली	126	58
गुजरात	229	95
हरियाणा	72	43
हिमाचल प्रदेश	6	9
कर्नाटक	275	153
केरल	391	113
मध्य प्रदेश	174	69
छत्तीसगढ़	0	4
महाराष्ट्र	927	213
गोवा	8	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	32	27
उड़ीसा	106	31
पंजाब	169	55
राजस्थान	88	43
तमिलनाडु	443	160
उत्तर प्रदेश	321	158
उत्तराखंड	6	0
पश्चिम बंगाल	890	231
मुख्यालय	123	51
कुल	4849	1756

वर्ष 2010-2011 में उत्पादकता सहबद्ध बोनस

[राशि रूपयों में]

क्र.सं.	क्षेत्र	दिनों की संख्या	बोनस की कुल वितरित राशि
1	आं.प्र. - हैदराबाद	60	46,75,445
2	आं.प्र. - गुन्टूर	60	41,43,381
3	आं.प्र. - निजामाबाद	60	16,41,202
4	बिहार	60	16,69,965
5	छत्तीसगढ़	60	7,75,511
6	दिल्ली - उत्तर	60	29,67,011
7	दिल्ली - दक्षिण	60	27,57,662
8	गोवा	60	6,00,997
9	गुजरात - अहमदाबाद	60	52,51,183
10	गुजरात - वडोदरा	60	12,08,427
11	गुजरात-सूरत	60	17,13,656
12	हरियाणा-फरीदाबाद	60	24,60,757
13	हरियाणा - गुडगांव	60	15,41,261
14	हिमाचल प्रदेश	60	6,67,145
15	झारखंड	60	23,12,811
16	कर्नाटक - बंगलौर	60	25,91,295
17	कर्नाटक - मंगलौर	60	29,01,109
18	कर्नाटक- गुलबर्गा	60	13,87,865
19	कर्नाटक-पीण्चा	60	24,91,794
20	केरल	60	65,84,724
21	मध्यप्रदेश	60	44,84,190
22	मुम्बई - I (बान्द्रा)	60	53,67,365
23	मुम्बई - II (थाणे)	60	29,44,442
24	मुम्बई -III -कांदिवली	60	27,60,208
25	महाराष्ट्र - पुणे	60	32,89,729
26	महाराष्ट्र - नागपुर	60	27,46,181
27	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	60	16,23,832
28	उड़ीसा	60	35,34,036
29	पंजाब - चण्डीगढ़	60	30,63,598
30	पंजाब - लुधियाना	60	28,50,332

क्र.सं.	क्षेत्र	दिनों की संख्या	बोनस की कुल वितरित राशि
31	राजस्थान	60	38,73,768
32	तमिलनाडू - चेन्नै	60	49,96,751
33	तमिलनाडू - मदुरै	60	43,22,964
34	तमिलनाडू - कोयम्बतूर	60	43,48,485
35	तमिलनाडू- ताम्बरम	60	2,173,504
36	उत्तर प्रदेश-कानपुर	60	49,05,147
37	उत्तर प्रदेश- मेरठ	60	22,21,417
38	उत्तराखंड	60	8,58,160
39	पश्चिम बंगाल - कोलकाता	60	80,90,769
40	पश्चिम बंगाल - जलपाईगुड़ी	60	28,36,557
41	मुख्य कार्यालय (राष्ट्रीय)	60	21,62,344
42	नाटर्स (राष्ट्रीय)	60	5,92,820
	कुल योग		12,40,89,800

जन सूचना

2011 -12 में प्रगति					
	01.04.2010 को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील रद्द किए गए	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील स्वीकार किए गए
अनुरोध	695	41564	1696	2331	38232
प्रथम अपील	44	2498	12	181	2349

अनुरोध / अपील रद्द करते हुए विभिन्न उपबंधों के बारे में की गई याचनाओं की संख्या														इस अधिनियम का अपयोग करने के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की संख्या	एकत्रित शुल्क की राशि (रूपये में)		
धारा 8 (1)										अन्य धारा					पंजीकरण शुल्क	अतिरिक्त शुल्क एवं अन्य प्रभार	दंड राशि
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य				
			63	245		12	24		409	17	26		1535	शून्य	366928	72878	--

के.सहा.जन सूचना अधिकारी पद नामित किए जाने की संख्या	के.ज.सूचना अधिकारी पदनामित किए जाने की संख्या	अपील अधिकारी पदनामित किए जाने की संख्या
127	202	65

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों का विवरण (2011-12)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	1-4-2011 तक लंबित पैरा	वर्ष के दौरान शामिल पैरा	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए पैरा	31-03-2012 तक लंबित पैरा
01	हैदराबाद	79	100	179	16	163
02	गुन्टूर	69	00	69	00	69
03	निजामाबाद	179	00	179	110	69
04	बिहार	105	00	105	00	105
05	छत्तीसगढ़	00	00	00	00	00
06	दिल्ली - उत्तर	32	00	32	00	32
07	दिल्ली - दक्षिण	20	00	20	00	20
08	अहमदाबाद	33	05	38	06	32
09	वडोदरा	20	04	24	08	16
10	सूरत	25	04	29	11	18
11	गोवा	13	00	13	00	13
12	फरीदाबाद	18	12	30	18	12
13	गुडगांव	00	11	11	00	11
14	हिमाचल प्रदेश	07	26	33	00	33
15	झारखंड	00	00	00	00	00
16	बंगलौर	50	00	50	00	50
17	पीण्या	18	10	28	00	28
18	मंगलौर	08	00	08	04	04
19	गुलबर्गा	23	00	23	13	10
20	केरल	62	63	125	22	103
21	मध्य प्रदेश	18	00	18	00	18
22	मुम्बई- I (बान्द्रा)	25	5	30	00	30
23	थाणे	24	00	24	00	24
24	नागपुर	17	00	17	00	17
25	कांदिवली	03	11	14	00	14
26	पुणे	06	05	11	01	10
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र	26	09	35	20	15
28	उड़ीसा	106	46	152	46	106
29	चण्डीगढ़	57	00	57	00	57
30	लुधियाना	31	00	31	15	16
31	राजस्थान	57	00	57	00	57
32	चेन्नै	17	16	33	09	24
33	ताम्ररम	09	09	18	09	09

34	मदुरै	02	04	06	00	06
35	कोयम्बतूर	19	21	40	17	23
36	कानपुर	20	07	27	00	27
37	मेरठ	00	00	00	00	00
38	उत्तरांचल	00	00	00	00	00
39	कोलकाता	47	00	47	00	47
40	जलपाईगुडी	22	00	22	00	22
41	नाटरस + आं.प्र.सं.	35	08	43	04	39
42	क.भ.नि.अपीलीय	00	00	00	00	00
43	मुख्यालय	119	00	119	21	98
कुल		1421	376	1797	350	1447

* लेखा परीक्षा नहीं की गई ।

आंतरिक लेखा परीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण (2011-12)

क्र.सं.	क्षेत्र /कार्यालय का नाम	01.04.2011 तक लंबित पैरा	वर्ष के दौरान शामिल पैरा	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए पैरा	31.03.2012 तक लंबित पैरा
01.	हैदराबाद	343	109	452	179	273
02	गुन्टूर	216	189	405	142	263
03	निजामाबाद	42	94	136	16	120
04	बिहार	246	91	337	76	261
05	छत्तीसगढ़	147	31	178	65	113
06	दिल्ली - उत्तर	42	45	87	11	76
07	दिल्ली - दक्षिण	142	81	223	51	172
08	अहमदाबाद	126	81	207	74	133
09	वडोदरा	45	05	50	09	41
10	सूरत	101	23	124	22	102
11	गोवा	101	30	131	00	131
12	फरीदाबाद	107	30	137	23	114
13	गुडगांव	124	30	154	60	94
14	हिमाचल प्रदेश	47	34	81	18	63
15	झारखंड	183	59	242	33	209
16	बंगलौर	113	98	211	04	207
17	पीणया	179	81	260	55	205
18	मंगलौर	290	153	443	123	320
19	गुलबर्गा	175	133	308	46	262
20	केरल	475	110	585	215	370
21	मध्य प्रदेश	483	116	599	238	361
22	मुम्बई- I (बान्द्रा)	01	26	27	00	27
23	थाणे	159	36	195	07	188
24	नागपुर	198	151	349	164	185
25	कांदिवली	391	42	433	40	393
26	पुणे	184	157	341	19	322
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र	427	130	557	44	513
28	उड़ीसा	317	143	460	95	365
29	चण्डीगढ़	100	66	166	29	137
30	लुधियाना	139	99	238	82	156
31	राजस्थान	211	131	342	108	234
32	चेन्नै	137	100	237	82	155

33	ताम्बरम	136	86	222	39	183
34	मदुरै	252	100	352	213	139
35	कोयम्बतूर	254	94	348	51	297
36	कानपुर	347	218	565	53	512
37	मेरठ	188	69	257	16	241
38	उत्तरांचल	73	69	142	50	92
39	कोलकाता	372	180	552	43	509
40	जलपाईगुडी	409	134	543	74	469
41	नाटुरस + आं.प्र.सं.	65	35	100	30	70
42	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	45	07	52	12	40
43	मुख्यालय	82	15	97	00	97
कुल		8214	3711	11925	2711	9214

परिशिष्ट ए -45 (i)

31.03.2012 को क.भ.नि.योजना निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन दर (रुपये करोड़ों में)															
श्रेणी	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14%	कुल अंकित मूल्य
एस डी एस	-	-	-	-	52,660.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,660.23
सी टी जी	1,165.68	833.89	2,470.42	5,554.94	7,471.90	30,446.35	2,890.73	0.90	315.99	3,705.92	1,801.96	1,754.90	-	-	58,413.58
एस डी एल	2,367.81	549.12	917.10	1,857.96	4,793.24	12,206.24	14,062.29	1,597.81	793.90	-	-	-	-	-	39,145.49
एस टी जी	0.18	-	520.51	3.40	987.41	160.89	829.12	162.25	0.60	1.03	6.64	3.36	8.01	0.10	2,683.50
पी एस यू विभिन्न दरों पर टी डी आर एवं अवधि	58.26	318.92	117.45	2,194.69	2,615.77	4,731.93	32,319.52	20,723.52	13,318.01	7,192.81	827.20	2.70	0.05	-	84,420.83
कुल	3,591.93	1,701.93	4,025.48	9,611.01	68,528.55	47,545.41	50,101.66	22,484.48	14,428.50	10,899.76	2,635.80	1,760.96	8.06	0.10	237,323.63

नोट : वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए एस.डी.एस. पर ब्याज दर 01.12.2011 से 8% से बढ़कर 8.60% हो गई।

परिशिष्ट ए -45 (ii)

31.03.2012 को क.पें.यो. 1995 निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं अर्जन दर (रूपये करोड़ों में)															
श्रेणी	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14%-15%	कुल अंकित मूल्य
एस डी एस	-	-	-	-	1,400.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.52
सी टी जी	202.58	936.47	2,040.06	1,715.68	6,969.08	16,202.85	748.30	25.00	53.62	5,253.60	2,216.46	2,224.49			38,588.19
एस डी एल	1,156.22	1,080.19	355.29	1,388.20	2,336.45	4,951.37	6,197.90	962.03	292.50	-	-	-	-	-	18,720.15
एस टी जी	-	-	321.00	15.00	1,030.80	958.00	234.50	-	-	-	12.00	-	5.00	-	2,576.30
पी एस यू विभिन्न दरों पर टीडीआर एवं अवधि	115.00	420.00	63.14	2,443.70	2,749.73	2,704.10	15,228.07	9,962.65	5,271.06	3,612.52	825.80	12.14			43,407.91
लोक लेखा	-	-	-	-	-	57,087.01	-	-	-	-	-	-	-	-	57,087.01
कुल	1,473.80	2,436.66	2,779.49	5,562.58	14,486.58	81,903.33	22,408.77	10,949.68	5,617.18	8,866.12	3,054.26	2,236.63	5.00	-	161,780.08

नोट : वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए एस.डी.एस. पर ब्याज दर 01.12.2011 से 8% से बढ़कर 8.60% हो गई।

परिशिष्ट ए -45 (iii)

31.03.2012 को क.नि.स.बी. योजना निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन दर (रूपये करोड़ों में)															
श्रेणी	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14%-15%	कुल अंकित मूल्य
एस डी एस					2.50										2.50
सी टी जी	5.12	24.78	114.97	24.87	255.93	793.94	39.98	-	5.25	181.92	69.93	57.82			1,574.51
एस डी एल	15.73	26.86	4.00	48.28	71.68	483.55	246.34	52.58	-						949.02
एस टी जी	-	-	14.00	-	28.10	42.00	24.20	-	-	-	-	-	-	-	108.30
पी एस यू	2.00	-	20.00	123.30	64.70	157.80	797.48	403.83	291.57	223.65	58.20				2,142.53
विभिन्न दरों पर टीडीआर एवं अवधि															-
लोक लेखा						5,880.73									5,880.73
कुल	22.85	51.64	152.97	196.45	422.91	7,358.02	1,108.00	456.41	296.82	405.57	128.13	57.82	-	-	10,657.59
नोट : वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए एस.डी.एस. पर ब्याज दर 01.12.2011 से 8% से बढ़कर 8.60% हो गई।															

नोट : वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए एस.डी.एस. पर ब्याज दर 01.12.2011 से 8% से बढ़कर 8.60% हो गई।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्य कार्यालय : भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

वेबसाईट : www.epfindia.org, www.epfindia.gov.in, www.epfindia.com